(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक–2] दसवीं विधान सभा के द्वितीय सत्र का आठवां दिवस [संख्या–6

बुधवार,

2 मार्च, 1994

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 133 (श्री पूनमचन्द जी विश्नोई)

विधान सभा क्षेत्र फलौदी में सड़कों का निर्माण

133. **श्री पूनमचन्द विश्नोई** (फलौदी) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या यह सही है कि फलौदी तहसील, जिला जोधपुर में अति मरुस्थलीय, सदैव अकाल से पीड़ित व आवागमन के साधनों का अभाव है ? यदि हां, तो क्या सरकार उच्च प्राथमिकता देकर निम्नांकित सड़कों का निर्माण कराने का विचार रखती है :

1. फलौदी से ग्राम बाप वाया बीटड़ी, बैंगटी खुर्द बैंगटी कलां, सिहड़ा, टेपू और घोलिया।

2. ग्राम जाम्बा से आम्बा, ढाणी, चाखू केलणसर, रोहिणा व बूंगड़ी।

3. ननेऊ से चाखू वाया मोटची, चिड़ी।

4. फलौदी से राणेरी वाया मोहरां, बांवड़ी कलां शेखासर।

5. खींचन से भीयांसर ग्राम वाया घोलासर पलीना साथरी, रडका बेरा, पडीयाल, रणीसर भीयांसर साथरी।

6. लोहावट से दयाकोर।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री ललित किशोर चतुर्वेदी) : जी हां। फलौदी तहसील में प्राय: अकाल की स्थिति बनी रहती है। आवागमन के लिए समय-समय पर इस तहसील में सड़कें बनायी गयी हैं। जहां तक वर्णित सड़कों का प्रश्न है, इनमें से कोई भी सड़क किसी भी योजना में

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

सम्मिलित नहीं की गयी हैं किन्तु वर्णित सभी गांव जिनकी जनसंख्या 1971 में 1000 से अधिक है, वे सभी डामर की सड़क से जोड़ा जाना आठवीं पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित है ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : इसमें मेरा निवेदन है कि यह तो आपकी योजना है कि इन गांवों को जोड़ेंगे लेकिन जहां ज्यादातर परिवहन ऊंट गाड़ों से होता है तथा ऊंट गाड़ों को सीधा जाने की बजाय 30 किलोमीटर का चक्कर काटकर जाना पड़े तो फलौदी में यह काम कितना असंभव हो जाता है कि जब तक ये सड़कें सीधी नहीं होती हैं । नम्बर दो की सड़कें हैं उनको भी पूरा कर दें । डेजर्ट का विकटतम क्षेत्र है, चाखू चिमाणे के धोरे जैसे टीले हैं, वे राजस्थान में कहीं नहीं हैं । 5–5, 6–6, 7–7 हजार की आबादी के ये सारे गांव हैं, उनमें सड़कें अगर सीधी हो जाती हैं तो आसपास के गांव सब जुड़ जायेंगे । नहीं तो फलौदी से नागौर सड़क चढ़ो या फलौदी से बीकानेर की सड़क का चक्कर चढ़ना पड़ता है । तो 30 किलोमीटर चक्कर काट कर, कौन ऊंट गाड़ा वाला जायेगा । ट्रैक्टर या ट्रक से तो बहुत लम्बा पड़ता है और सवारी गाड़ी है वह तो इसमें निकल नहीं सकती । बड़ी कठिनाई हो रही है । इसलिए एक ही है, आप सड़क अगर कर देते हैं, एक बार में नहीं, कई बार में मिलकर के बूंगड़ी से जाम्बा तक स्वीकृत हो जाती है तो ये डेजर्ट का एरिया खुल जायेगा वरना बड़ी भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है । आप नक्शे मंगवाकर देखिये और उसके अनुसार विचार कीजिये इस पर ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो बात इन्होंने कही है वह बात बहुत अंशों तक ठीक है किन्तु प्रश्न यह उपस्थित हो रहा है, जिस प्रकार की सड़क उन्होंने वर्णित की हैं, वह सीधी फलौदी से हो, यह बात तो ठीक है या बड़े गांव से हो तो ठीक है किन्तु उसमें 60–60, 65–65 किलोमीटर तक काम करना पड़ रहा है । दूसरा, 1000 से अधिक की आबादी के गांव, जो मैंने केलकूलेट किया है 17 हैं । अगर इन 6 सड़कों को नियरेस्ट पासिबल डामर की सड़क से हम जोड़ते हैं तो उसमें पैसा हमारा बहुत कम आता है । मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहूंगा कि उन्होंने सड़क नम्बर दो की चर्चा की है, इसमें मैं स्टेटेस्टिक्स को अवश्य केलकूलेट करूंगा । मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले सत्र में, पिछले वर्ष में भी आपने एक सवाल किया था कि हमारे यहां रेनफाल कम होती है उसका बहुत बड़ा फायदा है । आज जब आपका सवाल आया तो मैंने इस पुराने सवाल के ऊपर और इस सवाल के सन्दर्भ में विचार किया है और मैं सदन को बताना चाहता हूं, यह ध्यान किया है कि वैसे तो 1997 तक हम 1000 की आबादी के गांवों को डामर की सड़क से जोड़ेंगे किन्तु उन दोनों सवालों के सन्दर्भ में जो चार जिले हैं

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर और जैसलमेर, गंगानगर को छोड़कर, ये सीमा के क्षेत्र के जिले भी हैं और जहां रेन-फाल कम भी होती है, वहां हमने निश्चय किया है कि 1994–95 में ही, अगले साल 1000 की आबादी के प्रत्येक गांव को हम ग्रेवल की सड़क से निश्चित रूप से जोड़ देंगे और जब तक और जगह डामर की प्रक्रिया पूरी हो जायेगी, इन चारों जिलों में हम 500 तक की आबादी के गांवों को भी ग्रेवल सड़क से निश्चित रूप से जोड़ देंगे। जो प्रश्न माननीय सदस्य ने किया है, मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, उन प्रश्नों के माध्यम से हमने एक विषय को जोड़ने का प्रयास किया है और इस नाते हम प्रयत्नशील हैं, यह मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री हीरालाल इन्दौरा (केसरीसिंहपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, ये गंगानगर के लिए सौतेला व्यवहार क्यों रहा ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : गंगानगर के लिए क्ले सोइल ऐसी है, वहां ग्रेवल की सड़क नहीं चल सकती। इसलिए वहां वही रीति-नीति है जो शेष राजस्थान के लिए अपनाई गयी है।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय इस कांफिडेन्स में बोल रहे हैं 1995 तक। कौन रहने देगा 1995 तक ?

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट, अर्जुनदास मदान।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (चौमूं) : आपको सड़क चाहिए तो रहने देना, सड़क नहीं चाहिए तो मत रहने देना।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : ढाई साल तक तो इनकी मियाद चलती है तो 1996 तक तो मानकर चलो। (व्यवधान)

अवैध वाहनों से राज्य कोष को हानि

134. **श्री अर्जुनदास मदान** (लाडपुरा) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) प्रदेश के विभिन्न मार्गों में चल रहे अवैध वाहनों से सरकार को गत वर्षों से अनुमानतः प्रतिवर्ष कितना घाटा हो रहा है ? वर्षवार ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

(2) गत पांच वर्षों में सरकार ने ऐसे कितने वाहन मालिकों के विरुद्ध कार्यवाही की और कितना जुर्माना वसूल किया ? वर्षवार ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार अवैध वाहनों के चलन पर रोक हेतु क्या ठोस कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

राज्य मंत्री, यातायात (श्री रोहिताश्व कुमार) : (1) अवैध रूप से चलने वाले वाहनों का कोई निश्चित मार्ग अथवा समय नहीं होता, अतः ऐसे वाहनों की संख्या अथवा उनसे होने वाले घाटे का आकलन किया जाना सम्भव नहीं है।

(2) गत पांच वर्षों में अवैध रूप से

(श्री रोहिताश्व कुमार)

चलने वाले वाहनों के विरुद्ध बनाये गये चालानों की संख्या एवं उनसे वसूल की गयी जुर्माने की राशि का विवरण संलग्न परिशिष्ट–1 पर दिया गया है।

(3) अवैध रूप से चलने वाले वाहनों की रोकथाम हेतु सरकार हर सम्भव प्रयासरत है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट–1 देखें।)

श्री अर्जुनदास मदान : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को यह निवेदन करना चाहूंगा, मैंने पहला शब्द यह लगाया था कि अनुमानतः कितनी राशि का नुकसान हो रहा है रोडवेज को। मैं जानता हूं कि किसी भी प्राइवेट व्हीकल्स का आप केवल अन्दाज ही लगा सकते हैं। अनुमानतः भी इन्होंने नहीं दिया है कि कितना घाटा हो रहा है विभाग को।

श्री अध्यक्ष : वह तो आप अन्दाज लगा लीजिये।

श्री अर्जुनदास मदान : मैं तो लगा लूं, यह तो मेरा अन्दाज है फिर यह विभाग किसलिए चल रहा है, अध्यक्ष महोदय। यानी सारा अनुमान हम लोगों को ही लगाना है ?

श्री अध्यक्ष : सुनिये, 1,51,659 का चालान हुआ जिसमें जुर्माना 1115 लाख हुआ। आप अन्दाज लगा लें।

श्री अर्जुनदास मदान : ऐसा है, मान्यवर, मेरा यह निवेदन है, ये जो आप फरमा रहे हैं, सैन्ट्रल इंस्टीट्यूट आफ रोडवेज है पूना में ...

श्री रोहिताश्व कुमार : 11 करोड़ 15 लाख 80 हजार रुपये जुर्माना है.... (व्यवधान)

श्री अर्जुनदास मदान : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न संख्या के भाग (2) का उत्तर है। मैंने इनसे यह पूछा है कि (व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : 1,115 लाख है, ठीक है। हां, वह 11 करोड़ हो गया।

श्री रोहिताश्व कुमार : मेरे पास आंकड़े हैं (व्यवधान) आपके पास जबानी होंगे।

श्री अध्यक्ष : नहीं नहीं, हो गया। आप बैठिये। (व्यवधान)

श्री अर्जुनदास मदान : अध्यक्ष महोदय, मैं क्षमा चाहूंगा, ऐसा लगता है कि गाड़ी को दूसरे ट्रैक पर ले जाना चाहते हैं। मैं निवेदन कर रहा हूं, मेरा पहला प्रश्न यह है कि अनुमानतः कितना लोस होगा। यह मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर है जो इन्होंने दिया है और जिसका प्रत्युत्तर आप दे रहे हैं। मैंने अनुमानतः शब्द लगाया है। जो चालान हुए हैं उसकी वसूली की होगी लेकिन कितनों का चालान नहीं हुआ, कितने ऐसे व्हीकल्स हैं जो आज अन-आथोराइज्ड चल रहे हैं, मैं यह पूछना चाहता था, जिसका जवाब उन्होंने दिया है

(श्री अर्जुनदास मदान)

कि यह सम्भव नहीं है। यह तो कोई जवाब नहीं है कि सम्भव नहीं है। ऐसे वाहनों की संख्या और उनसे होने वाले घाटे का आकलन करना सम्भव नहीं है, यह तो एक ऐसा जवाब हो गया कि यानी कोई भी कम्पीटीटर यह नहीं जानता कि उससे कितने कम्पीटीटर हैं मार्केट में आने वाले और उनके बारे में आप यह भी अनुमान नहीं लगा सकते कि कितने अन-अथोराइज्ड व्हीकल्स चल रहे हैं और उनसे अनुमानतः इतना घाटा हो रहा है।

मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि रोडवेज का पूना के अन्दर इंस्टीट्यूट है जो यह आकलन करता है कि किस स्टेट की कितनी बस प्रति किलोमीटर प्रतिदिन चलती है। जैसे दूसरे प्रान्तों में 370 किलोमीटर प्रतिदिन एक बस चलती है, आन एन एवरेज 370 किलोमीटर चलती है, राजस्थान में मात्र 250 किलोमीटर ही प्रतिदिन चलती है। अब 120 किलोमीटर का प्रतिदिन घाटा हो रहा है तो हम दूसरे प्राइवेट व्हीकल्स को वहां पर परमिट अप्रत्यक्ष रूप से कर रहे हैं। क्या हम इसका आकलन नहीं कर सकते? मेरा सवाल यह था कि कम से कम जवाब जो आना चाहिए वह पूरा तो आये। आप इसके घाटे का आकलन और वाहनों की संख्या हमको नहीं दे सकते, मैं तो इससे संतुष्ट नहीं हूं।

श्री अध्यक्ष : नहीं, आपका सवाल क्या है? अब क्या सवाल है आपका?

श्री अर्जुनदास मदान : मेरा सवाल यह है कि अनुमानतः कितना घाटा हो रहा है?

श्री अध्यक्ष : नहीं, वह तो आ गया।

श्री अर्जुनदास मदान : मेरा यह प्रश्न है कि मैंने जो प्रश्न पूछा है वह बिल्कुल क्लियर है।

श्री अध्यक्ष : नहीं, आपका सवाल यह है कि आप क्यों नहीं लगा सकते अनुमान। यही है ना? क्यों यही है ना?

श्री अर्जुनदास मदान : मैं तो यह निवेदन करना चाहता हूं कि अनुमान लगाया जाना चाहिये था।

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी इसका जवाब दे देंगे। मंत्रीजी, जवाब दीजिए।

श्री रोहिताश्व कुमार : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का प्रश्न एक ऐसा प्रश्न है कि कितने अवैध वाहन किस समय और कब चलते हैं? अब इसका कैसे अनुमान लगाया जा सकता है? इन फैक्ट क्या है कि यह आज की कोई नयी बात तो है नहीं, बिना लाइसेंस के आज पहली बार तो बसेज चल नहीं रही हैं। पूर्व में भी चलती आ रही हैं। जनसंख्या इतनी बढ़ गयी है कि ...

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, प्रश्न पढ़िये। प्रश्न में यह नहीं पूछा है कि कितने वाहन हैं। उन्होंने यह पूछा है कि कितना संभावित घाटा होता है। संख्या नहीं पूछी है।

श्री रोहिताश्व कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार इस मामले में महसूस कर रही है कि सरकार को घाटा लग रहा है। इसलिए समय-समय पर हम उनका चालान करा रहे हैं और पहली बार हमारी सरकार ने सैण्ट्रल रूल्स को, मोटर नियमों को अमेण्ड किया है। केवल राजस्थान सरकार ने अमेंडमेंट किया है। ऐसा किसी ने नहीं किया कि जुर्माने की राशि को दो हजार से बढ़ाकर पांच हजार रुपया किया हो। मैक्सिमम 3 हजार से बढ़ाकर 10 हजार हमने किया है।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत (श्रीमाधोपुर) : सैन्ट्रल रूल्स को बदल दिया तो कौनसे सैन्ट्रल रूल्स बदले हैं ? क्या बदलाव हुआ है, यह बता दीजिए ?

श्री अध्यक्ष : इनका जवाब तो सुन लीजिए पहले आप।

श्री रोहिताश्व कुमार : अध्यक्ष महोदय, जो सैन्ट्रल रूल्स बदला है इसके अंतर्गत, आप रूल्स सुनिए, "Amendment of Sec. 192, Central Act 59 of 1988. In Sec 192 of the Motor Vehicle Act, 1988, in its application to the State of Rajasthan, herein-after referred to as the principal act. In Sec. (1) for the expression 'with fine which may extend...."

श्री अध्यक्ष : पढ़ने की जरूरत नहीं है। वह तो आपने बता दिया, वही पर्याप्त है।

श्री रोहिताश्व कुमार : राजस्थान में चाहे आज हम सरकार में हैं, कल को ये लोग सरकार में हो सकते हैं लेकिन यह कोई नयी बीमारी नहीं है, पुरानी बीमारी है। हम इसको रोकने का कारगर प्रयत्न कर रहे हैं और आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि घाटे का आकलन हम कैसे करें। अगर माननीय सदस्य यह बतायें कि आपकी यह प्रक्रिया हो और इस प्रकार इसका आकलन किया जा सकता है तो मैं उनके सुझाव को सहर्ष स्वीकार करूंगा और मैं उसको लागू कराऊंगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, तीसरा सवाल।

श्री अर्जुनदास मदान : मान्यवर, मैं आपके ध्यान में तीसरा प्रश्न लाना चाहता हू। मेरा निवेदन था कि सरकार अवैध वाहनों के चलन पर रोकथाम हेतु क्या कार्यवाही कर रही है। इसका प्रत्युत्तर आया कि सरकार हरसंभव प्रयत्नरत है। अब यह भी कोई उत्तर है क्या ? चार-पांच सुझाव तो मैं दे सकता हूं।

श्री रोहिताश्व कुमार : अध्यक्ष महोदय, इसको रोकने के लिए हमने 1,51,659 चालान किये हैं।

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी, आपको जब मैं कहूं तब खड़े हों। आप डिस्कस मत करिये। मैं पुकार लूंगा। जब जवाब देना होगा तभी जवाब दीजिए आप।

श्री अर्जुनदास मदान : मेरा निवेदन यह है कि मैं आपका ध्यान एक नहीं तीनों प्रश्नों की तरफ ले जा रहा हूं। किसी का

(श्री अर्जुनदास मदान)

प्रत्युत्तर नहीं है। किसी अधिकारी ने कह दिया और इनको लिख दिया, इससे तो सदस्य की संतुष्टि नहीं हो सकती। मैंने तीसरा सवाल यह पूछा है कि सरकार ऐसे वाहनों की रोकथान के लिए क्या कार्यवाही करेगी। 2-4 सुझाव तो मेरी छोटीसी बुद्धि में भी हैं। उनको छोड़कर कह रहे हैं कि हर संभव प्रयत्नरत हैं। आखिर आप क्या करना चाहते हैं ? मोटर व्हीकल्स एक्ट की धारा 42/123 के अंतर्गत....

श्री अध्यक्ष : एक तो आपने बताया था कि जुर्माने की राशि पहले से दुगुनी कर दी, बढ़ा दी गयी है। एक, तो यह तरीका है। उसमें 2 हजार की बजाय 5 हजार कर दी। यह तो इन्होंने बताया है और चालान कर रहे हैं।

श्री अर्जुनदास मदान : अगर आप संतुष्ट हैं तो मुझे कुछ नहीं कहना। मान्यवर, मैं तो बिलकुल संतुष्ट नहीं हूं। इस प्रत्युत्तर में मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं आया। मैं आगरा की टिकट मांग रहा हूं और मुझे मद्रास की दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आप ऐसा करिये, आप तरीके सजेस्ट करिये कि ये कर सकते हैं।

श्री अर्जुनदास मदान : मैं सजेस्ट तो करूंगा। मेरे जो सुझाव हैं, मैं तो निश्चित रूप से मोटर व्हीकल्स एक्ट पर जब बोलने का मौका मिलेगा तो रखूंगा लेकिन मैं यह निवेदन करता हूं कि जवाब आता क्या है कि हरसंभव प्रयत्नरत हैं। क्या संभव है ? क्या कोई चीज ऐसी संभव है ? मैं पूछता हूं एक, दो, तीन में ये करने जा रहे हैं। हर संभव प्रयास कर देंगे हम यह तो कोई जवाब नहीं है।

श्री अध्यक्ष : गोविन्द सिंह जी।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर (नसीराबाद) : अध्यक्ष महोदय, मैंने भी एक प्रश्न पूछा था इस पर। सबसे बड़ी जो बाधा है वह यह है कि राजस्थान सरकार कार्यवाही नहीं कर पा रही है अवैध बसों के ऊपर। दो-तीन हाई कोर्ट्स के फैसले हैं। गुजरात हाई कोर्ट ने फैसला दे रखा है कि इन बसों को सीज नहीं करेंगे और इनको कम्पाउण्ड नहीं करेंगे। मद्रास हाई कोर्ट ने फैसला दे रखा है कि एक-एक बस, एक-एक पैसेंजर को ले जाती है तो उन पर भी कोई कार्यवाही नहीं कर सकेंगे। तीसरी सबसे बड़ी जो बाधा आ रही है वह रोडवेज है। उसका काम है इसको रोकने का, क्योंकि उसको नुकसान हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया, रोडवेज के अधिकारी और कर्मचारी और रोडवेज के जो मजिस्ट्रेट हैं उनको वंचित कर दिया कि वे प्राइवेट वाहनों की चैकिंग नहीं करेंगे। मैं मंत्री महोदय से यह कहना चाहता हूं कि ये जो कानूनी बाधाएं हैं इनको दूर करने के लिए राजस्थान सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

श्री अध्यक्ष : रामनारायण चौधरी।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्न के भाग 3 के बारे में आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि अवैध वाहनों के चालान को

(श्री रामनारायण चौधरी)

रोकने हेतु क्या ठोस कार्यवाही करने का सरकार विचार रखती है ? अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में पिछली सरकार ने, भैरोंसिंह जी की सरकार ने एक योजना बनायी थी जो हमने अखबारों में पढ़ी थी, रोडवेज ने लम्बे-लम्बे रूट्स ले रखे हैं और उसके साथ-साथ में छोटे-छोटे रूट्स हैं, अवैध वाहनों का सबसे बड़ा कारण यह है कि राजस्थान रोडवेज की सर्विसेज ठीक नहीं हैं इसलिए जरूरतमंद लोग कोई जीप करता है, कोई कार करता है तो इन्होंने छोटे-छोटे रूट्स को रोडवेज के परमिट से निकालकर प्राइवेट ऑपरेटर्स को देने का एक कार्यक्रम बनाया था। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या आप उस योजना के तहत इस प्रकार विचार करेंगे कि डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर्स या इम्पोर्टेण्ट सिटीज से जुड़ने वाले रोडवेज के वे रूट्स जो लाभकारी नहीं हैं उनको नेशनलाइज करके प्राइवेट ऑपरेटर्स के लिए खोल देंगे ? इससे बेरोजगार युवकों को काम भी मिलेगा और लोगों को सुविधा होगी और अवैध वाहनों पर नियंत्रण होगा। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि उस योजना पर आपका क्या विचार है ?

श्री अध्यक्ष : श्री घासीराम जी।

श्री घासीराम यादव (मुण्डावर) : मैं माननीय यातायात मंत्रीजी के नोटिस में लाना चाहता हूं सदन के सामने कि सुजानसिंह जी की एक बस बहरोड़ से महेन्द्रगढ़ अवैध रूप से चल रही है।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री सुजानसिंह यादव (सहकारिता मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य +++ तो नहीं हैं जो विधान सभा में इस तरह की बात करते हैं और मेरे पर लांछन लगाते हैं। यह बात मेरे तो चुभ गयी है।

श्री अध्यक्ष : यह +++ शब्द हटा दीजिए।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मुझे तो ये दोनों एक ही माजने के दिखते हैं।

श्री घासीराम यादव : अध्यक्ष महोदय, अगर यह बात गलत है तो मैं इस्तीफा दे दूंगा।

श्री पूनम चन्द विश्नोई (फलौदी) : पाइन्ट ऑफ ऑर्डर। दोनों तरफ से कुछ आपत्तिजनक शब्द कहे गये हैं, अनपार्लियामेंटरी हैं, उनको कृपया कार्यवाही से हटाइये।

श्री अध्यक्ष : एक्सपंज कर रहे हैं। मंत्रीजी, आप बैठिए।

श्री घासीराम यादव : मैं कहता हूं कि अगर गलत बात हुई तो इस्तीफा दे दूंगा।

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई (फलौदी) : पाइन्ट ग्रॉफ ग्रॉर्डर। दोनों तरफ से कुछ ग्रापत्तिजनक शब्द कहे गये हैं, ग्रनपार्लियामेंटरी हैं, उनको कृपया कार्यवाही से हटाइये।

श्री ग्रध्यक्ष : एक्सपंज कर रहे हैं। मंत्रीजी, ग्राप बैठिए।

श्री घासीराम यादव : मैं कहता हूं कि ग्रगर गलत बात हुई तो इस्तीफा दे दूंगा।

श्री सुजान सिंह यादव : मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं।....(व्यवधान)... मैं इसी वक्त इस्तीफा देता हूं या इनसे दिलाइये। (व्यवधान) ...

श्री ग्रध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, प्लीज, ग्राप बिराजिए।

श्री सुजान सिंह यादव : ग्रध्यक्ष महोदय, विधान सभा में इस तरह की बातें करना दुःखदायी है। मैं स्वाभिमानी व्यक्ति हूं।

श्री ग्रध्यक्ष : हां, ठीक है, ग्राप बिराजिए।

श्री सुजान सिंह यादव : मैं स्वाभिमानी व्यक्ति हूं, इस तरह की बातें सुनना नहीं चाहता....

श्री ग्रध्यक्ष : ग्राप बोलिए ना।....(व्यवधान)....ग्राप बैठिए, प्लीज। ग्राप जब चाहें तब खड़े हो जाते हैं।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : माननीय सदस्य ने मंत्रीजी का नाम लेकर ग्रारोप लगाये हैं। इसलिए स्पष्टीकरण होना चाहिए। माननीय सदस्य त्यागपत्र देने को तैयार हैं।

श्री ग्रध्यक्ष : ग्राप बैठिए, प्लीज।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : मंत्रीजी भी त्यागपत्र देने को तैयार हैं। माननीय सदस्य ने नाम लेकर ग्रारोप लगाया है। वे इस्तीफा देने को तैयार हैं। उनसे भी इस्तीफा लीजिए।

श्री ग्रध्यक्ष : ग्राप बैठिए। ग्रार्डर प्लीज।....(व्यवधान)....

श्री सुजान सिंह यादव : यह मेरे लिए स्वाभिमान की बात है। मैं ग्रापसे करबद्ध प्रार्थना कर रहा हूं कि एक परमिट मेरे छोटे भाई के नाम से है ग्रौर ग्राज से 10 साल से रेगूलर चल रहे हैं। यह परमिट मेरे नाम से भी नहीं है, मेरे छोटे भाई के नाम से है। ....(व्यवधान)

श्री ग्रध्यक्ष : मंत्रीजी, बैठिए ग्राप। स्पष्टीकरण हो गया। ग्राप बोलिए। ....(व्यवधान)....ग्राप जवाब सुन लीजिए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : ग्रध्यक्ष महोदय, सवाल यह है कि....

श्री ग्रध्यक्ष : ग्राप बैठिए, कोई सवाल नहीं है। इन्होंने दे दिया उन्होंने मान लिया।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : बिना सुने ही खड़े होकर ग्रारोप लगा देते हैं। किसी के नाम से परमिट हो सकता है। यह कोई तरीका नहीं है।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, आप बैठिए।

श्री रोहिताश्व कुमार : अध्यक्ष महोदय, गुजरात और मद्रास कोर्ट्स का माननीय सदस्य ने हवाला दिया। यह बात सही है कि सरकार की बहुत मजबूरी होती है कि कोर्ट्स के स्टे के बाद हम तत्काल कार्यवाही करने में असमर्थ रहते हैं....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री रोहिताश्व कुमार : इसके लिए हम अभी एक बना रहे हैं, योजनाबद्ध तरीके से हम कानून बनाने जा रहे हैं जिसमें हम हमारे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के लीगल एडवोकेट्स अपाइंट कर रहे हैं जो हमारे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को प्राथमिकता से देखें। अभी तक पी. पी. इस केस को डील करते रहे जिनके पास और मामलों में कार्यभार ज्यादा होने की वजह से हमारे डिपार्टमेंट को प्राथमिकता नहीं दे सकते। कानून सम्मत हल निकालने के लिए हम अपने एडवोकेट्स अपाइंट करने जा रहे हैं। इसमें नियमों में कुछ संशोधन कर रहे हैं। इसलिए हम इसको जल्दी से जल्दी हल करेंगे।

दूसरी बात, हमारे सीनियर माननीय सदस्य श्री रामनारायणजी ने जो कहा, चूंकि जनसंख्या हमारी ज्यादा बढ़ गयी और वर्तमान में हमारे पास फाइनेन्शियल रिसोर्सेज का जो अभाव है और उसको माननीय सदस्य भी समझते हैं, ऐसी स्थिति में राजस्थान की सरकार इस मामले में यह सोच रही है कि किस तरह से लीगलाइज किया जाये। इसका कानूनी प्रारूप तैयार करने में कुछ समय लग रहा है जिस पर हम बहुत सीरियसली, गम्भीरता से सोच रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : दोनों ही प्रश्नों पर आप विचार कर रहे हैं।

श्री रोहिताश्व कुमार : हां, हम गम्भीरता से विचार कर रहे हैं। आप सुनो तो सही। दूसरी बात जो माननीय.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बैठ जाइये। अब हो गया।

श्री रामनारायण चौधरी : नहीं, अध्यक्ष महोदय, महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं, छोटे रूट्स को डि-नेशनलाइज करने पर जो विचार कर रहे हैं....

श्री अध्यक्ष : आपके सुझाव पर विचार कर रहे हैं वह, उसी पर कर रहे हैं। उन्होंने यही कहा है....

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, सवाल यह नहीं है।

श्री रोहिताश्व कुमार : आई एम वेरी सीरियस।

श्री अध्यक्ष : आप पहले उत्तर समझिये। एक मिनट बैठिये। एक बात पूरी नहीं हुई....

श्री हीरालाल इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक नीति सम्बन्धी प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : आप पहले इनका उत्तर समझिये।

श्री अमराराम (धोद) : मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जो भी अवैध वाहन चलते हैं....

श्री अध्यक्ष : आप प्लीज, अमरा रामजी, विराजिए।

श्री अमराराम (धोद) : विराजूंगा, मैं एक ही....

श्री अध्यक्ष : जो गुर्जर साहब ने कहा, उस पर भी वह विचार कर रहे हैं कि रोडवेज के अधिकारियों को भी चैकिंग का अधिकार दिया जाये, गुजरात हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक। आपने जो कहा प्राइवेट रूट्स बनाने के लिए कि डिनेशनलाइज करके छोटे-छोटे रूट्स बनायें, उस पर भी विचार कर रहे हैं। दोनों पर कर रहे हैं। अब चलिये आप।

श्री हीरालाल इन्दौरा : नीति सम्बन्धी प्रश्न है मेरा।

श्री अमराराम (धोद) : मैं यह कह रहा हूं मंत्री महोदय को आपके द्वारा कि जयपुर से जितने अवैध वाहन निकलते हैं अगर ट्रांसपोर्ट विभाग और पुलिस विभाग उनको रोक देगा तो पूरे राजस्थान के आधे से ज्यादा वाहन रुक जायेंगे। जो राजधानी से चलते हैं वह वाहन रोक दें तो अवैध वाहन सब रुक जायेंगे, यह मेरा निश्चित रूप से मानना है।

श्री अध्यक्ष : चलिये, एक सुझाव है, भई। सुझाव दे रहे हैं वह। मंत्रीजी, सुझाव दे रहे हैं।

श्री अमराराम (धोद) : जितने भी लम्बे रूट्स हैं....

श्री अध्यक्ष : आप नोट करिये। हो गया आपका सुझाव, ठीक है। इन्दौराजी आपका क्या सुझाव है ?

श्री हीरालाल इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक नीति सम्बन्धी प्रश्न यह है कि पंजाब की तरह से लम्बे रूट्स पर जहां निगम की बसें चलती हैं, क्या सरकार उन प्राइवेट बस मालिकों को परमिट देना चाहती है ?

श्री अध्यक्ष : विराजिए। माननीय मंत्रीजी, जवाब दीजिए।

श्री रामनारायण डूडी : अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : अब पहले इनका जवाब आने दीजिए। अब एक ही प्रश्न पर मैं पूरा समय खतम करने नहीं जा रहा हूं।

श्री रोहिताश्व कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, कुछ कानूनी बाधाएं हैं, हम रूल्स में अमेण्डमेंट करने के लिए बहुत सीरियसली विचार कर रहे हैं और.... (व्यवधान)

श्री हीरालाल इन्दौरा : प्रश्न सीधा-सा ही है कि पंजाब की तरह से मिक्स परमिट निगम के और प्राइवेट बसों के, क्या प्राइवेट बसों को भी देना चाहते हैं लम्बे रूट्स पर ?

श्री रोहिताश्व कुमार : अध्यक्ष महोदय, इसमें रेसीप्रोसिटी का प्रश्न होता हैं, इन्टर स्टेट रूट्स में। अगर रेसीप्रोसिटी नहीं होती है तो हम परमिट दे ही नहीं सकते।

श्री अध्यक्ष : ठीक है। नैक्स्ट, श्री शांतिकुमारी धारीवाल।

श्री अर्जुनदास मदान : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। आप सम्भवत: संतुष्ट होंगे, मान्यवर। किन्तु क्या मैं राज्य सरकार का यह उत्तर मान लूं, क्या सरकार के लिए भी कोई कार्य असम्भव है ?

श्री अध्यक्ष : मदान साहब, यह एक प्रश्न नहीं है जो सारे घंटे भर को पूरा कर ले। अब आप बाद में संतुष्ट होते रहना।

श्री अर्जुनदास मदान : फिर इस पर परिचर्चा की अनुमति दे दें।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट, श्री धारीवाल साहब।

श्री हीरालाल इन्दोरा : मेरा तो सीधा-सा प्रश्न यह है कि यह मिक्स परमिट देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं ?

हाथकरघा बुनकरों को प्रदाय चरखे

135. श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डौली) : क्या खादी एवं ग्रामोद्योग राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में खादी व ग्रामोद्योग आयोग द्वारा हाथ से बुनाई करने हेतु 12 तकुवे वाले नये चरखे कार्यरत हैं ? यदि हां, तो किन-किन स्थानों पर ?

(2) सरकार द्वारा हाथकरघा बुनकरों में इस नये मॉडल को लोकप्रिय बनाने हेतु क्या कोई कदम उठाये गये हैं ? यदि हां, तो प्रदेश के किस-किस स्थान पर ? क्या सरकार द्वारा इन पर कोई सहायता भी प्रदान की गयी है ? यदि हां, तो क्या ?

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

राज्य मंत्री, खादी एवं ग्रामोद्योग (श्री श्रीकिशन सोनगरा) : (1) जी नहीं। प्रदेश में वर्तमान में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा प्रदत्त 12 तकुवे वाले नये चरखे कार्यरत नहीं हैं। पूर्व में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग भारत सरकार के माध्यम से 12 तकुवे के 25 चरखों की एक इकाई अलवर जिला खादी संघ को वर्ष 1992 में स्वीकृत की गयी थी परन्तु यह इकाई सफल नहीं हुई।

(2) जी नहीं।

श्री शांतिलाल धारीवाल : अध्यक्ष महोदय, यह जो चरखें हैं इन पर सौ प्रतिशत ऋण खादी व ग्रामोद्योग आयोग उपलब्ध करवाता है। यह चरखे मजबूत भी हैं और हल्के भी हैं तथा हाथकरघा के जो बुनकर हैं उनमें यह अत्यधिक लोकप्रिय भी हैं। आपने जो जवाब दिया है कि राज्य में एक ईकाई अलवर जिला खादी संघ को दी गयी थी 1992 में, और वह भी सफल नहीं हुई, इस असफल होने के क्या कारण हैं ?

श्री श्रीकिशन सोनगरा : सबसे पहले तो मैं माननीय सदस्य को निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो चरखे हैं वह बुनकरों के लिए नहीं होकर कातिन, जो कताई

(श्री किशन सोनगरा)

करते हैं, के लिए होते हैं। दूसरा, माननीय सदस्य को निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो 12 तकुवे वाले चरखे हैं यह दक्षिण भारत में लोकप्रिय हैं और अलवर जिला खादी संघ को जो यह उपलब्ध करवाये गये थे तो यह कोयम्बटूर से ही आये थे और इसके बाद जब इनको यहां फील्ड ट्रायल किया गया तो उसमें यह असफल हुए और फिर अलवर की जो हमारी खादी संस्था है इसने भारत सरकार के खादी आयोग को भी लिखा। उन्होंने यह लिखा कि यह चरखे हमारे यहां काम नहीं आ रहे हैं। इसके लिए फिर कोयम्बटूर से श्री महालिंगम जो इनके तकनीशियन थे वे भी आये और आने के बाद उन्होंने भी यह रिपोर्ट दी कि इनमें कई खामियां हैं इसलिए यह सफल नहीं हैं। इस तरह से अन्ततोगत्वा उस संस्था ने यह लिखकर दिया कि यह चरखे हमारे लिए एक तरह से बोझ हो रहे हैं, इनको आप वापस मंगवाने का कष्ट करें। क्योंकि बीस दिन तक वह तकनीशियन यहां पूरे प्रयास करने के बाद भी असफल रहा और उसकी रिपोर्ट के आधार पर ही यह सारी कार्यवाही हुई। तो इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो चरखे हैं वह राज्य में पहली दफा आये थे और आने के साथ ही वह यहां असफल हुए, उनका तकनीशियन भी आया, वह भी ठीक नहीं कर सका। ऐसी स्थिति में यह पहला-पहला प्रयोग भी असफल हो गया। यह सन् 1993 में हुआ....

श्री अध्यक्ष : मांगीलालजी, आप पूछ रहे हैं कुछ ? नहीं, हो गया। नैक्स्ट श्री परसादीलाल मीणा।

जनजाति विकास पर व्यय

136. **श्री परसादीलाल मीणा** (लालसोट) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा जनजाति के लोगों के लिए कौन-कौनसी योजनाओं को चालू कर लाभान्वित किया जा रहा है ?

(2) राजस्थान की किन-किन पंचायत समितियों में उक्त योजनाओं को संचालित किया जा रहा है ?

(3) उक्त योजनाओं पर कितनी धनराशि खर्च की जाती है ? पिछले पांच वर्षों में खर्च की गयी धनराशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास (श्री नन्दलाल मीणा) : (1) जनजाति के लोगों के लिए अतिरिक्त सुविधायें उपलब्ध करवाने की दृष्टि से जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा जनजाति उपयोजना माडा, माडा कलस्टर, सहरिया एवं भीखरी जनजाति कार्यक्रम के तहत् विभिन्न योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। इन योजनाओं में प्रमुख हैं–कृषि, लघु सिंचाई, पशुपालन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सहकारिता, ग्रामीण आवास, पेयजल सुविधा, प्रशिक्षण, नियोजन, सेरी कल्चर एवं कानूनी सहायता आदि हैं। विस्तृत सूची परिशिष्ट "अ" पर अंकित है।

(14)

(श्री नन्दलाल मीणा)

(2) विभाग द्वारा राज्य के प्रायः सभी जिलों में जनजाति को योजनाओं का लाभ उपलब्ध करवाया जा रहा है। जनजाति उप योजना क्षेत्र की समस्त 23 पंचायत समितियों में सघन रूप से कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त 67 पंचायत समितियों में माडा कार्यक्रम, 11 पंचायत समितियों में माडा क्लस्टर कार्यक्रम, बारां जिले की दो पंचायत समितियों में सहरिया विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है। राज्य के शेष जनजाति समुदाय को भीखरी जनजाति कार्यक्रम के तहत विभिन्न विकास कार्यक्रमों द्वारा लाभान्वित किया जा रहा है। सूची परिशिष्ट "ब" पर अंकित है।

(3) केन्द्र व राज्य सरकार की वार्षिक योजनाओं को आधार रखते हुए जनजाति योजनाओं पर खर्च की जाने वाली राशि का निर्धारण प्रत्येक वर्ष किया जाता है। गत पांच वर्षों में उक्त योजनाओं पर कुल व्यय निम्नानुसार किया गया है। व्यय की गयी राशि का वर्षवार ब्यौरा परिशिष्ट "स" पर उपलब्ध है।

(सूचियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री परसादीलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, जो उन्होंने विवरण दिया है परिशिष्ट "अ" पर, उसमें इन्होंने बताया कि जनजाति और माडा की 67 पंचायत समितियों में एनीकट निर्माण, विभिन्न योजनाएं बनाई हैं। आश्रम छात्रावास के लिए आपने बताया है। मैं आपसे एक स्पेसिफिक प्रश्न पूछना चाहूंगा कि आश्रम छात्रावास में जो छात्र रहते हैं, आप उनको प्रतिमाह कितना दे रहे हैं? आपने राशि परिशिष्ट में बताई है। बी. एड. में भी हम मदद करते हैं, एस. टी. सी. में भी हम मदद करते हैं। पिछले पांच वर्षों में आपने इन योजनाओं में बी. एड. और एस. टी. सी के लिए कितने छात्रों को मदद दी?

आपने क्षेत्रीय जल प्रदाय योजनाओं के लिए भी माडा में प्रोविजन कर रखा है। जो माडा की पंचायत समितियां हैं, आपने दौसा जिले में क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना के तहत कितनी पंचायतों को लाभान्वित किया? यह जो विवरण आपने दिया है, माननीय मंत्रीजी, मैं आपका ध्यान आकर्षित....

श्री अध्यक्ष : आपका सवाल हो गया ना।

श्री परसादीलाल मीणा : बस तो जवाब आने दें।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री नन्दलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, इनका सवाल सीधा है कि जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा कौन-कौनसी सरकारी योजनाओं को चालू कर लाभान्वित किया जा रहा है। मैंने मोटी-मोटी जो योजनाएं इस क्षेत्र में चल रही हैं उसका विवरण दे दिया है। माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि जो आश्रम छात्रावास चल रहे हैं उसमें छात्रों को क्या दिया जाता है। यह विस्तृत जानकारी आपने इसमें नहीं चाही है, यदि आप....

श्री परसादीलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, यह तो अधूरा सवाल है। मैं पूछ रहा हूं कितना आपने लोगों को लाभान्वित किया, छात्रों को प्रतिमाह क्या दे रहे हैं ? आपने कितनी सड़कें बनायीं ? आपने कितना धन योजनाओं पर....(व्यवधान)

श्री नन्दलाल मीणा : आपने जो पूछा है, अध्यक्ष महोदय, इसमें योजनाओं का विवरण चाहा है।

श्री परसादीलाल मीणा : कब आपने खर्च कर दिया, मैं अध्यक्ष महोदय, एक सवाल आपकी अनुमति से पूछूंगा, पांच वर्ष में जो यह माडा....

श्री अध्यक्ष : तो आप बैठिए तब देंगे जवाब।

श्री परसादीलाल मीणा : इन्होंने, अध्यक्ष महोदय ...

श्री अध्यक्ष : उन्होंने जो सवाल पूछा है, उसका आपके पास वो नहीं है क्या ?

श्री नन्दलाल मीणा : साहब, मेरे पास सब कुछ है। परन्तु सवाल जो पूछा है उससे हट कर....

श्री अध्यक्ष : सब कुछ है तो बताइये ना आप।

श्री नन्दलाल मीणा : मेरे पास, अध्यक्ष महोदय, कहां-कहां पर कितने छात्रावास चल रहे हैं, उसकी सारी सूची है और इन्होंने....

श्री अध्यक्ष : आपके पास सूचना अवेलेबल है तो दे दीजिए, नहीं है तो फिर आप बाद में दे दीजिए।

श्री नन्दलाल मीणा : जो सूचना इन्होंने इस सवाल के माध्यम से चाही थी, अध्यक्ष महोदय, वह सभी....

श्री अध्यक्ष : वह तो आ गयी। अब यह सप्लीमेण्ट्री....(व्यवधान)

श्री नन्दलाल मीणा : कोई बात है तो यह मुझे बतायें, निश्चित रूप से उसका....

श्री अध्यक्ष : आप इनको बता देना। यह आप सूचित कर देना।

श्री परसादीलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, यह सवाल नहीं हुआ। मेरा सवाल यह है कि आपने जो विभिन्न योजनाएं पंचायत समितियों....

श्री अध्यक्ष : आप देखिए....(व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, आपने उसमें कितने लोगों को लाभान्वित किया ? होता यह है, पंचायत समितियों में जो आपका बजट है वह पड़ा रहता है, जिस मद का बजट है आप उसको दूसरे मद में खर्च करते हैं। जो लाभान्वित होने वाले छात्र हैं उनको दिया नहीं जा रहा है। होस्टल खाली पड़े हैं, छात्र भोजन के बिना रहते हैं। आप काहे के लिए कर रहे हैं, बजट चला रहे हैं ? अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछ रहा हूं, आप प्रति छात्र क्या उनको दे रहे हैं ? छात्रावासों में जो छात्र रह रहे हैं....

श्री अध्यक्ष : आप देखिए, आपका जो

(16)

(श्री अध्यक्ष)

मूल प्रश्न है-- उन सबका उत्तर आ गया। अब आप सप्लीमेण्ट्री में जो सवाल पूछ रहे हैं उसमें फिगर्स पूछ रहे हैं।

श्री परसादीलाल मीणा : सप्लीमेण्ट्री पूछ रहा हूं मैं।

श्री अध्यक्ष : यह आप फिगर्स पूछ रहे हैं।

श्री परसादीलाल मीणा : परिशिष्ट "अ" पर जो सूचना दी अध्यक्ष महोदय, इन्होंने यह बताया कि पिछले पांच वर्षों में इतना बजट खर्च किया है। तो हम पूछ रहे हैं कि छात्रावास कितने बनाये, एनीकट कितने बनाये। आप उनका विवरण दीजिए।

श्री अध्यक्ष : तो यह विस्तार से पूछ रहे हैं ना, यह आपको बाद में सप्लाई कर देंगे। इनके पास यह अभी नहीं है। अभी नहीं है। आपने मूल प्रश्न में कहीं ऐसा इंगित नहीं किया है।

श्री परसादीलाल मीणा : सप्लीमेण्ट्री नहीं पूछ सकते, अध्यक्ष महोदय ?

श्री अध्यक्ष : सप्लीमेण्ट्री पूछ सकते हैं मगर विस्तृत नहीं पूछ सकते।

श्री परसादीलाल मीणा : मैं यह पूछ रहा हूं कि छात्रावास में रहने वाले एक छात्र को महीने में कितनी मदद देते हैं ?

श्री अध्यक्ष : किसी मंत्री से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती, आप ऐसे सवाल पूछें जिसका विस्तार से जवाब देना हो, आपको एटरेंडम दे दें फिगर्स कलेक्ट करके। यह सम्भव नहीं है।

श्री परसादीलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, यह तो कोई जवाब नहीं है।

श्री अध्यक्ष : नहीं, यह सम्भव नहीं है। सप्लीमेण्ट्री एण्टीसिपेट वही होते हैं जिनका सामान्यतया यहां पर जवाब दें। आप फिगर्स पूछ रहे हैं और वह फिगर्स कलेक्ट करने पड़ेंगे।

श्री परसादीलाल मीणा : मेरा दूसरा सवाल यह है, जो 67 माडा की पंचायत समितियां हैं, पिछले पांच वर्ष में क्या उनमें बजट लैप्स हुआ है ? जो पैसा जिस योजना का था उस योजना में खर्च नहीं करके क्या दूसरी योजनाओं में खर्च किया गया है ?

श्री अध्यक्ष : बैठिए। बोलिए, मंत्रीजी, आप बोलिए।

श्री नन्दलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, सवाल इन्होंने पंचायत समितियों के बारे में पूछा है। राजस्थान के 16 जिलों में माडा की योजना चल रही है और 67 पंचायत समितियां इससे कवर हो रही हैं। अध्यक्ष महोदय, शिक्षा की दृष्टि से माडा....

श्री अध्यक्ष : यह शिक्षा कहां पूछ रहे हैं। मंत्रीजी, आपने इनका सवाल सुना कि नहीं ? इन्होंने सवाल बदल दिया है, आप सुन नहीं रहे हैं।

श्री नन्दलाल मीणा : क्या पूछा आपने ?

श्री अध्यक्ष : यह सवाल आपकी जो राशि है उसके बारे में पूछ रहे हैं कि वह लैप्स हो गयी या पूरी खर्च कर दी गयी। आप सवाल तो सुनिए पहले।

श्री नन्दलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, वह आंकड़े भी मेरे पास उपलब्ध हैं। माडा योजना के अन्तर्गत वर्ष 1988 में 333 लाख रुपये का आबंटन हुआ था, जिसके मुकाबले 267·59 लाख रुपया खर्च हुआ। इसी तरह 1989-90 में 357 के आबंटन के मुकाबले 355·71 लाख रुपये व्यय हुआ। वर्ष 1990-91 में 395 लाख के अगेंस्ट में 412·46 लाख रुपये का खर्चा हुआ। इसी तरह 1991–92 में 455 लाख के मुकाबले 355·22 लाख का खर्च हुआ। 1992–93 में 459 लाख के मुकाबले 450·41 लाख रुपये का खर्च हुआ। अध्यक्ष महोदय, मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भारत सरकार से मिलने वाली राशि है इसमें किसी प्रकार का लैप्स वगैरह नहीं होता। यह राशि पी. डी. अकाउण्ट में जमा हो जाती है और अगले वित्तीय वर्ष में इसका उपयोग कर लिया जाता है।

श्री परसादीलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल है, विभिन्न पंचायत समितियों में कुल कितनी राशि पिछले पांच सालों में पी. डी. अकाउंट में जमा हुई है ?

श्री नन्दलाल मीणा : जो पैसा जमा है, आने वाले वित्तीय वर्ष में उसका व्यय किया जायेगा।

श्री परसादीलाल मीणा : कितनी राशि जमा है आपकी ? आप गैर योजना मद में खर्च कर रहे हैं। आप जिस योजना का पैसा है उस योजना में खर्च नहीं कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान दिलाऊंगा कि....

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिए। आप कितने सवाल पूछेंगे ? आप कितने सवाल पूछेंगे ? दो सप्लीमेण्ट्री हो चुके हैं आपके।

श्री परसादीलाल मीणा : जवाब एक का भी नहीं आया।

श्री अध्यक्ष : जवाब आपको दिया है। बराबर उन्होंने आपको सारा....

श्री परसादीलाल मीणा : पंचायत समितियों में पैसा लैप्स होता है, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट, श्री गोविन्दसिंह गुर्जर।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, यह सवाल यह पूछ रहे हैं कि मद में पैसा खर्च हुआ या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : आपका अगला सवाल है, 137। अगला नहीं पूछ रहे हैं आप ?

महँगाई की रोकथाम के मामले

137. **श्री गोविन्दसिंह गुर्जर** (नसीराबाद) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या भारत सरकार द्वारा महंगाई रोकने हेतु 15 वस्तुओं पर निरन्तर निगरानी रखने के लिए एक मंत्री मण्डलीय समिति का गठन किया गया है ?

(श्री गोविन्दसिंह गुर्जर)

(2) क्या राज्य सरकार भी उसी अनुसार आवश्यक वस्तुओं की महंगाई को रोकने हेतु प्रयासरत है ? यदि हां, तो किस प्रकार ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) राज्य सरकार द्वारा आवश्यक वस्तुएं कालाबाजारी व होर्डिंग निवारण अधिनियम के तहत एक्ट लागू होने से 31 दिसम्बर, 1993 तक कितने केस बनाये व उन पर न्यायालयों द्वारा क्या निर्णय दिया गया ?

राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति (डा. रामप्रताप) : (1) भारत सरकार द्वारा महंगाई रोकने हेतु 15 वस्तुओं पर निरन्तर निगरानी रखने के लिए एक मंत्री मण्डलीय समिति का गठन करने सम्बन्धी जानकारी राज्य सरकार को नहीं है।

(2) आवश्यक वस्तुओं की महंगाई रोकने के लिए राज्य सरकार जमाखोरी, मुनाफाखोरी, कालाबाजारी की रोकथाम के लिए निरन्तर निरीक्षण, छापे की कार्यवाही करवाती है। भारत सरकार द्वारा मंत्री मण्डलीय समिति के गठन की जानकारी नहीं होने से उसके अनुसार महंगाई रोकने हेतु प्रयासरत होने का प्रश्न ही नहीं है।

(3) चोरबाजारी निवारण और आवश्यक वस्तुएं प्रदाय बनाये रखना अधिनियम, 1988 राज्य में लागू है। इसके अन्तर्गत 31-12-1993 तक आठ मामलों में 11 व्यक्तियों के विरुद्ध केस बनाये गये। इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये केसेज का कोर्टस् द्वारा निर्णय नहीं होता बल्कि ऐसे मामलों में राज्य सरकार द्वारा उक्त अधिनियम के तहत गठित सलाहकार मण्डल द्वारा सुने जाते हैं।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत मंत्री महोदय को कहना चाहूंगा, उनको व्यक्तिगत तौर पर तो यह जानकारी होगी अखबारों के माध्यम से कि केन्द्रीय सरकार ने 15 आवश्यक वस्तुओं की निगरानी के लिए केन्द्र में जो खाद्य मंत्री हैं उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनायी है। जिसमें और भी मंत्री हैं। अखबारों में तो आपने पढ़ लिया होगा। आपके विभाग में जो कटिंग्स आती हैं, आपको बताया होगा कि इस तरीके से कमेटी दिल्ली में बनी है ? खैर, आपको पता नहीं है। मैं दूसरा सवाल इसलिए पूछना चाहता हूं कि गत सत्र में खाद्य विभाग की तरफ से मुझे जवाब मिला था कि जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर मानीटरिंग होती है, महंगाई के संबंध में, वस्तुओं की जानकारी के लिए। उस मानीटरिंग में कौनसी चीजें शामिल हैं ? आपको मानीटरिंग का तो पता होगा कि इस मानीटरिंग की व्यवस्था जिले से स्टेट तक किस तरह से बढ़ रही है, कौनसी चीज कम है, कौनसी ज्यादा है, क्या परेशानियां आम जनता को, उपभोक्ताओं को आ रही हैं, इस संबंध में ? मानीटरिंग आपके विभाग में हैं, इस तरह का जवाब मुझे गत विधान सभा में प्रश्न संख्या 290 के मार्फत मिला। मुझे आशा है कि वह व्यवस्था अभी भी काम कर रही है और अगर काम कर रही है तो वह किस चीजों की निगरानी रख रही है ?

(श्री गोविन्दसिंह गुर्जर)

तीसरा सवाल मेरा यह है, आपका मंत्रिमण्डल जब से सत्तारूढ़ हुआ है उसके बाद से कितने छापे मारे, कितने आदमियों को गिरफ्तार किया, कितने लोगों के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया,- कितने लोगों के खिलाफ आपने विभागीय कार्यवाही की-? अगर आपके पास यह सूचना है तो बताने की कृपा करें।

चौथा खण्ड तीन में आपने कहा है कि जो यह कानून बना है इस कानून का मकसद यह था कि ब्लैक मार्केटिंग, होडिंग और जो वस्तुओं को लोग महगा कर देते हैं नाजायज लाभ, मुनाफा कमाने की नीयत से, उसको रोका जाये। अध्यक्ष महोदय, बहुत अफसोस की बात है कि 14 साल में केवल आठ केस इसमें बने हैं और यह एक ऐसा डिटररेंट कानून है कि अगर आप इसको थोड़ी-सी भी सख्ती से लागू करेंगे तो बहुत सारी समस्यायें जो महंगाई की हैं, जो कि मैन मेड हैं, आदमी की लाभ कमाने की प्रवृत्ति है उसके कारण से करता है वह कम हो सकती हैं। इन चार प्रश्नों का उत्तर देने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

डा. रामप्रताप : अध्यक्ष महोदय, जो मैंने सूचना दी है, मुझको जितनी जानकारी है उतना मैंने आपको निवेदन किया है बाकी यह जो एक्ट है, यह प्रिवेंटिव है और यह कोई प्यूनिटिव नहीं है। इसकी ट्रायल नहीं हो सकती मेरे हिसाब से। मैं मानकर चलता हूं कि यह बहुत ही हॉर्स स्टेप है इसलिए इसमें कम से कम एक्शन लिया जाता है। उसके बाद में अगर आप उचित समझते हों तो इस किस्म की कहीं ज्यादा गड़बड़ी होगी तो निश्चित तौर पर हम इस एक्ट का इस्तेमाल करेंगे।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : मैं मानीटरिंग के बारे में पूछ रहा हूं, आपके यहां मानीटरिंग की कोई व्यवस्था है या नहीं और अगर है तो किन वस्तुओं के बारे में है ?

डा. रामप्रताप : असेंशियल कामोडेटीज की मानीटरिंग हम करते हैं। इसके लिए जिला स्तर पर टास्क फोर्स का गठन किया जा चुका है, यह पी. डी. एस. में मानीटरिंग के साथ-साथ होडिंग असेट्स में मेल प्रेक्टिस की भी चैकिंग करती है।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : देखिये, आपने विभाग अभी सम्भाला है, मैं ज्यादा सवाल नहीं पूछना चाहता, आप मानीटरिंग की व्यवस्था पर सतत् ध्यान देंगे तो बहुत-सी चीजें आपके सामने अपने आप आ जायेंगी। दूसरा सवाल यह है, मैं यह भी आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि अभी इस सैक्शन में जवाब दिया है कि करीब ढाई हजार केसेज असेंशियल कमोडेटीज एक्ट के तहत विचाराधीन हैं, इन केसेज को अगर आप एक्सपीडाइट करवा कर इन पर जल्दी फैसला करवा देते हैं तो भी काफी असर पड़ेगा उन लोगों पर जो महंगाई का फायदा उठाते हैं।

डा. रामप्रताप : अध्यक्ष महोदय, आपका सुझाव है इसका मैं निश्चित तौर से स्वागत करता हूं और केसेज को एक्सपीडाइट किया जायेगा। यह जो केसेज हैं वह असेंशियल कमोडेटीज एक्ट के तहत

20

(डा. राम प्रताप)

हैं, प्रिवेंटिव ऑफ ब्लैक मार्केटिंग एण्ड मेंटीनेन्सएण्ड सप्लाइज ऑफ दी असेंशियल कमोडेटीज एक्ट में नहीं हैं। इसी एक्ट के तहत हैं, निश्चित तौर पर उनको एक्सपीडाइट करेंगे और अगर इन मेजर्स से हमें अच्छे, सन्तोषप्रद नतीजे नहीं मिले तो निश्चित तौर से जो यह प्रिवेंटिव एक्ट है इसका हम इस्तेमाल करेंगे।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट, श्री रामनारायण।

आयुर्वेद चिकित्सालयों में चिकित्सक

138. **श्री रामनारायण वर्मा** (नैनवां): क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) इस समय प्रदेश में कितने आयुर्वेद चिकित्सक कार्यरत हैं तथा कितने पद रिक्त हैं ?

(2) कार्यरत आयुर्वेद चिकित्सकों में अनुसूचित जाति/जनजाति के कितने हैं तथा उनका प्रतिशत क्या है ?

(3) क्या सरकार विभाग में अनुसूचित जाति/जनजाति के आशार्थियों के लिए विशेष भर्ती अभियान चलाने तथा बैक-लाग भरने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

राज्य मंत्री, आयुर्वेद (श्री अचलाराम मेघवाल) : (1) वर्तमान में विभाग के अन्तर्गत 3541 आयुर्वेद चिकित्सक पदस्थापित हैं। इसके अतिरिक्त 108 पद नवीन नियुक्ति हेतु तथा 54 पद अन्य कारणों से रिक्त हैं।

(2) अनुसूचित जाति के 4 तथा अनुसूचित जनजाति के 29 चिकित्सक वर्तमान में पदस्थापित हैं। कुल कार्यरत चिकित्सकों के विरुद्ध इनका प्रतिशत 1.22 एवं 0.82 है।

(3) अनुसूचित जाति, जनजाति के योग्यताधारी आशार्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं होने से आरक्षित प्रतिशत के अनुसार पदों को फिलहाल भरना सम्भव नहीं है।

श्री रामनारायण वर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह स्पष्ट है कि जो नियुक्ति 18 प्रतिशत के अगेंस्ट में दी जानी चाहिए उसमें 1.22 है, 12 प्रतिशत के अगेंस्ट में 0.82 है। क्या माननीय मंत्रीजी बताना चाहेंगे, पर्याप्त संख्या में तो नहीं है लेकिन कितने उपलब्ध हैं और जो उपलब्ध हैं क्या आपके जो रिक्त पद 108 और 56 हैं उनके अगेंस्ट में आप स्पेशल एडवरटाईजमेंट करके उनको भरने की प्रथमतः कोशिश करेंगे ?

दूसरा, चार और पांच दिसम्बर, 1991 को राज्यों के मुख्य मंत्रियों की दिल्ली में बैठक हुई थी उसमें निर्णय लिया गया था कि इस क्लासेज के जो भी पद रिक्त हैं, उनको भरने के लिए कोई समयबद्ध कार्यक्रम तय किया जावेगा। इसके मुताबिक राज्य सचिवालय के प्रशासनिक अफसरों द्वारा नोट शीट बनायी गयी थी उसमें भरने के बारे में पूरा समयबद्ध तरीके से ब्यौरा दिया गया था, उसके बारे में क्या कार्यवाही की गयी और क्या आपने वह नोट शीट पढ़ी है ? अगर पढ़ी है तो उसके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करेंगे ?

श्री अचलाराम मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के उत्तर में निवेदन है कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति की आरक्षित सीटों, जो क्रमशः अनुसूचित जाति के 8 तथा जनजाति के 10 रिक्त पद हैं, को भरने के लिये 5-7-1993 को एक अल्प अवधि विज्ञापन जारी किया गया था जिसमें अनुसूचित जाति के 7 तथा जनजाति के 3 आवेदन प्राप्त हुए थे और इन सभी को, नियुक्ति प्रदान की जा चुकी है।

श्री रामनारायण वर्मा : अध्यक्षजी, मैं यह जानना चाहूंगा कि उसके बाद एक सत्र निकल चुका है, इस सत्र में बहुत से कास्ट और ट्राइब्ज के आशार्थी भी आपको उपलब्ध हो गये....

श्री अध्यक्ष : आप उम्मीदवार भेजिये, सबको अपाइण्टमेंट मिल जायेगा।

श्री रामनारायण वर्मा : नहीं-नहीं, उम्मीदवार नहीं भेजे जाते। मेरा निवेदन करना यह है, अध्यक्षजी, एक साल पहले की माननीय मंत्रीजी बात कर रहे हैं और इस तबके के मंत्री बने हुए दो महीने हुए हैं इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से आश्वासन चाहता हूं कि क्या दुबारा एडवरटाइजमेंट करके जितने उपलब्ध होंगे इस एक साल में, पहले प्राथमिकता से उनको भर्ती करेंगे, जो आशार्थी उपलब्ध योग्यता प्राप्त हैं। मैं इतना-सा आश्वासन चाहता हूं क्योंकि स्थिति बड़ी दयनीय है।

श्री अध्यक्ष : आप भाषण मत दीजिये, सवाल हो गया आपका।

श्री अचलाराम मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, वास्तव में अनुसूचित जाति और जनजाति का जो प्रतिशत इस विभाग में हैं वह चिन्ताजनक है। इनकी भावनाओं का मैं स्वागत करता हूं किन्तु इस विभाग के वैद्यों की भर्ती, चिकित्सकों की भर्ती के लिए निर्धारित क्वालिफिकेशन है। उसके प्राप्त नहीं होते हैं जिसके कारण यह बैकलॉग रह गया है। अब जो अगली भर्ती की जा रही है, जो एडवरटाइजमेंट किया गया है अगर इस प्रतिशत में भी आ जायेंगे तो भी उनको लिया जायेगा और उनसे अधिक फार्म भी आयेंगे तो उनके ऊपर भी विचार किया जायेगा।

श्री भंवरसिंह (मेड़ता) : एक छोटा-सा प्रश्न है, अध्यक्ष महोदय। यह बता दें कि कितनी वैकेंसीज हैं।

श्री अध्यक्ष : बताया था।

श्री भंवरसिंह : नहीं, वह नहीं। सवर्ण जाति की जो सूची है, कितने आदमी कितने सालों से इन्तजार कर रहे हैं अपाइंटमेण्ट के लिए ?

श्री अध्यक्ष : यह सवाल इससे संबंधित नहीं है। नेक्स्ट, श्री ओमप्रकाश शर्मा। हो गया सवाल।

पंचायत मुख्यालयों हेतु मुख्य सड़कें

139. श्री ओमप्रकाश शर्मा (बूंदी) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार की पंचायत मुख्यालयों को मुख्य सड़क से जोड़ने की योजना है ? यदि हाँ, तो

(श्री ओमप्रकाश शर्मा)

बाजड़ से अंथड़ा, अथड़ा से लीलेड़ा व्यासान, लीलेड़ा व्यासान-कोध्या को कब तक सम्पर्क सड़क से जोड़ दिया जायेगा ?

(2) क्या यह सही है कि डाबी से गरदड़ा सड़क मंजूर है ? यदि हां, तो इसका कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री ललित किशोर चतुर्वेदी) : (1) राज्य की आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत ऐसे पंचायत मुख्यालय जिनकी आबादी 1971 की जनगणना के आधार पर एक हजार से अधिक हैं उनको डामर की सड़क से जोड़ना प्रस्तावित है। गांवों की जनसंख्या निम्न प्रकार है।

अंथड़ा 1084, आठवीं पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित करने का प्रस्ताव है। लीलेड़ा व्यासान 461, कोध्या 427। जनसंख्या को दृष्टिगत रखते हुए आठवीं पंचवर्षीय योजना में उपरोक्त दो गांवों को सम्मिलित नहीं किया गया है।

(2) जी हां। यह सही है कि डाबी से गरड़दा 15 मिलीमीटर की लम्बाई से सड़क मंजूर है जिसका कार्य प्रगति पर है। चार किलोमीटर लम्बाई में सड़क वन क्षेत्र में गुजरने के कारण निर्माण कार्य सम्भव नहीं हो रहा है। शेष 11 किलोमीटर लम्बाई में डामर की सड़क का कार्य दिसम्बर, 1994 तक पूरा होने की सम्भावना है। 1 किलोमीटर में 0 से 10.5 की लम्बाई में पुलियाओं का निर्माण वित्तीय संसाधनों के अभाव में सम्भव नहीं है।

श्री ओमप्रकाश शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा, क्या यह सही है कि जिला मुख्यालय पर आने के लिए अंथड़ा से लीलेड़ा व्यासान होकर कोध्या कोटा-बूंदी रोड पर आया जाता है ?

एक प्रश्न और है। क्या यह सही है कि 71 के आधार पर एक हजार की जनसंख्या वाले गांवों और पंचायत मुख्यालय दोनों के अलग-अलग मापदण्ड हैं या दोनों में केवल जनसंख्या को आपने आधार माना है ? यदि हां, तो पंचायत मुख्यालय को निश्चित रूप से सड़क से जोड़ने की योजना क्या है ?

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने निवेदन किया, एक हजार से ऊपर की 1971 की आबादी के गांवों को तो आठवीं पंचवर्षीय योजना में हम जोड़ेंगे। पंचायत केन्द्रों का जहां तक सवाल है उस विषय में पी. डब्ल्यू. डी. तो नहीं किन्तु जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत उन पंचायत केन्द्रों को जोड़ने की योजना आठवीं पंचवर्षीय योजना में है। ग्रेवल रोड बनाया जाना प्रस्तावित है और उस पर उस विभाग द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

श्री ओमप्रकाश शर्मा : अध्यक्ष महोदय, डाबी से वाया गरदड़ा बूंदी मुख्यालय पर एक मात्र रास्ता बरड़ क्षेत्रों को जोड़ने का है। वन विभाग की जो गडारिया पगडंडी है जहां बैलगाड़ी जाती है वहां सड़क बनायी जा सकती है, यदि विभाग चाहे तो। ऐसी सड़कें बूंदी से टी. वी. टावर जो पहाड़ी पर है, बूंदी जिले में है वहां बनायी गयी

(श्री ओमप्रकाश शर्मा)

हैं। मीराजी की डूंगरी पर सड़क बनायी गयी है और डोरा से सूंथड़ा तक जो वन सुरक्षित क्षेत्र में माना जाता है वहां भी सड़क बनायी गयी है। तो जिला मुख्यालय को जोड़ने के लिए डाबी से गरदड़ा सड़क बनाया जाना अत्यन्त आवश्यक है। इस पर वन विभाग की जो बात आयी है उसको गडारया पगडंडी में लिया जा सकता है वरना डाबी के लोगों को कोटा होकर बूंदी आना पड़ता है। यह सड़क बनने से सबको लाभ होगा।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो भावना प्रकट की है उसके साथ मेरी सहमति है। आपको ध्यान होगा कि जिस समय तत्कालीन सरकार जा रही थी बी.जे.पी. की, उसके कुछ दिन पहले यह तय हुआ था कि जंगल के क्षेत्र में जहां पगडंडी बनी हुई हैं, पगडंडी तो नहीं जहां रास्ता बना हुआ है उस रास्ते को जंगलात विभाग से क्लियर कराकर सड़क बनाने की व्यवस्था की जायेगी। मुश्किल यह हो गयी कि एक साल के राज्यपाल के शासन में उस नियम के आधार को ध्यान में रखते हुए भी जंगल विभाग ने स्वीकृति नहीं दी। अब मैं अपना पूरा प्रयास करूंगा कि वन विभाग से तुरन्त उसको क्लियर कराकर इस सड़क को बनाने की पूरी व्यवस्था कर सकें।

श्री अध्यक्ष : लक्ष्मणसिंहजी।

श्री लक्ष्मणसिंह (भीम) : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने बताया कि वर्णित सभी गांव जिनकी जनसंख्या 1971 के आधार पर एक हजार है, उन्हें नजदीक की डामर सड़क से जोड़ना आठवीं पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित है। माननीय मंत्री महोदय ने प्रश्न संख्या 139 में यह भी बताया कि राज्य की पंचवर्षीय योजना में ऐसे पंचायत मुख्यालय जिनकी आबादी 1971 की जनगणना के आधार पर हजार से अधिक है उन्हें डामर से जोड़ना प्रस्तावित है। तो मेरा प्रश्न माननीय मंत्री महोदय से है कि आपका मापदण्ड अगर जनसंख्या है तो उसका डामरीकरण करेंगे या सिर्फ मिट्टी बिछायेंगे। अगर आपका मापदण्ड मुख्यालय है तो उसका डामरीकरण करेंगे या मिट्टी बिछायेंगे? इसे कृपया स्पष्ट करें।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, 1971 की जनगणना के अनुसार एक हजार की आबादी का प्रत्येक गांव, मुख्यालय, जिनकी एक हजार की आबादी है, का प्रत्येक गांव डामर से जोड़ेंगे। जिन पंचायत मुख्यालयों की आबादी एक हजार से कम है वह हमारी योजना में नहीं हैं किन्तु जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत स्पेशल स्कीम में उनको ग्रेवल रोड से जोड़ने की व्यवस्था करेंगे।

श्री अध्यक्ष : इन्दौराजी।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : यह 71 का क्या मामला है?

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : यह राजस्थान को पिछड़ा रखने का मामला है। आप 91 की जनसंख्या को आधार बनायें।

श्री रामनारायण चौधरी : इस मामले में 1971 की जनसंख्या का आधार आपको शुभ पड़ता है और 91 आपके लिए अशुभ है। क्या कारण है ? हर मामले में सन् 71 को पकड़ लिया। 71 में किसको मालूम है कौन से गांव की आबादी हजार थी।

श्री रतनलाल ताम्बी : साहब, यह तो पिछड़ा रखने की साजिश है राजस्थान को। विद्यालयों में शिक्षा मंत्रीजी ने एक सक्यूलर भेजा है जिसमें 91 को स्कूल खोलने का आधार माना है। माननीय अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था की जाये।

श्री अध्यक्ष : इन्दौरा जी, सवाल पूछिये। मैंने उनका नाम पुकारा है।

श्री हीरालाल इन्दौरा (केशरीसिंहपुरा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी पार्टी के शासन के दौरान यानि 1989 में मेरे निर्वाचन क्षेत्र में कुछ सड़कें शुरू हुई थीं और पीछे तीन साल तक भारतीय जनता पार्टी का राज रहा लेकिन वह रोड आज तक पूरी नहीं हुई है। मैं जानना चाहता हूं कि जो रोड 89 में मंजूर हुई थी जो कहीं एक किलोमीटर बन चुकी है, कहीं दो किलोमीटर बन चुकी है....

श्री अध्यक्ष : आप कहां की पूछ रहे हैं ?

श्री हीरालाल इन्दौरा : मैं जनरल पालिसी की बात कर रहा हूं। जनरल बात करना चाहता हूं। वैक्यूम रोड 89 में अधूरी छोड़ दी गयी थी, पीछे तीन साल तक इनका राज रहा, वे वैक्यूम रोड पूरी नहीं हुई हैं, इनका इरादा उन रोड्स को पूरा करने का है या नहीं है ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, कुछ माननीय सदस्यों ने 1971 की जनसंख्या को चर्चा का विषय यहां बनाया है। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। किन्तु उनको बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार की विरासत हमको मिली है, 1971 की 1500 की आबादी.... (व्यवधान) बात तो सुन लीजिए। पूरी बात हो जाये तब बोलें। आप बिराजें तो सही। उत्तर पूरा हो जाने दो, आपका भी उत्तर दूंगा।

श्री रतनलाल ताम्बी : अध्यक्ष महोदय, 1989 में स्वीकृत सड़कें वापस निरस्त की गयी हैं, काम उनके बन्द किये गये हैं और उदाहरण चाहें तो जहाजपुर कांस्टीट्यूएंसी में चार सड़कों का मामला है और विरासत की दुहाई देकर राजस्थान को पिछड़ा रखना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : एक सवाल और लेना है, पांच मिनट बचे हैं इसलिए मंत्रीजी का जवाब सुन लीजिए। आर्डर प्लीज।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम (सांगानेर) : जवाब देने से पहले मेरा भी सवाल है। अभी जैसा बताया गया है कि नायन से जो सड़क मंजूर की गयी मोहनपुरा पंचायत समिति में, उस गांव से जोड़ने के लिए वह तीन साल में एक बार बनती है फिर बन्द हो जाती है। फिर बनती है फिर बन्द हो जाती है। और वह आज भी बन्द पड़ी है। उसके बारे में भी बतायेंगे कि इस तरह की सड़कें क्यों बन्द की जा रही हैं ?

श्रीमती कमला (बैराठ) : अध्यक्ष महोदय, क्या बी. जे. पी. की सरकार हमारी जनता को विरासत में यही देना चाहती है कि स्कूल खोलें तो बन्द कर दें, सड़क बनायें तो बन्द कर दें, दवाखाने खोलें तो बन्द कर दें पैसा होते हुए, फण्ड्स होते हुए भी। जो काम कांग्रेस सरकार ने शुरू किये थे वे बन्द कर दिये गये और आज तक बन्द पड़े हैं, उनको चालू नहीं किया गया। क्या यही आप विरासत में देना चाहते हैं? हम विरासत में काम देकर गये हैं, आप विरासत में तोड़ने का काम करके गये हैं।

श्री अध्यक्ष : आप मंत्रीजी का जवाब सुनना नहीं चाहते। सुनिए। आर्डर प्लीज। ताम्बीजी, प्लीज सिट डाउन।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि जिस समय 1990 में सरकार में हम आये, आखिर किसी काम को करने के लिए नियमित रूप से कोई नियम बनाना होगा और इसीलिए उस समय 1971 की 1500 की आबादी के गांवों को जोड़ने की व्यवस्था पांच साल के लिए बनी थी किन्तु ढाई वर्ष में ही 1971 की 1500 की सारे आबादी के गांवों को जोड़ दिया गया। अब नयी सरकार जब आयी उस समय 1971 की एक हजार तक की आबादी के गांवों को जोड़ने की योजना बनी है जो आठवीं पंचवर्षीय योजना में है, जो 97 तक पूर्ति होगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, उसके बाद अभी यहां मैं नहीं रुका हूं। 1981 की, एक हजार तक की आबादी के गांवों का सलेक्शन कर लिया गया है, उसके नाते से करने की व्यवस्था की दृष्टि से हम वर्ल्ड बैंक के पास जा रहे हैं और मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि 1981 की एक हजार तक की आबादी का प्रत्येक गांव 2000 ए. डी. तक निश्चित रूप से जोड़ दिया जायेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक सवाल ....(व्यवधान) आप बिराजो। फिर खड़े हो रहे हैं। आपका जवाब दे रहा हूं।

श्री हीरालाल इन्दौरा : अधूरी सड़कें पड़ी हैं।

श्री अध्यक्ष : आपका जवाब दे रहे हैं, आप सुन नहीं रहे हैं।

(12.00)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, गंगानगर जिले से आने वाले माननीय सदस्य ने पी. डब्ल्यू. डी. की जिस सड़क की चर्चा की है वह जब 1989 में मंजूर हो गयी तो निश्चित रूप से बनेगी, मैं आश्वस्त करना चाहता हूं। किन्तु यह कहना चाहता हूं अगर वह पी. डब्ल्यू. डी. में नहीं होकर कहीं अकाल राहत कार्यों में, जवाहर रोजगार योजना में या किसी अन्य स्कीम में है तो उनकी कोई नियमित व्यवस्था नहीं रहती। उसमें गारण्टी नहीं है (व्यवधान)

श्री हीरालाल इन्दौरा : आपके रेगुलर बजट से हुआ। जवाहर रोजगार योजना में नहीं हुआ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्नों के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें।)

26

अतारांकित प्रश्नोत्तर

इंजीनियरिंग-महाविद्यालय, कोटा में नये विषय

180. श्री अर्जुन दास मदान (लाडपुरा) : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार कोटा इंजीनियरिंग महाविद्यालय में कोई नये विषय प्रारम्भ करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब से और कौन से विषय ?

(2) क्या सरकार कोटा इंजीनियरिंग महाविद्यालय में अन्तरिक्ष इंजीनियरिंग तथा दूर संचार इन्जीनियरिंग की शाखाएं भी खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी, नहीं ।

(2) अन्तरिक्ष इन्जीनियरिंग की शाखा खोलने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है। कोटा में इलेक्ट्रोनिक्स एवं कम्यूनिकेशन इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम का अध्यापन कराया जा रहा है। इस पाठ्यक्रम की प्रवेश क्षमता 30 है।

चित्तौड़गढ़ से बेगूं मार्ग का डामरीकरण

181. श्री चुन्नीलाल धाकड़ (बेगूं) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या चित्तौड़गढ़ से बेगूं वाया पारसोली कच्चे मार्ग को पक्का कराने का सरकार का विचार है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी नहीं। योजनान्तर्गत प्राथमिकताओं में नहीं आने के कारण इस कच्चे मार्ग को पक्की डामर सड़क बनाना प्रस्तावित नहीं है।

कांकरोली (राजसमन्द) बाई पास सड़क निर्माण

182. श्री शांतिलाल खोईवाल (राजसमन्द) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

कांकरोली (राजसमद) बाई पास सड़क को कब तक पूर्ण कराने का सरकार का विचार है ?

उत्तर

कांकरोली बाई पास का निर्माण वर्तमान में किसी भी योजना के अन्तर्गत सम्मिलित नहीं है।

गाडरवाड़ा नूरजी से खानपुर झालावाड़ सड़क की मरम्मत

183. श्री भरतसिंह (खानपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या गाडरवाड़ा नूरजी से (बांडी सड़क) खानपुर-झालावाड़ रोड को जोड़ने वाली सड़क को ठीक करवाना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो कब तक व यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(श्री भरतसिंह)

(2) इस सड़क का निर्माण कब व किस योजना के तहत करवाया गया था ? इसको ठीक करवाने में कुल कितनी लागत आयेगी ?

उत्तर

(1) उक्त सड़क की लम्बाई 4 कि.मी. है व मैटल की सड़क निर्मित है। मैटल की दो परत व डामर कराये बिना सड़क का सुधार सम्भव नहीं है। वित्तीय संसाधनों की अनुपलब्धता के कारण इस सड़क का सुधार वर्तमान में प्रस्तावित नहीं है।

(2) उक्त मैटल सड़क का निर्माण अकाल राहत कार्य एवं आर. एल. ई. जी. पी. योजना के अन्तर्गत वर्ष 1986-87 में करवाया गया था। इस सड़क पर दो परत मैटल व डामर सड़क द्वारा संधारण में 12.00 लाख रुपये की लागत आयेगी।

जिला जोधपुर की सड़कों का विस्तार

184. श्री राजेन्द्र चौधरी (बिलाड़ा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार सड़कों को चौड़ी करने का यातायात के भारी आवागमन के कारण विचार रखती है ?

(2) यदि हां, तो जोधपुर जिले में- 1. बोरून्दा से दांतीवाड़ा वाया खेजड़ला, चिरडाणी, पिचाड़शहर, रिया एवं 2. खारिया खंगार से पिचाड़ शहर वाया पालड़ी सिद्धा, खांगटा, साथीन भारी औद्योगिकरण एवं भारी वाहनों की आवा-जाही के कारण जन सुविधा एवं यातायात सुविधा बढ़ाने के लिए सड़कों को कब तक चौड़ी कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। यातायात की आवश्यकता के अनुसार सड़कों को चौड़ा करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(2) बोरून्दा से दांतीवाड़ा वाया खेजड़ला, चिरडाणी पीचाडशहर और रियां में से पीचाडशहर से दांतीवाड़ा तक 26 कि मी. लम्बाई का स्टेट हाइवे नं. 21 का भाग 5.5 मीटर तक की सड़क को चौड़ा किया जा चुका है पीचाडशहर से बोरून्दा तक शेष 39 कि. मी. लम्बाई जो मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड़ की श्रेणी में है में निम्न प्राथमिकता एवं वित्तीय ससाधनों की उपलब्धि न होने के कारण चौड़ा करना सम्भव नहीं हो पाया है।

खारिया खंगार से पीचाड़शहर वाया पालड़ी सिद्धा सड़क की कुल लम्बाई 32 कि. मी. है इसमें से पीचाड़शहर से साथीन तक सड़क को 5.50 मीटर चौड़ा कर दिया गया है और खांगटा से खारिया खंगार वाया पालड़ी सिद्धा भाग को चौड़ा करना राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धि न होने के कारण संभव नहीं हो पाया है।

उदयपुर शहर में सड़क निर्माण

185. श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(28)

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

(1) क्या यह सही है कि विभाग की ओर से उदयपुर शहर के मुख्य मार्गों पर पेवर पद्धति और अन्य पद्धति से सड़कों की मरम्मत और पुनः निर्माण कराया गया ? यदि हां, तो यह कार्य कब से कब तक पूरा हुआ ?

(2) गत छः माह में उदयपुर की सड़कों की मरम्मत पर कुल कितना व्यय हुआ और इनमें किन-किन ठेकेदारों को कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया गया ?

(3) क्या यह सही है कि उदयपुर के मुख्य मार्गों की सड़कें अल्पावधि में हो बुरी तरह से टूट-फूट गई हैं और जगह-जगह खड्डे व दरारें पड़ गई हैं ? यदि हां, तो इसके क्या कारण रहे ? अब इनके पुनः निर्माण के लिए विभाग क्या कार्यवाही कर रहा है ?

उत्तर

(1) जी हां। यह कार्य उदयपुर शहर में अक्टूबर 1993 से जनवरी 1994 की अवधि में करवाया गया।

(2) गत 6 माह में कुल व्यय रुपये 71,82,750.00 हुआ तथा विभिन्न ठेकेदारों को रु. 40,84,909.00 का भुगतान किया गया जिसका विवरण संलग्न सूची 'अ' में दर्शाया गया है।

(3) जी नहीं। केवल कुछ क्षेत्र में डामरीकरण की ऊपरी परत में दरारें पड़ी थीं जिसका कारण, पूर्व में विद्यमान डामर की परत पर नवीन डामर की परत से डामर के माध्यम से पकड़ नहीं करना है। इन स्थानों पर ठेकेदार द्वारा पुनः डामरीकरण करवाया गया है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-3 देखें)

जिला चित्तौड़गढ़ से मध्यप्रदेश की सम्पर्क सड़कें

186. श्री चुन्नीलाल धाकड़ (बेगूं) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार ग्राम जावदा से टौलों का लुहाड़िया जो रतनगढ़ मध्यप्रदेश से सम्पर्क सड़क से जुड़ता है तथा नन्दवाई से चरछा जो जाट मध्यप्रदेश सम्पर्क से जुड़ता है पर निकट भविष्य में सम्पर्क सड़कें बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

ग्राम जावदा 917 (1971) से टौलों की लुहाड़िया 419 (1971) तथा नन्दवई से चरछा 295 (1971) सड़कों का निर्माण योजनान्तर्गत प्राथमिकताओं में नहीं आने से बनाना सम्भव नहीं है।

निर्वाचन क्षेत्र कामां (भरतपुर) के पंचायत मुख्यालयों को सड़क से जोड़ना

187. श्री तैयब हुसैन (कामां) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र कामां

(श्री तैयब हुसैन)

में कितने ग्राम पंचायत मुख्यालयों को सड़कों से जोड़ा जा चुका है तथा कितने शेष हैं ? शेष रहने का क्या कारण है ?

(2) क्या सरकार इन पंचायत मुख्यालयों को इसी वित्तीय वर्ष में सड़कों से जोड़ने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र कामां में कुल 43 पंचायत मुख्यालयों को सड़कों से जोड़ा जा चुका है। 16 पंचायत मुख्यालयों को जोड़ना शेष है। योजना की प्राथमिकता में नहीं आने के कारण अब तक इनको जोड़ना सम्भव नहीं हुआ।

(2) जी नहीं। शेष 16 ग्राम पंचायत मुख्यालयों में से 5 ग्राम एग्रीकल्चर डवलपमेंट प्रोग्राम तथा 2 ग्राम मेवात विकास योजना के अन्तर्गत सड़क से जोड़ना स्वीकृत है। यह कार्य प्रगति पर है तथा आगामी डेढ़ वर्ष में पूरा होने की सम्भावना है। शेष 9 पंचायत मुख्यालयों में से 3 पंचायत मुख्यालय जिनकी आबादी 1000 (1971) से अधिक है, उन्हें आठवीं पंचवर्षीय योजना में सड़क से जोड़ना प्रस्तावित है।

कोटा सम्भाग में पुल का निर्माण

188. **श्री भरतसिंह (खानपुर)** : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) कोटा सम्भाग में बहने वाली समस्त नदी तथा नालों पर आजादी से पहले किन-किन स्थानों पर पुलियाएं बनी हुई थी ?

(2) क्या इन स्थानों पर नये पुल का निर्माण करवाना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो कहां-कहां व कब से ?

(3) जिन स्थानों पर नई पुलिया बनाना प्रस्तावित नहीं है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) कोटा सम्भाग में आजादी से पूर्व बनी हुई पुल/पुलियाओं की संख्या इस प्रकार है–

जिला	पुल/पुलियाओं की संख्या
कोटा	70
बारां	62
बूंदी	32
झालावाड़	118
सवाईमाधोपुर	05
रा. रा. उ. मार्ग नं. 12	81
कुल	368

उपरोक्त पुलियाओं की लोकेशन संलग्न सूची में दर्शाई गई है (परिशिष्ट 'क')

(2) जिन स्थानों पर पुल/पुलियायें बनाना प्रस्तावित है उनकी संख्या इस प्रकार है :–

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

बारां-2
सवाईमाधोपुर-1
रा. उ. मार्ग-12-31

कुल 34

उपरोक्त पुलियाओं का लोकेशन संलग्न सूची परिशिष्ट 'ख' में दर्शाई गई है।

(3) उपरोक्त स्थानों के अलावा पुल/पुलियाओं का बनाना प्रस्तावित नहीं है। वित्तीय संसाधनों के अभाव में नये पुल/पुलियायें बनाना सम्भव नहीं है।

(सूचियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं।)

जिला जोधपुर की सड़कों का डामरीकरण

*189. **श्री राजेन्द्र चौधरी** (बिलाड़ा): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार की कच्ची सड़कों के डामरीकरण की क्या योजना है एवं उनके क्या मानदण्ड हैं ?

(2) जोधपुर जिले में कौन-कौन सी सड़कों के डामरीकरण के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ? क्या कम दूरी की सड़कों को प्राथमिकता से जोड़ा जायेगा ?

(3) बिलाड़ा विधान सभा क्षेत्र में 1. देवनगर से खांगटा वाया जाणियों की ढाणी, 2 खांगटा से मादलिया वाया सियारा, लवारी 3. बिलाड़ा से जैतीवास वाया भैरूजी की छापर 4. रावजियाणा से मादलिया 5. मादलिया से सिनला (पाली सीमा तक) वाया सोवणियां, हरियाढाबा, खोजों की ढाणी, फड़ाकों की ढाणी, 6. विजासनी से कृषक नगर बिलाड़ा 7. सरगिया खुर्द से सरगिया कलां 8. रिया से बुड़किया वाया बाड़ा कला, खेड़ी सालवा 9. रामड़ावास कला से पिपाड़ रोड वाया रामड़ावास खुर्द खेड़ी, चारजा आशापुर 10 मिरासिया से खांगटा 11. खेजड़ला से कलाऊन वाया भागासनी रामपुरिया 12. घणमगरा से कलाऊना वाया बिरावास रामपुरिया में डामरीकरण के सम्बन्ध में प्रस्तावों पर कब तक कार्यवाही हो जायेगी ?

उत्तर

(1) आठवीं पंचवर्षीय योजना में सन् 1971 की जनगणना के अनुसार जिन गांवों की जनसंख्या 1000 से अधिक है उनको डामर सड़क से जोड़ने की योजना है।

(2) जोधपुर जिले में डामरयुक्त सड़क से जोड़ने के प्रस्ताव संलग्न सूची 'अ' में दर्शाये गये हैं।

(3) विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में जिन सड़कों का उल्लेख किया गया है उनमें से केवल एक सड़क पर (देवनगर से खांगटा वाया जाणियों की ढाणी) 3 किमी लम्बाई में कार्य प्रगति पर है जो दो माह में पूरा हो जायेगा। अन्य किसी सड़क पर डामरीकरण का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है किन्तु उल्लेखित गांवों में से रावणियाणा व खेड़ी सालवा जिनकी आबादी 1000 (1971) से अधिक है उन्हें आठवीं पंच-

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

वर्षीय योजना के तहत डामर की सड़क से जोड़ना प्रस्तावित है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

खानपुर से अकलेरा मार्ग पर पुल निर्माण

190. श्री भरत सिंह (खानपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या खानपुर से अकलेरा मार्ग को ठीक करवाने का कार्य प्रस्तावित है ? यदि हां, तो क्या कार्य प्रस्तावित है व इस पर कितनी लागत आयेगी तथा कब तक यह कार्य पूर्ण हो जायेगा ?

(2) क्या इस मार्ग पर आने वाले नालों पर नई पुलिया बनाना प्रस्तावित है, यदि हां, तो कहां-कहां व यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) खानपुर से अकलेरा मार्ग को ठीक करवाने में निम्न कार्य स्वीकृत है–

1. कि.मी. 12/0 से 14/0 (2 कि.मी.) का रिनिवल कार्य 2.50 लाख रुपये की लागत स्वीकृत है एवं कार्य प्रगति पर है व मार्च 1994 तक पूरा कर दिया जायेगा। शेष लम्बाई में सुधार कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अभाव में वर्तमान में स्वीकृत नहीं है।

2. इस मार्ग पर अरनियां ग्राम के पास कि.मी. 376 धार नदी पर वेन्टेड काजेव (रपट) की मरम्मत का कार्य प्रस्तावित है। इस रपट की मरम्मत का तकमीना रु. 3 34 लाख का भू-तल परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार को भिजवाया जा चुका है। कार्य की स्वीकृति प्राप्त होने पर धार नदी की रपट की मरम्मत का कार्य करा दिया जायेगा।

(2) इस मार्ग पर कोई नई पुलियायें बनाना वित्तीय संसाधनों के अभाव में प्रस्तावित नहीं है।

जिला जोधपुर के गांवों को सड़कों से जोड़ना

191. श्री राजेन्द्र चौधरी (बिलाड़ा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या सरकार गांवों को सड़कों से जोड़ने का विचार रखती है ?

(2) जोधपुर जिले में पंचायत समितिवार कौन-कौन से गांव सड़कों से नहीं जुड़े हुए हैं ? इनमें से किन-किन गांवों को सड़कों से जोड़ने के प्रस्ताव सरकार को प्राप्त हुए हैं एवं वे कब तक स्वीकृत हो जायेंगे ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जोधपुर जिले में पंचायत समितिवार जो गांव सड़कों से नहीं जुड़े हुए हैं उनकी सूची परिशिष्ट 'अ' में संलग्न है। ऐसे सभी गांव जिनकी 1971 की जनगणना

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

के आधार पर आबादी 1000 या इससे अधिक है उन्हें आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सड़कों से जोड़ना प्रस्तावित है। स्वीकृति वित्तीय संसाधनों पर निर्भर करेगी।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-4 देखें।)

प्रदेश में सड़क नीति निर्धारण हेतु समिति का गठन

192. श्री भरत सिंह (खानपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे–

(1) क्या सार्वजनिक निर्माण विभाग ने सड़क नीति निर्धारण करने के लिए समिति का गठन करने का निर्णय लिया है ? यदि हां, तो इस समिति के सदस्यों का चयन किस प्रकार किया जायेगा ?

(2) भौगोलिक आवश्यकताओं के अनुरूप क्या मरुस्थल प्रदेश में गांवों की आबादी बड़ी होती है व हाडौती क्षेत्र में अपेक्षाकृत छोटी ? क्या नीति निर्धारण हेतु समिति ने उपरोक्त तथ्य को ध्यान में रखा है ? यदि नहीं, तो सरकार इस पर क्या विचार रखती है ?

(3) क्या यह सही है कि हाड़ौती क्षेत्र में नदी नालों की बहुतायत है जिनके कारण बरसात में व बरसात के बहुत समय बाद तक भी नजदीक-नजदीक गांवों का भी सम्पर्क टूट जाता है ? क्या सड़क नीति निर्धारण के समय इस तथ्य पर ध्यान दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्या भविष्य में ध्यान दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी नहीं। सार्वजनिक निर्माण विभाग में सड़क नीति निर्धारण के लिये समिति गठित करना विचाराधीन है।

(2) भौगोलिक आवश्यकताओं के अनुरूप मरुस्थल प्रदेश में गांवों की आबादी हाड़ौती क्षेत्र की तुलना में बढ़ी है। नीति निर्धारण हेतु समिति गठित न होने के कारण उपरोक्त तथ्य को न तो ध्यान में रखा गया है और न ही सरकार इस पर विचार कर रही है।

(3) यह सही है कि हाड़ौती क्षेत्र में नदी नालों की बहुतायत है जिसके कारण बरसात के बहुत समय बाद तक नजदीक के गांवों का सम्पर्क टूट जाता है। सड़क निर्माण के साथ-साथ सी. डी. वर्क्स का निर्माण करने का भी प्रयत्न किया जाता है। सड़क निर्माण से पहले सी. डी. वर्क्स का निर्माण हो जाय। इस क्रम में सड़क नीति निर्धारित करते समय विचार किया जा सकेगा।

चित्तौड़गढ़ से बेगूं बाईपास सड़क निर्माण

193. श्री चुन्नीलाल धाकड़ (बेगूं) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या चित्तौड़गढ़ बेगूं रूट पर (1) बलदरखा (2) बीछोर ग्रामों में बाईपास सड़क मार्ग बनाने के प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो बाईपास

(श्री चुन्नीलाल धाकड़)

सड़क मार्ग बनाने की कब तक स्वीकृति प्रदान कर दी जावेगी ?

उत्तर

जी नहीं। उक्त बाईपास बनाना प्राथमिकता में नहीं आता है।

तहसील लाडनूं (नागौर) की यातायात व्यवस्था

194. श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) तहसील लाडनूं जिला नागौर में किन-किन गांवों में कौन-कौन से रूट पर कौन-कौन सी प्राइवेट बसें चल रही हैं ?

(2) उक्त बसों के परमिट किन-किन के नाम से कब-कब जारी किये गये हैं ?

(3) क्या उपरोक्त बसों के लिए समय सारिणी तथा किराया सूची निर्धारित है ? यदि हाँ, तो प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(4) उपरोक्त बसें निर्धारित मार्ग व समय सारिणी के अनुसार चल रही हैं या नहीं, इसकी जांच किस प्रकार से किस अधिकारी द्वारा की जाती है ? यदि गत बारह महीनों में इस प्रकार की कोई जांच की गई हो तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सूचना संलग्न परिशिष्ट "क" में उपलब्ध है।

(2) सूचना परिशिष्ट "क" में उपलब्ध है।

(3) उपरोक्त मार्गों की समय सारिणी संलग्न परिशिष्ट "ख" में उपलब्ध है। किराया निर्धारण के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा जारी नवीनतम अधिसूचना दिनांक 6 मार्च, 1993 की प्रति संलग्न परिशिष्ट "ग" पर उपलब्ध है।

(4) इस बाबत जिला परिवहन अधिकारी के स्तर पर परिवहन निरीक्षक एवं परिवहन उप निरीक्षक के माध्यम से जांच कराई जाती है। गत बारह महीनों में इस प्रकार की कोई जांच विचाराधीन नहीं है किन्तु दैनिक समाचार-पत्र "राजस्थान पत्रिका" के दिनांक 26-11-93 के अंक में सुजानगढ़-नागौर एकीकृत मार्ग पर वाहन चलन सम्बन्धी अनियमितायों बाबत प्रकाशित समाचार के क्रम में जिला परिवहन अधिकारी, नागौर द्वारा कराई गई जांच का विवरण निम्न प्रकार है:-

(यातायात राज्य मंत्री)

जांच बिन्दु	जांच रिपोर्ट
1-रूट चैंज करके वाहनें चलती हैं।	मार्ग एकीकृत मार्ग है। अतः प्रत्येक वाहन सभी रूट पर नियमानुसार संचालित हैं।
2-लाडनूं एवं निम्बीजोधा में समय से अधिक एक घण्टा व दो घण्टे तक रुकती हैं।	निरीक्षकों की रिपोर्ट अनुसार वाहनें निर्धारित समय सारिणी के अनुसार संचालित हो रही हैं।
3-किराया "ए" श्रेणी का लिया जा रहा है।	किराया "ए", "बी" व "सी" श्रेणी का अलग-अलग नहीं है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

गुलपाड़ा से जुरहरा तक की यातायात व्यवस्था

195 श्री तैयब हुसैन (कामां) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) नगर गुलपाड़ा से जुरहरा सड़क का निर्माण कब हुआ ?

(2) क्या निर्माण से अब तक इस मार्ग पर राज्य परिवहन या परमिटधारी बसें चालू की गयी ? यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है ?

(3) क्या सरकार इस सड़क पर बस चलाने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) इस सड़क का निर्माण 1991-92 में हुआ था।

(2) वर्तमान में यह कोई स्वीकृत मार्ग नहीं है तथापि प्रश्न में वर्णित स्थान निम्नांकित बस मार्गों से जुड़े हुए हैं :-

1. नगर गुलपाड़ा-फिरोजपुर झिरका

2. गुलपाड़ा अमरूका वृद्धिकृत जुरहरा

3. अमरूका पहाड़ी जुरेहरा

4. गुलपाड़ा-अमरूका पहाड़ी वाया जुरेहरा पुराना।

(3) नियमानुसार किसी भी मार्ग पर बस मालिकों द्वारा बस संचालन हेतु

(यातायात राज्य मंत्री)

आवेदन करने का पूर्व में ही प्रावधान है। जहां तक निगम का सम्बन्ध है वर्तमान में भरतपुर से जुरहरा के लिये वाया डीग-कामां होते हुए, नगर से पहाड़ी के लिये वाया सीकरी-गुलपाड़ा गोपालगढ़ होते हुए वाहनें संचालित की जा रही हैं। ये दोनों ही मार्ग राष्ट्रीयकृत हैं। इनके अतिरिक्त सीकरी से फरीदाबाद के लिये वाया गुलपाड़ा-पहाड़ी कामां-जुरहरा-होडल-पलवल-बल्लभगढ़ होते हुए भी वाहन सेवा संचालित की जा रही हैं। इसी प्रकार कामां से पुन्हेना मार्ग पर भी वाया जुरहरा होते हुये निगम द्वारा वाहन सेवा संचालित संचालित की जा रही हैं।

जयपुर शहर की नगरीय बस सेवा

196. **श्री भीखा भाई** (सागवाड़ा) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर नगरीय बस सेवा की परिधि के मासिक पास रु. 100/- में बनाये जाते हैं ?

(2) क्या यह सही कि विद्यार्थियों को कन्सेशन के आधार पर मासिक पास बनाये जाते हैं ? यदि हां, तो कितने में ?

(3) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा कुछ स्कूलों के छात्र/छात्राओं को लाने ले जाने हेतु बसें लगी हुई हैं ? यदि हां, तो किस-किस स्कूल में कितनी-कितनी बसें लगा रखी हैं ? एवं स्कूलों में लगाई हुई बसों का छात्र/छात्राओं द्वारा मासिक पास कितने-कितने रुपयों का बनाया जाता है ? किलोमीटर वाइज विवरण सदन की मेज पर रखें ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। 50 कि.मी. की परिधि में यात्रा करने वाले विद्यार्थियों के 50% रियायती दर पर पास बनाये जाते हैं।

(3) जी हां। निम्न स्कूलों के छात्र/छात्राओं को लाने/ले जाने हेतु निम्नानुसार वाहनें लगा रखी हैं :-

स्कूलों के नाम	बसों की संख्या
1. केन्द्रीय विद्यालय	6
2. एम जी.डी स्कूल	1
3. सोफिया स्कूल	3
4. सेंट जेवियर स्कूल	2
5. टैगोर पब्लिक स्कूल	1
6. एस एम.एस स्कूल	5

उक्त बसों में छात्र/छात्राओं को जारी किये जा रहे मासिक पास की किलोमीटर वाईज दरें दर्शाते हुए विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(विवरण के कृपया परिशिष्ट-5 देखें।)

विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ (बांसवाड़ा) की यातायात व्यवस्था

197. **श्री फतेहसिंह** (कुशलगढ़) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) कुशलगढ़ विधान सभा क्षेत्र के उप-खण्ड मुख्यालय से कितनी बसें राज्य

36

(श्री फतेहसिंह)

परिवहन चला रहा है ? रूटवार सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) कुशलगढ़ उपखण्ड मुख्यालय से कितनी बसें अन्तर्राज्यीय मार्ग पर चल रही हैं ? मार्गवार सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) राज्य सरकार की जानकारी के अनुसार कुशलगढ मुख्यालय से कितने अवैध वाहन मिनी बस, विडियो कोच, जीप चल रही हैं तथा इनके रोकथाम की क्या योजना है ?

(4) क्या यह सही है कि कुशलगढ़ से बड़ौदा एवं अहमदाबाद के लिये कोई परमिट स्वीकृत हुए थे ? यदि हां, तो उन पर अब तक बसें नहीं चलाये जाने के क्या कारण हैं ? क्या राज्य परिवहन निगम इन मार्गों पर बसें चलाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या यह सही है कि बांसवाड़ा, कुशलगढ़ वाया सज्जनगढ़ तथा बांसवाड़ा सरहद वाया अन्देश्वर राष्ट्रीयकृत राज मार्ग है ?

(6) क्या यह सही है कि कुशलगढ़ मुख्यालय क्षेत्र के लिए थान्दला रोड रेल्वे स्टेशन के लिये कोई बस राज्य परिवहन निगम द्वारा नहीं चलाई जा रही है ? क्या परिवहन निगम कोई बस इस रूट पर चलाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) कुशलगढ़ विधान सभा क्षेत्र के उपखण्ड कुशलगढ़ से 16 बसें विभिन्न मार्गों पर निगम द्वारा चलाई जा रही हैं। मार्गवार सूची सदन के पटल पर रख दी गई हैं। (परिशिष्ट-1, 2)

(2) राज्यों के पारस्परिक समझौते के अन्तर्गत निर्धारित मार्ग (1) कुशलगढ़ से रतलाम दो प्राईवेट बसें तथा (2) कुशलगढ़ से उदयगढ़ मार्ग पर एक प्राईवेट तथा एक निगम वाहन पर परमिट स्वीकृत है तथा उक्त बसें संचालित हैं। निगम द्वारा वर्तमान में केवल एक बस सेवा अन्तर्राज्यीय मार्ग पर चलाई जा रही है जिसका मार्गवार विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है। (परिशिष्ट-2)

(3) अवैध वाहनों के संचालन की रोकथाम हेतु विभाग सतत प्रयत्नशील है। इस सम्बन्ध में विभाग द्वारा समय-समय पर चालान बनाये जाते हैं। चालू वित्तीय वर्ष में माह जनवरी, 1994 तक कुशलगढ़ क्षेत्र में ऐसी अवैध वाहनों के कुल 118 चालान बनाये गये तथा 75566/- रुपये की प्रशमन राशि वसूल की गई है। इसके अतिरिक्त 39 वाहनों को बन्द भी किया गया है।

(4) जी नहीं, तथापि गुजरात राज्य परिवहन निगम एवं राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगमों के मध्य हुए आपसी करार के अनुसार कुशलगढ़ से बड़ौदा एवं अहमदाबाद मार्गों पर एक-एक वापसी बस सेवा गुजरात राज्य परिवहन निगम द्वारा संचालित की जाती है, लेकिन राज्य स्तर

(यातायात राज्य मंत्री)

पर विधिवत समझौता अभी तक न होने के कारण गुजरात राज्य परिवहन निगम द्वारा इन मार्गों पर बस सेवा संचालन प्रारम्भ नहीं किया जा सका है।

(5) जी हां।

(6) जी हां। निगम द्वारा पूर्व में कुशलगढ़ से उदयगढ़ मार्ग पर वाहन सेवा संचालित की गई थी लेकिन निरन्तर यात्री भार कम उपलब्ध होने के कारण उक्त सेवा का संचालन बन्द करना पड़ा।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-6 देखें।)

पंचायत मुख्यालयों को यातायात से जोड़ना

198. श्री चुन्नीलाल धाकड़ (बेगूं): क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार पंचायत मुख्यालयों को यातायात सुविधाओं से जोड़ने का विचार रखती है?

(2) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत मुख्यालय नन्दवाई, मण्डावरी, डोराई, खेड़ी चेची में पक्की सड़कें होने के बावजूद भी निगम की बस सेवा उपलब्ध नहीं है?

(3) क्या सरकार उक्त पंचायत मुख्यालयों को यातायात सुविधा से जोड़ने के लिए राज्य परिवहन निगम की बसें चलाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक, नहीं तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी हां। केवल ग्राम पंचायत मुख्यालय डोराई तक ही निगम बस सेवा उपलब्ध है।

(3) जी नहीं। वर्तमान में मार्गों पर बेड़े में वृद्धि करने तथा पुरानी बसों को बदलने की प्राथमिकता की वजह से राज्य सरकार अभी अन्य मार्गों का राष्ट्रीयकरण करने के पक्ष में नहीं है। उपरोक्त ग्राम पंचायतों के मार्ग वर्तमान में राष्ट्रीयकृत नहीं हैं।

अतारांकित प्रश्न संख्या 199

(स्थगित)

आदिवासी महिलाओं की साक्षरता

200. श्री शंकरलाल अहारी (चौरासी): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जनजाति उपयोजना क्षेत्र में आदिवासी महिलाओं की साक्षरता एक प्रतिशत से भी कम है? यदि हां, तो क्या सरकार आदिवासी महिलाओं को साक्षरता की ओर ले जाने के लिए कोई योजना बना रही है?

(2) क्या सरकार 150 की आबादी वाले क्षेत्र में कन्या शाला खोलने का इरादा रखती है?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि जनजाति उपयोजना क्षेत्र में आदिवासी महिलाओं की साक्षरता एक प्रतिशत से भी कम है। राज्य सरकार आदिवासी

(88)

(जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री)

महिलाओं की साक्षरता में अभिवृद्धि करने के लिये निम्न योजनाओं को क्रियान्वयन कर रही है :–

1. कक्षा 1 से 5 तक की बालिकाओं को नि:शुल्क पोशाक, पाठ्य-पुस्तकें एवं स्टेशनरी का वितरण ।

2. कक्षा 1 से 5 तक की बालिकाओं को 75 प्रतिशत उपस्थिति पर उपस्थिति छात्रवृत्ति 100/– प्रतिवर्ष की दर से ।

3. बालिकाओं की योग्यता अभिवृद्धि हेतु 200/– प्रतिमाह की दर से प्रोत्साहन राशि ।

4. छात्रगृह योजना 40/– प्रतिमाह जिला मुख्यालयों पर एवं 30/– प्रतिमाह पंचायत समिति मुख्यालय पर ।

5. सम्पूर्ण साक्षरता एवं उत्तर साक्षरता कार्यक्रम का क्रियान्वयन ।

6. शिक्षाकर्मी एवं लोक जुम्बिश परियोजना का क्रियान्वयन ।

7. जनजाति क्षेत्र विकास विभाग द्वारा कन्या छात्रावासों का संचालन एवं निर्माण ।

8. समाज कल्याण विभाग के माध्यम से केन्द्रीय प्रवर्तित योजना अन्तर्गत कन्या छात्रावासों का निर्माण एवं संचालन ।

(2) जी नहीं ।

मेवात विकास बोर्ड विधान सभा क्षेत्र कामां (भरतपुर) में व्यय

201. श्री तैयब हुसैन (कामां) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र कामां में गत तीन वर्षों में मेवात विकास बोर्ड पर कितनी राशि किस-किस कार्य पर खर्च हुई ?

(2) क्या सरकार इस मद में अतिरिक्त राशि जुटाने की व्यवस्था करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र कामां में गत तीन वर्षों में मेवात विकास योजनान्तर्गत खर्च की गयी राशि का विवरण कार्य सहित निम्न प्रकार है :—

(रुपये लाखों में)

वर्ष	कार्य का नाम	व्यय की गई राशि
1990–91	(1) सड़क निर्माण कामां कनवाड़ा	1·05
	योग I :	1·05

(जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री)

1	2	3
1991-92	(1) रेफरल अस्पताल कामां में स्टाफ क्वार्टर निर्माण	11·02
	(2) रेफरल अस्पताल कामां में नल-बिजली फिटिंग	1·03
	(3) एप्रोच रोड कनवाडा ने कदमखण्डी (डामरीकरण)	3·38
	(4) एप्रोच रोड विलोद से राफ (डामरीकरण)	4·51
	योग II :	19·94
1992-93	(1) एप्रोच रोड अकांता सुनहरा (डामरीकरण)	4.23
	(2) एप्रोच रोड गुडगांव से ऊधम वाया मुंसेपुर (डामरीकरण)	2 06
	योग III :	6.29
	कुल योग I से III	27 29

(2) जी हां। मेवात क्षेत्रीय विकास योजनान्तर्गत वर्ष 93-94 में रु. 100.00 लाख का बजट प्रावधान था, जिसे बढ़ाकर वर्ष 94-95 में रु. 200.00 लाख का प्रावधान कर दिया गया है।

मेवात विकास बोर्ड द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों पर व्यय

202. **श्री तैयब हुसैन** (कामां) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि मेवात विकास बोर्ड की राशि शहरी क्षेत्रों में भी व्यय की गई है ? यदि हां, तो कहां-कहां ?

(2) क्या यह व्यय मेवात विकास बोर्ड के नियमों के अनुकूल है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इस प्रकार के विकास व्यय ग्रामीण क्षेत्रों के अन्तर्गत ही कराने की व्यवस्था करेगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं। यह सही नहीं है कि मेवात विकास बोर्ड की राशि शहरी क्षेत्रों में भी व्यय की गई है।

(2) जी हां। मेवात क्षेत्रीय विकास योजनान्तर्गत विकास के कार्य ग्रामीण क्षेत्रों में ही कराये जाते हैं। और यह समस्त व्यय नियमानुकूल है।

प्रदेश की बेरोजगारी समस्या

203. **श्री रामेश्वर लाल भाटी** (सुजानगढ़) एवं **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (चौमूं) : क्या नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री रामेश्वर लाल भाटी)

(1) प्रदेश में कितने डिप्लोमा एवं डिग्रीधारी इंजीनियर, आई. टी. आई, होम्योपैथिक डॉक्टर, स्टेनों तथा स्नातकोत्तर, स्नातक, हायर सैकेण्डरी उत्तीर्ण युवक बेरोजगार हैं ?

(2) बेरोजगारी दूर करने लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

उत्तर

(1) प्रदेश में रोजगार कार्यालयों की जीवित पंजिका पर 31 दिसम्बर, 1993 को 4777 डिप्लोमाधारी व 2945 डिग्रीधारी इंजीनियर, 15805 आई. टी. आई. ट्रेण्ड, 86 होम्योपैथिक डॉक्टर, 882 स्टेनों तथा 16954 स्नातकोत्तर, 142461 स्नातक, 217140 हायर सैकेण्डरी उत्तीर्ण बेरोजगार पंजीकृत थे।

(2) राज्य सरकार द्वारा अधिकाधिक रोजगार सृजन के प्रयास किये जा रहे हैं। राज्य की पंचवर्षीय व वार्षिक योजना में विनियोजन के निर्धारण के समय ऐसे रोजगारोन्मुख कार्यक्रमों/विकास मदों को प्राथमिकता दी जा रही है, जिनमें रोजगार की सम्भावना अधिक है। योजनाबद्ध विकास का एक उद्देश्य नये रोजगार के अवसर सृजन करना भी है।

आयुर्वेद चिकित्सालय, बगरू एवं अबानिया के चिकित्सकों द्वारा पद का दुरुपयोग

204. श्री हीरालाल सहरिया (किशनगंज) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या बगरू कलां तहसील सांगानेर जिला जयपुर में एवं ग्राम अबानियां के आयुर्वेदिक औषधालय में पदस्थापित वैद्य बगरू कलां के मूल निवासी हैं ? यदि हां, तो यह कब से पदस्थापित है ?

(2) क्या दोनों स्थानों के आयुर्वेदिक वैद्य ड्यूटी समय में निजी प्रेक्टिस स्वयं के निवास एवं बगरू के बस स्टेण्ड, अजमेर रोड पर करते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार दोनों वैद्यों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि दोनों वैद्य सरकारी दवाइयों का उपयोग निजी प्रेक्टिस में करते हैं ? यदि ऐसा नहीं है, तो क्या उन औषधालयों का कभी फिजिकल वैरिफिकेशन करवाया गया है ?

(4) क्या यह सही है कि इन्हें गत तीन वर्षों के भौतिक सत्यापन के आधार पर दवाईयाँ कम पाये जाने का दोषी पाया गया ? यदि हाँ, तो उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि दोनों आयुर्वेदिक औषधालयों पर सरकारी दवाईयां न देकर मरीजों को निजी आयुर्वेदिक दुकानों से औषधियां क्रय करने को बाध्य किया जाता है ? यदि हां, तो क्यों ?

(6) क्या बगरू कलां बस स्टेण्ड अजमेर रोड पर आयुर्वेदिक दवाईयों एवं ऐलोपैथिक दवाईयों के विक्रय करने का रजिस्ट्रेशन अलग-अलग है यदि हां, तो किन-किन नाम से व कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(श्री हीरालाल सहरिया)

(7) क्या दोनों वैद्यों के परिवारों के सदस्यों द्वारा बिना रजिस्ट्रेशन के या स्वयं की निजी दवाईयों की दुकानों से दवाईयां विक्रय की जाती हैं ? यदि हां, तो सरकार उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) वर्तमान में आयुर्वेद औषधालय बगरू कलां में चिकित्सक पद पर श्री रामगोपाल शर्मा दिनांक 25-9-93 से एवं आयुर्वेद औषधालय अबानिया में चिकित्सक पर पर श्री रघुवीर प्रसाद दिनांक 18-8-91 से पदस्थापित हैं। श्री रामगोपाल शर्मा बगरू कलां के निवासी हैं एवं श्री रघुवीर प्रसाद, जयपुर के निवासी हैं।

(2) इस प्रकार की कोई शिकायत इन दोनों चिकित्सकों के विरुद्ध निदेशालय आयुर्वेद विभाग में प्राप्त नहीं है और न ही विभाग की जानकारी में है। यदि इस प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त हुई तो जांच उपरान्त दोषी पाये जाने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही कर पाना सम्भव हो सकेगा।

(3) जी नहीं। ऐसी कोई सूचना विभाग को नहीं है। इन औषधालयों का भौतिक सत्यापन कराया गया है और भौतिक सत्यापन में किसी औषधि की कमी नहीं पायी गयी है।

(4) जी नहीं। कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(5) इस प्रकार की कोई शिकायत विभाग को प्राप्त नहीं हुई है।

(6) ड्रग्स एवं कोस्मेटिक्स अधिनियम के अन्तर्गत आयुर्वेदिक दवाओं के विक्रय हेतु लाइसेंस का वर्तमान में प्रावधान नहीं है। एलोपैथिक औषधियों के विक्रय हेतु उक्त अधिनियम के अन्तर्गत लाइसेन्स लेना आवश्यक है। अतः अगर किसी विक्रेता के पास ऐलोपैथिक विक्रय का लाईसेन्स है तो उसके द्वारा आयुर्वेदिक औषधियों को बेचे जाने के लिये अलग से कोई लाईसेन्स की आवश्यकता नहीं हैं।

बगरू में एलोपैथिक दवाइयों के विक्रय हेतु लाईसेन्स जारी किये गये हैं उनके नाम वे पते तथा लाइसेन्स जारी किये जाने की सूचना संलग्न है।

(7) जी नहीं। विभाग को इस संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नही हुई है।

विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ के आयुर्वेद चिकित्सालय

205. **श्री अमरचन्द मिड्ढा** (सूरतगढ़) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) सूरतगढ़ विधान सभा क्षेत्र के किन-किन कस्बों व गांवों में आयुर्वेद चिकित्सालय हैं ?

(2) क्या इन आयुर्वेद चिकित्सालयों एवं चिकित्सकों हेतु सरकार द्वारा भवन व निवास उपलब्ध कराये गये हैं ? यदि हां तो कहां-कहां ? यदि नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(42)

उत्तर

(1) श्री गंगानगर जिले की सूरतगढ़ विधान सभा क्षेत्र में वर्तमान में कोई आयुर्वेद चिकित्सालय संचालित/स्वीकृत नहीं है अपितु 17 स्थानों पर विभागीय आयुर्वेद औषधालय स्वीकृत/संचालित हैं जिनकी सूची संलग्न है।

(2) आयुर्वेद औषधालय भवनों एवं चिकित्सक के निवास हेतु उपलब्ध व्यवस्था का विवरण प्रश्न के भाग (1) के उत्तर में अंकित कर दिया गया है।

विभाग को औषधालय भवन एवं आवास भवन निर्माण हेतु पृथकशः कोई बजट प्रावधान उपलब्ध नहीं होने के कारण सभी विभागीय औषधालयों में राजकीय भवन उपलब्ध कराना सम्भव नहीं है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें।)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :–

(1) श्री रामस्वरूप मीणा एवं चार अन्य सदस्य, विधान सभा की ओर से आर. ए एस (प्रारम्भिक परीक्षा) 1993 के परिणाम में अनुसूचित जाति एवं जन-जाति वर्ग के प्रत्याशियों के साथ बरते गये कथित सौतेले व्यवहार के क्रम में।

(2) श्री भीमसेन चौधरी सदस्य, विधान सभा की ओर से लूणकरणसर विधान सभा क्षेत्र के अकालग्रस्त क्षेत्रों में काश्तकारों से बैंक ऋण वसूली के नाम पर उनके ट्रैक्टर वगैरह नीलाम किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(3) श्री रामनारायण चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से झुन्झुनूं जिले के गांवों को सिंचाई हेतु आठ घण्टे बिजली देने की घोषणा से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(4) श्री रामपाल उपाध्याय एवं श्री रतन लाल ताम्बी, सदस्य, विधान सभा की ओर से भीलवाड़ा जिले की अकाल की गम्भीर स्थिति के सम्बन्ध में।

(5) श्री रामेश्वर लाल चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से नागौर जिले की कुचामन सिटी में दिनांक 18 फरवरी, 1994 को कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा की गयी मारपीट व अपहरण की घटना पर पुलिस द्वारा कार्यवाही नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(6) श्री गोविन्द सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से नसीराबाद नागरिक क्षेत्र में पेयजल की सप्लाई कम करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं

(1) श्री रामनारायण चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से मण्डावा विधान

(श्री अध्यक्ष)

सभा क्षेत्र के गांव सोनासर, हमीरी खुर्द, जीसुख का बास एवं इनसे जुड़े बासें और ढाणियों में पीने के पानी की गम्भीर समस्या के सम्बन्ध में।

(2) श्री महावीर भगोरा, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय में व्याप्त अनियमितताओं के सम्बन्ध में।

(3) श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र सराड़ा के गांव खरपर निवासी एक आदि वासी लड़की सुश्री जमना की राजसमन्द जिले के मार्बल माइन्स क्षेत्र केलवा में दिनांक 25 फरवरी, 1994 को हुई संदिग्ध मृत्यु की जांच करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(4) श्री भंवर सिंह चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से ग्रामीण क्षेत्र के बेरोजगार बी. एड. परीक्षा उत्तीर्ण अध्यापकों को ही ग्रामीण क्षेत्रों में नियुक्ति देने के सम्बन्ध में।

(5) श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास, सदस्या, विधान सभा की ओर से जोधपुर शहर में चिकित्सा व्यवस्था में सुधार करने, चिकित्सालयों को क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में।

(6) श्री सुरेन्द्र गोयल, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजकीय रेफरल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र निम्बाज तहसील जैतारण की एक्स-रे मशीन खराब होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(7) श्री बनवारी लाल शर्मा, सदस्य, विधान सभा की ओर से ग्राम चितौरी पुलिस थाना कालारी, जिला धौलपुर में दिनांक 26.2.94 को कथित मुलजिम पूरण एवं साथियों द्वारा शिब्बो नामक व्यक्ति की हत्या किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(8) श्री जितेन्द्र नीनामा, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र घाटोल के थाना पिपखूट के गांव आंकरिया के कथित बेघरबार परिवार को वापस बसाने के सम्बन्ध में।

(9) श्री भीखा भाई, सदस्य, विधान सभा की ओर से आदिवासी जिले डूंगरपुर की माही उप नहर योजना-सागवाड़ा आसपुर और सिमलवाड़ा को पूरा करवा कर सिंचाई का पानी उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

(10) श्री उगमराज मेहता, सदस्य, विधान सभा की ओर से विद्युत मण्डल के चेयरमैन द्वारा ब्यावर के एक सहायक अभियन्ता को निलम्बित किये जाने की निष्पक्ष जांच करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(11) श्री मोहन लाल मोदी, सदस्य, विधान सभा की ओर से नीमकाथाना क्षेत्र के ग्रामदानी गांवों और ग्राम पंचायत मुख्यालयों को सड़कों से जोड़ने के सम्बन्ध में।

(12) श्रीमती उजला अरोड़ा, सदस्या, विधान सभा की ओर से जयपुर जिले की जमवारामगढ़ के मुख्यालय जमवारामगढ़, पंचायत हैड क्वार्टर्स के मुख्य गांव जमवारामगढ़, जो जयपुर से 28 किलो मीटर दूर है, में रोड लाइट्स बन्द कर देने के सम्बन्ध में।

44

(श्री अध्यक्ष)

मुझे माननीय सदस्यों को उनके द्वारा प्रस्तुत सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

श्री शिवनाथ सिंह जी। कुछ कहना चाहते हैं, आप।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्रीमती कमला (बैराठ) : मेरा 295 का प्रस्ताव मैंने तीन दिन पहले दिया था, वो कल भी नहीं आया, आज भी नहीं आया। मैं निवेदन करना चाहती हूं, मुझे इजाजत दी जाये।

श्री अध्यक्ष : मैं देख लूंगा।.... (व्यवधान)

श्री उगमराज मेहता (ब्यावर) : अध्यक्ष महोदय, इधर भी ध्यान दीजिये। 295 का गत विधान सभा में रखा हुआ अभी तक ब्यावर के....

श्रीमती मीना अग्रवाल (अलवर) : मेरा कल भी नहीं आया, आज भी नहीं आया।

एक माननीय सदस्य : मेरा भी नहीं आया, कल दिया था।....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सरकार 295 का जवाब देने का समय एक हफ्ते में तय किया था। अभी तक उत्तर आ नहीं रहे है। 295 के पिछले सैशन के बाकी पड़े हुए हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता था कि....

श्री शिवनाथ सिंह : इससे पहले मैं निवेदन कर दूं....

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : अध्यक्ष महोदय, सदन में आपके आदेशों की पालना नहीं हो रही है तो माननीय सदस्यों की कोई औकात ही नहीं रहेगी। 295 के आपके भेजे हुए प्रश्नों के उत्तर नहीं आ रहे हैं, यह बहुत खेदजनक है।

श्री खेत सिंह राठौड़ : इसके अन्दर आपको इनको ताड़ना देनी ही चाहिये। दूसरा मैं यह निवेदन कर रहा था बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग आज बुलायी है क्योंकि बिजनेस में काफी तरमीम हो गयी है और सदस्य यह चाहते हैं कि कोई तरमीम नहीं हो।

श्री अध्यक्ष : नहीं, वो तरमीम हो गयी है।

श्री खेत सिंह राठौड़ : आज आपको लेना चाहिए था म्युनिसिपेलिटी एक्ट और उसके बाद में ..

श्री अध्यक्ष : आज म्युनिसिपेलिटी एक्ट है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : और दूसरा भी लेने का था।

श्री अध्यक्ष : वो भी है। आज वो दोनों हैं।

श्री खेत सिंह राठौड़ : वो आज कैसे पास होंगे, आज इनकी रिप्लाई होगी।

श्री अध्यक्ष : पास होगा कि नहीं, वो दूसरी बात है। बिजनेस में आज ही आयेगा। बिजनेस में कोई तब्दीली नहीं हुई है। जैसा है, वैसा ही है।

श्री खेत सिंह राठौड़ : चार तारीख तक तो यही रहेगा और हम चाहते हैं ग्यारह तारीख की छुट्टी हो।

श्री अध्यक्ष : वो आप बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में बात करें।

श्री खेतसिंह राठौड़ : तो, वो आप कब बुलायेंगे ?

श्री अध्यक्ष : चार तारीख तय है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की। श्री शिवनाथसिंह जी (व्यवधान) पहले शिवनाथसिंहजी।

श्रीमती कमला : जो मुख्य एजेण्डा है, उसमें तो बिल है और जो अनुपूरक एजेण्डा है उसमें जवाब है तो क्या पहले बिल आयेंगे और जवाब बाद में होगा ? यह कहां जायज है।

श्री अध्यक्ष : नहीं-नहीं पहले गवर्नर एड्रेस के ऊपर ही बहस होगी, उसके बाद शुरू होगा जब तक गवर्नर एड्रेस पर नहीं होता, तब तक दूसरा बिल आने का सवाल ही नहीं होता। श्री शिवनाथसिंहजी।

श्री शिवनाथसिंह : अध्यक्षजी, बिजली के सम्बन्ध में उपभोक्ताओं को बिल सहायक अभियन्ता के कार्यालय से जारी होते हैं और वहीं उनका पेमेण्ट होता है। पिछले कुछ समय से हमारे झुंझुनु जिले में और हो सकता है पूरे राजस्थान में यह व्यवस्था की गयी है....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री शिवनाथसिंह : कम्प्यूटर द्वारा कहीं एकीकृत जगह पर होते हैं। झुंझुनूं जिले की समस्या यह है कि वे सब बिल जयपुर में कम्प्यूटर द्वारा तैयार होते हैं, उनमें बहुत बड़ी गलतियां है। एक बार जो कम्प्यूटर में फीड हो गया, वो बराबर उन बिलों में आता रहता हैं और उनकी कोई दुरस्ती नहीं हो सकती है। सहायक अभियन्ता के कार्यालय में जाते हैं तो उनका कहना होता है कि कम्प्यूटर से जयपुर में तैयार किये हैं। इसलिये हम इसको दुरुस्त नहीं कर सकते और किसानों को इस बात से बड़ी परेशानी होती है.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। कृपया आपस में चर्चा नहीं करें।

श्री शिवनाथसिंह : मैं ऊर्जा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस मामले को देखें और बिलों की दुरुस्ती, जो कम्प्यूटर से गलती हो रही है, उससे किसान बरबाद नहीं हों, तकलीफ नहीं पायें, इस ओर ध्यान देंगे, उचित आदेश देंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री अमराराम।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ध्यान उस ओर दिलाना चाहता हूं जहां हमारी बहुराष्ट्रीय कम्पनियां, हमारी भारत सरकार जो उदार नीति अपना रही है और जिस उदार नीति का हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार समर्थन कर रही है, उसमें पेप्सी कम्पनी जो पेय पदार्थ बनाती है उसमें फंगस है और उसको राजस्थान की राजधानी के रेल्वे स्टेशन पर बेचा जा रहा है इसको बेचने से देश के उन नागरिकों के साथ

(श्री अमराराम)

धोखा किया जा रहा है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा ऐसी कम्पनी के खिलाफ जो देश के नागरिकों के साथ, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ करने जा रही है और उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाए। कल ही यहां राजधानी के रेल्वे स्टेशन पर रखी गयी है और वो कई दिनों से बेची जा रही है जिसमें फंगस अभी भी है, इसको पीने से नुकसान हो सकता है। जिसकी कल एक यात्री ने वहां के सुपरिन्टेन्डेण्ट को पेश की है और मैं चाहता हूं कि इसके खिलाफ, जो बहुराष्ट्रीय कम्पनियां देश के नागरिकों के साथ खिलवाड़ कर रही है, उनकी जिन्दगी के साथ, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही राजस्थान की सरकार करेगी।....(व्यवधान)

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर (नसीराबाद) : ....कल के लिए मुकर्रर है। उसकी कापियां हमें जिनकी अभी तक प्राप्त नहीं हुई क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बिल है और हमें उसमें अमेंडमेंट वगैरह प्रस्तुत करने के लिए समय चाहिये। उसके बारे में आप कोई व्यवस्था कृपया दें।

श्री अध्यक्ष : कापियां आपको दे दी जायेंगी। श्रीमती कमलाजी आप कुछ कह रही थी।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से....

श्री अध्यक्ष : आप बोल चुके ना।

श्री अमराराम : मैं अनुमति चाहता हूं, यह आपकी टेबल पर....

श्री अध्यक्ष : नहीं, यहां क्या करना है आप रखिये अपने पास आप आराम से इसको पीकर आनन्द लीजिये।

श्री अमराराम : अध्यक्ष महोदय, इसमें फंगस है। आप भी यह कहें, आसन यह कहे, इसके पीने से जिन्दगी खराब हो सकती है।

श्री अध्यक्ष : कमलाजी कुछ बोल रही हैं, सुनिये।

श्रीमती कमला : मैं तो यह कह रही थी, मेरा तीन दिन पहले का दिया हुआ 295 का आज भी नहीं आया। मुझे इजाजत दें तो वह ...

श्री अध्यक्ष : वह मैं देख लूंगा। ऐसा है, हम हर बार नये लोगों का लगाते हैं। जो पिछली बार बोल चुके हैं उनका भी आ जायेगा हफ्ते में, लेकिन पहले जो नये आये हैं उनका लगाते हैं फिर बाद में दूसरे लगाये जायेंगे। श्री रामनारायण चौधरी।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

मण्डावा विधान सभा क्षेत्र के गांवों में पेयजल समस्या

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : अध्यक्ष मोहदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत निम्न प्रस्ताव की सूचना दे रहा हूं। यह ऐसा विषय है जो अति लोक महत्व तथा मानव जीवन से जुड़ा हुआ है जिसका निदान अन्य तरीके से नहीं हो सका इसलिए

(श्री रामनारायण चौधरी)

उपरोक्त नियम 295 का प्रयोग करना चाहता हूं तथा अध्यक्ष महोदय की अनुमति के लिए प्रार्थना करता हूं।

मण्डावा विधान सभा के गांव सोनासर, हमीरी खुर्द, जीसुख का बास और इन गांवों से जुड़े बास और ढाणियों में पीने के पानी की समस्या गम्भीर हो गयी है। इन गांवों में सप्लाई किया जा रहा पानी दूषित और बे-स्वाद होने के कारण गांवों के लोगों के शरीर में दर्द, दांतों की तकलीफ बढ़ गयी है। पानी में फ्लोराइड की मात्रा बढ़ गयी है। सोनासर तथा जीसुख का बास गांव में पानी अहीरों की ढाणी के कुओं से दिया जा रहा है जो अब पीने योग्य नहीं रहा है। फ्लोराइड की मात्रा बढ़ गयी है जिसके पीने से होने वाली तकलीफों से आप परिचित हैं। इसी प्रकार हमीरी खुर्द की पानी सप्लाई का कुआ सूख गया है। पानी गहरा चला गया है तथा दूसरा कुआ पास में मौजूद है उसमें बिजली की फिटिंग की हुई है उसमें मोटर भी विभाग ने लटका रखी है। उसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है। गांव में पीने के पानी की बहुत तकलीफ बढ़ जाने से जन आक्रोश बढ़ रहा है। विभाग के स्थानीय अधिकारियों को गांव वालों ने भी लिखा है तथा मैंने भी बात की है और लिखा भी है परन्तु मुझे कोई सन्तोषजनक समाधान अधिकारियों से होता नजर नहीं आया है। इसलिए मैं, माननीय जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री महोदय का ध्यान इस समस्या की ओर आकर्षित करने हेतु इस प्रस्ताव की सूचना दे रहा हूं।

धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री महावीर भगोरा।

राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय में व्याप्त अनियमिततायें

श्री महावीर भगोरा (गोगुन्दा) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम संख्या 295 के अन्तर्गत राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय में व्याप्त अनियमितताओं की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए इस विश्वविद्यालय की स्थिति सुधारने के लिए विशेष आग्रह करता हूं।

राष्ट्रपति शासन के दौरान राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय में अनेक प्रकार की अनियमितताएं हुई और अधिकतर निर्णयों को तत्कालीन पदाधिकारियों ने प्रभावित कर सुनियोजित ढग से पूर्व शासन द्वारा लिये गये निष्कर्षों को समाप्त करने का प्रयत्न किया। विश्वविद्यालय का कार्य निष्क्रिय सा हो गया।

उदयपुर में कृषि विस्तार निदेशालय का कार्य ठप्प सा हो गया है। निदेशक प्रसार शिक्षा का कार्य बीकानेर से ही रिमोट कण्ट्रोल द्वारा डा. एस. एल. माथुर चला रहे हैं। रजिस्ट्रार मनमाने निर्णय कर रहे हैं और मंगल बिहारी जांच समिति और विशेष आडिट द्वारा भ्रष्टाचार के सीधे आरोप जिन व्यक्तियों पर लगे, उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। कुलाधिपति ने 12-5-1992 को

48

(श्री महावीर भगोरा)

मंगल बिहारी जांच आयोग में दोषी पाये गये अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध तुरन्त कार्यवाही करने के निर्देश दिये थे लेकिन 18-2-1992 से तत्कालीन कुलपति ने फिर एक समिति का गठन प्रबंध मंडल से करवा लिया और अब यह जांच इत्यादि सब बन्द कर कागजात कृषि विभाग, सचिवालय में पड़े हैं।

(12.15)

(श्री घनश्याम तिवाड़ी, सभापति पदासीन)

श्री आई एन. माथुर विशिष्ट तकनीकी सहायक, अभियांत्रिकी की सेवाएं 15-12-1990 से समाप्त करने का निर्णय प्रबंध मण्डल ने लिया था क्योंकि उनका विदेश के लिए मनोनयन और प्रतिनियुक्ति गलत ढग से की गयी थी। लेकिन राष्ट्रपति शासन के दौरान 18-2-1993 से प्रबंध मण्डल की बैठक में श्री माथुर को पुनः सेवा में ले लिया और 7 अप्रेल, 1993 की प्रबंध मण्डल की बैठक में श्री माथुर की सेवाएं नियमित और स्थानान्तरित करवा ली गयी। इसी तरह अनेक गलत स्थानान्तरण किये गये जो राजनीति पर आधारित थे। राष्ट्रपति शासन के दौरान विश्वविद्यालय के प्रमुख पदों पर बिना किसी आधार के महत्वपूर्ण अच्छे लोगों को लगाया गया। राष्ट्रपति शासन के दौरान ही कुलपति का चयन समिति के सदस्य के लिए प्रबन्ध मण्डल ने मनोनयन कर दिया। इसी तरह प्रबंध मण्डल में सदस्य के रूप में कुछ व्यक्तियों को रख लिया गया। इस प्रकार जांच रिपोर्ट को रफा-दफा करने की कार्यवाही राष्ट्रपति शासन के दौरान की गयी। वित्तीय अनियमितताओं के दोषी व्यक्तियों की कोई वसूली नहीं की गयी। उदयपुर से धीरे-धीरे विभागों को बीकानेर स्थानान्तरित किया जाता रहा कर्मचारियों में आक्रोश उत्पन्न होता रहा और आज राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय में सम्पत्ति का बंटवारा नहीं होने से उदयपुर में अनावश्यक तनाव उत्पन्न हुआ है और आज भी हो रहा है। इन सब बातों को देखते हुए राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय की स्थिति को सुधारने के लिए यह ध्यान आकर्षण प्रस्ताव प्रेषित कर रहा हूं।

श्री सभापति : श्री रघुवीरसिंह।

खरपर ग्राम की आदिवासी महिला जमना की संदिग्धावस्था में मृत्यु की जांच

श्री रघुवीरसिंह (सराड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा की प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत सुश्री जमना की संदिग्धावस्था में हुई मौत के सम्बन्ध में सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र सराड़ा के गांव खरपर की निवासी एक आदिवासी लड़की सुश्री जमना पुत्री श्री काना (17 वर्षीय) की मृत्यु राजसमन्द जिले के मार्बल्स माइन्स क्षेत्र केलवा में दिनांक 25-2-94 को रात के समय संदिग्धावस्था में मृत्यु हुई है एवं मृत्यु के कारणों का पता आज तक नहीं लगा है।

(श्री रघुवीरसिंह)

मृत्य के बाद मृतका की लाश रात के समय बिना किसी पुलिस कार्यवाही तथा बिना किसी पोस्टमार्टम किये 150 किलोमीटर दूर मृतका के गांव खरपर पहुंचा दी गयी तथा लाश के साथ पांच हजार रुपये दिये कि जला दो। पर ग्रामीणों द्वारा शंका व्यक्त करने और लाश न लेने से नजदीक पुलिस थाना ऋषभदेव जिला उदयपुर में सूचना दी। जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची तथा लाश को जनरल हॉस्पिटल उदयपुर ले जाकर लाश का पोस्टमार्टम कराया परन्तु डॉक्टरों ने मौत का कारण बताये बिना ही यह कहकर लाश जलाने हेतु दे दी कि चार-पांच दिन बाद पोस्ट-मार्टम की रिपोर्ट आपके घर पहुंचा देंगे। परन्तु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है इसलिए, श्रीमान्,. मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं कि सरकार इस ओर ध्यान देकर मौत के पूरे कारणों की जांच करवाकर दोषी लोगों के खिलाफ क्या कार्यवाही करेगी, इसकी जानकारी दें।

श्री सभापति : श्री भंवरसिंह।

ग्रामीण बेरोजगार अध्यापकों की ग्रामीण क्षेत्रों में नियुक्ति

श्री भंवरसिंह चौधरी (मेड़ता) : माननीय सभापति महोदय, मैं नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में लगभग 80 प्रतिशत जनसंख्या गांवों में रहती है। इन गांवों में अधिकतर राज्य कर्मचारी कस्बों के या शहरों के रहने वाले हैं। या तो ये कर्मचारी प्रति-नियुक्ति कराकर कस्बों या शहरों से नियुक्ति कराकर सेवारत हो जाते हैं और यदि यह प्रतिनियुक्ति नहीं करा पाते हैं तो रोज बसों से या अन्य साधनों से देरी से सेवा देने आते हैं एवं समय समाप्त होने से पहले अपना सेवा स्थान छोड़ देते हैं। इस तरह सेवा समय में ये पूरे समय सेवा स्थान पर उपस्थित नहीं रहते हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों के युवक शहरों के युवकों केमुकाबले सुलभ शिक्षा साधन उच्च स्तर के न होने के कारण हमेशा प्रतियोगिताओं में पीछे रह जाते हैं। राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र के युवकों को जो कि बी.एड. की शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं सिर्फ 5 अंक का लाभ दिया जो पर्याप्त नहीं है। जब छात्र बी.ए. या एम.ए पास कर लेता है तो फिर बी.एड. के लिये प्रतियोगिता में उत्तीर्ण होकर बी.एड. की परीक्षा पास कर लेता है तो फिर जिला स्तर पर किसी कारण से चयनित सूची बनती है। ऐसी स्थिति भी गत वर्ष आयी है कि नागौर जिले में बी एड. पास युवक बेरोजगार फिरते रहे और विद्यलयों में भी रिक्त पद नहीं भरे गये। इस व्यवस्था में छात्रों का बी.एड. की परीक्षा की मैरिट सूची के अनुसार सीधा चयन होना चाहिये। जो छात्र ग्रामीण क्षेत्रों के रहने वाले हैं उन्हें ग्रामीण क्षेत्र की रिक्तियों के लिए व शहरी क्षेत्रों के रहने वाले युवकों को शहरी क्षेत्र की रिक्तियों के लिए पदस्थापित करना चाहिये।

अध्यापकों के अतिरिक्त तमाम अन्य सेवाओं में भी जैसे स्वास्थ्य, पशु, चिकित्सा जलदाय विभाग आदि का भी यही हाल है।

(श्री भंवरसिंह चौधरी)

इन सब सेवाओं का ग्रामीण जन-मानस की सही सेवा करने का एक ही हल है कि शहरी कस्बा व ग्रामीण क्षेत्रों की सेवाओं में नियुक्ति अलग-अलग हो व यह सेवानिवृत्ति तक एक दूसरे में परिवर्तनीय नहीं होनी चाहिये।

धन्यवाद।

श्री सभापति : श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास।

जोधपुर में चिकित्सा व्यवस्था में सुधार एवं चिकित्सालयों की क्रमोन्नति

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर): माननीय सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत जोधपुर शहर में चिकित्सा सुधार एवं राजकीय चिकित्सालयों को क्रमोन्नत करने एवं शहर में जिला चिकित्सालय खोलने के सम्बन्ध में दिलाना चाहती हूं।

महोदय, जोधपुर शहर राजस्थान का दूसरा बड़ा शहर है जिसमें जिला चिकित्सालय के अभाव में जोधपुर निवासियों को समय-समय पर मेडिकल कॉलेज में जाना पड़ता है।

जयपुर में जिला चिकित्सालय कार्यरत है। जोधपुर शहर की आबादी को देखते हुए जिला चिकित्सालय खोलने की स्वीकृति प्रदान करें।

जोधपुर में "कैट स्कैन" मशीन को स्थापित किये जाने की पूर्व में भाजपा सरकार ने स्वीकृति प्रदान की थी परन्तु लोकप्रिय सरकार भंग होने के पश्चात् कोई कार्यवाही नहीं हो पायी।

अतः निवेदन है कि लोकहित में अधूरे पड़े कार्य को प्राथमिकता से पूरा करवाया जाय जिससे आम जनता राहत महसूस करे। इस क्रम में "कैट स्कैन" तुरन्त मथुरादास माथुर अस्पताल में स्थापित करें। साथ ही मेडोर सेटेलाइट अस्पताल में पैथोलोजी में कनिष्ठ विशेषज्ञ का पद भी स्वीकृत करने की व्यवस्था करें ताकि आम जनता लाभान्वित हो सके।

जोधपुर शहर, जो कि घनी आबादी वाला क्षेत्र है जिसमें नवचौकियां क्षेत्र में एक राजकीय चिकित्सालय हैं, को क्रमोन्नत कर रेफरल अस्पताल के परिवर्तन कर सभी विशेषज्ञों की सेवाएं भी इस अस्पताल में उपलब्ध करवायी जायें।

जोधपुर शहर विधान सभा क्षेत्र में महिलाबाग राजकीय चिकित्सालय है। यह जोधपुर का पुराना चिकित्सालय है व शहर के बीच में स्थित है। यहीं पर हर प्रकार के रोगियों की चिकित्सा होती है। परिवार कल्याण के कार्य प्रायः होते रहते हैं। मगर इस चिकित्सालय में इन्डोर की सुविधा नहीं होने के कारण दूसरे प्रकार के मरीजों को भर्ती नहीं किया जा सकता। महिला बाग में पी. पी. सेण्टर भी खोला जाये।

मेरा माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय से यह अनुरोध है कि इस विषय में तुरन्त कार्यवाही करावें, जिससे शहर की जनता को राहत मिल सके।

धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री सुरेन्द्र गोयल ।

निम्बाज के रेफरल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की एक्स-रे मशीन

श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण) : माननीय सभापति महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के तहत राजकीय रेफरल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, निम्बाज, तहसील जैतारण में एक्स-रे मशीन वर्षों से खराब होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।

महोदय, निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र जैतारण के ग्राम निम्बाज के राजकीय रेफरल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, निम्बाज में एक्स-रे मशीन वर्षों से खराब पड़ी है। जिसमें ठीक करवाने में करीब डेढ़ लाख से भी ज्यादा खर्च आने की सम्भावना है। वह अगर ठीक कर दी जाती है तो भी वह मशीन पुरानी होने से कामयाब नहीं होगी। इसके सम्बन्ध में ग्रामवासियों ने भी कई बार शिकायत की है व जन-प्रतिनिधियों ने भी शिकायत की है परन्तु नयी एक्स-रे मशीन की वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति जारी नहीं की है। इसलिए निवेदन है कि जनहित में एक्स-रे मशीन नयी खरीदकर राजकीय रेफरल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, निम्बाज में कब स्थापित कर दी जायेगी, इसका मंत्री महोदय जवाब दें।

श्री सभापति : श्री बनवारीलाल शर्मा ।

कोलारी पुलिस थानान्तर्गत शिब्बो के हत्यारों की गिरफ्तारी

श्री बनवारीलाल शर्मा (धौलपुर) : सभापति महोदय, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन है कि ग्राम चित्तौरा पुलिस थाना कोलारी (जिला धौलपुर) में दिनांक 26-2-94 को मुलजिम पूरण आत्मज छोटे सहित 12 मुल्जिमानों ने एक राय इरादे से मिलकर एक व्यक्ति शिब्बो की हत्या कर दी तथा रामनिवास तथा अन्य को घायल कर दिया जिसका मुकदमा थाना कोलारी में इल्जाम नं 40/1994 दर्ज है। इस मुकदमें में प्रयोग लाये गये हथियार, बन्दूकें हशियां, फरसे अभी तक भी मुल्जिमानों से बरामद नहीं होने से पुलिस की कार्यक्षमता के बारे में शंकाएं पैदा हो रही हैं धौलपुर जिला अपराधी प्रवृत्ति वालों का गढ़ है तथा पूरे मुल्जिमानों के अभी तक गिरफ्तार नहीं होने से क्षेत्र में भय व्याप्त है। हत्या के जुर्म में प्रयोग की गयी बन्दूक एवं बाकी बचे हुए मुल्जिमानों को तुरन्त गिरफ्तार करने के लिए विशेष दल का गठन किया जाना आवश्यक है। मुल्जिमानों के परिवार वाले व पुलिस से मिलकर गलत तथ्यों के आधार पर गलत रिपोर्ट पेश करके मृतक एवं पीड़ित व्यक्तियों के परिवार को परेशान कर रहे हैं। घटना के बाद से फरार मुल्जिमान उसी क्षेत्र में दुबारा से जुर्म करने के लिए हथियार लेकर घूम रहे हैं तथा इनके बारे में उनके परिवार वालों को पूरी जानकारी होने के बावजूद पुलिस बचे हुए मुल्जिमानों को गिरफ्तार करने के लिए सक्रिय नहीं है।

अतः अनुरोध है कि हथियारों सहित फरार मुल्जिमानों को तुरन्त गिरफ्तार करने के लिए विशेष दल गठित किया

(श्री बनवारीलाल शर्मा)

जाकर मुल्जिमानों को गिरफ्तार करने का आदेश प्रदान करके पालना रिपोर्ट मंगाने की कृपा करें।

श्री सभापति : श्री जितेन्द्र नीनामा।

आंकरिया गांव के आदिवासी परिवार का पुनर्वास

श्री जितेन्द्र नीनामा (घाटोल) : माननीय सभापति महोदय, नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र घाटोल के थाना पीपलखूंट के गांव आंकरियां के आदिवासी परिवार के सात सदस्यों को 13 नवम्बर, 1985 से गांव से निकाल दिया है।

जिसका प्रकरण यह है कि गांव आंकरिया के कुछ परिवारों में आपस में पुरानी रंजिश से 1985 में दीपावली के दिन झगड़ा हो गया जिसमें एक व्यक्ति मारा गया। दोषी व्यक्ति को सजा भी हो गयी है। लेकिन निम्न सदस्यों को जिसमें बच्चे, महिला शामिल हैं आज तक उन लोगों को कुछ गांव के लोग उनके गांव में बसने नहीं देते हैं।

1. जोकिया पिता, धुलिया निवासी आंकरिया हाल मुकाम बोरपीखाटा।

2. बीजियां पिता धूलिया निवासी आंकरिया हाल मुकाम मायाखेड़ी तहसील दर्यावद।

3. देवजी पिता खातिया निवासी आंकरिया हाल मुकाम काली मगरी।

4. हकरिया पिता खातरिया निवासी आंकरिया हाल मुकाम बड़ली खेड़ा।

5. धोलापिता जोखिया निवासी आंकरिया हाल मुकाम बड़ली खेड़ा।

6. केरन खातिया निवासी आंकरिया हाल मुकाम खेरडाबड़ा।

उपरोक्त व्यक्ति अपने परिवार को वापस गांव में बसाने के लिए पुलिस और प्रशासन के पास बार-बार जाने से कोई फायदा नहीं हुआ है न ही उसमें कोई कार्यवाही की गयी है। कुछ दिनों पहले मुझे जोकिया पिता धोलिया आदिवासी ने बताया कि हमने महामहिम राज्यपाल महोदय को रिपोर्ट दी थी उसका आदेश भी पुलिस उप अधीक्षक घाटोल के पास आ गया है मगर उससे पांच हजार रुपये रिश्वत के मांगे जा रहे हैं। बेघर आदिवासी से इस वक्त रिश्वत मांगना गम्भीर मामला है। दोषी अधिकारी के खिलाफ जांच कर कार्यवाही की जाय। मेरा सदन के मार्फत सरकार से अनुरोध है कि बेघर परिवार को प्रशासनिक व पुलिस की मदद देकर उन्हें वापिस अपने गांव में बसाकर उनकी जमीन जायदाद वापस दिलायी जाय।

श्री सभापति : माननीय श्री भीखा भाई। (अनुपस्थित)

माननीय श्री उगम राज मेहता।

सहायक अभियन्ता (विवरण) विद्युत विभाग का निलम्बन

श्री उगम राज मेहता (ब्यावर) : माननीय सभापति महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत मैं सूचना दे रहा हूं।

(श्री उगम राज मेहता)

राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के चैयरमेन ने अपने जोधपुर भ्रमण के दौरान ब्यावर में विद्युत नगर के बाहर एक बिजली का खम्भा मुड़ा हुआ पाये जाने के कारण ब्यावर रेस्ट हाऊस में मौके पर ही श्री एस. सी. कोठारी, सहायक अभियन्ता (वितरण) को निलम्बित करने के आदेश दे दिये एवं सरेआम अधीक्षण अभियन्ता का कॉलर पकड़ कर उनके साथ अभद्र व्यवहार किया जहां काफी लोग भी जमा हो गये थे। इस तरह का बर्ताव चैयरमेन पद की गरिमा के अनुरूप कतई नहीं है। एक ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ एव जनसेवा की भावना से समर्पित अभियन्ता को छोटे से चार्ज पर निलम्बित किया जाना उसकी ईमानदारी, समर्पणभाव व इज्जत के साथ खिलवाड़ करना है जबकि इसी विभाग के एक अन्य कनिष्ठ अभियन्ता पर, विद्युत कनेक्शन दिलाने में भ्रष्टाचार के मामले जग जाहिर हैं और जनता का विरोध होने पर लगभग 35,000/- रुपये विद्युत कनेक्शन नहीं दिला पाने से पुन: लौटाये हैं। ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जाती है।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र ब्यावर में श्री कोठारी पूर्ण लगन एवं ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं। जब से उनका वहां पदस्थापन हुआ है इन्होंने अपने कार्यकाल में विद्युत विभाग की धूमिल छवि को उजागर करने का प्रयास किया है एवं तत्परता को अंजाम देकर आम जनता को राहत ही दिलायी है। यही कारण है कि जनता में इनके कार्य एवं व्यवहार के प्रति कभी कोई शिकवा-शिकायतें नहीं रही हैं। एक ईमानदार अभियन्ता को यदि इस प्रकार उक्त स्थान से हटाया गया तो ब्यावर क्षेत्र की जनता आन्दोलन करने पर भी उतारू हो सकती है।

सभापति महोदय, मैंने 295 के तहत पहले एक विशेष उल्लेख में एक बात कही थी उसका आज तक मेरे को उत्तर नहीं मिला। नीमकाथाना में शराब का ठेकेदार 51 अनाधिकृत दुकानें चला रहा है।

श्री सभापति : उसका जवाब मिल जायेगा। आपको जवाब मिल जायेगा।

श्री उगमराज मेहता : सभापति महोदय, बहुत इम्पोर्टेण्ट मामला है और इतने दिन हो गये आज तक सरकार ने उसका कोई उत्तर नहीं दिया। 51 अवैध शराब की दुकानें चल रही हैं और लोगों का इस तरह से वहां नुकसान हो रहा है। वहां पर ऐसा वातावरण बन रहा है और सरकार उसका जवाब नहीं दे रही उनको बन्द नहीं करा रही है बल्कि 51 से 71 दुकानें चलने लग गयी। मैं आपके माध्यम से सरकार को यह निवेदन करना चाहता हूं कि उनको तुरन्त बन्द करायें।

श्री सभापति : आपको जवाब मिलेगा। श्रीमती उजला अरोड़ा।

जमवारामगढ़ क्षेत्र में रोड लाइट्स

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : सभापति महोदय, मैं प्रक्रिया के 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख के माध्यम से जमवा रामगढ़ में विद्युत सम्बन्ध विच्छेद किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा करना चाहूंगी।

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

जयपुर जिले की तहसील जमवारामगढ़ के मुख्यालय जमवारामगढ़, पंचायत हैडक्वार्टर्स के मुख्य गांव जमवारामगढ़ में, जो जयपुर से लगभग 28 किलोमीटर दूर है, डेढ़ वर्ष से रोड लाइटें बन्द कर दी गयी हैं विद्युत विभाग ने विद्युत सम्बन्ध (कनेक्शन) विच्छेद कर दिया है।

विद्युत विभाग का कहना है, पंचायत विभाग ने कुछ देय वर्षों से नहीं दिये हैं। जब चुने हुए सरपंच थे, उन्होंने बिल जमा नहीं कराये इसलिए विद्युत सम्बन्ध विच्छेद किया गया है। पिछले दो सरपंचों से ये राशि सीधी वसूली जा सकती है परन्तु वह अतिरिक्त बात है। गलती सरपंचों की सजा ग्रामीणों को। वर्तमान में पंचायतें अस्तित्व में नहीं हैं और गांव में धुंध अंधेरा है। उक्त गांव में रेफरल अस्पताल, सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल, लड़कियों का सैकण्डरी स्कूल, पंचायत समिति कार्यालय, तहसील कार्यालय, थाना अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रावास, वन विभाग के दफ्तर और अन्य कई आफिस हैं। 10 हजार से ऊंची आबादी है जलदाय योजना भी है। इन सबके होते हुए भी प्रकाश की व्यवस्था नहीं है। पंचायत मंत्रीजी बैठे हैं, विचार करें। यह दायित्व है कि प्रकाश की तत्काल व्यवस्था की जाय। ग्रामीणों के भंयकर असन्तोष है। अत: मुझे उक्त विषय पर चर्चा की अनुमति प्रदान करें।

माननीय मंत्री महोदय, अभी तो यहीं थे। पंचायत मंत्रीजी अभी यहीं थे न ?

श्री सभापति : नहीं दिखायी दे रहे हैं, बिराजिये। वे दिखायी नहीं दे रहे हैं, आप बिराजें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : नहीं, बोल यह रही थी कि पंचायत मंत्रीजी इसके लिये करायें। गांवों में बिजली नहीं है, सम्बन्ध विच्छेद किया गया है।

श्री सभापति : बिराजिए, आप स्थान ग्रहण करें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप वरिष्ठ हैं। आप ही मुझे आश्वस्त कर दें कि वहां बिजली जोड़ दी जायेगी।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : हां हम आश्वस्त करते हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा। करते हैं, धन्यवाद।

श्री सभापति : राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद-विवाद प्रारम्भ हो रहा है। माननीय श्री दलीचन्दजी, जनता दल।

'अत: मेरे निर्वाचन क्षेत्र की जनता की ओर से इस विशेष उल्लेख की सूचना के माध्यम से माननीय विद्युत मंत्रीजी से आग्रह करता हूं कि इस प्रकरण की निष्पक्ष जांच किसी अन्य विभाग के प्रशासनिक अधिकारी से करवायें ताकि ईमानदार एवं कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी को उचित न्याय मिल सके।'

श्री सभापति : श्री मोहनलालजी मोदी।

नीमकाथाना के ग्राम पंचायतों व ग्रामदानी गांवों को सड़कों से जोड़ना

श्री मोहनलाल मोदी (नीमकाथाना) : माननीय सभापति महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख के जरिये नीमकाथाना तहसील के ग्राम पंचायतों व ग्रामदानी गांवों को सड़कों से जोड़ने के सम्बन्ध में ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

मैं सरकार का ध्यान नीमकाथाना विधान सभा क्षेत्र की ओर दिलाना चाहता हूं कि अभी तक नीमकाथाना क्षेत्र के किसी भी ग्रामदान मुख्यालय को सड़क से नहीं जोड़ा गया है और ग्राम पंचायत मुख्यालय भी सड़क से नहीं जोड़े गये हैं। सरकार घोषणा करती है कि प्रत्येक पंचायत मुख्यालय को सड़क से जोड़ दिया जायेगा। मेरे क्षेत्र में ग्राम पंचायत के मुख्यालयों के अलावा ग्रामदानी गांवों के मुख्यालय भी हैं। अतः इनको भी सड़कों से जोड़ा जाय और इनका डामरीकरण किया जाय। ग्राम पंचायत मुख्यालय व ग्रामदानी गांवों के मुख्यालयों को जोड़ने वाली आवश्यक सड़कें निम्न प्रकार हैं :–

(1) श्यामपुर से दीपावास वाया कालाखेड़ा लादी का बास, जीताला, जेतपुरा, टोडा

(2) घासीपुरा पंचायत हैड क्वार्टर से रायपुर पाटन वाया रैया का बास, कोला का नांगल, कार्चरड़ा

(3) गणेश्वर से ग्राम पंचायत मुख्यालय मोकलबास वाया ग्वार, बूजा, चेच्या की ढाणी

(4) कैरवाली से पुराना बास, नापावाली, मांवड़ा खुर्द।

(5) डाबला रेलवे स्टेशन से हरियाणा बोर्डर तक वाया ग्राम डाबला ढाणी धानवाली।

(6) टोडा से लुहारबास वाया रामल्यास

(7) सांवलपुरा संवरान से चूड़ला जुगलपुरा

(8) जीलो से बिहार

(9) सिरोही से भूदौली वाया आगबाड़ी

(10) हसामपुर से भोपला रामसिंहपुरा रामपुरा हरियाणा बोर्डर तक वाया दलपतपुरा।

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री दलीचन्द (दानपुर) : माननीय सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय द्वारा जो अभिभाषण इस सदन में पढ़कर सुनाया गया मैं उसके विपरीत इस सदन में कहना चाहूंगा कि इस अभिभाषण में सब मुद्दे पढ़कर सुनाये गये लेकिन यहां मजदूरों के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि इस राजस्थान प्रदेश में सबसे ज्यादा मजदूरों की संख्या है। यहां गवर्नमेंट ने पांच-सात साल पहले जो मिनिमम वेजेज तय की थी उसके बाद में आज तक मिनिमम वेजेज के ऊपर चर्चा नहीं की गयी है। मैं इसके लिए सदन से कहना चाहूंगा कि आज की बढ़ती

(श्री दलीचन्द)

हुइ महंगाई को देखते हुए आज उन मजदूरों को 22 रुपये की जो मिनिमम वेजेज गवर्नमेण्ट ने निर्धारित कर रखी है और आज ऐसे-ऐसे मजदूर भी हैं जो रोज कमाते हैं और रोज अपना पेट पालते हैं। तो क्या इस बढ़ती हुई महंगाई में मजदूर का पेट भर सकता है ? इसलिए सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस सदन में मिनिमम वेजेज पर बहस होनी चाहिए।

इसके साथ ही सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि यहां कुछ माननीय सदस्य कह रहे हैं कि 60 प्रतिशत बजट की राशि हम ट्राइबल एरिया में खर्च करते हैं। मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि हमारे बांसबाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर और चित्तौड़ के ट्राइबल एरिया हैं वहां आज तक सड़कों का कोई विस्तार ही नहीं हुआ है। बड़े बड़े शहरों को जोड़ने के लिए रोड बनी हुई हैं। इसके अलावा हमारे यहां कोई सडकों का विस्तार अभी तक नहीं हुआ है और मैं उदाहरण के तौर पर बताना चाहूंगा कि पचायत समिति पीपलखूंट की 20 पंचायतें हैं इनमें से मात्र 5 पंचायतें ही केवल रोड से जुड़ी हुई हैं बाकी ऐसे इलाके हैं कि जहां पन्द्रह-पन्द्रह और 20-20 किलोमीटर जाकर अपने घर का सामान लाते हैं। इसलिए उनको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अभी मंत्री महोदय बता रहे थे कि हम 1971 की जनसंख्या के आधार पर हर पंचायत मुख्यालय या हर गांव को सड़कों से जोड़ देंगे लेकिन मैं मानता हूं ऐसा आश्वासन आप हमेशा सदन में देते आये हैं लेकिन आज तक इस प्रान्त में कोई विकास सड़कों का हुआ ही नहीं है।

सभापति महोदय, इसके साथ ही मैं शिक्षा के बारे में भी कहना चाहूंगा, दूसरे जिलों की बात नहीं करता हूं लेकिन मैं बांसवाड़ा, डूंगरपुर उदयपुर और चित्तौड़ का जो ट्राइबल इलाका है जहां आज ऐसी-ऐसी जगह हैं कि वहां उच्च प्राथमिक विद्यालयभी उपलब्ध नहीं है और वहां का गरीब किसान, वह किसान नहीं है वह खेतिहर मजदूर है और उसके पास इतनी खेती नहीं है, उसके पास इतने साधन नहीं हैं कि वह अपने बच्चों को 40-60 किलोमीटर किसी बड़े कस्बे में ले जाकर पढ़ा सके। सभापति महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि बांसवाड़ा में पांच तहसीलें हैं उनमें मुश्किल से ट्राइबल में एक उच्च माध्यमिक विद्यालय उपलब्ध है। पंचायत समिति पीपलखूंट 20 पंचायतों की है यहां मुश्किल से 3 माध्यमिक विद्यालय खोले गये हैं और एक ऐसी जगह है जहां आज भी वहां के बच्चों के पढ़ने के लिए सुविधा नहीं है। दानपुर जो मेरा विधान सभा हैड क्वार्टर है वहां सन् 1961 से माध्यमिक विद्यालय चल रहा है लेकिन आज तक उसको उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत नहीं किया गया है जबकि वहां के बच्चों को बांसवाड़ा 60 किलोमीटर आना पड़ता है। अगर 60 कि. मी. बच्चा बांसवाड़ा पढ़ने जाता है तो वहां रहने के लिए उसको चार पांच सौ रुपया किराये का कमरे का देना पड़ता है तो वह गरीब मजदूर उस खर्चे को सहन नहीं कर सकता

(श्री दलीचन्द)

है। हमारे यहां पर पढ़ाई का विस्तार बहुत ही कम हुआ है इसलिए सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे ट्राइबल एरिया में शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध करायी जायं ताकि वहां के ग्रामीण काश्तकारों के बच्चे पढ़ सकें।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सिंचाई के विषय में भी कुछ जानकारी देना चाहूंगा। हमारा जो ट्राइबल एरिया है वहां आज कोई भी सिंचाई का साधन उपलब्ध नहीं है। वहां ऐसा पहाड़ी इलाका है और दूर दराज का इलाका है जहां पानी नदियों या नालों में उपलब्ध है तो वहां कोई बांध नहीं बांधा गया है, न तालाब है, न एनीकट है। कुछ गिनी चुनी एक-दो लिफ्ट लगी है। वहां का एरिया पानी से वंचित है। यह जो लोग जीवन-धारा योजना के तहत आये हैं और कुएं खुदे हुए थे वह कुएं आपके सरकारी नौकरशाही और तानाशाही को देखते हुए मैं मानता हूं कि वहां कुएं जितने हैं वह आधे से ज्यादा बेकार पड़े हैं। इसके लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं और इसके लिए क्या योजना बना रहे हैं और किसानों को उन कुओं को गहरा कराकर पानी उपलब्ध करा सकते हैं तो मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा।

दूसरी बात विद्युत के बारे में मैं कहना चाहूंगा। मैं सुनता आ रहा हूं और सब लोग कह रहे हैं कि हमारे यहां 8 घंटे बिजली मिली, हमारे यहां 7 घंटे बिजली मिली लेकिन हमारे यहां तो बिजली है ही नहीं। हमारे यहां की ग्रामीण महिलाएं यह तक नहीं जान पा रही हैं कि बिजली होती क्या है। तो ऐसी स्थिति में वहां के काश्तकार कैसे जी रहे होंगे। इसलिए मैं सभापति महोदय के माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि बांसवाड़ा के जितने गांव हैं उनका सर्वे कराकर वहां कितने कुओं का विद्युतीकरण हुआ है और विद्युतीकरण हुआ भी है तो कितने काश्तकारों को कनेक्शन दिये गये हैं। यह भी जानकारी आप चाहें तो मंगा सकते हैं। सभापति महोदय, यह इस तरह का अभिभाषण निराधार है और ट्राइबल के नाम से जितना पैसा आता है वह पैसा अफसरशाही और नौकरशाही के बीच में ही खर्च हो जाता है और किसानों तक इसका लाभ नहीं मिलता है।

सभापति महोदय, इस सदन के माध्यम से मैं यह भी जानना चाहूंगा कि बांसवाड़ा में माही डैम बना हुआ है वहां पर नहरें जहां तक ले जानी थी उनका आज तक विस्तार नहीं हुआ है और जहां हुआ है वहां घटिया किस्म की सामग्री उपयोग में लायी गयी है जहां से पानी लीकेज होता है तो हजारों काश्तकारों की हजारों एकड़ भूमि पानी भर जाने से नष्ट हो गयी है। इसके लिए पहले भी हमारे साथियों ने कुछ कहा है, मैं भी ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि इसके लिए कोई उपाय किया जाये। राज्यपाल महोदय ने यह जो अभिभाषण पढ़कर सुनाया है इसका विरोध करते हुए मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं। जयहिन्द।

श्री सभापति : माननीय श्री सुन्दर लाल।

श्री सुन्दर लाल (सूरजगढ़) : माननीय सभापति महोदय, राज्यपाल के अभिभाषण पर दो-तीन दिन से चर्चा चल रही है। बातें बहुत लिखी हैं लेकिन गांव में जाकर देखते हैं तो कुछ भी नहीं है। मेरे क्षेत्र में कई गांव ऐसे हैं जो इस वक्त भी हरियाणा से पानी लाते हैं। जलदाय मंत्री से, चीफ इन्जीनियर से पूछ लिया जाये। निहालपुरा गांव है जिसका पानी हरियाणा से ऊटों पर लेकर आते हैं। कागला का बास में 50 घर शिड्यूल्ड कास्ट के हैं और सुरेती गांव, वहां हरियाणा से पानी लेकर आते हैं। इसके अलावा जहां 80-80 घर शिड्यूल्ड कास्ट के हैं, जिनके नाम से स्कीम के पानी के पाइप आ गये, वे पता नहीं कहां लगे हैं कहां नहीं। उनके पानी की कोई व्यवस्था नहीं और लोग कहते हैं कि पानी की व्यवस्था कर दी। इस अभिभाषण में लिखा है कि अनुसूचित जाति पर विशेष ध्यान दिया जायेगा, किस बात का दिया जायेगा ? ये पता करेंगे नहीं क्या विशेष ध्यान। उल्टा होगा इसका। विशेष ध्यान किस तरह देंगे, यह मेरे 2-3 दिन से भारी चिन्ता हैं। कहीं मेरे को भी इसी विशेष ध्यान में रख लें कि हरिजन हो। ज्यादा बात कहने की जरूरत नहीं है, मैं ईमानदारी से कहता हूं कि शिड्यूल्ड कास्ट के, हरिजनों के 60-70 घर ऐसे हैं जिनमें पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। ढाणी बालोठ में 60 घर हैं शिड्यूल्ड कास्ट के, जिनके नाम से दो साल से पानी का मोटर पाइप ले लिया गया है। किसी के कुएं में लगा है, उनको अभी तक कुएं में वह मोटर पाइप नहीं मिला है। वे कहीं कुओं पर जाकर पानी भर कर लाते हैं बालोठ में जो 60 घर हैं शिड्यूल्ड कास्ट के उनके नाम से दो साल पहले मोटर इश्यु हो गयी पर उनको नहीं मिली। जिनके घर धरी है उसके जाते हैं तो कहते हैं कि मेरे को तो दी है। आप यह बात कहते हो और धन्यवाद भी देते हो कि आपका 21 प्रतिशत कर दिया गया है।

श्री सभापति : आपको नहीं पिछड़े वर्ग को।

श्री सुन्दरलाल : क्या कर दिया गया है इसका पता ही नहीं लग रहा। सबसे ज्यादा इनके साथ बदमाशियां होती हैं।

बिजली के लिए उस दिन घोषणा की तब हमने भी तालियां बजायीं कि 8 घण्टे बिजली मिलेगी। हम बोले कि ठीक है, फैसला ठीक हुआ है कि आठ घण्टे बिजली मिलेगी। आप रिकार्ड मंगाकर देख लीजिये, झुंझुनूं के पिलानी क्षेत्र के चिड़ावा क्षेत्र में हमने 15 तारीख को मीटिंग में पूछा तो उन्होंने खुद कहा कि तीन घण्टे ही बिजली मिली है। एक्स. ई.एन और एस.ई ने स्वीकार किया है कि आपके क्षेत्र में तीन घण्टे ही बिजली मिल रही है। यहां घोषणा आठ घण्टे की कर दी और वाहवाही लूट ली, उसके बाद भी तीन घण्टे बिजली मिलती है।

एक ट्रांसफार्मर पर पांच जनों के कुएं हैं, एक जना पैसा नहीं देता तो चार को भी तब ही मिलेगा कि वह पैसा दे। वह कहता है कि मैं तो नहीं देता पैसा। यह फैसला सरकार को करना चाहिये। जिस ट्रांसफार्मर पर छः कुएं हैं और एक पैसा नहीं दे तो पांच को भी बिजली नहीं

(श्री सुन्दरलाल)

मिलेगी ? कि यह पैसा जमा करायेगा तो ही बिजली मिलेगी, ट्रांसफार्मर मिलेगा। मैंने कहा कि इसकी लाइन उतार लो तारों की, तो बोले कि हमारे से तो नहीं उतरती लाइन। मैं लाइन उतारने जाऊं तो वह मुझे कूट गेरेगा। फिर उस लाइन का होगा क्या ? पांच आदमियों ने पैसा जमा करा दिया, जिनका एक रुपया भी बाकी नहीं है उनका क्या होगा ? 10-10 दिन तक ट्रांसफार्मर नहीं मिलता एक आदमी के कारण। वह तो नहीं जमा करायेगा, सरकार तो ट्रांसफार्मर का इन्तजाम करे। पैसा नहीं दे तो उसका मकान कुर्क करे, उसकी जमीन कुर्क करे, कोई व्यवस्था तो करे। पांच आदमी उसके साथ क्यों मारे जायं, जिन्होंने पैसा जमा करा दिया। उसके लिए पांच आदमियों को परेशानी भुगतनी पड़ती है यदि एक जमा नहीं कराता। और फिर ट्रांसफार्मर जलने के बाद यह बहाना मिल जाय कि इसका एक पैसा भी जमा नहीं है। सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जब कुआं शुरू हो उसी वक्त कह दिया जाय कि जिसका पैसा बाकी है उसको बिजली नहीं देंगे। तो वह अनाज तो नहीं बोये। अब इस टाइम 15 दिन की फसल में दो पानी बाकी है और किसी का ट्रांसफार्मर जल गया तो ? ढाणी बालोठ में 100 का ट्रांसफार्मर जल गया, एक आदमी का पैसा बाकी और सात ने जमा करा दिया लेकिन वहां 15 दिन से ट्रांसफार्मर नहीं लगा है। यह मैं मेरे घर की बात नहीं कहता हूं, यह कोई बनी बनायी बात नहीं है, सही है वहां जाकर देखें तो। हमारे को तो बिजली पानी की सबसे ज्यादा दिक्कत है।

अभी थोड़ी देर पहले सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह कह रहे थे कि 1971 की जनसंख्या, मेरा तो यह सोच है कि 1971 से कहीं 1961 पर नहीं आ जायें। कहीं 1971 की जनसंख्या की नीति से उल्टे चल पड़ें, 1961 पर आ जायं कि 1961 में जिन गांवों की एक हजार की आबादी होगी उन गांवों को सड़कें देंगे 1971 की पार नहीं पड़े तो अगली बार कहेंगे कि 1961 पर आ जायें क्योंकि 1971 में तो एक हजार की आबादी बनी नहीं है। 1961 की नहीं बनेगी तो फिर 1951 पर आ जायेंगे। इससे पीछे तो सरकेंगे नहीं। मैं आपको बताऊं, मेरे क्षेत्र में श्यामपुरा मैनाणा जिसकी 1971 की जनगणना में एक हजार की आबादी है अभी तक उसके सात किलोमीटर भी सड़क नहीं है। पंचायत हैडक्वार्टर है, बड़ी पंचायत जब से बनी है तब से ही सात किलोमीटर की सड़क भी नहीं है। इसलिए सड़क की बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, 1953 में जब से पंचायत बनी तब से उन पंचायतों को सड़क से नहीं जोड़ा गया है। यह बड़े दुःख की बात है। वहां एक हजार की आबादी नहीं इस वक्त तो दो हजार की आबादी है। पिछली बार अकाल में शुरू करवाई गयी थी, पर वहीं की वहीं पड़ी है। माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री से निवेदन करूंगा कि कभी 1961 पर चले जायं कभी 1951 पर चले जायं

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : सुना नहीं ? कल 1981 बोल दिया था।

(60)

श्री सुन्दरलाल : मैं तो आपसे निवेदन करूंगा कि पंचायत हैडक्वार्टर, उसकी आबादी चाहे कितनी भी हो उसको आबादी से मत जोड़ो। कह दो कि पंचायत हैडक्वार्टर है उस पर सड़क बनेगी। यह घोषणा करो कि पंचायत हैडक्वार्टर कहीं भी है उसको सड़क से जोड़ेंगे। कहते हैं डामर नहीं पड़ेगा। दो ट्रक रोड़ी गेर देते हैं और कहते हैं जोड़ दी। लड़ाई हो तो उन रोड़ियों से भाटे मार-मारकर मुकदमे और दर्ज हो रहे हैं। उसको कोई मतलब नहीं। कहां जोड़ दी तो बोले कि दो ट्रक गेर रखी है रोड़ी गांव के किनारे। ट्रक गेर देते हैं दो रोड़ी के और उसको लिख देते हैं, ग्रेवल सड़क से जोड़ दी। सभापति महोदय, आपके जरिये से मंत्रीजी से निवेदन करूंगा सड़क जोड़ो तो डामर से जोड़ो नहीं तो ये भाटे बिछाकर लोगों के टायर मत घिसाओ। यह गलत बात है आपकी।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल (गंगापुर) : मंत्रीजी ने जगह-जगह यह कहा है कि पंचायत मुख्यालय को जोड़ देंगे।

श्री सुन्दरलाल : मैं आप लोगों से एक ही बात कहता हूं कि मौका कभी-कभी मिलता है।

सदा न रहती जवानियां, सदा न काला केश
सदा न जोबन घरों रहे सदा न एक नरेस।

इसलिए सदा नहीं रहती है बात। आपके पास मौका मिला है आप इस बजट में यह घोषणा करिये कि 1981 में जो भी पंचायत हैडक्वार्टर है उसको डामर सड़क से जोड़ दिया जायेगा। 14 बरस आगे की बात करोगे तो मैं रहूंगा न आप रहोगे, फिर फायदा क्या होगा? इसलिए आप इस बात पर अपने इंजीनियरों को कहो कि इसको सर्वे करके लाओ। कल सभापति महोदय भी भाषण दे रहे थे कि सब सड़कों से जोड़ दिये जायेंगे तो भाटे ही नहीं रहेंगे, सारे पहाड़ लग जायेंगे। इनको पहाड़ की चिन्ता लग रही है कि सब गांवों में सड़कें बन जायेंगी तो सब पहाड़ लग जायेंगे अरावली के पहाड़ भी लग जायेंगे तो भी गांवों को सड़क नहीं मिलेगी। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि हरियाणा में एक गांव भी ऐसा नहीं है जिसको सड़क से नहीं जोड़ा गया हो। मेरे क्षेत्र से 104 किलोमीटर हरियाणा लगा हुआ है। हमको लोग खजाते हैं कि आपका क्या हो रहा है, आपके गांव में सड़क ही नहीं है। मेरे गांव में तो पिछले बरसों से एक बात है नहीं तो एक-एक गांव में 40-40 तो रंडवे रह गये। सड़क नहीं है, पानी अलग नहीं है शादी

(13.00)

नहीं हो रही है। आपके सड़क नहीं है, पानी नहीं है कुंवारे फिरते हैं सब के सब। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि मेरे क्षेत्र से 104 कि.मी. हरियाणा में आस-पास में सब में पानी है, नहर है और हमारे बिजली नहीं, सड़क नहीं पानी नहीं। ऐसी शर्म आती है। तो मैं मुख्य मंत्रीजी आपसे निवेदन करूंगा कि 104 कि.मी. हरियाणा लगता है, उस क्षेत्र को ध्यान में रखकर बिजली, पानी की व्यवस्था हर गांव में करें ताकि हम यह तो सोचें कि हम राजस्थान के निवासी हैं, हम इस पर बहुत गम्भीर हैं।

(श्री सुन्दरलाल)

हमको बहुत लोग चिढ़ाते हैं उधर से और बहुत हरियाणा के आदमी कहते हैं कि आपके पानी नहीं है, आप राजस्थान का रहणिया हो। तो हम यह नहीं कह सकते कि हम राजस्थान के नहीं हैं हम राजस्थान के निवासी हैं और हम लूखी खा सकते हैं लेकिन हरियाणा से पानी लाकर पीना हमें पसन्द नहीं। इसलिए बिजली और वाटर वर्क्स के मंत्री से मैं कहना चाहूंगा कि हमारे जो हरियाणा से पांच गांवों को पानी आता है उसकी व्यवस्था तो आप जरूर करेंगे। इसके अलावा मेरे क्षेत्र में 17 कुएं ऐसे हैं जो बहुत पहले 61 में ही हरियाणा से बिजली से जुड़े हुए हैं। अब हरियाणा ने वे 17 कनेक्शंस काट दिये। भावछड़ी में 6 कनेक्शन थे। हरियाणा से बिजली लेकर जोड़ा हुआ है और ये खींचातानी चली तो काट दिये। हमने उनको जाकर कहा तो बोले, आपके मुख्य मंत्रीजी से बात करो, राजस्थान से बात करो। कुएं यों के यों पड़े हैं। इसलिए यह भी व्यवस्था करें या हरियाणा सरकार से जाकर के कहें कि जब तक हम व्यवस्था नहीं करें तब तक इनको बिजली दें। हमारे 83 के कनेक्शन हो रहे हैं, 83 में जिसकी फाइल है उसका कनेक्शन हो रहा है। वन पोल वाले में आपने क्या किया ? वन पोल की तय हो गयी, देंगे। पैसा दे दिया उसका तो कर दिया, पैसा नहीं दिया उसको कह दिया, ट्रांसफार्मर की की जगह नहीं है। ट्रांसफार्मर तने बंगला बनाना है कि जगह कोनी। जगह नहीं है। इस पर नहीं आ सकता। दूसरे पैसा दे दे तो जगह हो जाये। उसमें कहते हैं कि जो पैसे दे दे तब तो उसका बन जाये और पैसे नहीं दे तो कह दें कि इसमें तो ओवर लोड हो रहा है. यह ओवर लोड हो गया तो क्या तेरे सिर पर पड़ेगा। इसलिए उसको कनेक्शन नहीं दे रहे। इस बात को भी ध्यान में रखें।

मैं ज्यादा बात नहीं कह करके यही बात कहना चाहता हूं। आपने जो समय दिया उसके लिए धन्यवाद और यह जो किताब रखी है इसका विरोध करता हूं।

श्री सभापति : माननीय प्रतिपक्ष के नेता।

श्री अमराराम. (धोद) : माननीय सभापति महोदय, प्रतिपक्ष के नेता को आप बुला रहे हैं और उससे पहले मुझे अभी तक आसन ने टाइम नहीं दिया है। मैं एक मात्र हूं जबकि बीच में देना चाहिये था।

श्री सभापति : अच्छा आप विराजें। ऐसा है कि आज कार्य सूची में विधेयक भी हैं। मैं दे रहा हूं, आप बात तो सुनें। मैं एक-एक माननीय सदस्य को दे रहा हूं आप थोड़ा समय का ध्यान रखें। पहले दरक साहब, आप बोलिये।

श्री जगदीश चन्द दरक (भीलवाड़ा) : माननीय सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर टीकमचन्दजी कान्त के धन्यवाद प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं। राज्य की विकट परिस्थितियों के बावजूद सरकार ने अभिभाषण में ग्रामीण क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं ...

श्री सभापति : आप समय सीमा में, संक्षेप में अपने विचार रखें।

श्री जगदीश चन्द दरक : पेयजल, सड़कें आदि के निवारण के लिए काफी प्रयत्न दर्शाये हैं यह कार्य करने की नीयत को प्रदर्शित करता है। परन्तु उसके बावजूद एक छोटा-सा लेकूना मेरी निगाह में इस अभिभाषण में रहा है। ग्रामीण क्षेत्र राजस्थान का प्रमुख क्षेत्र है और उसका पूर्ण रूप से विकास होना चाहिये इसका मैं समर्थन करता हूं लेकिन शहरी क्षेत्र के डवलपमेण्ट के लिए अभिभाषण में कोई भी प्रोग्राम नहीं लिया गया है। 43 नम्बर के पैरा में इन्होंने स्वयं यह अभिव्यक्ति की है, शहरी क्षेत्र की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, पाल्यूशन बढ़ता जा रहा है। उसके बावजूद शहरी क्षेत्रों में बढ़ती हुई कच्ची बस्तियों और निम्न स्तर की बस्तियों के डवलपमेण्ट के लिए राज्य सरकार ने इसमें कोई भी किसी तरह का प्रोग्राम नहीं लिया है यू. बी. एस. पी. जो नगर परिषद और नगरपालिका क्षेत्रों में पूर्व केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के सहयोग से चलती थी उसको भी पिछले एक साल से खतम कर दिया गया। आज 60–70 पर्सेण्ट नगर परिषद अपनी तनख्वाहें चुकाने के काबिल भी नहीं हैं। यू. बी. एस. पी. में विभिन्न तरह की सड़कें, नालियां और सुलभ शौचालय व बाथरूम बनाकर डवलपमेण्ट किसी तरह कच्ची बस्तियों में करती थी, इस स्कीम को मैं राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि हर पालिका और परिषद क्षेत्र में वापस लागू किया जाये। राज्य सरकार को इसमें कोई डोनेशन, अपना शेयर ज्यादा बढ़ाना पड़े तो भी बढ़ाकर शहरी क्षेत्र की उन कच्ची बस्तियों के डवलपमेण्ट में अपना सहयोग करना चाहिये, यह मेरी रिक्वेस्ट है।

दूसरा, इस अकाल के समय जहां 23 हजार गांव राजस्थान में अकाल से ग्रसित हैं, आज सारे ग्रामीण क्षेत्र में लोग कुएं खुदवाने के लिए आतुर हैं, गहरे कराने के लिए आतुर हैं परन्तु एक्सप्लोसिव उनको उपलब्ध नहीं होता है। ट्रेक्टर कम्प्रेशर, मैं भीलवाडा का उदाहरण देता हूं, करीब पांच हजार ट्रेक्टर कम्प्रेशर अकेले भीलवाड़ा में निर्मित हुए हैं परन्तु राजस्थान के अन्दर उनको काम करने में बड़ी बाधाएं उत्पन्न होती हैं। सुलभ रूप में उनको एक्सप्लोजिव के लाइसेंस नहीं मिलते। इवन 5-5 किलो के काश्तकारों को लाइसेंस नहीं मिलते। उसकी वजह से महाराष्ट्र गुजरात, आंध्र और कर्नाटक में वे सारे ट्रेक्टर कम्प्रेशर चले जाते हैं। वे अपने ही क्षेत्र में इन सुविधाओं को उपलब्ध नहीं करा सकते। मैं राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि खेती में काम आने वाले कुओं को गहरा कराने के रूप में इन कम्प्रेशरों को विभिन्न तरह के लाइसेंस देकर जो माइंस में परेशानी आ रही है उसे दूर करें। एक सुलभ लाइसेंस प्रणाली करें। हम जानते हैं कि आतंकवाद में इसको देकर टोटल ही इस बिजनेस को बदनाम कर दिया गया है। ऐसी बात नहीं है। इनका कुएं गहरा करने के अन्दर एक प्रमुख यूज है उसके रूप में भी इस पर विचार किया जाये। साथ में अकाल राहत कार्य शहरी क्षेत्र में भी चलाये जाने चाहिए क्योंकि शहरी क्षेत्र में पूर्व में अकाल राहत कार्य चले हैं। अकाल राहत

(श्री जगदीश चन्द दरक)

कार्यों को अप्रेल, मई के बाद में शहरी क्षेत्र में चलायें। शहरी क्षेत्र के जो विभिन्न विकास के मुद्दे हैं, अपनी लिमिटेशन की वजह और हम अपनी आय की कमी की वजह से जो नगर पालिकाएं, नगर परिषदें कार्य नहीं करा पातीं हैं उनको इन अकाल राहत कार्यों के द्वारा चलाकर शहरी क्षेत्र को भी उसमें दे सकते हैं।

साथ ही मेरा निवेदन है कि शहरों के अन्दर इण्डस्ट्रियलाइजेशन के लिए बिना किसी देख-रेख के लाइसेंस दे दिये जाते हैं। मेरा निवेदन है राज्य सरकार से कि पाल्यूशन कण्ट्रोल डिपार्टमेण्ट उनको एन.ओ.सी. देता है मेरा तो आक्षेप भी है कि बिना किसी रूपरेखा के उनको अपने हिसाब से एन ओ. सी. दे दी जाती है। हर शहर से 20 कि.मी. दूर इण्डस्ट्री का लाईसेंस दिया जाना चाहिये ताकि उनसे जो वाटर पाल्यूशन और एयर पाल्यूशन होता है उससे उस शहरी क्षेत्र को प्रभावित नहीं किया जा सके। आज भी भीलवाड़ा क्षेत्र में यह स्थिति है कि 15–16 प्रोसेस हाउसेज को भीलवाड़ा सिटी से 4-5 कि.मी. के बीच में लाइसेंस दे दिये गये हैं और सारा पानी उसमें जाता है उस वाटर पाल्यूशन की वजह से भीलवाड़ा के तालाबों का पानी, कुओं का पानी गन्दा हो गया और पानी के अन्दर सबसे ज्यादा फ्लोराइड अगर पाया गया है तो भीलवाड़ा के अन्दर पाया गया है। तो मेरा राज्य सरकार से निवेदन है कि आगे इस तरह से किया जाये।

श्री सभापति : संक्षिप्त करें माननीय सदस्य, समय सीमा है।

श्री जगदीश चन्द दरक : शिक्षा के ऊपर काफी अच्छा बजट लिया गया है. फिर भी महिला शिक्षा के डवलपमेंट हेतु थोड़ी सी इस बजट में गुंजाइश रखी जाये। साथ में जो महिला कालेज छात्राओं का है उसमें पर्सेण्टेज मानकर सैकण्डरी, सीनियर सैकण्डरी में जो बच्चियां पास हो जाती हैं उनको एडमिशन देते हैं। परन्तु 45 पर्सेण्ट की लिमिटेशन में उनको एडमिशन नहीं मिलते हैं, राज्य सरकार से निवेदन है कि हम छात्राओं और महिलाओं को पढ़ाने के लिए आतुर हैं, उन छात्राओं को उस लिमिटेशन से एग्जेम्प्ट किया जाये और कालेजेज के अन्दर ये जो पर्सेण्टेज 45 पर्सेण्ट माना गया है उसको 40 पर्सेण्ट पर रखें या जो पास होती हैं वह बच्ची पढ़ सके; इस तरह का प्रावधान किया जाये।

सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया उसके लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद प्रेषित कर रहा हूं।

श्री सभापति : धन्यवाद श्री अमराराम। आप भी समय सीमा में रहें।

श्री अमरा राम (धोद) : माननीय सभापति महोदय, जो महामहिम राज्यपाल महोदय ने अभिभाषण सदन में रखा है, उस पर जो धन्यवाद प्रस्ताव माननीय सदस्य ने रखा है उसका मैं विरोध करता हू और विरोध करने के कारण यह है कि राजस्थान की जो मूलभूत समस्याएं हैं उनके समाधान का इसमें कहीं कुछ नजर नहीं आता।

आज सबसे पहली समस्या यह है कि जनता से जुड़े हुए विभाग हैं,

(श्री अमरा राम)

चाहे वह स्कूल हो, चाहे वह हास्पिटल हो और चाहे कोई भी विभाग हो जो जनता और समाज कल्याण से जुड़े हुए हैं उनमें एक ही उत्तर मिलता है सरकार और अधिकारियों से कि पोस्ट अभी भरी जानी बाकी है, इतनी पोस्टें खाली हैं। मैं समझता हूं कि न कहीं इस राजस्थान में प्रशिक्षित अध्यापकों की कमी है, न इंजीनियर्स की कमी है, न डाक्टर्स की कमी है, न किसी विभाग में कोई कमी है लेकिन बार-बार यही उत्तर मिलता है कि अभी पोस्ट भरी जानी बाकी है, 650 सैकण्डरी स्कूलों के हैडमास्टर्स के लिए अभी डी. पी. सी. बैठनी है और कुछ होना है। क्या सरकार इतना-सा अनुमान नहीं लगा सकती है कि कितने समय में कौनसी पोस्ट्स खाली होंगी ? हम स्कूल, हास्पिटल, ए एन.एम. सेन्टर्स और उप केन्द्र खोल देते हैं लेकिन उनमें कर्मचारी नहीं लगा सकते हैं। यह सबसे बड़ी समस्या है जिसका समयबद्ध कोई कार्यक्रम नहीं है।

दूसरा, हमारे सीकर जिले की 6 तहसीलों में से 5 तहसीलों को डार्क जोन घोषित कर दिया गया है। पूरे राजस्थान में बहुत से जिलों की तहसीलों को डार्क जोन घोषित किया गया है। राजस्थान में जिन तहसीलों को डार्क जोन घोषित किया जाता है उनमें यूनिट तहसील और पंचायत समिति को माना जाता है लेकिन वहां पर पानी बहुतायत से होते हुए भी, मैं समझता हूं, जो गरीब हैं, लघु और सीमान्त किसान हैं वे कुआं नहीं बना सकते हैं बिना बैंक से लोन लिए। जो धनी किसान हैं वह लोग ही कुआं बना सकते हैं। वह लोग महरूम रह जाते हैं इस डार्क जोन की स्कीम से, जो गरीब किसान है। डार्क जाने की स्कीम भी है, वह कुआं बना भी लें, बिजली का कनेक्शन भी हो गया तो मोटर व पम्प सैट के लिए लोन नहीं ले सकता है। मेरी राय यह है कि राजस्थान सरकार पंचायत समिति और तहसील को यूनिट नहीं मान कर उस गांव को यूनिट माने और उसी तरह से सर्वे करवा कर डार्क जोन को हटाया जाये।

इस अभिभाषण में सरकार द्वारा बिजली बोर्ड के बारे में ये निर्देश दिये गये हैं कि हम उसे बिजली की रेट्स बढ़ाने के लिए अनुमति देते हैं। मैं याद दिलाना चाहता हूं हमारी सरकार के जो मंत्री हैं और विधायकगण हैं, 1986 के किसान आन्दोलन में किसानों के साथ जेल गये थे और बिजली की रेट्स बढ़ोतरी के खिलाफ लड़ते हुए झुंझुनूं के शहीद बालूराम पुलिस की गोली के शिकार हुए थे। क्या वह इसलिए गोली के शिकार हुए थे कि आप सरकार में पहुंच जायें और पहुंचने के बाद उस बिजली बोर्ड, जो भ्रष्टाचार में ऊपर से नीचे तक डूबा हुआ है, को बिजली की दरें बढ़ाने की अनुमति दे देंगे ?

आप अफसोस करेंगे, माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा कि बिजली बोर्ड ठेके दे रहा है। क्या हमारे राजस्थान में ऐसे नौजवान नहीं हैं जो हमारे बिजली बोर्ड के बिल्स उपभोक्ता तक और किसानों तक पहुंचा सकें। आज बिजली बोर्ड उनको ठेके पर दे रहा है। क्या यह कोई तकनीकी

(श्री अमराराम)

काम है ? वे आज़ बिजली बोर्ड ठेके के आधार पर खम्भे खड़े करवाता है। जहां बिजली बोर्ड का एक खम्भा खड़े करने में 75 रुपये का खर्चा आता है वहीं ठेके पर 250 रुपये में खड़ा होता है।

मैं सीकर के परिप्रेक्ष्य में ठेके का तथ्य आपके माध्यम से ध्यान में लाना चाहता हूं हमारे यहां जीवनधारा में पूरा कुआं 25,200 रुपये में खुदता है और वही ठेके के द्वारा पी एच ई डी. में एक कुआं 80 हजार रुपये में बनकर तैयार होता है। ठेके से स्थिति यह हो गयी है। हमारी राजस्थान सरकार गरीबों के पक्ष में है तो बिजली की रेट्स बढ़ाने के बजाय क्यों नहीं तमिलनाडू, कर्नाटक और मध्यप्रदेश की तरह गरीब लघु और सीमान्त किसान जो अपने मुनाफे के लिए खेती नहीं करते हैं, केवल अपनी आजीविका चलाने के लिए खेती करते हैं उनको फ्री आफ चार्ज देकर उनकी आजीविका बढ़ाने के लिए आगे आकर काम करें। बिजली बोर्ड में हो सकता है डिफरेंस हो, उत्पादन नहीं हुआ हो जो उसके लिए उत्पादन किया जाना चाहिए।

इस अभिभाषण में बिजली उत्पादन के क्षेत्र में नयी टेक्नोलोजी और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को यह कार्य दिया जाना प्रस्तावित है। हमारा जो बिजली बोर्ड अभी बना हुआ है उसकी प्रति यूनिट लागत एक रुपये 25 पैसे आती है और यहां जो हम बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को इन्वाइट कर रहे हैं उनका लागत मूल्य है जो वह बता रहे हैं, 5 रुपये आयेगी। अगर 5 रुपये लागत पर 3 प्रतिशत मुनाफे के हिसाब से हम दें तो राजस्थान की कृषि तो मैं समझता हूं कि बरबाद हो जायेगी। एक पोल की बोर्ड की स्कीम है उसमें राजस्थान सरकार ने सब रिकार्ड तोड़ दिये। आज तक राजस्थान के इतिहास में मैं समझता हूं, जहां पोल नहीं लगाना होता है केवल सर्विस कनेक्शन दिया जाना है, जो भी कनेक्शन हुए हैं उनमें 7 हजार रुपये नहीं लिए गये। लेकिन राजस्थान की सरकार, अपने आपको किसानों की हमदर्द कहने वाली सरकार जिसमें पोल नहीं लगा, जिसमें तार नहीं लगा उसमें भी किसानों से 7 हजार रुपये पोल की कास्ट वसूल कर रही है। क्या यह किसानों की हिमायती सरकार है ? हम दर बढ़ाने के लिये राजस्थान के बिजली बोर्ड, जो भ्रष्टाचार का केन्द्र है, कमीशन का केन्द्र है, मैं समझता हूं कि यह अधिकार नहीं देंगे।

जहां तक शिक्षा की बात है....

श्री सभापति : संक्षिप्त करिये।

श्री अमराराम (धोद) : मैं स्वागत करता हूं लेकिन....(व्यवधान)....

श्री मोहनलाल मोदी (नीमकाथाना) : आपके जिले के हैं, सभापति महोदय।

श्री सभापति : आप बोलिए।

श्री अमराराम (धोद) : शिक्षा के लिए प्राथमिक शिक्षा की किताबों की ही जरुरत सम्बन्धित विद्यार्थियों को नहीं होती है। माननीय श्री भैरोंसिंहजी शेखावत के साथ पश्चिम बंगाल में ज्योति बसु 1977 में मुख्य मन्त्री बने थे, उन्होंने वहां केवल प्राइमरी तक ही नहीं, दसवीं क्लास तक के

(श्री ग्रमराराम)

विद्यार्थियों की कापी-किताबें सब फ्री की हैं और लड़कियों के लिए बारहवीं कक्षा तक की पुस्तकें फ्री की हैं, उनका जो अनुकरण किया है उसके लिए तो मैं सरकार का आभार व्यक्त करता हूं और मैं समझता हूं कि इसको आगे और बढ़ायेंगे।

हमारे यहां शिक्षा की कमी है, प्रतिशत कम है। हमारे यहां जो लड़कियां 33 पर्सेण्ट मार्क्स लेकर सीनियर हायर सैकण्डरी परीक्षा पास कर लेती हैं उनका कालेज में एडमिशन नहीं होता है। हमारे प्रदेश की जनसंख्या के हिसाब से यदि हम देखें तो 20 प्रतिशत ही स्त्री शिक्षा का हमारा है उसको आगे बढ़ाने के लिए हमें अग्रसर होना चाहिए और प्रयास यह होना चाहिए कि तमाम जो लड़कियां पास हो जाती हैं उनको एडमिशन मिल जाये। जो प्रतिबन्ध इस सम्बन्ध में पिछले 3 साल से लगा हुआ है उसको हटाया जाये। कालेजेज में तमाम लैक्चरर्स और दूसरा अन्य स्टाफ तो वही है, हमारे सीकर कालेज में जहां 5500 विद्यार्थियों की संख्या थी वह आज घटकर 2600 में रह गयी है। लैक्चरर्स और अन्य स्टाफ तो उतना ही है लेकिन विद्यार्थियों का कालेज में एडमिशन नहीं हो सकता है। दूसरी तरफ बोर्ड की फीस बढ़ाकर विद्यार्थियों को शिक्षा से दूर रखा जा रहा है।

अकाल के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। भयंकर अकाल है उसके बारे में एक बात कहना चाहूंगा कि अकाल राहत कार्यों पर कार्यरत मजदूरों के लिए टास्क बेस रखा गया है....

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : क्या ?

श्री अमराराम (धोद) : टास्क बेस रखा गया है, इतना काम करोगे तब 22 रुपये मिलेंगे। लेकिन क्या कारण है कि पटवारियों के लिए, तहसीलदार के लिए, एस. डी. ओज और कलक्टर्स के लिए कोई टास्क बेस नहीं है ? जो मजदूर सबसे गरीब है, जो केवल इस महंगाई के जमाने में 22 रुपये के लिए मजदूरी करने के लिए आता है उन मजदूरों पर मैट लगा रखे हैं जो सुबह-शाम दो दफा हाजरी लेते हैं, उनके लिए तो टास्क बेस और हमारे अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए टास्क बेस नहीं है।

श्री सभापति : समाप्त करिये, माननीय सदस्य।

श्री अमराराम (धोद) : एक मिनट। टास्क बेस रेट में गरीब मजदूर केवल अपनी जिन्दगी बचाने के लिए अकाल राहत कार्यों पर 22 रुपये की मजदूरी के लिए आते हैं बाकी आज राजस्थान में कोई मजदूर 50 रुपये से कम में नहीं मिलता है। इसलिए मिनिमम मजदूरी को बढ़ाकर टास्क बेस को हटाया जाये। जितने लोग काम पर आना चाहते हैं उनको लाया जाये।

उद्योग के सम्बन्ध में एक बात निवेदन करना चाहता हूं। निश्चित रूप से औद्योगिक विकास होना चाहिए। आज बन्द उद्योग राजस्थान में हजारों की संख्या में हैं। जो औद्योगिक मजदूर हैं इनके लिए कानून भी बने हुए हैं, हमारा श्रम विभाग केवल मालिक बना हुआ है। मेरा निवेदन है कि तमाम विकसित उद्योगपतियों को बुलाने की बजाये जितने भी उद्योग बन्द हैं और उद्योगपति उनको चलाना नहीं चाहते

(श्री अमराराम)

हैं तो उनमें जो श्रमिक नियुक्त थे उन श्रमिकों की कमेटी बनाकर उसको चालू करने के लिए सहयोग दें। उन तमाम उद्योगों में सरकार की काफी पूंजी लगी हुई है, विभाग की काफी पूंजी लगी हुई है, उनको चालू करवाने में सहयोग दें।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें।

श्री अमरा राम (धोद) : मैं खेल के बारे में एक बात कहना चाहूंगा। राजस्थान में हमारे खिलाड़ियों के साथ भेदभाव होता है। हमारी समान काम समान वेतन की नीति है। हमारे राजस्थान में कोई भी सर्विसमैन हिन्दुस्तान की सरकार के सर्विसमैन के बराबर पेंशन पाता है। हमारी राजस्थान सरकार ने भी खेल काम्प्लेक्स बनाये हैं। जहां केन्द्र सरकार के खेल काम्प्लेक्स हैं उनमें खिलाड़ी को 800 रुपये मिलते हैं और हमारे जो खेल काम्प्लेक्स हैं उसमें 250 रुपये मिलते हैं। राजस्थान के ऐसे-ऐसे गांव हैं जहां के खिलाड़ियों ने हिन्दुस्तान में टाप पर नाम किया है। चाहे वह सीकर का बास्केटबाल का खिलाड़ी मांगीलाल हो, हिन्दुस्तान में नाम करता है लेकिन उसके गांव में बास्केटबाल का ग्राउण्ड नहीं है। ये भेदभाव मिटाया जाये। हमारे यहां के खेल काम्प्लेक्स में भारत सरकार के खेल काम्प्लेक्स में जितनी सहायता खिलाड़ी को मिलती है, उतनी दी जाये और उस भेदभाव को मिटाया जाये।

श्री सभापति : समाप्त हुआ, माननीय सदस्य, बिराजिये।

श्री अमरा राम (धोद) : सभापति महोदय, मैं यही अनुरोध करता हुआ पुनः इसका विरोध करता हूं।

आपने जो समय दिया, धन्यवाद।

श्री सभापति : बिराजिये। प्रतिपक्ष के नेता बोलें इसके पहले माननीय नरेन्द्र सिंह भाटी संक्षेप में अपने विचार रखेंगे। फिर सरकार की ओर से उत्तर आयेगा।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी (ओसियां) : सभापति महोदय, नेता महोदय ने और आपने जो समय दिया उसके लिए धन्यवाद। क्योंकि समय का अभाव है इसलिए मैं तो जो अभिभाषण पेश किया गया है, उसके 2-3 बिन्दुओं पर ही चर्चा करूंगा। आपका और आपके माध्यम से सरकार का और खासकर आपके मुख्य मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करूंगा।

श्री सभापति : मुख्य मंत्री सदन के हैं। सदन के नेता हैं।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : कृपा तो अगर मुख्य मंत्रीजी कर दें और चैलेंज एक्सेप्ट कर लें तब तो कोई मजा है, सभापति महोदय।

श्री सभापति : आप पर तो हमेशा ही कृपा रही है मुख्य मंत्रीजी की।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : वह या तो वे जानते हैं या मैं जानता हूं कि किसकी किस पर रही है।

सभापति महोदय, मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, एक तो भ्रष्टाचार के बिन्दु

(श्री नरेन्द्रसिंह भाटी)

पर और एक जिसकी चर्चा कुछ दिनों से हो रही है, इजरायल टेक्नोलॉजी की उस पर। पहले तो इजरायल पर ही कर दूं क्योंकि मुख्य मंत्रीजी शायद इजरायल पधारने का विचार कर रहे हैं। मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि यह राजस्थान की सरकार कौनसी टेक्नोलॉजी वहां से एक्सपेक्ट कर रही है। आपने इजरायल की टीम को इन्दिरा गांधी केनाल में भेजा तो उनके सदस्यों से मेरी कुछ चर्चा हुई जोधपुर में। किसी के माध्यम से मैंने पुछवाया भी उनसे कि आप कौनसी टेक्नोलॉजी दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, ड्रिप इरिगेशन राजस्थान में और भारतवर्ष में बेच रहे हैं. उनके लिए हम आये हैं। तो मैंने कहा कि आप इन्दिरा गांधी केनाल क्यों पधारे, वहां पर फ्लड इरिगेशन है, वहां आपका ये सिस्टम एप्लाई हो सकता है क्या ? उन्होंने कहा, हम आगे नहीं हैं लेकिन कतई नहीं हो सकता। अब ड्रिप इरिगेशन में लाखों रुपया खर्च करें। अच्छा है, मैं यह नहीं कहता कि ड्रिप इरिगेशन बुरा है लेकिन ड्रिप इरिगेशन को आप वहां एप्लाई कर सकते हैं जहां पानी का अभाव है। आज आप इन्दिरा गांधी केनाल के फर्स्ट स्टेज में इसे करें जिसके मैं विरोध में हूं, फर्स्ट स्टेज का मुख्य मंत्रीजी को पता है 200 पर्सेण्ट, 250 पर्सेण्ट इरिगेशन की इन्टेन्सिटी है और उसी कारण गंगानगर के लोगों को पानी मिला है, अच्छा है, लेकिन उनकी जमीनों का भी नुकसान हो रहा है। आज शायद इस सदन के बहुत कम सदस्यों को पता होगा, सभापति महोदय, कि इजरायल टेक्नोलॉजी, जब से ये देश बना है जबरदस्त सब्सिडाइज टेक्नोलॉजी है। आज की तारीख में अरबों डालर्स अमेरिका के और दूसरे देशों के ज्यूज इजरायल भेजते हैं और उनके तहत ही यह टेक्नोलॉजी अभी तक काबिल रही है और चालू रही है। इजरायल टेक्नोलॉजी को मुख्य मंत्री और उनके अफसर यहां चालू करवाना चाहते हैं। आप पता नहीं किसको गुमराह करना चाह रहे हैं। इजरायल टेक्नोलॉजी को अगर आपको एप्लाई करना है तो सबस पहले यह करना पड़ेगा कि इन्दिरा गांधी केनाल में कम से कम आप उस इंटेन्सिटी को लेकर पधारो 70 प्रतिशत तक। क्या आपकी हिम्मत है, आप किसानों को रोक सकते हैं उस इंटेन्सिटी को कम करने में ? सभापति महोदय, मैं आपसे यह अर्ज करना चाह रहा हूं, दुनिया किसकी तरफ जा रही है। आज कुकुड़ा की एग्रीकल्चर की टेक्नोलॉजी विश्व के अनेक देश अमेरिका और दूसरे देश काम में ले रहे हैं और कुकुडा की टेक्नोलॉजी आपके पास उपलब्ध है इन्दिरा गांधी केनाल कालोनाइजेशन एरिया में। उसको तो आप नष्ट कर रहे हैं। अब वह सेवण घास और उसके विस्तार में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि जब बजट सेशन होगा उस समय हम उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन मुख्य मंत्रीजी, मेहरबानी करें, आप तो इस पर अच्छी तरह चिन्तन करें और इसकी स्टडी करें और तभी आगे जाकर खर्चा करें। वैसे तो सिर्फ अखबारों में छपवाने के लिए कि मैं इजरायल जाऊंगा, इजरायल की टेक्नोलाजी लेकर आऊंगा, आप अपने सदस्यों को, अपने खुद के

(श्री नरेन्द्रसिंह भाटी)

मैम्बर्स को गुमराह कर सकते हैं, हम लोगों को नहीं कर सकते। आप मेहरबानी करके सरकार का और राजस्थान प्रदेश का पैसा खर्च नहीं करें।

सभापति महोदय, भ्रष्टाचार चूंकि आपके अभिभाषण का बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, आज का अखबार पढ़ रहा था, आपके ही सांसद जसवन्त सिंह साहब हमारे कैप्टेन शर्मा के खिलाफ फाइनेंस बिल के खिलाफ कल कुछ बोले थे, उस पर चर्चा की है। एक तरफ तो आप कहते हैं, भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिये। मैं तो कहता हूं, जो भी समाज में और राजनीति में आये, भ्रष्टाचार से ऊपर रहना चाहिये लेकिन पहले आप खुद का उदाहरण दीजिये। आपकी जो सरकार है, कल मुख्य सचेतक जी भी बड़े ही जोरों से हमारे शांतिकुमार धारीवाल का विरोध कर रहे थे, मैं तो कहूंगा कि ऊपर से अगर भ्रष्टाचार नहीं होगा, मैं आज 119 पर कोई चर्चा नहीं कर रहा हूं, सभापति महोदय, लेकिन मुझे यह समझ में नहीं आता जहां प्रतिपक्ष के नेता अभी विराजमान हैं वहां ये ही मुख्य मंत्री आर.एस.ई.बी. के चेयरमैन के खिलाफ भ्रष्टाचार के एक-एक बिन्दु को लेकर आरोप लगाते थे, जब मुख्य मंत्रीजी इस तरफ विराजते थे तब तो वह आदमी भ्रष्ट था और उधर पधार गये तो वह आदमी सही हो गया, उसको एक्सटेंशन मिल गया। अनेकों उदाहरण ऐसे हैं, सभापति महोदय ...

श्री सभापति : आर. एस. ई. बी. के चेयरमैन का तो ऐसा उदाहरण नहीं है। आप और हम साथ-साथ थे।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : मैं प्रोसिडिंग्स बता दूं, सभापति महोदय। माथुर साहब जब मुख्य मंत्री थे उस समय हुआ, जोशी जी जब मुख्य मंत्री थे तो ये ही मुख्य मंत्री....(व्यवधान)

श्री सभापति : नहीं, नहीं, मैं कोई भ्रष्टाचार की चर्चा नहीं चलाना चाहता हूं लेकिन चेयरमैन के खिलाफ, जहां तक मुझे याद है, उस समय नहीं हुआ।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : मैं अर्ज करूं, मेरे पास उसकी कापियां पड़ी हैं, आप चाहें तो मैं उसको टेबल पर रख सकता हूं। आपके खुद के मुख्य मंत्रीजी जब प्रतिपक्ष के नेता थे तो दवे साहब के ऊपर करोड़ों रुपये के घोटाले का उन्होंने आरोप लगाया लेकिन वही दवे साहब आपके लिए आज सही हैं।....(व्यवधान) 5 करोड़ का तो आप कह सकते हैं, मुझे इसकी पर्सनली जानकारी नहीं है लेकिन सुनते जरूर हैं, यहां पर बिराजे तो इनकी आदत ठेठ से रही है, हमारे मुख्य मंत्रीजी पर इन्होंने आरोप लगाये हैं, हमारे मंत्रियों पर इन्होंने आरोप लगाये हैं। उनको एक तरह से ब्लैकमेल करने की इनकी ठेठ से, थानेदारी से आदत है। वह ठेठ से रही है और मैं चाहता हूं, मैं वास्तव में सहयोग करूंगा मुख्य मंत्रीजी को और मेरे जो मित्र हैं यहां पर वे भी करेंगे, अगर वास्तव में ये भ्रष्टाचार खतम करना चाहें तो खुद से शुरू करें।

श्री सभापति : समाप्त करें। (व्यवधान) आप कृपया शान्त रहें। आप संक्षेप में कीजिये।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : सभापति महोदय, मेरा यह आपसे अनुरोध है,

(श्री नरेन्द्रसिंह भाटी)

आपकी चेयर से अनुरोध है, आपके अध्यक्ष से अनुरोध है, मेहरबानी करके भ्रष्टाचार के जो भी मुद्दे उठें इस हाउस में, आप सख्ती से इसके लिए समय दीजिये, आप उसके लिए हमें मदद करियें तथा हम चाहेंगे कि इस हाउस में उन मुद्दों पर एकमत होकर, जो भी हो, निर्णय लें, उस तरफ से या हमारी तरफ से, उस पर चर्चा होनी चाहिए। अगर कोई भ्रष्ट है और हम वह मुद्दा उठाना चाहते हैं तो वह नियमों का आप फायदा न उठायें। आप उठाने दीजिये। या तो आप अभिभाषण में डालिये मत और अगर डालते हैं तो निडर होकर हाउस को फेस करिये, कौन मना करता है आपको। मैं ज्यादा समय न लेकर यही कहूंगा कि ये मुद्दे अवश्य उठायेंगे।

मैं तो यही अर्ज करना चाहता हूं कि इस अभिभाषण में दिशा नहीं है, इस अभिभाषण से आज आपने एक साल के लिए जो कुछ भी प्रोविजंस किये हैं, बजट पर विस्तार से चर्चा होगी लेकिन मुख्य मंत्रीजी सन् 1952 से आज तक सदन के सदस्य रहे हैं, हारने के बावजूद इनका बहुत सहयोग रहा है, जबरदस्त कांट्रीब्यूशन रहा है लेकिन कोई जरूरी नहीं है, सभापति महोदय, कि सिर्फ एज के साथ ही ज्ञान आता है। आज अमेरिका को देखिये, 45-46 साल के राष्ट्रपति बने हैं, जो आर्थिक नीतियां चल रही हैं, जिनके तहत आपको नीतियां बदलनी पड़ेंगी, उन पर आप थोड़ा ध्यान दीजिये और अगर आपसे नहीं हो तो आपके जो जवान सहयोगी हैं, भले ही आप क्यों न हों, उनका सहयोग लें। आप एक टीम बनाइये, टीम बनाकर हमारी तरफ के लोगों को भी लीजिये। हम तो चाहते हैं कि राजस्थान का उद्धार हो लेकिन यह नहीं होने देंगे कि हम जो विपक्ष में बैठे हैं तो ज्यादा से ज्यादा आवाज यहां उठायेंगे या सड़कों पर उठायेंगे लेकिन चैलेंज जरूर करेंगे और यह भी नहीं चलेगा कि जो भी हैं भैरोंसिंह जी साहब बहुत काबिल हैं और उनके अलावा और कोई सोच ही नहीं सकता। वह इस हाउस में बराबर हम उठायेंगे।

आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय।

श्री परसराम मदेरणा (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय सभापति जी, राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा का यह पांचवां दिवस है। इस सदन के इस ओर के और उस ओर के माननीय सदस्यों ने इस पर विचार रखे। राज्यपाल का अभिभाषण आने वाले वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार के कार्यकलापों, उसकी नीतियों और उसके कार्यक्रमों का उल्लेख भी करता है और सरकार के नीति सम्बन्धी निर्णयों का दिशा-निर्देश भी करता है। अभिभाषण में संकेत और उल्लेख अगले वित्तीय वर्ष का है। सभापति महोदय, जैसा आप जानते हैं कि दसवीं विधान सभा का प्रथम साल है और पंचवर्षीय योजना का दूसरा साल समाप्त होने जा रहा है और इसी समय में दसवां वित्त आयोग भी यहां पर आया था और राज्य सरकार ने Approach to the

(श्री परसराम मदेरणा)

Eighth plan एट्थ प्लान का पूरा डाकूमेंट और मेमोरेण्डम फाइनेंस कमीशन के सामने प्रस्तुत किया है और इसलिए मुख्य मन्त्रीजी और उनके सहयोगी भली-भांति इस बात से परिचित हैं कि राजस्थान का विकास अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है। उधर बैठने वाले माननीय सदस्य कहते हैं कि 40-45 साल कांग्रेस ने कुछ नहीं किया और कांग्रेस वापस नहीं आयेगी। इस प्रकार की बात कही है, लोग भूल जायेंगे कांग्रेस को। कांग्रेस को लोग नहीं भूलते। कुछ बातें ऐसी हैं कि मिटती नहीं हस्ती हमारी और मिटने वाली भी नहीं हैं। आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। आप पहले भी सत्ता में आ चुके हैं। तीसरी दफा सत्ता में आपकी पार्टी आयी है और पार्टी तीनों ही दफा जोड़-तोड़ के साथ आयी है। जनता पार्टी की सरकार 1977 में थी। भली-भांति जानकारी होगी आपको, सरकार को, शासक दल को कि राजस्थान की समस्याएं क्या है और राजस्थान की जो भौगोलिक विषमता है उसके साथ ही राजस्थान में चम्बल के अलावा, और वह भी बहुत कम मात्रा में है, पैरीनियल रिवर नहीं हैं।

सभापति महोदय, राजस्थान एक ऐसा प्रान्त है जिसमें पीने के पानी का, अण्डरग्राउण्ड वाटर का स्तर दूसरे राज्यों के मुकाबले बहुत ही कम है। राजस्थान ऐसा राज्य है जिसके पास में वित्तीय साधनों की बहुत बड़ी कमी है। आप यह सोचते होंगे, आप बहुत ज्यादा इच्छुक हैं लम्बी लीव लेने की, कांग्रेस के लोग राजस्थान के विकास को त्वरित गति देकर तेज रफ्तार से नहीं करना चाहते थे, यह बात नहीं है। हमारे सामने समस्या साधनों की थी और यह समस्या आपके सामने भी है। राजस्थान जो देश के अन्दर दूसरा बड़ा भौगोलिक प्रान्त है उसकी पापूलेशन छितरी हुई है। होस्टाइल टेरेन, तीन चौथाई जियाग्राफिकल स्थिति, पानी की कमी और अर्स्टव्हाइल स्टेट के अन्दर इन्फास्ट्रक्चर, जो बेसिकल स्ट्रक्चर जीरो था, जो आठ मेगावाट बिजली पैदा हो रही थी, इसलिए जब आप इस राज्य का विकास करने की बात सोचते हैं तो मैं प्रस्तावक महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि मैं भी बाड़मेर गया हुआ हूं, 1950 में एक किलोमीटर डामर की सड़क बाड़मेर में नहीं थी। मैं 1949 और 1950 में ऊंटों से सांचौर तहसील में घूमा हूं, लड़ाई और उसके मामले में। एक किलोमीटर डामर की सड़क नहीं थी और ग्रेवल की सड़क नहीं थी। मैं ऊंटों पर घूमता था। आज नेशनल हाईवे पर और स्टेट हाईवे पर आप कौनसी गाड़ी है जिसमें रवाना हो रहे थे गंगारामजी को लेकर 28 तारीख को। बहुत बड़ी गाड़ी थी और साढ़े छः घण्टे में आप जयपुर पहुंच गये थे। यह देन कांग्रेस की है, आप इसको ओझल मत कीजिये। एक सड़क की बात नहीं कह रहा हूं, मैं बहुत बड़े दायरे में बात कह रहा था। मुख्य मन्त्रीजी स्वयं जानते हैं लेकिन मुख्य मन्त्रीजी जानते हुए भी अनजान बनें तो वह बात अलग है, क्योंकि मुख्य मंत्रीजी की एक खासियत है और मैं सदन में भी प्रशंसा करूंगा कि धुआंधार भाषण करने में उनको महारथ हासिल है उसका परिणाम यह होता है कि आप लोगों को फुसला और बहला देते हैं इस-

(श्री परसराम मदेरणा)

लिए लक्ष्य आपकी आंखों से ओझल हो जाता है।

प्रस्तावक महोदय ने बहुत लम्बी चौड़ी बात कही है कि यहां पर संसार की बहुत बड़ी योजना "अन्त्योदय" प्रारंभ की गयी है, जिसकी आपने तारीफ की है। यह कोई योजना नहीं है। मैं 1974, 75 एवं 76 में फूड मिनिस्टर था और 1976 में प्रोक्योरमेंट गंगानगर जिले में हुआ है वह ओवर टाइम रिकार्ड है। कितना अनाज पैदा हुआ था? भारत सरकार के पास में ढाई करोड़ टन अनाज पड़ा हुआ था और वह अनाज पहले भी वितरण हो रहा था। आपने एन. आर. ई. पी. के काम कराने के लिए काइंड के अन्दर डिस्ट्रीब्यूशन किया। मैं पहले भी कह चुका हूं अन्त्योदय के बारे में मेरे बड़े कटु अनुभव हैं। मेरे यहां पर 30-40 लाख का घोटाला हुआ था। मैं सदन में कह चुका हूं, 1975 में असेम्बली की प्रोसिडिंग में है। इसलिए कोई ऐसा बड़ा काम आपने नहीं किया। अगर आपने काम किया है तो 1990 के अन्दर आपकी सरकार बनी थी और राज्यपाल के अभिभाषण में आपने एक बात कही थी कि हम गरीब को गणेश मानते हैं और तमाम डिपार्टमेंट्स का वह केन्द्र बिन्दु बन गया है, हालांकि हमारा खजाना खाली पड़ा है और आलमारी के अन्दर चूहे खड़े हैं, उसके बाद में आपकी सरकार ने कोई भी इवेल्यूएशन कराया है? पावर्टी लाइन के नीचे और चयनित जो फेमिलीज हैं आई. आर. डी. पी. के अन्दर, वास्तव में उनके जीवन यापन में और उनकी आर्थिक आमदनी में कोई इजाफा हुआ है या नहीं, इस बात का कोई इवेल्यूएशन है? यदि इस बात का इवेल्यूएशन नहीं है तो डी.आर.डी.ए. की मीटिंग में, प्रस्तावक महोदय, आप और मैं यही बात पूछ रहे थे, आप भी उपस्थित थे, मैं भी उपस्थित था और अपनी मीटिंग करीबन छह-आठ घंटे चली थी, तारीख भूल रहा हूं, शायद 27 जनवरी थी, नहीं है न?

श्री सभापति : आपको साहब, 47 से सब तारीखें याद हैं।

श्री परसराम मदेरणा : नहीं, कम्पेरेबल से तो कम्पेयर किया जाना चाहिए लेकिन यह जवान आदमी हैं और मैं बुजुर्ग हूं इसलिए मेरी और इनकी मेमोरी का कम्पेरीजन तो कम्पेरेबल के साथ होता है, आज चालीस साल और सत्तर साल के आदमी के बीच में कम्पेरीजन करना, मैं समझता हूं, उचित भी नहीं है और उपयुक्त भी नहीं है, इसलिये मैं पूछ रहा था। और मैं यह इसलिये निवेदन कर रहा था कि चाहे आप योजनाओं को कोई भी नाम दे दीजिये, 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार थी उस वक्त जो योजनाओं के नाम दिये गये, उस वक्त आपकी निधि और ऐसी कोई 17–18 संस्थाओं का यहां पर उल्लेख किया गया था, उनका कोई जिक्र नहीं है। और प्रस्तावक महोदय कह रहे हैं कि मजदूरों के पास 2–4 किलो भी गेहूं नहीं था, उनके पास गेहूं की बोरियां इकट्ठी हो गयीं। भारत सरकार का प्रोक्योर किया हुआ अनाज आपको दे रही थी सरकार। किया था प्रोक्योर कांग्रेस गवर्नमेंट ने और जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार जरूर थी, वहां अनाज

(श्री परसराम मदेरणा)

विबल हो रहा था, उस अनाज का उपयोग करना था, आपको दे दिया और फिर एक संसार की सबसे बड़ी योजना आपने यहां प्रारम्भ कर दी जिसकी दुनिया तारीफ कर रही है। आप व्यक्ति पूजा छोड़ दीजिये। व्यक्ति पूजा करेंगे तो मैं यह समझता हूं कि निश्चित तौर से आपकी पार्टी का अहित होगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : आप चाहते हैं क्या ?

श्री परसराम मदेरणा : और यह प्रस्तावक और समर्थक महोदय ने और कुछ नहीं किया है, मुख्य मंत्रीजी, सिवाय आपकी +++ के और यह नहीं करना चाहिये। गवर्नर के एड्रेस के ऊपर आप आभार प्रकट करने जा रहे हैं और सरकार की नीतियों का दिग्दर्शन करने जा रहे हैं सदन के अन्दर और सदन का सपोर्ट लेना चाहते हैं....

एक माननीय सदस्य : बोलने वालों ने भी +++ है।

श्री परसराम मदेरणा : लेकिन हर चार मिनट के बाद में मुख्य मंत्रीजी की तारीफ और प्रशंसा के पुल बांधते ही चले गये और फिर बांधते चले जाओगे....

श्री टीकमचन्द कान्त (सिवाना) : इसमें उल्लेख शेखावत सरकारों का है।

श्री परसराम मदेरणा : तो आप भी उन लोगों की श्रेणी में आ जायेंगे जो लोगों की तारीफ में ही लगे रहते हैं।

श्री किशनाराम नाई (डूंगरगढ़) : काम की तारीफ तो होनी चाहिए।

श्री परसराम मदेरणा : बहुत आश्चर्य की बात है, सभापति महोदय, कि राजस्थान के इलाके के अन्दर, खास तौर से डेजर्ट इलाके में, गंगानगर जिले में, जयपुर में जो जनसंख्या की वृद्धि हुई है वह हिन्दुस्तान के अन्दर सबसे ज्यादा है। बढ़ती हुई जनसंख्या, लोएस्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर, छितरी हुई आबादी, डेन्सिटी आफ पापूलेशन हिन्दुस्तान में सबसे कम, पानी की कभी कोई पेरीनियल रिवर नहीं और इन्फ्रास्ट्रक्चर की डिलीवरी हाई कोस्ट आफ डिलीवरी है सर्विसेज की, हाई कोस्ट आफ डिलीवरी है पर यूनिट, चाहे वहां पर बिजली पहुंचाओ, चाहे स्कूल ले जाओ। आज सबसे बड़ी समस्या स्कूल के बारे में यह आयी है कि प्राथमिक स्कूलों में आज भी लड़के छह-छह मील तक पढ़ने के लिए जा रहे हैं क्योंकि लोग ढाणियों में बैठे हुए हैं। ईस्टर्न और वेस्टर्न राजस्थान के लोग, जो इलाका यू.पी. के पास आया हुआ है, उसमें मजरे हैं। हमारे वहां पर ढाणियों की विचित्र स्थिति है कि एक आदमी अपनी ही ढाणी में रहता है, वह समूह नहीं घरों का, जैसे मजरे होते हैं। मजरे 8-10-15 शामिल हो जाते हैं। आज भी मैं देख रहा था कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में 14-14 किलोमीटर से मतदाता आते हैं रिकार्ड में यह है कि डेढ़ किलोमीटर से ज्यादा कहीं भी मतदाता अपना मत प्रयोग करने के लिए नहीं जा रहे हैं, लेकिन 14-14 किलोमीटर जा रहे हैं। अभी कुछ पोलिंग

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(श्री परसराम मदेरणा)

स्टेशन की बात थी तो मैं प्रस्ताव देकर आया था। इन विषमं परिस्थितियों के अन्दर आज हमारे सामने जो समस्यां हैं, हमारे सामने जो कठिनाई है, हमारे सामने जो इम्पेडिमेन्ट्स हैं, हमारे सामने जो बोटलनेक्स है और हमारे सामने जो ईन्हरेंट हैण्डीकेप हैं राजस्थान को, आज देश के किसी भी राज्य में नही हैं। उसी तरह से आपको योजनायें और कार्यक्रम बनाने पड़ेंगे और इसलिए मैं यह निवेदन कर रहा था, कहना तो मैं नहीं चाहता था क्योंकि बात का ज्यादा सम्बन्ध उससे है नहीं, लेकिन प्रस्तावक महोदय ने कहा कि हमने ऐसी-ऐसी योजनाएं बनायी एकलव्य योजना, गोपाल योजना, गणेश योजना, बाल्मिकी योजना, भागीरथी योजना और कौनसी योजना का नाम छोड़ दिया, आप हाई साउण्डिग हैं नाम देने में। मैं देख रहा था जिस वक्त डी. आर. डी. ए. के अन्दर यह मैसिव प्रोग्राम आया, माननीय सदस्य बैठे हुए थे, मैसिव और एक्सीलरेटेड वर्ड का प्रयोग करके ऐसे देख रहे हैं, मैसिव में देखा तो कुछ भी नहीं है मैसिव में। मैं सोच रहा था कि एग्रीकल्चर प्रोग्रेसिंग के लिए यह बहुत बड़ा मैसिव प्रोग्राम आया है। इसलिए राजस्थान के इन्फ्रास्ट्रक्चर को क्रियेट करने के लिए हमारे पास साधन पूरे नहीं हैं और जब हमारे पास साधन नहीं हैं तो आप की कथनी और करनी जो है, प्रस्तावक महोदय ने कहा कि हमारी कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है, मुझे कहना तो नहीं चाहिए लेकिन मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, मुख्य मंत्रीजी....(व्यवधान) यह मैं गवर्नर के एड्रेस को कोट कर रहा हूं जो 24 फरवरी, 1992 का है। आपको यह जानकर खुशी होगी, आपको नहीं, इस सदन के माननीय सदस्यों को खुशी होगी, कई थे इनमें से, कई नहीं थे लेकिन ज्यादातर थे, कि अप्रैल, 1991 में विनियोग स्वीकृति मिलने के बाद बरसिंगसर लिग्नाइट तापीय विद्युत परियोजना का कार्य नेवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन द्वारा चालू कर दिया है। नेवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन तो पीछे हट गया, अभी मुख्य मंत्रीजी कह रहे थे कि मैं दूसरे से बात कर रहा हूं, किसी आस्ट्रेलिया या कनाडा से, किसी से बता रहे थे, उसके नौ दिन बाद मुख्य मंत्रीजी ने भाषण दिया सदन में, 4 मार्च, 1992 को, मुख्य मंत्रीजी कह रहे हैं—बरसिंगसर परियोजना के लिए भूमि अवाप्ति की कार्यवाही में कई बाधाएं उत्पन्न हुई, राज्य सरकार के सतत् प्रयत्नों के फलस्वरूप भूमि अवाप्ति की कार्यवाही तत्परता से पूरी हो सकी और अब परियोजना पर प्रारम्भिक कार्यवाही शुरू हो गयी है। मैंने प्रधान मंत्रीजी से निवेदन किया है कि वह शीघ्र इस परियोजना का शिलान्यास करें। प्रधान मंत्रीजी को शिलान्यास करने के लिए आपने बुला लिया और उसके बाद उस योजना का कोई अता-पता नहीं है आज भी, यह है आपकी कथनी और करनी।

श्री खेत सिंह राठौड़ (शेरगढ़) : वह तो अयोध्या से ही मालूम हो गया।

श्री परसराम मदेरणा : अयोध्या के सम्बन्ध में जितनी भी विवेचना और विश्लेषण माया के अन्दर किया गया है आपकी कथनी और करनी का, जब शेरगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य और

(श्री परसराम मदेरणा)

हमारी पार्टी के चीफ व्हिप महोदय ने इसका उल्लेख ही कर दिया है तो मैं उस विवेचन को पढ़ना उचित समझूंगा। बी जे. पी. की कथनी-करनी कितनी एक है इसका प्रमाण 6 दिसम्बर को मिला जब उसने सर्वोच्च न्यायालय, संसद और राष्ट्रीय एकता परिषद को दिये गये अपने वचन के खिलाफ चल कर 6 दिसम्बर को बाबरी मस्जिद ढहा दी और इस तरह भारतीय सविधान को गहरी चोट पहुंचायी। 6 दिसम्बर के बाद लम्बे अरसे तक भाजपा नेता मस्जिद ढहाये जाने पर घड़ियाली आंसू बहाते रहे लेकिन ज्यों-ज्यों चुनाव नजदीक आते गये, त्यों-त्यों इनमें से बहुत से नेता मस्जिद ढहाने के कारनामे को अपना सबल और उचित कदम बताने लगे। कल्याण सिंह और भाजपा नेता अपने चुनाव भाषण में यह कहते हुए घूम रहे थे कि अगर उत्तर प्रदेश में पहले से एक भी कम सीट मिलीं तो वे उसे भाजपा की हार मानेंगे और 6 दिसम्बर के खिलाफ जनता का अभिमत मानेंगे। ज्यों-ज्यं चुनाव नजदीक आये और भाजपा को अपने पैरों तले धरती खिसकती नजर आयी, त्यों-त्यों भाजपा नेता अपनी कथनी बदलने लगे। भाजपा अध्यक्ष श्री लालकृष्ण आडवाणी ने खुले आम कहा कि वे कल्याण सिंह की राय से सहमत नहीं हैं और इन चुनावों के नतीजों को 6 दिसम्बर की घटनाओं का जनमत संग्रह नहीं माना जा सकता।

आपने सर्वोच्च न्यायालय, नेशनल इंटीग्रेशन कौंसिल, संसद से दगाबाजी की है। वहां जो एफिडेविट देकर समय-समय पर ड्यूरिंग इलेक्शन आप अपना स्टैण्ड और अपनी कम्पनी को बदलते रहे, फिर आप कह रहे हैं हमारी कथनी और करनी एक है और जो हमने कहा, वही किया। आपने कहा है, आपने एफिडेविट दिया था सुप्रीम कोर्ट को लेकिन सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की। इसलिए आपको देखना चाहिए अपने गिरहबान में।

यहां पर एक बहुत बड़ी तारीफ प्रस्तावक महोदय ने की कि पंचवर्षीय योजना का आकार मुख्य मंत्रीजी ने अपनी सूझ-बूझ क्षमता, और पैरवी, बुद्धि के जरिये बढ़वाया है तथा पहले के शासन में बहुत छोटी योजना बन रही थी। उस सम्बन्ध में मुख्य मंत्रीजी वहां पर क्या वादे करके आये हैं, लेकिन अभी तक जो आपकी तीन साल की योजना सामने आयी है, उसका आकार 11500 करोड़ रुपये के अनुपात के अन्दर जो है, आप कहीं भी रिसोर्स डवलपमेंट करने की बात कर रहे हैं। यह रुपये की परचेजिंग पावर जब घटती हुई चली जा रही है उस सन्दर्भ में आप इस योजना को कांस्टेण्ट प्राइस के ऊपर परकोलेट करके तो बताइये कि इसका रियल आकार क्या है, वास्तविक टर्म्स क्या है? आज जो है इनफ्लेशनरी ट्रेण्ड इकॉनामी में चल रहा है इसलिये यह आउट ले का बढ़ा हुआ आंकड़ा बिल्कुल यथार्थ नहीं है। वह गलत कह रहे हैं, लोगों को झांसा पट्टी दे रहे हैं। अगर यह आकार भी होगा तो क्या कोई क्राइटेरिया है? मुझे माफ करना, मैं आल इण्डिया के पर्सेण्टेज दे रहा हूं, तीन योजनाओं को छोड़ दीजिए आप, और अगर वह पर्सेण्टेज गिरी हुई नहीं है, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ प्लान में बहुत कम गिरी हुई है,

(श्री परसराम मदेरणा)

लेकिन आपका जो आठवीं पंचवर्षीय योजना में 11500 करोड़ रुपये का आकार है वह राष्ट्रीय योजना का 2.65 प्रतिशत है। उससे पहले पहली योजना का आकार राष्ट्रीय योजना का 3.29 प्रतिशत था, इसके बाद तीसरी योजना का आकार 2.75 प्रतिशत था और बाकी योजनाओं का आकार 2.15, 2.07, 2.61 प्रतिशत था। सेवंथ का सबसे कम था। मेरे कहने का मतलब यह है कि आकार आपका नहीं बढ़ा है, पूरे देश की योजना का आकार भी अनुपात में बढ़ता हुआ चला गया है। इसलिए आपने बहुत बड़ा अचीवमेंट किया हो, मैं इसे नहीं मानता।

श्री टीकमचन्द कान्त : यह योजना....

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री परसराम मदेरणा : मैंने अभी कहा आपसे, फिर आ गये आप मेरे सामने कम्पेरिजन करने के लिये। मैं कह रहा हूं, कम्पेरेबल से कम्पेरिजन मै कर रहा हूं।

एक माननीय सदस्य : मुख्य मंत्री से।

श्री परसराम मदेरणा : नहीं, मैं मुख्य मंत्री से नहीं कर रहा हूं। मैं राष्ट्रीय योजनाओं का जो आकार है, उससे राजस्थान की योजना को कम्पेयर कर रहा और आप बीच में ही है....

श्री सभापति : आप बार-बार उनका नाम सुमरन कर रहे हैं इसलिए आ रहे हैं।

श्री परसराम मदेरणा : अपने से कम्पेयर करने के लिए खड़े हो जाते हैं।

मैं निवेदन यह कर रहा था, मुख्य मंत्रीजी, इस अभिभाषण, जो राज्यपाल महोदय ने कृपापूर्वक इस सदन में दिया, के अन्दर आपने स्टेट पब्लिक अण्डरटेकिंग के लिए एक भी बात नहीं कही। आज राजस्थान में 49 अण्डरटेकिंग्स चल रही हैं, जिनके अन्दर अरबों रुपयें का निवेश किया हुआ है। वे लाभ में चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं, प्रतिफल दे रही हैं या नहीं दे रही हैं, विधान सभा की पी.यू.सी. के चेयरमैन लम्बे अरसे तक और वह जानते हैं उनकी स्थिति को अच्छी तरह से परन्तु उस सम्बन्ध में आपने एक भी शब्द नहीं दिया है। इसीलिये आपका राज्यपाल महोदय से दिलवाया हुआ अभिभाषण यह अगर अर्थहीन भी नहीं है तो इसमें कोई दिशा-निर्देश भी नहीं है।

बिजली के सम्बन्ध में बहुत बड़ी बात कही गयी है। हम बहुत बड़ा निवेश करने जा रहे हैं, बिजली के क्षेत्र में। जैसा कि मैं पिछले सत्र में कह चुका हूं, सी.ई.ए. चौदहवीं रिपोर्ट के अन्दर 45 प्रतिशत लेकर के जो अनुमान लगाया गया है आठवें प्लान के आने के बाद ...

श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : 49.6 प्रतिशत।

श्री परसराम मदेरणा : 49.6 प्रतिशत का गेप रहेगा सप्लाई और डिमाण्ड के अन्दर। अगर आपको फिस्कल मैनेजमेंट के अन्दर महारथ हासिल है तो उसके आधार पर आप निजी संस्थाओं को आमंत्रण क्यों दे रहे हैं बिजली उत्पादन के मामले में ? बिजली के लिए बहुत बड़ा

(श्री परसराम मदेरणा)

पैरा दिया गया है इसमें धौलपुर ताप संयंत्र में भी निजी क्षेत्र की भागीदारी की बात कही गयी है। बरसिंगसर लिग्नाइट के अन्दर भी निजी क्षेत्र की बात कही गयी है और यहां पर आपने आर.एस ई.बी. के लोन को इक्विटी में बदल दिया है। 91 के बजट भाषण में आपने उल्लेख किया है। 1992 में भी इसी 613 करोड़ का उल्लेख किया है और 1993 में फिर 613 करोड़ को आपने उसमें कन्वर्ट कर दिया तो आप यह बात तो बताइये कि आपका टोटल लोन कितना है। आर.एस.ई.बी. पर ? फिर आपने आगे जाकर यह कहा कि हमने यह किया है, केवल आपने ही नहीं किया, कई राज्यों ने किया है, लोन को इक्विटी में कन्वर्ट दूसरे राज्यों ने भी किया है। बिजली हेतु सरकार की देय राशि को भी वापस विद्युत मण्डल को उपलब्ध कराया गया है। वापस काहे का उपलब्ध कराया है, वह देने की स्थिति में शायद नहीं होंगे जो आपने उसको राइट ऑफ कर दिया होगा। You have invoked section 63 of the Electricity Supply Act जिसमें आपका यह सब्वेंशन का प्रोविजन है। शायद सब्वेंशन दिया होगा आपने, मैं समझता हूं। आपने जो यहां पर हमसे सुझाव मांगा, मुख्य मंत्रीजी, आपकी सरकार ने विद्युत मण्डल की स्थिति और भी बिगाड़ दी है। इस समस्या के निदान के लिए सरकार माननीय सदस्यों के सुझावों का स्वागत करेगी। अगर हमारे सुझावों का स्वागत आप कर रहें हैं तो आकार को गिराते हुए आपने यह जो आटोनामी आर.एस.ई.बी. विद्युत मण्डल को दी है, टैरिफ की दरों को इन्क्रीज करने के मामले में आप पीछे हुए हैं, you have receded back और आर.एस ई.बी. को आगे किया है। वहां पर हमारे सुझाव मांग लेते कि टैरिफ बढ़ानी चाहिए कि नहीं बढ़ानी चाहिए बहुत से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि बालूराम को किसने मरवाया। मरवाया तो मरवाया लेकिन अब जब बात कह रहे हैं, एक दूसरी बात सब मंत्री कर रहे हैं इसलिए मैं निवेदन यह कर रहा था कि अगर हमारे सुझाव लेना चाहते हैं तो आप सभी मुद्दों पर लीजिए एकाध मुद्दों के ऊपर की बात कर दी, जैसे भारत सरकार योजना में ऐसी कटौती पहले कर लेती है, इसलिए इस सम्बन्ध में, सुझाव आप दीजिए। निजी क्षेत्र को आप बहुत बढ़ावा देना चाहते हैं सभापति महोदय, यही नहीं मुख्य मंत्रीजी ने एक दूरदर्शिता दिखाई हैं यह प्रयास होगा कि पिछले दो वर्षों में उद्योग, पेयजल, नगरीय विकास, महिला विकास, गरीबी उन्मूलन व आधारभूत संचालन के क्षेत्र में चार पांच हजार करोड़ रुपये की योजनाएं बनाकर अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं को भारत सरकार के माध्यम से सहायता हेतु प्रस्तुत की जावे ताकि नवीं योजना में भी योजनागत विनियोग की वर्तमान वृद्धि को बनाया रखा जा सके। वह प्रयास प्रदेश के दीर्घकालीन विकास के लिए वर्तमान सरकार की दूरदर्शिता का द्योतक है।

माननीय मुख्य मंत्रीजी, पांच हजार करोड़ का लोन राजस्थान की जनता पर, राजस्थान के लोगों पर आप डालना चाहते हैं, दूसरी तरफ आपकी पार्टी का

(श्री परसराम मदेरणा)

एक निश्चित मत है कि इण्टरनेशनल मॉनीटरी फण्ड, वर्ल्ड बैंक और दूसरी संस्थाओं से और अन्य देशों से सहायता ले कर हिन्दुस्तान की इकानोमिक सोवरीनिटी आर्थिक सम्प्रभुता को गिरवी रख दिया गया है। मुख्य मंत्रीजी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पहले आप पौने तीन साल तक सत्ता में रहे, फिर आप दो साल से ऊपर तक सत्ता में रहे और अब आप फिर सत्ता में आये हैं, राजस्थान के अन्दर राजस्थान की सरकार ने जो ऋण लिया है, कर्जा लिया है, उस कर्जे का भार आपके वक्त में सबसे ज्यादा है। आप रीयल टर्म्स में और करण्ट प्राइस से भी कम्पेयर कर लीजिए। फिर आप पांच-छह

(14·00)

(श्री रमाकांत शर्मा, सभापति, पदासीन)

हजार का भार और लाना चाहते हैं, मैं आपसे यह पूछता हूं कि यहां डेट सर्विसिंग की और दूसरी बात आज की जाती है और जिस वक्त यह जो लिबरलाइजेशन की पालिसी और इकोनोमिक पालिसी केन्द्रीय सरकार ने अख्तियार की तो उस वक्त यह सोचा जा रहा था कि यह बहुत रिट्रोग्रेड और कन्जर्वेटिव पालिसी है और इससे देश को बहुत-बड़ा नुकसान होगा और हमारी प्रभुसत्ता गिरवी रख दी जायेगी। अभी जो परसों बजट भाषण दिया है केन्द्रीय वित्त मंत्री ने, आई. एम. एफ. के लोन हैं करीबन बयालीस सौ करोड़ या तयालीस सौ करोड़ की कर्ज की इंस्टालमेंट एडवांस लेने की बात कही है जबकि शिड्यूल नहीं आयी है और पैट्रोलियम पदार्थ और दूसरे फर्टिलाइजर्स हिन्दुस्तान में हो ही नहीं रहे हैं उसको लेने के लिये आज जो कुछ भी हमें फॉरेन एक्सचेन्ज की जरूरत है अगर उस फॉरेन एक्सचेन्ज के अन्दर हम इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का बैलेंस नहीं करेंगे और आज जो ग्लोबलाइजेशन के अन्दर बिलकुल एक नये इकानामिक सम्बन्ध बनने जा रहे हैं उसमें हम नीचे रह जायेंगे, पिछड़ सकते हैं। चीन और थाइलैण्ड जैसे देश आज हमसे बहुत आगे हैं और बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं और एक समय ऐसा था, आज से 15 साल पहले चीन हम से नीचे था। इसलिए आज जो वर्ल्ड आर्डर इकानामी का बन रहा है उसमें हम नीचे नहीं रह सकते। मुख्य मंत्रीजी, आपने इसमें कोई संकेत नहीं दिया है लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि करीब-करीब ग्यारह हजार करोड़ रुपये का ऋण राजस्थान सरकार और राजस्थान की जनता पर है और ग्यारह हजार करोड़ की आपकी पूरी ग्रोस नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, उसका पर्सेण्टेज जाना चाहिए 20 और 22 के बीच में। इस तरह से भारत सरकार का है, रुपया कैसे खर्च होगा और उस रुपये के ऊपर लोन की क्या पर्सेण्टेज है? 26 पैसे बताया, तो भारत सरकार और आपके बीच बहुत ही थोड़ा फर्क है। आप बहुत तेजी से राजस्थान को कर के शिकंजे में लाये हैं क्योंकि आप कोई भी डायरेक्ट रिसोर्सेज रेज करने की हिम्मत बटोर नहीं सकते। बोरोइंग के सम्बन्ध में मैं तो इतना ही कहूंगा कि आप जो प्लान बना रहे हो, वार्षिक प्लान के अन्दर जैसा कि मैंने अभी स्टडी किया, उस समय जब फाइनेंस कमीशन आया था, 1994-95 की जो वार्षिक योजना बनेनी

(श्री परसराम मदेरणा)

और वार्षिक बजट बनेगा जो करीबन सात या साढ़े सात हजार करोड़ रुपये के आस-पास होगा उसमें रेवेन्यू और कैपीटल का, उसमें डेट सर्विसिंग सत्तरह सौ करोड़ रुपये और इसलिए यह भी एक आंकड़ा है कि बहुत ज्यादा हम आगे बढ़ रहे हैं और हमने फिस्कल मैनेजमेण्ट किया है, मैं ऐसा समझता हूं कि यह रीयलिटी से बहुत दूर है।

पेयजल के सम्बन्ध में कहना चाहूंगा कि राजस्थान के साढ़े बाइस हजार गांवों में अकाल है और क्योंकि आपकी कथनी और करनी एक है, मुख्य मंत्रीजी, आपने गवर्नर से यह कहलवा दिया कि मैं सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा कि जनवरी माह में अकाल राहत कार्य शुरू कर दिये जायेंगे और अन्य प्रकार की राशि उपलब्ध करायी जायेगी। फिर बार-बार स्टेटमेंट आते रहे कि एक जनवरी से काम प्रारम्भ हो रहा है। 27 तारीख को बाड़मेर में प्रस्तावक महोदय और मैं, दोनों ही थे, मैंने पूछा था कि फेमिन में कोई प्रस्ताव है कि नहीं ? उन्होंने कहा, नहीं-नहीं, अभी सरकार की तरफ से कोई निर्देश नहीं आया। यह है आपकी कथनी और करनी। साढे बाइस हजार गांवों में अकाल, मार्जिन मनी आपके पास में तीन सौ करोड़, पानी की जबरदस्त समस्या, मवेशी भूखे मर रहे हैं, मौतें हो रही हैं, पशुधन को आप बचाना नहीं चाहते और गोपाल योजना में कृत्रिम गर्भाधान के लिए पढ़े-लिखे युवकों को आप प्रशिक्षित कर रहे हैं। मुझे यह बतायें कि इस गोपाल योजना में, जो तीन-साढ़े तीन साल से चल रही है, प्रतिवर्ष एक लाख पढ़े-लिखे युवकों को प्रशिक्षित करने का आपका लक्ष्य पूरा हो गया, उसके बाद क्या इससे नस्ल कुछ सुधरी या नहीं ? यदि सुधरी तो कितने जिलों में, कितने गांवों में उससे दूध का उत्पादन कितना बढ़ा और उससे लोगों की आमदनी में कितना इजाफा हुआ ? इस सम्बन्ध में भी इवेल्यूएशन किया जाना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूं कि कांस्टेंटली अगर आप विजिलेण्ट नहीं रहे डवलपमेंट एक्टीविटीज के ऊपर तो सिर्फ एक स्वीकृति अपने आप आप में कुछ भी नहीं है और इसलिए प्रस्तावक महोदय से मैंने आखिर में पूछा था कि इवेल्यूएशन कराया, यह पूरे के पूरे डी.आर.डी.ए. के जितने भी प्रोग्राम चल रहे हैं जिनका उल्लेख किया है, यह काफी लम्बे अरसे से चल रहे हैं। विकास के प्रोग्राम चल रहे होंगे कम से कम पचास, इसलिए डवलपमेंट प्रमोशनल एक्टीविटीज जो अलग-अलग स्कीमों के अन्तर्गत अलग-अलग डवलपमेंट प्रोग्राम चला रहे हैं इनका आपको मूल्यांकन करना चाहिए कि वास्तव में जिनको हम लाभान्वित करना चाहते हैं जो बेनिफिशियरी हैं उनको बेनिफिशियरी बेनिफिट मिलता है या नहीं, इसका सरकार ने न तो कोई उल्लेख किया है, न इस प्रकार का उनका कोई संकेत है, न इस प्रकार का कोई दृष्टिकोण और दिग्दर्शन इस राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में है। मेरा नम्र निवेदन है मुख्य मंत्रीजी कि अकाल के मामले में मार्जिन मनी को बचाकर आपको 24 करोड़ रुपये देना पड़ता है इसमें और इस तरह से आप फिस्कल मैनेजमेंट का सर्टिफिकेट लेना

(श्री परसराम मदेरणा)

चाहते हैं लेकिन मैं ऐसा मानता हूं और जैसा कि मैं असेस कर सका कि दो-तीन साल में मार्जिन मनी इकट्ठी होती चली गयी वह कुछ आपने फ्लड्स में जरूर खर्च की है लेकिन उसके बाद में तीन सौ करोड़ के आस-पास धनराशि आपके पास है और वह धनराशि लोगों को राहत देने के लिए आपको खर्च करनी चाहिये। नहीं तो मैं समझता हूं कि टेंथ फाइनेंस कमीशन इस वक्त ग्राण्ट नहीं देने वाला है जा कि पहले आपको नहीं मिली है। वह इसलिये नहीं देने वाला कि वह अच्छी तरह से जानता है कि खर्च इतना हो नहीं रहा है और यह अपनी वैज एण्ड मींस पोजीशन को ठीक रखने के लिए उस अनुदान का उपयोग नहीं कर रहे हैं। मेरा, सभापति महोदय, यह आपके मार्फत अध्यक्ष महोदय से निवेदन है कि अकाल और पेयजल के सम्बन्ध में एक दिन अलग से चर्चा इस सदन में चाहिए। यह मुख्य मुद्दा है। पेयजल की जब आज बात कर रहे हैं, पेयजल को हम सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं, क्या मतलब है सर्वोच्च का? टॉप प्रायोरिटी, हाई प्रायोरिटी मतलब यह है और आप अगर हाई प्रायोरिटी दे रहे हैं, मुख्य मंत्रीजी, और सात हजार गांवों में जहां फ्लोराइड है जिसका उल्लेख आप कर रहे थे कुबड़े हो जाते हैं, दांत पीले हो जाते हैं, प्रस्तावक महोदय; मैं सुन रहा था, मैं कह रहा था कि फ्लोराइड की वजह से लोगों में कई तरह की बीमारी हो जाती है, टी. डी. एस. भी ज्यादा है। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार ने जरूर कुछ सोचा है मुझे ऐसा दिख रहा है और जो टेन्थ फाइनेंस कमीशन को मेमोरेंडम दिया गया उसमें रूरल एरिया की जो स्कीम्स हैं उसमें हमने जो ड्रिंकिंग वाटर का इंतजाम किया है उसका आज विस्तार करना पड़ेगा। योजनाएं टेल एण्ड तक पानी नहीं दे रही, आपकी भी नहीं दे रही हैं, सोर्स ड्राई हो गये हैं, हैण्ड पम्प सूख गये हैं। पानी के लिए उनके पास साधन नहीं हैं इसलिए अब ज्यों ही पानी की सप्लाई में व्यवधान आता है तो लोग 15-15 किलोमीटर तक, 20-25 किलोमीटर तक पानी लाने के लिए जा रहे हैं। पानी निकालने के साधन उनके पास प्राचीन समय से थे वह तो उन्होंने छोड़ दिये। मुख्य मंत्रीजी यह कह रहे हैं कि केवल ग्रामीण क्षेत्रों में पोटेबल वाटर, पीने का स्वच्छ पानी देने के लिए आज की प्राइस के ऊपर मिनिमम सात हजार करोड़ रुपये की आवश्यकता है जिसमें अरबन एरिया की आप बात ही नहीं कर रहे हैं और अरबन एरिया की प्राब्लम भी मुख्यमंत्रीजी, उतनी ही गम्भीर होती जा रही है। जिस प्रोजेक्टेड फार्मूलेशन को एन्विसेज करके योजनाएं बनी थीं वे योजनाएं अब आउट आफ डेट होती जा रही हैं। पापुलेशन बढ़ती चली जा रही है और कई शहरों में तो पानी तीन-तीन दिन के बाद में मिलता है। अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य मुझे बता रहे थे, तीन-तीन, चार-चार दिन के बाद में घन्टे भर के लिए पानी मिलता है और इसलिए कहते हैं कि वह ऊपर का जो एरिया आया हुआ है हायर, उसके अन्दर पाइप लाइंस लगी हुई हैं वह बहुत कम डाई-मीटर की लगी हुई हैं, आज भी लगी हुईहैं, 20 साल पहले भी लगी हुई थी इसलिए रि-आर्गेनाइजेशन और रिवेम्पिग आपको सब

(श्री परसराम मदेरणा)

योजनाओं का करना पड़ेगा, नहीं तो पानी की समस्या निरन्तर मुंह बाये खड़ी रहेगी। रूरल एरिया में तो सात हजार करोड़ रुपये की आप बात कर रहे हैं, इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए आपने जो बात चार-पांच हजार की है ऐसे रूरल एरिया के अन्दर सात हजार है और आपने उसमें पांच विषय ले लिये हैं। आप यह बताइये और आपकी सरकार यह बताये कि आने वाले समय में कब तक, 21 वीं सदी के 10 वर्षों में या 21 वीं सदी के 15 वर्षों में रूरल और अरबन एरिया के अन्दर पीने के पानी की समुचित व्यवस्था, जिसको आप सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं, कब और कैसे पूरी करेंगे।

माननीय सभापति महोदय, मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लेते हुए एक निवेदन करूंगा कि मुख्य मंत्रीजी दूरदर्शी तो हैं लेकिन मैंने यह कहा था कि 1984 में मैंने पी. एच. ई. डी. मिनिस्टर्स कान्फ्रेन्स में एक पेपर पढ़ा था जिसको मैं आपको देना चाहता हूं। पहले मेरे पास उसकी एक ही कॉपी थी अब मैंने बहुत कॉपियां करा ली हैं। प्रभारी मंत्री जी, उस वक्त मैंने यह बात कही थी कि निश्चित तौर पर आने वाली कई पंचवर्षीय योजनाओं में इन योजनाओं को डेफर करना पड़ेगा, आप इस बात को शायद जानते होंगे कि राजस्थान के 10 डेजर्ट जिलों के अन्दर जो आज योजना बनती है, मिनिमम पानी की रिक्वायरमेंट 40 लीटर नहीं है, 70 लीटर से ऊपर बनती है और 70 लीटर का यह फैसला, यह तो भारत की प्रधान मंत्री इन्दिरा गांधी थी तो केवल राजस्थान के 10 जिलों के लिए किया था। वे योजनाएँ जो पहले आप चला चुके हैं उनका आग्मेंटेशन और रि-आर्गेनाइजेशन करना पड़ेगा और नयी योजनाएँ जो आज बनती हैं उनमें निवेश ज्यादा है, ज्यादा विनि-योजन आपको करना पड़ेगा इसलिए मैं यह निवेदन कर रहा था कि दूरदर्शिता के सम्बन्ध में आप जितना कर सकते हैं उस बात को कहिये। यही बात आप रिपीट करते हुए चले जायं तो फाइनेन्शियल ईयर के बाद आप कहीं भी पहुंचने वाले नहीं हैं। हमने प्रगति क्या की है और जिन योजनाओं के आपने हाई साउंडिंग विश्लेषण दे रखे हैं वे योजनाएं वास्तव में हमारे लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में सहायक बनी हैं या नहीं बनी हैं? अन्त में, प्रस्तावक महोदय ने डंकल प्रस्ताव के सम्बन्ध में एक धुंआधार भाषण यहां पर मुख्य मंत्रीजी की तरह आध घण्टे में टिकाया। डंकल प्रस्ताव, इस सम्बन्ध में मेरे पास अभी तो डाकूमेंट्स हैं, मैं इतना ही कहूंगा कि इस डंकल प्रस्ताव के सम्बन्ध में जैसा कि मैंने पिछले सत्र में कहा था और आज मैं उसको रीइटरेट करता हूं दुबारा और जैसा कि पुष्कर से आने वाले माननीय सदस्य ने कल कहा था शायद इस बात को। यह बात सही है कि आपको कॉंफिडेंस में लेना चाहिए था मुख्य मंत्रीजी और कांफिडेंस में आते-आते ही आप समरसोल्ट कर जाते हैं। पहले भी कांफिडेंस में थे नरसिम्हा रावजी के आप तो, शिलान्यास के लिए आ चुके थे और आज भी आपकी मित्रता है और मैं यह कहता हूं कि आपस में पर्सनल रेपर्ट रहना चाहिए प्रधान मंत्री और मुख्य मंत्री के

(श्री परसराम मदेरणा)

बीच में। यह कोई नयी बात नहीं है या आप टेबल के नीचे कोई बात नहीं कर रहे हैं। यह राज्य के हित में है। जितनी भी उनसे वार्तालाप करते हैं वह निश्चित तौर पर करनी चाहिए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : प्रधानमंत्री से टेबल के नीचे भी बात होती है क्या ?

श्री चन्दनमल बैद : आप कर सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह तैयार है न। यह मतलब है न।

श्री परसराम मदेरणा : अयोध्या के मामले में आपने प्रधान मंत्री के साथ यह सलूक किया। आप पर विश्वास कर रहे थे और आपके विश्वास के ऊपर, आप बीकानेर चले गये और पीछे विवादित ढांचे को आपने गिरा दिया और एक बहुत बड़ा कलंक आपने देश के ऊपर लगा दिया। यह बात जानते हैं प्रधान मंत्रीजी खुद। मैं कभी भी बात नहीं करना चाहता इस सम्बन्ध में, मैं कहना भी नहीं चाहता आपके बारे में क्योंकि जब उनसे मिलता हूं तो आपके बारे में पूछ लेता हूं। काफी अच्छा मत है, उनका आपके बारे में काफी अच्छा अभिमत है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यही आप रखें तो राजस्थान का विकास हो जायेगा।

श्री खेतसिंह राठौड़ : वह आपमें कुछ नहीं है, आप तो मुकद्दर के सिकन्दर हैं। बाकी कुछ नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : किसानों के अहित का कोई भी प्रस्ताव अगर डंकल का है तो केन्द्रीय सरकार और कांग्रेस पार्टी इस प्रकार के किसी भी प्रस्ताव को कभी भी स्वीकार नहीं करेगी। हम किसान को नुकसान देने वाले, उसका अहित करने वाले किसी भी प्रस्ताव को नहीं मान सकते और आप जो इंटेलेक्चुअल प्रोपर्टी राइट की बात कह रहे हैं या आप अनुदान के सम्बन्ध में बात कह रहे हैं या पेटेंट लॉ की बात कह रहे हैं, आपको यह सब भ्रम है। इसमें केवल एक बात है कि एकाध मेडिशन्स के सम्बन्ध में कोई कास्टिंग बढ़ सकती है, बाकी हिन्दुस्तान के अन्दर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। आप डंकल प्रस्ताव को मत मानिये। आप वर्ल्ड बैंक से लम्बी-चौड़ी योजनाएं ले रहे हैं। डंकल इस संसार में रहता है या दुनिया से कहीं बाहर रहता है ?

(14.20)

(श्री घनश्याम तिवाड़ी, सभापति, पदासीन)

आपकी कई योजनाएं हैं। मैं अभी देख रहा था मुख्य मंत्रीजी को। इन्दिरा गांधी बी.ई.सी.एफ. को जापान से मदद मिल रही है, चम्बल योजना के लिए आपको कनाडा से मदद मिल रही है, विश्व बैंक से आपको समन्वित जल ग्रहण की मदद मिल रही है, कृषि उत्पादन में वर्ल्ड बैंक से मदद मिल रही है, महिला पोलिटेक्निक, जोधपुर के निर्माण के सबन्ध में वर्ल्ड बैंक से मिल रही है, आपको राजस्थान सामाजिक वानिकी में वर्ल्ड बैंक से सहायता मिल रही है, यह 58 करोड़ की वर्ल्ड बैंक की है, यूरोपियन इकॉनामी कम्यूनिटी से सिद्धमुख परियोजना में आपको मदद मिल रही है और जापान से अरावली परियोजना में आपको मदद मिल रही है 10 जिलों

(श्री परसराम मदेरणा)

में। भूजल सर्वेक्षण के लिए विश्व बैंक से मदद मिल रही है और जर्मनी से आप समझौता अलग कर रहे हैं। वर्ल्ड बैंक से छह योजनाओं में मिल रही है, यू. ई. सी. एफ. में दो में मदद मिल रही है, कनाडा से एक में मदद मिल रही है और यूरोपीय इकोनोमिक कमेटी से आपको एक में मदद मिल रही है और यह योजनाएं ले रहे हैं पांच हजार करोड़ की। विदेशों की वित्तीय सस्थाओं को आप अनुरोध करने जा रहे हैं। आपको एक पैसा मिलने वाला नहीं है। सभापति महोदय, ये डंकल की बात करके आप राज्य का अहित मत कीजिये। आप खुद जानते हैं कि इधर डंकल की बात कहेंगे और उधर लोन लेने के बारे में योजना बनाकर, सब योजनाएं निजी क्षेत्र में, वर्ल्ड बैंक से, दूसरे देशों से लायी जायेगी और ऊपर से पैसा लाकर राजस्थान की वित्तीय स्थिति में सन्तुलन बनाकर और आज हमारे पिछड़े हुए प्रान्त में डवलपमेंट के जो इण्डीकेटर हैं, जिसमें हम सबके नीचे हैं, उसको लौकी, मूले की तरह निकालकर सबके ऊपर ले आयेंगे, इस प्रकार की जो आपकी परिकल्पना है, उसकी मैं दाद देता हूं। लेकिन सभापति महोदय ने यह बात कही कि इसमें पूरे राज्य के विकास के मामले का, राज्य की प्रगति के मामले में एक संवेदनशीलता के दिग्दर्शन हो रहे है, वो तो हमने कानून और व्यवस्था की स्थिति को अच्छी तरह से देख लिया। कैसी संवेदनशीलता है और गृहमंत्री ने एक के बाद एक (व्यवधान) नहीं, नहीं। एक जो गोबाराम वाले मामले में वो केस हमने करा दिया। मेडिकल रिपोर्ट आई है, वह सब असत्य है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इसके ऊपर एक बोर्ड बैठाइये और उस बोर्ड के साथ फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य को भी साथ लीजिये। ये बोर्ड के मेम्बर नहीं हो सकते हैं लेकिन आप इनको परमिशन दीजिये, ये साथ रहें, ताकि एग्जामिन करते वक्त यह भी उसको मेडिकली, उस आदमी के गुदा को देख सकें। मुझे इसकी जानकारी मिली है कि कई फीसर्स हैं और आपने जो चुस्त-दुरुस्त प्रशासन पुलिस का करने की बात कही है और हाऊस को कांफिडेंस में लेने की बात कही है, मुझे दिखता है कि आपके भी दिमाग में कोई फीसर्स नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल साफ रहना चाहिए, नहीं तो फ्लोटिंग हो जायेगा। इसलिए मैं आपसे नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि आप राज्य में अब राजीव गांधी की बात कर रहे हैं, उन्होंने एक बात कही थी कि 15 पैसे यह उल्लेख करवाया है इसके अन्दर, अभिभाषण में 15 पैसे जो अधिकतर मिल रहे हैं, योजना स्वीकृत होती हैं, आप जवाहर रोजगार योजना को लीजिये। 20 प्रतिशत तो डी. आर. डी. ए अपने पास रखता है, 80 प्रतिशत आगे वितरण करता है। लेकिन आप यह मान कर चलिये कि किसी भी योजना के अन्दर निरन्तर स्ट्रिक मोनिटरिंग नहीं होगा और इम्पलीमेण्ट करने वाले जो लोग हैं, वो नीचे के स्तर पर और जमीन के स्तर पर वास्तविकता से प्रोग्रेस को बराबर वॉच नहीं करेंगे, मैं आपसे कहता हूं कि यह योजना, चाहे इनको कोई भी नाम दे दें, प्रस्ताव बहुत हैं, चाहे भागीरथ का नाम

(श्री परसराम मदेरणा)

ले लें, चाहे किसी और का नाम ले लें और चाहे शिवजी के वहां से गंगा नीचे उतार दें उनकी जटा से लेकिन जब तक प्रशासन में करप्शन रहेगा, चूंकि यह जो मामला है, प्रश्न जो है, यह पैसा और कहीं नहीं जाता, अक्षमता को और भ्रष्टाचार को सुपुर्द हो जाता है यह पैसा। .. (व्यवधान) नहीं, नहीं। ओवरहैड खर्चे की बात तो दूसरी बात है। ओवरहैड खर्चे की बात जब आयेगी तो मैं एक निवेदन और करूंगा क्योंकि आज के पी. डब्ल्यू. डी. मिनिस्टर जब 1977 में पावर मिनिस्टर थे, इस राजस्थान में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अन्दर 1977 की बात कर रहा हूं, यहां कुल बिजली का उत्पादन तो हो रहा था और इन्स्टाल्ड कैपेसिटी थी 1500 या 1600 मेगावाट के आसपास और यहां पर 20 हजार लोगों को उसमें एम्पलाई कर दिया, आर. एस. ई. बी. के अन्दर 60 हजार की स्ट्रेंथ होगी और उसी के कम्पेरिजन में गुजरात स्टेट, जिसकी इन्स्टाल्ड कैपेसिटी उस वक्त के अन्दर जब आप यहां पर ऊर्जा मंत्री थे, 2300 मेगावाट थी और वहां पर आर. एस. ई. बी. की जो टोटल स्ट्रेंथ थी, वो 20 हजार है। मैं यह ओथंटिसिटी के साथ कह रहा हूं लेकिन उसके बाद मुझे आपका सक्सेसर बनने का अवसर मिला परन्तु सौभाग्य था नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं। लेकिन स्ट्राइक जरूर की थी एम्पलाइज ने और उसके पहले गवर्नमेण्ट एम्पलाइज ने की थी। गवर्नमेण्ट एम्पलाइज वाली बात, 10-15 दिन के अन्दर, जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उस वक्त, वो जानते होंगे कि 30 करोड़ का मैंने प्रावधान रख दिया है, बजट में इसलिए इसको तो मान लो। लेकिन उस वक्त मैंने केबिनेट से साफ-साफ कहा कि यह मेरे पर छोड़ दीजिये, जब हार्ड डिसीजन लेने पड़ते हैं तो डिस्टेस्टफुल भी होते हैं और मैं आपसे यह निवेदन करूं मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, इन्हीं बिजलीघर के कर्मचारियों के कारण 1985 के चुनाव में जो मेरी 530 वोटों से हार हुई थी, उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान था। मैं इसको समझ नहीं सका अगर मुझे एक दिन पहले भी मालूम होता तो उनकी तमाम स्कीम को अण्ड्यू कर देता। रात को तो दौड़ना पड़ता, मुझे और कोई मतलब नहीं है। लेकिन नीचे से कुछ वोट खिसकाये। लेकिन उसकी मुझे कोई चिन्ता नहीं है, परवाह नहीं है। क्विक डिसीजन लेने पड़ेंगे चाहे हम सदन में आते हैं या नहीं आते। मुख्य मंत्रीजी आपके और मेरे ऊपर बहुत बड़ा दायित्व है। मैं समझता हूं कि आप इस अवस्था में आ गये हैं और जो आयु मेरी है, अगर आप भी सार्वजनिक जीवन से यों तो आदमी रिटायर हो ही नहीं सकता क्योंकि उसके कमिटमेण्ट इतने हैं, लोगों के आब्लीगेशन हैं कि जब तक राजनीति में बना रहता है, उसको लोगों की सेवा करनी पड़ेगी। लेकिन सक्रिय राजनीति के अन्दर मैं समझता हूं आपका भी कुछ कम विचार है और मैं भी ऐसा ही सोच रहा हूं आपकी तरह।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप दोनों को लेकर ही आ जायेंगे।

श्री सभापति : आप जरा इसमें....

श्री परसराम मदेरणा : Your future is very bright.

श्री सभापति : धन्यवाद।

श्री परसराम मदेरणा : और इसलिए मैं यह निवेदन कर रहा था कि आप कुछ ऐसे फैसले और इस प्रकार के नीतिगत फैसले लीजिये और नीतिगत फैसले लेकर राजस्थान की जनता को विकास की राह पर त्वरित गति से आगे बढ़ाइये। प्रस्तावक महोदय, आपने जो प्रस्ताव रखा है, वे प्रस्ताव तो ठीक है। प्रस्ताव में एक औपचारिकता थी और आपने अभिभाषण में औपचारिकता बता दी। आपके पहले सेन्टेन्स में से, अभिभाषण औपचारिकता नहीं है। अभिभाषण कांस्टीट्यूशनल आब्लीगेशन, लेकिन आपने प्रस्ताव वे मन से रखा, यह औपचारिकता जरूर थी और इसलिए जब यह प्रस्ताव सदन में मत पर आएगा, उस वक्त तक मैं अपने डिसीजन को रिजर्व रखते हुए माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि आज मुख्य मंत्रीजी को, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आप बोलना चाहें, तो थोड़ा बोलें, लेकिन मैं समझता हूं डिप्टी चीफ मिनिस्टर को बोलने दीजिये और वो ज्यादा प्रकाश डालेंगे क्योंकि वे बैठे हुए हैं, बिल्कुल घुटे हुए, उनको कोई मौका नहीं मिलता है और अभी मेरा....

श्री सभापति : यह घुटन आपको कैसे महसूस हो रही है ?

श्री परसराम मदेरणा : मुझे इसलिए हो रही है कि जिस वक्त वह किसी भी स्टेटमेण्ट को सदन में पढ़ते हैं तो धीमी गति के समाचार की तरह बहुत ज्यादा समय लेते हैं। इनको टाइम नहीं मिल रहा है, जो आपके पास टाइम है। लेकिन मुख्य मंत्रीजी, आप नहीं बोल रहे हैं। आप सदन के नेता हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बोलेंगे।

श्री परसराम मदेरणा : बोलेंगे तो आपकी हैल्थ खराब होगी और हम तो आपके शुभचिन्तक हैं। आज तो आप इनको ही बोलने दीजिये और अगर इन्होंने कोई ऐसी बात कही....

श्री चन्दनमल बैद (तारानगर) : 15 मिनट तक शेषन के सामने बोलकर आये हैं मुख्य मंत्रीजी।

एक माननीय सदस्य : हैल्थ ठीक है इनकी।

श्री सभापति : इनकी बोलने से ही ठीक होती है।

श्री चन्दनमल बैद : अभी शेषन के सामने बोलकर आये हैं 15-20 मिनट।

श्री परसराम मदेरणा : नहीं, बोलकर नहीं आये हैं, यह तो परिचय पत्र के संबंध में, फोटो के संबंध में बात की होगी जो कि जल्दी ही करवा लीजिये, शायद चुनाव जल्दी हो जाये। इन्हीं शब्दों के साथ, जो आपने समय दिया सभापति जी, मैं आपका बहुत आभारी हूं और प्रस्ताव के संबंध में मेरा निर्णय अभी थोड़ी देर में लूंगा कि जो इस प्रस्ताव के संबंध में हमें आभार व्यक्त करने की बात है, वो आभार व्यक्त करने के प्रस्ताव का समर्थन करें या नहीं करें।

श्री सभापति : माननीय ललित किशोरजी।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : सभापति महोदय, यह तो मालूम हो जाय, नम्बर दो पर तो कोई दूसरे सज्जन बैठे थे, कहां से डिप्टी चीफ आ गये।

श्री सभापति : सरकार की तरफ से कोई भी माननीय मंत्री जवाब दे सकता है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : हां, तो यह डिप्टी चीफ तो नहीं है ना।

श्री सभापति : अनुमति से दे रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यहां एक-दो का झगड़ा नहीं है, आपका तो 50 के नीचे हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : कहां के नीचे ?

श्री सभापति : आपका नम्बर 50 के नीचे है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : हमारा तो 50 नम्बर पर आ गया, वह तो आपने अपनी कारगुजारी से काम जमा दिया, वहीं तो हम कहते हैं कि मुकद्दर के सिकन्दर हो, बाकी आप में कुछ ही नहीं है लेकिन यह मामला क्या हो रहा है ? आज प्रमोशन दे दिया या भंवरलालजी उधर गये। यह तो बता दो। खाकी नेकर वालों को भी बता दो, नम्बर दो और तीन हो जायेगा।

श्री सभापति : बिराजें। माननीय खेतसिंहजी, बिराजिये।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : माननीय सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के सन्दर्भ में धन्यवाद प्रस्ताव के सम्बन्ध में इस सदन के माननीय सदस्यों ने जो सुझाव प्रेषित किये, वे बहुत बहुमूल्य सुझाव हैं और राज्य सरकार निश्चित रूप से उन सुझावों पर पूरा विचार करेगी और इन सुझावों के द्वारा राजस्थान के विकास में योगदान हो सकता है उनको निश्चित रूप से पूरा स्वीकार करेगी, ऐसा मेरा विश्वास है।

माननीय सभापति महोदय, इस सदन में बिजली के विषय को लेकर काफी चर्चा पक्ष और विपक्ष के माननीय सदस्यों ने की है। मैं आपके माध्यम से सदन को सूचित करना चाहता हूं कि सारी योजनाओं के सन्दर्भ में, जिसमें बिजली और सब प्रकार की बातें हैं, याद दिलाना चाहता हूं मैं आपको कि जिस समय नयी सरकार बनकर दो-सवा दो महीने पहले राजस्थान की धरती पर आयी थी, स्थिति यह हो रही थी और ऐसा दिखने लगा था कि 1993-94 की जो योजना है और उस योजना के आधार पर जो व्यय हम कर सकते थे राजस्थान की धरती पर, एक भय लगने लगा था कि 1993-94 की जो योजना प्रस्तावित की गयी थी, वर्तमान सरकार आज जो है, उस समय तत्कालीन सरकार के रूप में उसने जो योजना स्वीकार करवायी थी उसको हम पूरा कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे। मैं प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि स्मरण करें उस समय की स्थिति को। एक स्थिति बन गयी थी प्रदेश में और एक बात ध्यान में आ गयी थी कि 1993-94 की जो योजना स्वीकृत हुई है उस दृष्टि से फाइनेंशियल व फिजिकल न हम लक्ष्य पूरा कर सकेंगे और न उस योजना को पूरा कर सकेंगे। किन्तु वर्तमान

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

सरकार के आने के बाद सवा दो महीने में ही आज राजस्थान में स्थिति पैदा हो गयी और एक सोच निश्चित रूप से प्रारम्भ हो गया कि जो योजना 1993-94 स्वीकार की गयी थी वह बहाल रहेगी, न केवल बहाल रहेगी किन्तु उसके साथ-साथ केवल फाइनेंशियल व्ययीकरण ही नहीं कर सकेंगे हम, भौतिक लक्ष्यों की भी प्राप्ति निश्चित रूप से कर सकेंगे। राजस्थान की धरती पर यह वातावरण बन गया था। माननीय सभापति महोदय, इस विषय में एक बात आपके माध्यम से और निवेदन करना चाहता हूं। चर्चा हुई, प्रतिपक्ष के नेता ने जरूर कही है कि वह कम्पेयर करें। कई आइटम्स उन्होंने बताये हैं किन्तु यह तो निर्विवादित सत्य है कि 1994-95 की योजना बनी है, 44 पर्सेण्ट अधिक है पुरानी योजना के अनुसार और इतना ही नहीं, नवीं योजना बनी, आप कम्पेयर की बात करते हैं, यह बात सच है किन्तु मैं तो आपसे ही पूछना चाहता हूं कि आज देश में कई प्रदेश हैं, कांग्रेस रूल्ड स्टेट्स भी हैं, अपोजीशन रूल्ड स्टेट्स हैं। कितना अच्छा होता, इस बात को परिभाषित करते कि नवीं पंच-वर्षीय योजना की दृष्टि से जो एक छलांग या कूद राजस्थान ने ली है, क्या दूसरे प्रदेश ने ली है? एक सामान्य मुकाबला करने की दृष्टि के सामने आकर खड़ा हो जाता है तो इस दृष्टि से विचार करने की आवश्यकता है। माननीय सभापति महोदय, इसमें और देख लीजिये कि योजना आयोग के अध्यक्ष महोदय जब कभी राजस्थान की धरती पर आये या कभी....

श्री खेतसिंह राठौड़ : कौन हैं?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मीटिंग करने का मौका राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी का दिल्ली में उनसे हुआ....(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपको इतनी भी जानकारी नहीं है कि योजना आयोग के अध्यक्ष कौन हैं तो यहां बैठे क्यों हो।

श्री खेतसिंह राठौड़ : वह तो हमारे ही....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आज तक योजना आयोग के अध्यक्ष आप ही की पार्टी के रहे हैं। आप क्यों नहीं लाये।

श्री सभापति : ये मुकद्दर के सिकन्दर नहीं थे।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : चेयरमैन साहब, आप यह तो मानेंगे, मुख्य मंत्रीजी अपने अधिकारियों से बात करके 2400 करोड़ की ले गये थे और साढ़े पचास करोड़ आपको ज्यादा से ज्यादा दिये। देने वाले ने मांगने वाले से ज्यादा दिया। आप तो सारी योजना बना कर थोड़े ही ले गये थे। आप 2450 करोड़ लाये, तो यह उदारता तो देखिये।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराजें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मतलब आपका यह है कि 2400 तो हमको मिले हमारे प्रयास से और 50 करोड़ मिले कांग्रेस के प्रयास से। यही है मतलब क्या?

श्री रामनारायण चौधरी : आपका प्रयास नहीं है। आपको ज्यादा मिलते यदि

(श्री रामनारायण चौधरी)

आपकी कार्डिनेशन कमेटी जिसके चेयरमैन चीफ सैक्रेटरी हैं वह ठीक ढंग से आपको योजना बना कर देती। मैं आपका कसूर नहीं मानता। आपकी कमेटी जिसके चैयरमैन चीफ सैक्रेटरी हैं वह प्लानिंग आपको बना कर ठीक ढंग से देते तो आप और भी ज्यादा पैसा लेकर आते। यह है मेरे कहने का मतलब।

श्री परसराम मदेरणा : वह तो ऐसा था, आपने 2400 करोड़, हाउस के अन्दर घोषणा कर दी और घोषणा करने के बाद आप प्रधान मंत्री से अण्डर दी टेबल कोई बात करते हैं कि नहीं करते, शायद आपकी You cannot muster the courage लेकिन उनसे कुछ न कुछ संसाधन जुटाने के बारे में आपने जरूर बात कही होगी। इसलिए ऊर्जा के संबंध में जो लम्बे चौड़े 4-5 पैराज दिये हैं, इसी का यह प्रतिफल है कि 50 करोड़ रुपये आपको ज्यादा मिलें ताकि गर्व से कह सकें कि मैंने 2400 का किया था, 50 करोड़ मैं और लाया हूं। आपने स्टेटमेण्ट दिया है, सभापति महोदय, सभापति की हैसियत से नहीं लेकिन माननीय सदस्य की हैसियत से ज्योंही योजना के आकार का समाचार पेपर में आया, दूसरे दिन लम्बा चौड़ा आपका स्टेटमेण्ट था जिसमें आपने यह कहा था कि प्रतिपक्ष के नेता तो कह रहे थे, 2400 करोड़ की बात कही थी उनके सामने, लेकिन हम 50 करोड़ ज्यादा लेकर आये हैं। यह आपका बहुत बड़ा अचीवमेंट है लेकिन 50 करोड़ रुपये का आज की करंट प्राइसेज के ऊपर क्या मूल्य है? कुल मिलाकर यह बतायें कि इन्टरनल रिसोंसेज डवलप नहीं कर रहे हो, केवल लोन पर चल रहे हो, 200 करोड़ की एक बाण्ड की बात आयी थी इसमें, सभापति महोदय, 200 करोड़ रुपये के बाण्ड पर फिर यह इग्नोर कर रहे हैं। इसके बाद में ऐसा मैं समझता हूं स्माल सेविंग से कुछ पैसा मिलेगा। कुल मिलाकर आप राजस्थान के ऊपर कर्जा बढ़ा रहे हैं उसकी वजह से यह 50 करोड़ रुपये बढ़े हैं लेकिन 48 पर्सेण्ट तीन साल के आने वाले साल के अन्दर बड़ी दूरदर्शिता दिखाइये, नहीं तो मैं समझता हूं कि राजस्थान कर्जे में डूब जायेगा और इसकी जो आर्थिक स्वायत्तता है वह गुलामी के नीचे आ जायेगी।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय सभापति महोदय, अभी जोधपुर जिले से आने वाले माननीय सदस्य ने और मण्डावा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, जो विश्वास अर्जित करता है उसको पैसा मिलता है। ढाई साल के राज में राजस्थान की सरकार मुख्य मंत्रीजी के नेतृत्व में यह विश्वास अर्जित कर सकी हिन्दुस्तान की धरती पर और इस कारण से योजना आयोग के अध्यक्ष ने अधिक पैसा देने की इच्छा और हिम्मत की।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप चाहते तो नहीं ला पाते।

श्री सभापति : माननीय खेतसिंहजी, आप बिराजें।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैं पूछना चाहता हूं, यह बात सच है, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने ठीक कहा था, अवसर तो मिला था आपको....(व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया, माननीय खेतसिंहजी, बिराजे।

श्री खेतसिंह राठौड : यह नहीं होते तो इतना पैसा नहीं मिलता। आप "अमूल बटर" लगाने में तो मास्टर हो।

श्री चन्दनमल बैद : भैरोंसिंह शेखावत की प्रशंसा कर रहे हैं, हमें खुशी है इस बात की।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह तो आपने भी परसरामजी को नेता मान रखा है।

श्री चन्दनमल बैद : इनके नेता पद के लिए सबसे पहले मैंने ही प्रस्ताव रखा था।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह तो औपचारिकता होती है। मजबूरी में कोई बात कही जाती है।

श्री परसराम मदेरणा : इन्होंने प्रस्ताव सी. एस. पी. की मीटिंग में नहीं रखा है। इन्होंने सी. एस. पी की मीटिंग में प्रस्ताव बहुत बाद में रखा, उसके करीबन डेढ़ महीने पहले एक पब्लिक स्टेटमेंट दिया था। मैं उसकी चर्चा कर रहा हू।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसका मतलब है हरिदेव जी को धोखा दिया इन्होंने। (व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैं इसीलिए निवेदन कर रहा हूं और ऐसा नहीं विश्वास कायम है। योजना आयोग के अध्यक्ष का विश्वास बढ़ता जा रहा है और प्रतिपक्ष के नेता ने मन में यह भ्रम पैदा किया है कि आगामी दो साल में क्या होगा ? कैसे ले सकेंगे ? मैं निवेदन करना चाहता हूं, अपने रिसेर्सेज तो हम बनायेंगे किन्तु योजना की दृष्टि से जो विश्वास अर्जित किया है उसके माध्यम से आगामी वर्षों में भी पूरी निधि हमको मिलेगी और हम पूरी योजना का उपयोग कर सकेंगे। माननीय सभापति महोदय, जिस समय हम सरकार में आये थे, एक ढिंढोरा पिटा हुआ था, बिजली की आपूर्ति का। चारों तरफ एक ही बात होती थी कि ट्रिपिंग बहुत हो रही है। चारों तरफ यह चर्चा हो रही थी कि पावर शेडिंग किया जा रहा है।

श्री विष्णु मोदी : अब भी हो रही है चर्चा। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य सुनें.... (व्यवधान) कृपया सुनें।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैं बताऊंगा उसकी चर्चा....

श्री हीरालाल इन्दौरा : यह गलतबयानी कर रहे हैं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : गलत क्या बोले....

श्री सभापति : आप बोलिये, बोलिये।

श्री चन्दनमल बैद : जयपुर में पावर शेडिंग हुआ है आज।

श्री सभापति : कृपया बिराजें।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : चर्चा की जा रही थी बिजली की कटौती करने की....

श्री इन्द्रसिंह पूनिया (सादुलपुर) : कृपया यह तो सोचते कि आप दो मेगावाट नहीं ला रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं ?

श्री सभापति : बिराजिये। इन्द्रसिंह जी बिराजिये....(व्यवधान) आपस में बातचीत नहीं करें माननीय सदस्य।

श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर) : बिजली तो किसान को मिल ही नहीं रही है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : आज जो बिजली जनरेट हो रही है।

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह (आसीन्द) : यह टोका-टाकी बन्द करिये। प्रतिपक्ष के नेता जब बोल रहे थे तब हम तो नहीं बोले थे।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप बिराजिये।

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह : प्रतिपक्ष के नेता बोल रहे थे तो हमने टोका-टाकी नहीं की थी। हम भी कर सकते थे।

श्री सभापति : माननीन सदस्य, आप बिराजिये।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आपके नेता को बुलवाओ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : इसके बीच में बहुत बड़ा गेप है....

श्री रामनारायण चौधरी : सभापति महोदय, हम तो आपके भाषण को रोचक बना रहे हैं।

श्री सभापति : आप बिराजिये, माननीय सदस्य।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मेरी सहमति है प्रतिपक्ष के नेता महोदय से कि आज बिजली की आवश्यकता और जनरेशन में जो गेप है उसके कारण यह स्थिति बनी। किन्तु मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि वर्तमान सरकार के आने के पश्चात् एन. टी. पी. सी. से हमने करार किया और 250 मेगावाट बिजली अतिरिक्त देने के लिए, क्रय करने के लिए उनको अधिकार भी दिये....(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य कृपया बैठे-बैठे नहीं बोलें... (व्यवधान) नहीं, आप सुनें।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : इतना ही नहीं, 17 फरवरी, 1994 को मैसर्स आर. पी. एन्टरप्राइजेज, कलकत्ता के साथ धौलपुर क्षेत्र में फाइव हण्ड्रेड-टू सेवन हंड्रेड मेगावाट के जो विद्युत उत्पादन केन्द्र हैं, चाहे नेप्था पर आधारित हों, चाहे ईंधन पर आधारित हों, उसके लिए करार किया गया उनसे कि इसकी सब भावनाओं का पता लगाये। केवल इतनी बात ही नहीं है, इससे आगे बढ़ कर जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर, उनके विद्युत डिस्ट्रिब्यूशन की दृष्टि से ताकि उसका उपयोग ठीक रूप से हो सके, इसका भी करार उनसे किया गया। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि केवल सरकार के बूते सारी योजनाओं को प्राप्त करना संभव नहीं है। निजी क्षेत्र में हमको जाना पड़ेगा। आज केन्द्रीय सरकार भी इस नाते से विचार कर रही है और उसने इस प्रकार की योजनाएं बनायी हैं। निजीकरण की दृष्टि से एक बहुत बड़ी उपलब्धि इस बारे में राज्य सरकार ने की है, यह मैं आपके माध्यम से सदन को प्रस्तुत करना चाहता हूं।

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

सभापति महोदय, जैसा आपको याद है कोटा का तापीय बिजलीघर रिनोवेशन हो रहा है। आधुनिकीकरण हो रहा है। लोड फैक्टर में सुधार की प्रक्रिया चालू है। बहुत अच्छी बिजली हमको मिलती रहे और लोड फैक्टर अच्छा हो जाये, यह हमारे मन की इच्छा है। तृतीय चरण की जो पांचवीं यूनिट है, 210 मेगावाट उस इकाई का लक्ष्य रखा था 31 मार्च, 1994 को। जिस तरीके से प्रगति हो रही है, मेरा विश्वास है कि 31 मार्च, 1994 तक 200 मेगावाट बिजली राजस्थान को उपलब्ध होना प्रारम्भ हो जायेगी।

श्री परसादीलाल मीणा : धौलपुर से ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : कोटा तापीय बिजलीघर से।

श्री सभापति : माननीय परसादीलालजी, बोलने दें।

श्री चन्दनमल बैद : अच्छा फंसाया है ललित किशोर चतुर्वेदी जी को।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : सभापति महोदय, रामगढ़ की गैस तापीय परियोजना का सवाल आया आपके माध्यम से सदन को....

श्री परसराम मदेरणा : माननीय मंत्रीजी, I am sorry to disturb. रामगढ़ की परियोजना जो बाहर से ला रहे हैं, यह कितने मेगावाट की है ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : बताऊंगा ना। बिराजिये ना।

श्री चन्दनमल बैद : तीन मेगावाट की।

श्री परसराम मदेरणा : नहीं नहीं, आपने उल्लेख तो किया नहीं अभिभाषण में। मैं तो यह सोच रहा था कि तीन सौ, चार सौ मेगावाट की होगी शायद। है कितने मेगावाट की, यह जानकारी नहीं है मुझे ?

श्री चन्दनमल बैद : तीन मेगावाट की।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : सभापति महोदय, 250 अतिरिक्त मेगावाट तो हम ला रहे हैं। एम.टी.पी.सी. से 210 मेगावाट हो रहा है तापीय परियोजना से। बड़ी परियोजनाओं का जिक्र करते-करते सुदूर पश्चिमी इलाके में चाहे मेगावाट तीन होगी, चाहे उसकी जो सैकिण्ड स्टेज है, वह कम होगी। आखिर जिस प्रकार का क्षरण होता है विद्युत के जाने का, निश्चित रूप से उसका उपयोग हो सकेगा और इसीलिए अगर इससे भी तकलीफ हो रही है कि तीन मेगावाट विद्युत घर की बिजली पश्चिमी राजस्थान को प्राप्त होना शुरू हो रही है, अगर इसकी तकलीफ है तो मुझे कुछ नहीं कहना है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इस परियोजना का कार्य प्रगति पर है। गैस टरबाइन जनरेटर, सब आवश्यक उपकरण प्राप्त हो गये हैं।

श्री सभापति : यह रामगढ़ का तीस का है शायद।

श्री चन्दनमल बैद : नहीं नहीं, तीन का।

श्री परसराम मदेरणा : मेरे वेल इंटेशन को जिस तरह से कन्स्ट्रू कर रहे

(श्री परसराम मदेरणा)

हैं मंत्रीजी मुझे उसमें कतई तकलीफ नहीं हो रही है। मैं तो यह कह रहा हूं कि आपका यह जो कदम है, यह राजस्थान के हित में है। क्योंकि वहां गैस के काम को गैस एजेन्सी ने कम कर दिया है, स्लो कर दिया है और इसलिए अगर जल्दी से जल्दी आप करेंगे तो निश्चित तौर पर वह गैस के खोज को बराबर करते रहेंगे। इसलिए मुझे तकलीफ कहां हो रही है, मुझे तो बहुत खुशी है, प्रसन्नता है इस बात की। मैं तो मेगावाट की स्टोर केपेसिटी क्या है यह पूछ रहा था।

श्री सभापति : जी हां, बैठिये।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : धन्यवाद देना चाहता हूं प्रतिपक्ष के नेता महोदय को। 31 मार्च इस पहली यूनिट को सम्पूर्ण करने की तिथि घोषित है। है। जिस तरह के संकेत आ रहे हैं, जिस तरह की प्रगति चल रही है, मेरा विश्वास है, एक बात और है जैसा प्रतिपक्ष के नेता कह रहे थे, एक अप्रेल से हमारा करार हो गया है गैस को लेने का। इस नाते से इस बात को करने के लिए भी एक समन्वय रखने का हमको फायदा होगा, इस दृष्टि से प्रयत्नशील है।

(14.49)

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन।)

रामगढ़ गैस एक्सटेंशन परियोजना का कार्य भी चालू है और दूसरी इकाई, अगस्त, 1994 में चालू करने का लक्ष्य रखा गया है। जिसप्रकार के हालात चल रहे हैं, प्रगति चल रही है, मेरा विश्वास है कि अगस्त, 1994 में सैकिण्ड यूनिट भी इसकी आ जायेगी। मैं यह बात इसलिए कहना चाहता हूं कि आज केवल कोटा में बिजली पैदा हो रही है और आ रही है उत्तर से। पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्र बहुत अधिक सफर कर रहे हैं। जो कुछ बिजली उस क्षेत्र में मिल जाये, छीजत कम होगी, फायदा होगा, उपयोग होगा और इस सबके पीछे एक भावना और है कि उस समय ढाई साल चलने वाली सरकार थी और अभी दो-ढाई महीने हुए, विकास को योजनाबद्ध करने का जो मन में विचार है, समयबद्ध कार्यक्रम करने की इच्छा है, उनका परिलक्षण इन योजनाओं को समय पर प्राप्त करने की दृष्टि से हो रहा है।

श्री चन्दनमल बैद : रामगढ़ की यूनिट जो आप बता रहे हैं, कितने मेगावाट की है ? बहुत कम, कितने मेगावाट की है ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैं क्या कह रहा हूं, बहुत कम मेगावाट की है। अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि मेरी इसके पीछे भावना थी कि एक ओर छीजत की दृष्टि से फायदा होता है, चाहे थोड़ा हो और दूसरा समयबद्ध तरीके से निर्माण कार्य होता है। इसके बारे में कितनी तत्परता राजस्थान सरकार कर रही है इसका मैंने निवेदन किया है।

श्री चन्दनमल बैद : हम यह मानकर चल रहे हैं कि मेगावाट का पता नहीं है उसका।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप इनको पूरा कर लेने दीजिये।

श्री चन्दनमल बैद : मैं तो यह जानकारी करने जा रहा था। यदि नहीं मालूम है तो कह दीजिये हमको कि नहीं मालूम है।

श्री अध्यक्ष : नहीं, नहीं, आपको और हमको तो इस बात से संतुष्ट होना चाहिए कि कुछ बिजली बढ़ेगी ही। कटौती नहीं होगी, फायदा ही होगा उसमें।

श्री खेतसिंह राठौड़ : यह जान लें कि कितनी बढ़ेगी तो ज्यादा खुशी हो जाये।

श्री चन्दनमल बैद : अब नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं।

श्री अध्यक्ष : इनको पूरा करने दीजिये। आप पूरा करने दीजिये, छीजत बहुत है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : तीन मेगावाट हो, चाहे 4·7 मेगावाट हो। उससे अन्तर क्या पड़ता है। जो दो उद्देश्य मैंने आपने सामने इस नाते से रखे हैं उसका विवेचन आपके सामने किया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत एक अपील जरूर मैं प्रतिपक्ष से करना चाहूंगा कि बिजली की दृष्टि से जो प्रयत्न चले, बहुत बड़ा रोड़ा, बहुत बड़ी रुकावटें केन्द्रीय सरकार से और सी. ई. सी. से लगातार आती रही हैं, जहां राज्य सरकार इस नाते से प्रयत्नशील है वहां मैं प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों का भी आह्वान करूंगा, निवेदन करना चाहूंगा कि वे भी इन रुकावटों को दूर करवाने में हमारा सहयोग दें ताकि बिजली के उत्पादन में और जिसके कारण प्रदेश में सब प्रकार की सम्भावनाएं धूमिल होती हैं, उनकी दृष्टि से उनको बढ़ाना चाहते हैं (व्यवधान) जी हां, चित्तौड़गढ़ तापीय परियोजना, 500 मेगावाट इकाई की योजना....

श्री परसराम मदेरणा : आपने इसके अन्दर अभिभाषण में यह बात कही कि कांग्रेस सरकार ने पैरवी अच्छी तरह से नहीं की। अब आप तो बहुत कुशल और दक्ष हैं और आपने पैरवी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। फिर इन योजनाओं को वहां से एन. ओ. सी. क्यों नहीं मिल रही हैं, क्यों नहीं मंजूर हुई हैं ? आप तो यही बता दो।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी वही बता रहे हैं, वही बता रहे हैं। रोड़ा क्या है, वह बता रहे हैं। आप सुन लीजिये, पहले।

श्री परसराम मदेरणा : जाके मन में अटक है, वही है रोड़ा....

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : विराजें तो सही। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, चित्तौड़गढ़ की तापीय परियोजना जो 500 मेगावाट की है इस दृष्टि से हमने और उस समय 1988 में सैण्टर टैक्सटाइल इण्डस्ट्रीज लिमिटेड को 1988 में एक लाइसेंस दे दिया है। कम्पनी का प्रतिवेदन केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को 26 फरवरी, 1992 को भेज दिया गया। आज तक परियोजना की स्वीकृति नहीं मिली है, टिप्पणियां और प्रति-टिप्पणियां चल रही हैं। एक के बाद एक....

श्री खेतसिंह राठौड़ : प्रतिवेदन भेजने से थोड़ी मिलती है। मंत्री को खुद प्रयत्न करना चाहिए।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : वही मैं निवेदन कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : खेतसिंहजी, देखिये, यह कम्पलीट नहीं होगा। एक बार पूरा सुन लीजिए, फिर बाद में आपको मौका मिलेगा। देखिये, हर कदम पर आप इण्टरप्शन करेंगे तो एक तो फ्लो टूटता है, भाषण देने वाला अपने हिसाब से भाषण देता है तो इतनी छूट तो सबको है, इनको भी मिलनी चाहिए। हर कदम पर आप इण्टरप्ट करेंगे तो he will not be able to maintain the flow.

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष तो यह मानकर चल रहा है कि जिस गति से माननीय मंत्रीजी इस पूरी बहस का उत्तर दे रहे हैं सरकार की तरफ से....

श्री अध्यक्ष : वह धीमी है ?

श्री परसराम मदेरणा : नहीं धीमी नहीं है। गति तो तेज है लेकिन एक विषय के ऊपर, यहां बिजली के ऊपर, हम यह सोचते जा रहे हैं कि छह बजे तक उनकी रिप्लाई होगी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : देखिये, ये आप समझिये। बिजली के इश्यू पर सारा प्रदेश एजीटेडेड है, आप भी एजीटेटेड हैं इसलिए उसमें सरकार अपनी स्थिति को विस्तार से बता रही है, उसको हमें एप्रिशिएट करना चाहिए। इनको जो कठिनाइयां आ रही हैं वह कठिनाइयां भी आपके सामने नम्र निवेदन कर रहे हैं, आपकी मदद चाहते हैं और वह आप पर कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आपने खुद ने बताया कि वह रोड़े अटकायेंगे। रोड़े अटकाये, कौन से रोड़े अटकाये।

श्री अध्यक्ष : वह बता रहे हैं, वही बता रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, शेरगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे हैं कि इसके लिए आपको जाकर पैरवी करनी चाहिए। क्यों नहीं जाते, आपका आरोप यही है। आज मुझे याद है, खेतसिंहजी जब पी. एच ई. डी. के मिनिस्टर थे, आप मेरे पास आये कि यह पी. एच. ई. डी. के मिनिस्टर मेरा हैंण्ड-पम्प मंजूर नहीं करता, वह तो करवा दो। हां आप।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आपके पास हैण्ड पम्प के लिए, बहुत बड़ी बात कह दी आपने। (व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह बात आपके सामने इसलिए कह रहा था, 1988 में लाइसेंस हो गया। बीच की बातें पूरी हो गई, 26 फरवरी, 1992 को सी.ई.सी. को प्रतिवेदन भेज दिया। वह तो, फिर मत पूछो क्या हुआ? 1988 के बाद कौन था, कैसा था और क्या बात हुई? प्रतिवेदन का काम, अब उस पर चर्चा मत कराइये।, मैं निवेदन करना चाहता हूं आपसे....

श्री चन्दनमल बैद : दो साल तो आपने भी ले लिये।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैं आपसे निवेदन करना चाहता था, आज भी टिप्पणियां और प्रति टिप्पणियां चल रही हैं। कई बार निवेदन किया जा चुका है। कोई मीटिंग करवा लें और जितने प्रकार के ऑब्जेक्शन्स हैं, उनको हल करवा लें। इसलिए मैंने निवेदन किया है प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों से और विशेषकर प्रतिपक्ष के नेता महोदय से कि यह राजस्थान की बहबूदी का सवाल है। विद्युत के उत्पादन का सवाल है। बड़ा इम्पोर्टेण्ट प्रोजेक्ट है। इसमें जल्दी इस प्रकार का हमको सहयोग प्राप्त हो सके, इसकी सैंक्शन प्राप्त हो सके, इसमें हमारा सहयोग करें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, विद्युत मण्डल ने जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और कोटा, इनमें विद्युत व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए 92 करोड़ की स्वीकृति दी है। इसके पीछे का कारण यही है कि एक तरफ हम जनरेशन बढ़ायें, दूसरी तरफ छीजत जो होती है, वोल्टेज का जिस प्रकार का डाउन फॉल होता है और उसके कारण से सब प्रकार की समस्यायें उत्पन्न होती हैं और इसी दृष्टि से इस बात को करने के लिए राज्य सरकार ने कदम उठाया है। आपके माध्यम से मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि 25,000 कुओं का लक्ष्य हमने रखा था जिनको ऊर्जीकृत करना है। पिछले महीने तक 15603 कुओं का ऊर्जीकरण किया जा चुका है। फिर वह बात आ जायेगी वहां, क्या हुआ, क्यों नहीं हुआ, डिफरेन्स क्यों रहा ? किन्तु मैं आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाहूंगा कि यद्यपि 10,000 कुएं और बाकी हैं। वर्तमान सरकार इनको निश्चित रूप से पूरा करेगी और 25,000 कुएं ऊर्जीकृत किये जायेंगे।

श्री खेतसिंह राठौड़ : उसमें से हमारा शेयर कितना होगा ? या पच्चीस के पच्चीस हजार खा जाओगे ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आपका शेयर तो शेयर घोटाले में चला गया।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : एक और समस्या की ओर सदन में माननीय सदस्यों ने ध्यान आकर्षित किया है, वह किया है ट्रांसफार्मर जलने का। गत सत्र में, मैं स्मरण कराना चाहता हूं, माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने घोषणा की थी कि एक सप्ताह में, जो भी ट्रांसफार्मर जल जायेगा, ठीक करने के लिए व्यवस्था की जायेगी। आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, इस दृष्टि से जो विद्युत मण्डल है उसके एक सदस्य के अन्तर्गत यह कहा गया कि सात दिन में इस बात की समीक्षा करें और उसके नाते से स्थिति यह पैदा हुई है कि पिछले दो महीने में 2602 ट्रांसफार्मर जो जल गये थे उनको रि-प्लेस कर दिया गया है।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : सात दिन तक तो जे. ईएन. ए. ईएन. को सूचना नहीं करता, आप उसको रि-प्लेस कैसे करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : प्लीज, प्लीज सिट डाउन, नहीं आप मत करिये, हर आदमी इण्टरफियर करेगा, ठीक नहीं है। आप बैठिये, प्लीज, चलने दीजिये हाउस को।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, देख लीजिये।

श्री किशनाराम नाई : हर बात में, विपक्ष के नेता बोल रहे थे, हम धीरज से सुन रहे थे, अब यह परम्परा डाल रहे हैं। हम बोलने नहीं देंगे आपको।

श्री अध्यक्ष : बैठिये, बैठिये। बिराजिये, यह मेरा काम है देखना।

श्री किशनाराम नाई : यह बात अच्छी नहीं है उनके लिए।

श्री अध्यक्ष : यह मेरा काम है देखना।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सदन को यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि एक लाख डिस्ट्रीब्यूटरी ट्रांसफार्मर्स लगे हुए हैं और फिर टेन टू ट्वेलव पर्सेण्ट, 2000 की संख्या में ट्रांसफार्मर्स हमारे यहां हम निश्चित रूप से स्टॉक में रखते हैं। मैं यह बात इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि आज अभिभाषण के समय कई माननीय सदस्यों ने इस बात का जिक्र किया है। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं इस बात की जानकारी, कहीं ऐसा हो कि सात दिन में रि-प्लेस नहीं हुआ, वह अवश्य दें। एक ओर ट्रांसफार्मर बदल दिया जायेगा और दूसरी ओर वे अधिकारी जिसने देर की है उनके विरुद्ध निश्चित रूप से एक्शन लिया जायेगा।

आपके माध्यम से विद्युत की दृष्टि से एक निवेदन और करना चाहता हूं। गत वर्ष के मामले में इस बार 60.19 प्रतिशत बिजली अधिक मुहैय्या राजस्थान में की गई है। यह बात जानता हूं मैं कि 550 लाख रुपये राजस्थान के लिए चाहिए और केवल हमें इसमें 110-115 लाख यूनिट की बिजली कम पड़ती है हमारे यहां, इसी के कारण से उद्योगों को रात में दस बजे से प्रातः छह बजे तक पूरी बिजली दी जाती है। शेष समय में 60 से 70 प्रतिशत कटौती करनी पड़ रही है। कृषि उपभोक्ताओं को 8 घण्टे प्रतिदिन बिजली देने पर, फिर भी 60 से 70 लाख कम यूनिट रहती हैं। प्रयत्न किया है हमने, हमारी सरकार ने, विद्युत मण्डल ने कि पंजाब से अधिक डाइवर्ट करके और ग्रिड से ओवरड्रा करके उस कमी को हम पूरा करते चले जा रहे

(15.00)

हैं। और इसी का परिणाम है कि 20 फरवरी, 1894 के बाद विद्युत की प्रत्येक कटौती को किसी भी हिस्से में राजस्थान में बन्द कर दिया गया है....

श्री चन्दनमल बैद (तारानगर) : बिलकुल गलत।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह और कहना चाहता हूं कि जिन गांवों में बिजली का कनेक्शन नहीं दिया गया है, अनुसूचित जाति के लोगों को 1500, जनजाति के कृषकों को 5,000 पूर्व सैनिकों और सैनिकों की विधवाओं को 750, विकलांगों को 250, एक पोल के कनेक्शन 4950 इस प्रकार 12,500 कनेक्शन विशिष्ट क्षेत्र में कमजोर लोगों को देने की राज्य सरकार की इच्छा है, उसको हम पूरा कर रहे हैं और शेष 12500 साधारण क्षेत्रों में कर रहे हैं....

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़): वह विशेष क्षेत्र कोटा डिवीजन ही है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : कोटा में तो कुओं पर बिजली चाहिये ही नहीं। नहर बहती है। यह तो सीकर, झुंझुनूं, जोधपुर, चूरू क्षेत्र में ज्यादा है। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बार प्रदेश में वर्षा की स्थिति बहुत विषम रही है। जून माह में अतिवृष्टि हो गयी जुलाई माह में कम बरसात हुई और अगस्त में बहुत कम बरसात हुई। एक ओर थोड़े क्षेत्रों में अतिवृष्टि हो गयी, बहुत अधिक क्षेत्र में अकाल की स्थिति पैदा हो गयी और आज इसीलिए 1.3 लाख लोगों को काम देने की योजना हमने रखी थी। एक भी शिकायत यहां प्राप्त नहीं हुई है इस पूरे अभिभाषण के समय कि कहीं से यह शिकायत आयी हो कि किसी ने मजदूरी मांगी हो और सरकार की ओर से मजदूरी नहीं दी गयी हो। यह वर्तमान सरकार की इस दृष्टि से एक बड़ी उपलब्धि है। आपके माध्यम से मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि आगामी मार्च के महीने में इस सीमा को बढ़ाकर हमने 2 लाख 50 हजार कर दिया है और हम इस सीमा तक ही नहीं रहेंगे। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं....

श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) : अध्यक्ष महोदय, लूणकरणसर क्षेत्र में ठेके पर काम कराया जा रहा है। मजदूरों को कोई एम्पलायमेन्ट नहीं दिया जा रहा है। ठेके से काम कराया जा रहा है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैंने निवेदन आपको किया कि इस सारे अभिभाषण पर बहस के समय किसी भी एक माननीय सदस्य ने नहीं कहा कि मजदूर को मजदूरी नहीं मिली है। आप अभी कह रहे हैं, मैं जांच करवा दूंगा।

श्री चन्दनमल बैद : यह +++ क्यों कर रहे हैं जबरदस्ती। क्या फायदा है इस +++ से ?

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : सारे भाषण की प्रतिलिपियां पढ़िये यहां। कहीं एक अक्षर किसी भी माननीय सदस्य ने कहा हो उठाकर बता दीजिये।

श्री खेतसिंह राठौड़ : हमने बहुत एतराज उठाये हैं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : वह अलग विषय है। उसकी चर्चा करूंगा मैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ :....और फेमिन वालों ने कहा है कि हम तो नहीं दे सकते।

श्री अध्यक्ष : देखिये जब मुख्य मंत्री बोलते हैं तब तो आप चार्जेज लगाते हैं कि वह ट्विस्ट करके सारी बातें इस तरह से करते हैं। आज जब वह फैक्ट्स एण्ड फिगर्स दे रहे हैं तो शांति से सुनिये इनको।

श्री चन्दनमल बैद : रोजगार दिया गया है फेमिन में, गलत बात कह रहे हैं वह। +++ कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : +++ है या सही बात है वह तो अपना पक्ष रख रहे हैं। आपने अपना पक्ष रख दिया, अब वह अपना पक्ष रख रहे हैं। अब आप उसका

+++ शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री अध्यक्ष)

यहीं निर्णय करेंगे कि सही है या गलत है, यह ठीक नहीं है। इसलिए आप सुनिये पहले शांति से।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैंने आपके माध्यम से यह भी निवेदन किया कि आगामी मार्च के महीने में सीमा 2 लाख 50 हजार तक की गयी है, किन्तु हम इस सीमा पर नहीं रुकेंगे। कोई भी व्यक्ति रोजगार लेने के लिए आयेगा तो राज्य सरकार उसको अवश्य मुहैया करायेगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि राहत कार्यों में जो निर्माण कार्य हुए हैं या जो विकास कार्य हो रहे हैं इसकी रीति-नीति भी राज्य सरकार ने घोषित की है उसके पीछे का प्रयोजन यही है कि कुछ ऐसी बातें, अधूरे कामों की पूर्ति, उपयोगी कामों को विशेष रूप से लेना, जिन कामों को प्रारम्भ होने के बाद योजना में अगली बार आ जायें इसकी चिन्ता करना और इसलिए आपके माध्यम से उस रीति-नीति को मैं सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। राजस्थान सरकार इस दृष्टिकोण को रखकर चल रही है कि उनके माध्यम से राज्य में, स्थायी सम्पदाओं का निर्माण हो-एक।

(2) राज्य के सीमित साधनों को दृष्टिगत रखते हुए योजनागत कार्य नीति विभागों में उपलब्ध धनराशि तथा राहत कार्यों पर खर्च होने वाली राशि के बीच समन्वय बैठाया जाये। अतः जिस क्षेत्र में विभागीय कार्य बड़े पैमाने पर चल रहे हों वहां राहत कार्य कम खोले जायें तथा जिस क्षेत्र में विभागीय कार्यों से रोजगार उपलब्ध नहीं है वहां पर राहत कार्य खोलकर रोजगार दिया जाना चाहिये।

(3) जो कार्य अकाल राहत कार्य समाप्त होने पर अधूरे रहेंगे उन्हें अपने बजट में पूरा करवाने का दायित्व सम्बद्ध विभाग का होगा और सम्बद्ध विभाग अपने बजट में ऐसे कार्यों के लिए समुचित प्रावधान करेंगे।

(4) पिछले वर्ष के अधूरे कार्यों को सर्वाधिक प्राथमिकता देते हुए राहत कार्य प्रारम्भ किये जायें। उनमें भी ऐसे अधूरे कार्यों को प्रथमतया हाथ में लिया जाय जो 15 जुलाई, 1995 तक पूर्ण हो सकते हैं।

(5) निर्मित स्थायी सम्पदाओं के संधारण की जिम्मेदारी सम्बन्धित विभाग की होगी। सभी सम्बन्धित विभाग अपने बजट में इस हेतु उचित प्रावधान रखेंगे।

(6) नये कार्य केवल उन्हीं क्षेत्रों में प्रारम्भ किये जायें जहां सर्वाधिक खराबा हो और जिला कलक्टर इस बात के लिए आश्वस्त हों कि उस क्षेत्र में कोई अधूरे कार्य अब शेष नहीं हैं।

(7) नये कार्यों के चयन में भारत सरकार की रोजगार आश्वासन योजना के दिशा निर्देशों की पालना की जाये।

इन निर्माण के कार्यों में रोजगार की दृष्टि से करने के पीछे का एक ही प्रयोजन है कि प्रदेश की जनता को यह कहने का मौका नहीं मिले। स्वतन्त्रता के बाद से जब से अकाल पड़ रहा है, हजारों करोड़ों रुपये खर्च हो गये और दिखता नहीं है कहीं भी निर्माण कार्य और इस बात को

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

ध्यान में रखकर यह निर्माण की नीति रोजगार सम्बन्धित अकाल की दृष्टि से निश्चित की गयी है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी दृष्टि से भवनों की चारदीवारी बनाना, गरीबों को सीमा रेखा से उठाना और सीमान्त कृषकों के अधूरे कुओं को पूरा करवाना, मिडिल, सैकण्डरी और हायर सैकण्डरी स्कूल भवनों का निर्माण, पटवार घर, ग्रामसेवक क्वार्टर, तहसील भवन, अस्पताल भवन, पुलिस चौकी, पुलिस थाने आदि का निर्माण करवाना–इसमें प्राथमिक रूप से रखा गया है। आपसे यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि अकाल के कारण पीने के पानी की व्यवस्था का भी जिक्र यहां बहुत किया गया है। मुझे ध्यान आता है कलक्टर्स की जब मीटिंग हुई तो पहली स्वीकृति इस बात की ली गयी कि आपदा कोष से अविलम्ब 7 करोड़ रुपये पानी की योजनाओं के लिए स्वीकृत कर दिये जायें। स्वीकृति हो गयी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार पीने के पानी को सर्वाधिक महत्व देते हुए इस योजना के पीछे, यह बात सच है, ठीक कह रहे थे प्रतिपक्ष के नेता, राजस्थान की जो भौगोलिक स्थिति है, जिस प्रकार की स्थितियां बनी हुई हैं उस स्थिति में कितना धन लाया जाये, कहां से लाया जाये, कैसे लाया जाये यह बड़ी समस्या होने के पश्चात् भी पेयजल की दृष्टि से वरीयता तय करके, प्राथमिकता तय करके उनके विषय में धन उपलब्ध कराना और फिजिकल टार्गेट्स प्राप्त करना इसमें राज्य सरकार का सदा-सदा विश्वास रहा है. प्रयत्न है और प्रयत्न रहेगा। इस नाते से भी निवेदन करना चाहता हूं कि गंगानगर, चूरू जिले के 325 खारे पानी से प्रभावित गांव, उसी में सरदारशहर व तारानगर–इन शहरों के लिए 253 करोड़ की योजना जर्मन सहायता के अन्तर्गत बनायी गयी है।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : झुंझुनूं की योजना खा गये।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : कौन खा गया ?

श्री रामनारायण चौधरी : आप.... (व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : राज्य सरकार द्वारा इस समझौते के लिए स्वीकृति दे दी गयी और फलस्वरूप भारत सरकार और जर्मन सरकार के बीच समझौते पर हस्ताक्षर हो गये हैं। अब वह कागज किसके पेट में पहुंच गये इनका मुझे पता नहीं है....

श्री रामनारायण चौधरी : 96 गांव देहात के और नगरपालिका झुंझुनूं इसमें शामिल थे वह सारे के सारे आप खा गये ऊपर की ऊपर।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने इस पर चर्चा की है। उसमें कहीं अन्तर हो तो निश्चित रूप से बताइये, उसकी जांच करेंगे।

श्री रामनारायण चौधरी : बता रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, 96 गांव देहात के और एक नगरपालिका बिसाऊ इस योजना में शामिल थी और 866 गांव टोटल

(श्री रामनारायण चौधरी)

झुंझुनूं, चूरू और गंगानगर मिलाकर एक कम्पोजिट योजना बनी थी और उसका काम चालू होना था....

श्री अध्यक्ष : वह सैकण्ड फेज है।

श्री रामनारायण चौधरी : सैकण्ड फेज तक कौन रहेगा ? न हम रहेंगे और न यह रहेंगे।

श्री अध्यक्ष : सरकार रहेगी, आप और हम भले ही नहीं रहें, सरकार रहेगी। राजस्थान की जनता रहेगी। राजस्थान रहेगा, हिन्दुस्तान रहेगा।

श्री रामनारायण चौधरी : राजस्थान की जनता तब तक इनका इन्तजार नहीं करेगी....(व्यवधान) राजस्थान की जनता इतना लम्बा इन्तजार नहीं करेगी।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप देख लीजिये वह सैकण्ड फेज में शामिल है। (व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय को सूचना दे रहा हूं कि जर्मन सरकार के साथ जिस पर हस्ताक्षर हुए हैं वह 253 करोड़ रुपये की पानी की योजना नहीं है, 100 करोड़ रुपये की है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : निश्चित बात है। मैं इसीलिये कह रहा था कि फेज-1 और फेज-2 की चर्चा आपने की है। एक बार फेज-1 के भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति के बाद योजना को आगे चलाने की योजना है।

श्री राधेश्याम (गंगानगर) : गंगानगर जिले की उसमें सिर्फ नोहर तहसील है, गंगानगर जिला नहीं है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : भीलवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने एक चर्चा की थी कि जहां गांवों की ओर इतना ध्यान दिया जा रहा है वहां शहरों का क्या होगा। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि आज तक इस प्रकार की व्यवस्था थी कि नियमित बस्तियों में तो पानी देने की व्यवस्था होती थी लेकिन निर्धनतम लोग जिन कच्ची बस्तियों में रहते हैं जो नियमित नहीं है वहां भी राज्य सरकार अब पानी के कनेक्शन देकर उनको पानी मुहैया करायेगी। इस बात के आदेश हो गये, योजना चालू हो गयी है। फाइनेंसेज की जैसी स्थिति है, पीने के पानी की जैसी अवस्था है राज्य सरकार ने यह भी विचार किया है कि परम्परागत तरीके के जो टांके बने हुए थे, जिन टांकों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था उनको भी अपने सामने विस्तृत रूप से योजना रखें और उनमें सुधार कराया जाय। जब तक हम इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं करते कि सबको ठीक रूप से पानी पिलाया जा सके तब तक इनका भी संधारण करने के नाते प्रयत्न किया जाय, राज्य सरकार ने यह भी विचार किया है।

श्री राधेश्याम : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन तो सुन लीजिये।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य बैठिये। मैं आपको नियमों का हवाला दे रहा हूं। मुझे बाध्य मत करिये। साफ लिखा है नियमों में : ... shall not

(श्री अध्यक्ष)

interrupt any member while speaking by disorderly expression or noises or in any other disorderly manner; and shall not obstruct. You don't disturb him.

श्री पूनमचन्द विश्नोई : अंग्रेजी पढ़े हुए नहीं हैं माननीय सदस्य।

श्री अध्यक्ष : आप सूचनाएं बाद में मांग लीजिये।

श्री राधेश्याम : हाउस में सूचना गलत दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : गलत दे रहे हैं तो दे रहे हैं। आप क्या करेंगे उसका ? जो बात रिकार्ड में आ रही है उसके लिए और कोई तरीके से उठाइये आप। यहां कहने से काम नहीं चलेगा, आप और तरीके से उसको गलत साबित करिये। आप उनको पूरा करने दीजिये, बाद में एक-आध-दो क्वेश्चन हों तो पूछ लीजिये। यही तरीका है, यही परम्परा है। हर आदमी खड़ा होना शुरू हो गया, कुछ सीनियर मेम्बर बात करते हैं तो समझ में आता है। Everybody can stand and interrupt. तो समाप्त ही नहीं होगी। ठीक है, आप सीनियर हैं मैं मानता हूं किसी को सीनियर, जूनियर, लेकिन आप यह तो मत करिये। आप उनको सुनिये पहले। वैसे ही वे धीरे-धीरे बोल रहे हैं और आप चार्ज लगा रहे हो और उनको और धीरे-धीरे कर रहे हो।

श्री रामनारायण चौधरी : निवेदन करना चाहूंगा आप से क्षमा चाहते हुए कि हम बीच में नहीं बोलेंगे तो आपकी इस डिबेट में कोई जीवन नहीं रहेगा, यह मृत डिबेट हो जायेगी। हम इसको लाइवली बना रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : मैं उसका ध्यान रखता हूं, जीवन आने जितना इण्टरप्शन अलाउ करता हूं। मगर आप उसको निर्जीव मत बनाइये, जीवित रहने दीजिये। मैं नोट करता हूं जहां होना है वहां होता है। लेकिन उसको सब खड़े होकर निर्जीव कर रहे हैं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, फलौदी से आने वाले माननीय सदस्य ने जोधपुर लिफ्ट योजना के विषय में भी चर्चा की थी। उस दृष्टि से पम्पिंग स्टेशन नम्बर एक-दो-तीन-चार की पम्प-लेन बन गयी है। विद्युतीकरण की निविदाएं 19.10.1993 को प्राप्त हो गयी हैं, नयी सरकार के गठन के बाद टेण्डर की स्वीकृति और 3 फरवरी, 1994 को वित्तीय स्वीकृति बैठक में जारी कर दी गयी। हमारा यह प्रयास है कि यह योजना जल्दी से जल्दी पूरी हो जाये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, शिक्षा के विषय में भी मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। शिक्षा की दृष्टि से बहस में कई प्रकार की बातें आयी। मैं यह इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि आज एक प्रयत्न है हमारा। आपको ध्यान होगा कि दो जिले लिये थे हमने साक्षरता की दृष्टि से। अशिक्षा का काला अन्धकार प्रजातन्त्र के लिए अभिशाप है। पिछली बार वर्तमान सरकार आने के बाद दो जिले—जनजाति क्षेत्र में डूंगरपुर और जनरल क्षेत्र में अजमेर, सफलता प्राप्त हो गयी, चार

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

जिले और ले लिये और आगामी वर्ष में 15 जिले साक्षर और करने की दृष्टि से हमारी तैयारी है। मैं यह जानता हूं कि अकेले सरकार के माध्यम से यह बात पूरी नहीं हो सकती, स्वयंसेवी संस्थाओं को आगे आना पड़ेगा। ऐसे बन्धुओं को आगे आना पड़ेगा जिनका शिक्षा में महत्व है। इसी दृष्टि से सब प्रकार के प्रयत्न करके चाहे शिक्षाकर्मियों का सहयोग हो चाहे लोक जुम्बिश की योजना हो, इस प्रकार का विचार किया है कि राजस्थान जो शिक्षा की दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ है हम यूनिवर्सलाइजेशन आफ प्राइमरी एजुकेशन कर सकें। इस बारे में मैं आपका महिला शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दिलाना चाहूंगा। आज इसकी ऐसी स्थिति है कि आप अगर पहाड़ी इलाकों में चले जायं, वनवासी इलाकों में चले जायं या रेगिस्तानी इलाकों में पहुंच जायं तो गर्ल्स एजुकेशन केवल 3-4 प्रतिशत तक है। इसलिए वर्तमान सरकार ने कोशिश की है कि शिक्षा के क्षेत्र में और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, दोनों दृष्टि से महिला शिक्षा को अत्यन्त प्राथमिकता की दृष्टि से देखा जाये। उच्च शिक्षा का मंत्री होने के नाते इस विषय में मैंने विचार किया है और महिला शिक्षा को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से उच्च शिक्षा में एक पांच सूची कार्यक्रम आपने सामने रखा है जिसका उद्धरण मैं आपके माध्यम से सदन के बीच में रखना चाहूंगा।

जिला केन्द्रों पर जिन महाविद्यालयों में सह-शिक्षा होती है और बालिकाओं की संख्या 500 से अधिक है वहां अलग से कन्या महाविद्यालय की स्थापना की जायेगी। अगले साल पांच सौ है, आगामी वर्षों में इस संख्या को और घटाने की हमारी इच्छा है।

श्री रामनारायण चौधरी : शहर में ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : जहां भी होगी।

श्री रामनारायण चौधरी : गांवों में कहां से मिलेगी पांच सौ की संख्या ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : उच्च शिक्षा में तो ऐसा ही होगा, श्री रामनारायण जी, जरा ध्यान तो करें। इसमें गांव और शहर कहां आ गया ?

श्री रामनारायण चौधरी : सही है, शहरों में लगाये जाओ आप।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : सामान्य महाविद्यालयों के निर्माण के लिए नियम बनाया गया था कि कोई भी महाविद्यालय ...

एक माननीय सदस्य : शहरों में लगाये जाओ बस।

श्री रामनारायण चौधरी : मंत्री जी ऐसे पासे फेंक रहे हैं, 500 लड़कियां गांवों में कहां से मिलेंगी ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : और तीन वर्ष का व्यय दे तो उसी स्थान पर जिला केन्द्र पर महाविद्यालय की स्थापना की जायेगी। वीमेंस एजूकेशन की दृष्टि से हमने निश्चय किया है कि भवन बनाये और तीन साल के व्यय की बजाय एक साल का व्यय देने के पश्चात् ही महिला महाविद्यालय की स्थापना कर दी जाये।

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

निजी क्षेत्रों में जो महाविद्यालय कार्य कर रहे है महिला शिक्षा के क्षेत्र में, जिनका अनुदान 50 प्रतिशत से 60 प्रतिशत हैं, राज्य सरकार ने निश्चय किया है कि आगामी वर्ष में इस अनुदान को बढ़ाकर 90 प्रतिशत सभी स्थानों पर महिला महाविद्यालयों में कर दिया जाये। उसी प्रकार से निजी कन्या महाविद्यालयों को या अन्य संस्थाओं को पिछले कई वर्षों से अनुदान नहीं मिल रहा है–18-18 साल हो गये 10-10 साल हो गये, 4-4 बार इंस्पेक्शन हो गया, इंस्पेक्शन के बाद भी प्रक्रिया चालू नहीं हुई, महिला शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए उन महाविद्यालयों के अनुदान की प्रक्रिया अगले वर्ष से प्रारम्भ करने का हमारा विचार है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : शिक्षा की डिमान्ड आयेगी या आप यूं ही जवाब दे रहे हो ? शिक्षा की डिमाण्ड लेंगे हम।

श्री रामनारायण चौधरी : प्रक्रिया प्रारम्भ करेंगे या कुछ देंगे ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : कन्या महाविद्यालयों में जहां-जहां स्नातकोत्तर कक्षाएं चलती हैं उन सारी कक्षाओं में एक विषय अगले वर्ष में हम निश्चित रूप से नया खोलने वाले हैं, इसका हमने निश्चय कर लिया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में स्वायत्तशासी महाविद्यालय भी हमारे यहां हैं। नयी एजूकेशन पालिसी जो बनी थी उसके अन्तर्गत राजस्थान की धरती पर पहले चार और फिर दो, छः स्वायत्तशासी महाविद्यालय खोले गये थे। वे स्वायत्तशासी रहें, एक भटनागर कमेटी बनी। उसकी बातों को मानकर गवर्निग कौंसिल को बदलकर उनके स्वशासीपन को अधिक से अधिक प्रोत्साहन दिया जाय, इस दृष्टि से प्रयत्न किया जा रहा है।

एक और निवेदन करके मैं अपनी बात खत्म करूंगा। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हमने नयी शिक्षा नीति के अन्तर्गत उच्च शिक्षा परिषद् के गठन की व्यवस्था की है।

श्री राधेश्याम : यह बजट भाषण हो रहा है या और कुछ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, राज्यपाल के अभिभाषण में सब कुछ समाहित् हो सकता है, जो सरकार करने का विचार करती है। बजट में आप जब पैसा देंगे तो वह विचार कार्यान्वित हो जायेगा। अभी सरकार अपनी स्कीम जो करना चाहती है वह रख रही है और यह जस्टीफाइड है और राज्यपाल के अभिभाषण में ये सब बातें जिसकी शिकायत आप करते रहे हो, इस विषय में राज्यपाल कुछ नहीं बोले, उस विषय पर कुछ नहीं बोले। वे विस्तार से आपको अपनी मंशा, सरकार की मंशा बता रहे हैं जो जायज हैं, उचित है, इसमें आपत्ति मत करिये, बैठिये।

श्री राधेश्याम : राज्यपाल के अभिभाषण पर कुछ बोलने के लिए नहीं है।

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, आपका विश्लेषण शत-प्रतिशत सही है और उसको हम स्वीकार करते हैं लेकिन जो बात हमने उठायी शिक्षा के बारे में, उसका आपने जवाब नहीं दिया है।

श्री अध्यक्ष : दे रहे हैं वे। चौधरी

(श्री अध्यक्ष)

साहब, आप पूरा भाषण सुनेंगे नहीं और जो बात ये कहने जा रहे हैं उसके पहले ही आप खड़े होकर हर बात पर ऐसा कहेंगे। इसलिए पहले पूरा भाषण सुन लीजिये फिर आपको कोई कमी नजर आयेगी तो मैं आपको सवाल अलाऊ कर सकता हूं यदि हुआ तो, इसलिए शान्ति से सुनिये आप।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अभिभाषण के सन्दर्भ में चिकित्सा की दृष्टि से बड़ी शिकायत की गयी कि डाक्टरों के पद रिक्त हैं यह भी चर्चा की गयी कि डाक्टर नियुक्त तो हैं परन्तु गांवों में नहीं जाते। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, वर्तमान में 290 चिकित्सकों के पद रिक्त हैं और 549 चिकित्सक ऐसे हैं, पोस्टिंग है काम कर रहे हैं, तदर्थ रूप से, एडहॉक रूप से, टेम्परेरी रूप से। आर.पी.एस.सी. की सारी प्रक्रिया समाप्त हो गयी। 604 लोगों का चयन उन्होंने कर दिया, थोड़े समय में ही पूरे 604 डाक्टर निश्चित रूप से लगाकर इस कमी को पूरा कर दिया जायेगा। गांवों में जाने की बात का स्मरण करेंगे आप यह बीमारी कितनी पुरानी है और पिछली बार जो सरकार आयी थी उस समय यह प्रयत्न चला था और इसके अच्छे परिणाम भी निकले थे। नया डाक्टर चाहे श्रीमती विद्या पाठक का बेटा ही हो, उसको भी गांव में जाने की व्यवस्था की गयी, उसका भी पोस्टिंग वहां किया गया। कोई राजनीतिक भेद-भाव नहीं किया गया। वह नीति अभी भी कायम है। नये डाक्टर जो आर.पी.एस.सी. से या एडहॉक लेने की कहीं अवस्था आयेगी उन सारे डाक्टर्स को पहले गांवों में लगाया जायेगा, शहरों में पोस्टिंग नहीं दी जायेगी। इसी तरह से लगातार मानीटरिंग से चैकिंग से....

श्री खेतसिंह राठौड़ : बॉण्ड भरवायें आप।

श्री अध्यक्ष : आप भाषण नहीं सुनना चाहते हैं तो मैं बन्द कर देता हूं। आप बोलना बन्द करिये, इण्टरप्शन बन्द करिये Please hear it patiently otherwise I will stop it and we will go ahead. यह क्या बात हुई? आप हर बात में मर्मरिंग शुरू कर देते हैं। भाषण कम्पलीट होने दीजिये पहले उनका।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो समस्या रखी है, सचमुच सबको पीड़ा देने वाली है। राजस्थान जो गांवों में रहता है, इसकी व्यवस्था करनी होगी। नये चिकित्सा मंत्री महोदय ने जिला स्तर पर पंचायत स्तर पर यह व्यवस्था की है कि कमेटी जल्दी से जल्दी बनायी जाय जो मानीटरिंग कर सके और राज्य सरकार को सूचित कर सके कि कौन डाक्टर पैरामेडिकल स्टाफ नहीं पहुंचता है। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि आखिर इन सब बातों के बारे में जिस प्रकार की चिन्ता आपको है, सरकार को भी उसी प्रकार की चिन्ता है सरकार प्रयत्न इस नाते से कर रही है कि डाक्टर बन्धु गांवों में पहुंचे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने विस्तार की दृष्टि से उसी प्रकार की नीति बना रखी है। सारी पंचायत समितियों में पिछले ढाई साल में

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

30 शैय्याओं का एक रेफरल अस्पताल हो गया है। प्रत्येक डिवीजन पर मेडिकल कॉलेज हो गया। प्रत्येक जिले पर 100 शैय्याओं का अस्पताल खोलने का प्रस्ताव है। नये जिले जो बनने हैं जहां 100 शैय्याओं का अस्पताल नहीं है। आगामी वर्ष में उसकी व्यवस्था करने का प्रयत्न किया जायेगा। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि आखिर इस चिकित्सा के विस्तार की दृष्टि से भी हमने ध्यान दिया है एक डिफिकल्टी इसमें आ गयी। मुझे उदयपुर के एक माननीय विधायक कह रहे थे, बात सच है, राजसमन्द जिला बनने के कारण बड़गांव पंचायत समिति का जो हैड ऑफिस था वह राजसमन्द जिले में चला गया। बड़गांव पंचायत समिति, उदयपुर में रह गयी। उसमें कोई भी अब पी. एच सी. 30 बैड का अस्पताल नहीं रहा है और आज ही मेरी चर्चा हो रही थी। पहले उन्होंने कहा कि अगले वर्ष जब भी पी.एच. सी. खुलेगी, पहली पी.एच.सी. बड़गांव में जहां नहीं है वहां खोल दी जायेगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस दृष्टि से मैं यह भी कहना चाहूंगा कि चिकित्सा के क्षेत्र में इस बात के लिए भी आक्रोश पैदा किया गया कि उपकरण रहते हैं, सुधार नहीं होता, खराब पड़े हैं। एस. एम. एस. की सी व्यवस्था नहीं है। जिस समय उपकरण खरीदो उसी समय करार कर लो उस एजेन्सी से जो सप्लाई कर रही है ताकि उसके सुधार की पूरी व्यवस्था वह करती रहे। समय बहुत हो गया, माननीय मुख्य मंत्रीजी को बोलना है। मैं केवल दो बातें कह कर अपनी बात को समाप्त करूंगा। इस बार नयी सरकार आने के बाद तीन समितियां बनायी गयी हैं। राजस्थान की धरती पर तीन समितियां माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कैबिनेट के रूप में बनायी।

एक था पेन्शन। इस अभिभाषण में जिक्र है, मैं अगर विस्तार से वर्णन करूं, इतनी बात कहना चाहता हूं कि राज्य सरकार ने यह व्यवस्था की हैं, यह हमारा प्रयत्न है कि जिस समय व्यक्ति रिटायर हो, पेन्शन, ग्रेचुएटी और सारे कागजात उसके हाथ में पहुंच जाय। नियमों में संशोधन किया है। व्यवस्था को करने की दृष्टि से प्रयत्न किया है।

एक कमेटी और बनायी थी आश्रितों की कमेटी। मैं आपके माध्यम से सदन को सूचित करना चाहता हूं, उस विषय में भी हमने तय किया है, 31 जनवरी तक आश्रितों के जो भी केस पेंडिंग होंगे। अभियान चलाकर 31 मार्च तक उनको निश्चित रूप से पूरा कर लिया जायेगा। कानून में भी संशोधन किया है वह भी हमारा प्रयत्न है।

तीसरी कमेटी और बनायी थी, अदर बैकवर्ड क्लासेज की। उस नाते से मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं क्योंकि यह बात अभी तक ध्यान में नहीं आयी है, हमने इसमें जो मुद्दे तय किये हैं, राज्य सरकार द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों की सूची 1-9-93 को अधिसूचित की गयी जिसमें 140 वर्गों का अंकन किया गया है। तत्पश्चात् अन्य पिछड़े वर्गों के लिए राजकीय सेवाओं में सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों का 21 प्रतिशत आरक्षण की राजकीय अधिसूचना दिनांक 28-9-93 से प्रारम्भ कर

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

दी गयी है और इस बात को करने के लिए जो रोस्टर होता है, उस रोस्टर में भी बदल कर दिया है और उस बदले हुए रोस्टर जिसमें अदर बैकवर्ड क्लासेज कहाँ रहेंगी, इसकी सूचना सारे विभागों को प्रेषित करायी जा चुकी है।

एक विषय इसमें क्रीमीलेयर का और था इसीलिए उसको पूरा करने के लिए सीमांकन करने हेतु राज्य की परिस्थितियों के प्ररिप्रेक्ष्य में विस्तृत विश्लेषण करने एवं वर्तमान मानदण्डों में संशोधन प्रस्तावित करने हेतु एक विशेषज्ञ समिति का गठन कर दिया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन तीनों समितियों ने थोड़े समय में ही अपना कार्य पूरा करके और यह भी आवश्यकता रखी है कि पेन्शन के केसेज पेण्डिग रखेंगे तो हैड ऑफिस ऑफ डिपार्टमेंट रेस्पोंसिबल होगा और जिस प्रकार पेशी होती है उसी प्रकार से यह समिति उन विभागों के अधिकारियों को बुलाकर उनकी पेशी करेगी, यह हमने निश्चय किया है।...

श्री पूनमचन्द विश्नोई (फलौदी) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक स्पष्टीकरण चाहूंगा मंत्री महोदय समाप्त करें उससे पहले। दो तरफ से सहायता मिलती है विदेशों से। एक तो धन सहायता और दूसरा कर्ज। एक मिले तो ठीक बात है वापस देना नहीं पड़ेगा लेकिन ऐसे कार्यों के लिए कर्ज क्यों लिया जा रहा है जिसकी न तो हमको टेक्नोलोजी हासिल करनी है न वैसी कोई मशीनरी जो अपने यहां नहीं मिलती मिसाल के तौर पर पौने दो अरब रुपये के अरावली में वन विकास के लिए बीज मंगवायेंगे। विशेष या कोई वृक्ष लगाने की टैक्नोलोजी जो अपने पास नहीं है वह मंगवायेंगे। यह विदेशी कर्ज, जो काम रुपये में हो सकता है उसके लिए विदेशी कर्जा विदेशी मुद्रा में क्यों लिया जा रहा है। इसी तरह से बताया कि सिद्धमुख योजना के लिए जिसमें विवाद था, 100 करोड़ या 250 करोड़। इसी तरह से सड़कों की कौनसी टेक्नोलोजी और कौनसी मशीनरी जो अपने पास नहीं है और उसके लिए विदेशी धन हम खर्च करें, इसका जवाब दें।

श्री अध्यक्ष : आप समाप्त करिये, मुख्य मंत्रीजी बोलेंगे।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं समाप्त करते हुए, जैसा फलौदी से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा है जिन योजनाओं से प्रदेश की प्रगति होकर फायनेंशियल दृष्टि से उसका फायदा प्रदेश के निवासियों को होता है, कोका कोला में नहीं लेना चाहते हैं, पेप्सी कोला में नहीं लेना चाहते हैं। अरावली के भाग को हरित करने की योजना है, टेक्नोलोजी की नहीं, ज्ञान की नहीं लेकिन पैसे की कमी के कारण वहां से धन मिलने के बाद अरावली का भाग हरा हो जाता है तो भगवान की दया से जो स्थिति रेगिस्तान की है उस क्षेत्र की नहीं बनेगी। सड़क निर्माण नहीं होगा, यातायात के साधन नहीं बनायेंगे....(व्यवधान)

श्री पूनमचन्द विश्नोई : अपना पैसा अपने पास है, अपने पास अपने मजदूर हैं, बीज और टेक्नोलोजी अपने पास है फिर विदेशों से पैसा लेकर विदेशी कर्ज क्यों बढ़ा रहे हैं ? इसका जवाब दें।

श्री अध्यक्ष : आप समाप्त करिये। मुख्य मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं। समाप्त करिये आप।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अन्त में मैं कहना चाहता हूं कि इस सारे अभिभाषण में सरकार की नीति स्पष्ट है, नीयत साफ है, गांव के विकास के दृष्टिकोण का दिशा निर्देश है, गरीब की सेवा का प्रयत्न है, स्वच्छ और संवेदनशील प्रशासन देने की लोगों को चिन्ता है और समयबद्ध विकास करने का इशारा है। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि वे इस धन्यवाद प्रस्ताव का अनुमोदन करें, उसका सहयोग करें।

श्री अध्यक्ष : माननीय मुख्य मंत्रीजी।

श्री शिवनाथसिंह (गुढ़ा) : अध्यक्ष महोदय, एक स्पष्टीकरण करना चाहता हूं....(व्यवधान)

श्री पूनमचन्द विश्नोई : अध्यक्षजी, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया।

श्री अध्यक्ष : मुख्य मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं सुन लीजिए पहले।

श्री शिवनाथसिंह : एक स्पष्टीकरण करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : मुख्य मंत्रीजी सब कर देंगे जो भी आप पूछेंगे, वह सब कर देंगे चिन्ता मत करिये।

श्री परसराम मदेरणा (नेता, प्रतिपक्ष) : एक प्रश्न पूछना चाहूंगा माननीय मंत्रीजी से....

श्री अध्यक्ष : मुख्य मंत्रीजी जब बोल रहे हैं।

श्री परसराम मदेरणा : पूरी रिप्लाई तो उन्होंने दी है उन्हीं से पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : यह भी आपने स्वीकार किया था कि मुख्य मंत्रीजी बोलने वाले हैं।

श्री परसराम मदेरणा : इसमें आपने राजस्थान की जनता से यह वायदा किया था....

श्री अध्यक्ष : ललितजी तो आपकी मांग पर बोल रहे हैं।

श्री परसराम मदेरणा : आपका यह घोषणा-पत्र जिसमें आपने राजस्थान की जनता से यह वायदा किया था कि चुंगी से होने वाली आय की वैकल्पिक व्यवस्था कर चुंगी समाप्त कर दी जायेगी। आपने क्यों नहीं की ? आप वायदे से मुकर गये।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अभी तो बजट आ रहा है।

श्री परसराम मदेरणा : उच्चाधिकार प्राप्त महिला आयोग तथा मानवाधिकार आयोग का गठन किया जायेगा। क्या किया आपने ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : दो महीने में....

श्री परसराम मदेरणा : मथुरादास माथुर कमेटी का फैसला करके इस सम्बन्ध में क्या किया आपने ? इस सम्बन्ध में क्या कहना चाहते हैं, आपके मेनिफेस्टो में है।

श्री अध्यक्ष : माननीय मुख्य मंत्रीजी। अच्छा किया आपने मुख्य मंत्रीजी को विषय दे दिया।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (चौमू): सब घोषणा हो जायेगी याद दिलाकर बढ़िया काम किया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव की चर्चा में भाग लेकर कई प्रकार के अच्छे सुझाव दिये हैं। मैं, अध्यक्ष महोदय, उन बातों को दोहराना नहीं चाहता हूं जो मेरे सहयोगी ने अभी उत्तर में इस सदन के सामने रखी हैं। मैं उन मूलभूत समस्याओं की ओर इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा जिनके कारण राजस्थान का विकास नहीं हो पाता या विकास होता है उसका पूरा लाभ जनता को मिलना चाहिये वह नहीं मिल पाता है या जिसके कारण से राजस्थान की प्रगति भविष्य में जाकर रुकने की संभावनाएं बनती हैं। मैं इस दृष्टि से यह निवेदन करना चाहता हूं कि सन् 1947 से और उसके पश्चात् जब राजस्थान बना उस समय से लेकर अब तक राजस्थान के विकास की हम चिन्ता कर रहे हैं। राजस्थान का विकास भी हो रहा है लेकिन विकास की दृष्टि से हम अन्य राज्यों से पिछड़ते जा रहे हैं।....(व्यवधान)....

श्री पूनमचन्द विश्नोई: आप बीच में आकर गड़बड़ कर देते हैं, दो-ढाई साल।

श्री भैरोंसिंह शेखावत: आपने अच्छा किया, मैं बोलना नहीं चाहता था पर आप बुलवा रहे हैं तो मैं क्या करूं। ऐसी स्थिति में मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, मैं नहीं कहता कि सन् 1952 में कोई विकास की योजनाएं हाथ में नहीं ली गयीं, या बाद में हमने नहीं लीं लेकिन राजस्थान के मुकाबले में दूसरे राज्यों में जिस प्रकार का विकास हुआ है उतना विकास हम नहीं कर पाये हैं। यह दोष मैं कोई सरकार पर नहीं डालता हूं, लेकिन हमारी भौगोलिक रचना इस प्रकार की है जिस रचना के कारण हम उतना विकास नहीं कर पाये हैं। एक तरफ भौगोलिक स्थिति है तो दूसरी तरफ बहुत बड़ी समस्या और है जो राजनीतिक प्रश्न नहीं है और यदि उसको राजनीति से जोड़ा गया तो राजस्थान का विकास जितना हम करना चाहते हैं न तो उतना विकास हो पायेगा और न विकास के माध्यम से जनता को लाभ पहुंचाना चाहते हैं वह लाभ पहुंचा सकेंगे। वह है जनसंख्या की वृद्धि। मैं, अध्यक्ष महोदय, इस विषय की ओर इस सदन का ध्यान इसलिये आकर्षित करना चाहता हूं कि आप लोग भी अन्तर्राज्यीय सम्मेलनों में गये हैं। कभी शिक्षा के विषय में, कभी गृह के विषय में, कभी बिजली के विषय में कभी पानी के विषय में और उस समय राज्यों के विकास की चर्चा होती है और विकास के कई पैरामीटर्स में हम अन्य राज्यों की तुलना में पिछड़ते हैं लेकिन एक पैरामीटर है जिसमें राजस्थान सबसे आगे है और वह है जनसंख्या की वृद्धि की दर। यह सबसे ज्यादा चिन्ता का विषय है। इस दर को यदि हमने घटाने की कोशिश नहीं की तो आप यह मानकर चलिये कि चाहे कितनी ही टंकियां बनायें, हैण्डपम्प कितने ही खुदवा दें, कुए खुदवा दें कितनी ही रीजनल पाइप लाइन्स स्कीम्स चालू कर दें, चाहे स्कूल, कॉलेज

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

या हॉस्पीटल बना दें, हम बढ़ती हुई जनसंख्या के अनुपात में उतना विकास नहीं कर सकते हैं। इसलिए आवश्यक है कि यह सदन गम्भीरता से इस बात पर चिन्ता करे कि बढ़ती हुई जनसंख्या का प्रतिशत है यह किसे प्रकार से कम किया जा सकता है।

मैं इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा कि मुझे इस बात की खुशी है कि पिछली बार सदन में पंचायती राज और नगरपालिका अधिनियम में हमने इस प्रकार का संशोधन किया था और सदन ने उसका समर्थन भी किया था। उसके बाद प्लानिंग कमीशन की एक कमेटी बनी। उस प्लानिंग कमीशन की कमेटी का मैं भी सदस्य था और केरल के मुख्य मंत्री उसके चैयरमेन थे, भारत सरकार के भी उसमें प्रतिनिधि थे और एक व्यापक योजना बनाकर प्रधान मंत्रीजी को हमने प्रस्तुत की थी। प्रधान मंत्रीजी ने उस समय आश्वासन दिया था कि इसके आधार पर कानून का प्रारूप बनाकर लोक सभा और राज्य सभा में प्रस्तुत कर दिया जायेगा। मैं ऐसा समझता हूं कि उसका प्रारूप यदि प्रस्तुत किया जाकर पारित करा दिया जाता तो देश के अन्दर जनसंख्या बढ़ाने के विरोध में एक निश्चित रूप से वातावरण बनता। इसलिए आज मैं सदन में यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप मेरी आलोचना करें और मैं आपकी आलोचना करूं इस कारण से राजस्थान का विकास नहीं हो सकता है। विकास इस दृष्टि से होगा कि जितने भी विधायक यहां बैठे हैं, विधायकों का जहां भी सम्पर्क होता है वहां निश्चित रूप से इस बात का प्रचार करें जिससे यह वृद्धि की दर कम हो, जाय।

मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आप किसानों की बहबूदी की बात करते हैं, बिजली के नाम पर बात करते हैं, सिंचाई के नाम पर बात करते हैं पर मैं आज कह सकता हूं कि किसानों की बरबादी न बिजली से होगी, न सिंचाई से होगी, न खाद से होगी, न मवेशियों से होगी। किसान की बरबादी होगी उसकी जमीन के जितने ज्यादा टुकड़े होंगे, अनार्थिक जोतें बढ़ेंगी और किसान खेती छोड़कर मजदूरी करने के लिए मजबूर हो जायेंगे। आप किसानों की चिन्ता करने वाले हों; चाहे बाकी के लोग चिन्ता करने वाले हों, हमें इस सम्बन्ध में एक व्यापक कार्यक्रम बनाना पड़ेगा और व्यापक कार्यक्रम के लिए मैं समझता हूं आपका सहयोग तो मिलेगा ही। मैं भारत सरकार से भी बातचीत कर रहा हूं कि वह इस सम्बन्ध में पूरा का पूरा कानून जितना जल्दी पारित करवा सकें पारित करवायें।

मैं, अध्यक्ष महोदय, इसके साथ एक निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय प्रतिपक्ष के नेता ने पीने के पानी की समस्या का जिक्र किया। मैं मानता हूं कि यह बहुत बड़ी समस्या है। मुझे कई बार डर लगता है कि हम अकाल में चारे की व्यवस्था कर सकते हैं, अकाल में हम रोजगार की व्यवस्था कर सकते हैं, अकाल में चाहे सड़क निर्माण करके रोजगार दें चाहे पक्के भवन बनवाकर रोजगार दें, सारी व्यवस्थाएं हो सकती हैं, बिजली

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

की भी व्यवस्था हो सकती है लेकिन पीने का पानी यदि जमीन में नहीं रहा तो उसकी व्यवस्था किस प्रकार से की जायेगी। यह एक बहुत बड़ी समस्या है। मेरे पास आंकड़े हैं कि सन् 1952 में कितने गांव पीने के पानी की समस्या से ग्रस्त थे और शनैः शनैः उनमें कितनी प्रगति हुई है और कितने गांव कम हुए लेकिन अब तो ऐसी स्थिति बन गयी कि अब 38,000 गांवों की समस्या का समाधान करने का एक बार दावा हमने किया था लेकिन आज देखते हैं कि धरती में पानी नहीं, जितने हैण्डपम्प लगे, वे सूख गये, जितने कुएं हैं उनमें पानी सूख गया, रिचार्जिंग नहीं होते। अब आरोप लगाने के लिए कहा जा सकता है कि सरकार हमारी है। यह भी आरोप लगाया जा सकता है कि कुएं इसके लिए सूख गये लेकिन मैं दूसरी समस्या की ओर सदन को विश्वास में लेना चाहूंगा कि इस सरकार के पास जितने साधन हैं, माननीय प्रतिपक्ष के नेता कह रहे थे कि केलेमिटी रिलीफ फण्ड का पैसा आपके पास जमा है। जमा है, इसमें कोई सन्देह नहीं है, वह पैसा मेरी जेब में जमा नहीं है। वह सरकार का पैसा है। आज यदि 300 करोड़ रुपये जमा है तो यह विश्वास तो है कि यदि राजस्थान में अकाल के नाम पर या पानी के नाम पर किसी प्रकार का संकट आ गया तो मुझे आई एम. एफ. या विश्व बैंक के सामने नहीं जाना पड़ेगा। यह पैसा है, उस पैसे को खर्च करके लोगों की समस्या का समाधान कर सकूंगा। मैंने कोई पैसा बचाया है तो कोई अन्याय नहीं है। यदि यह पैसा है तो कोई अन्याय नहीं है। पैसा बचाया है, खर्च होगा लेकिन मैंने आपको जो संकट की स्थिति बतायी है, आज भी मुझे मालूम है, जहां 5 दिन पहले हमने हैण्डपम्प की मरम्मत करायी और पानी उसमें आने लग गया, छठे दिन सूचना आ गयी कि हैण्डपम्प तो ठीक है लेकिन उसमें नीचे पानी नहीं है। आज जहां इस प्रकार का संकट है, उस संकट के लिए किस प्रकार से समाधान करना होगा, समाधान के लिए कितने साधन चाहिये। यदि हमारे पास साधन नहीं रहे तो उसका परिणाम क्या निकलेगा, इसका आप अन्दाजा लगा लें।

प्रतिपक्ष के नेता को यह भ्रम पैदा हुआ या उनको सन्देह हुआ कि अगर 300 करोड़ रुपया सी. आर एफ. में बचा हुआ रह गया तो फाइनेन्स कमीशन हमारी कोई मदद नहीं करेगा या जितना फाइनेन्स कमीशन हमको सहायता देना चाहता है उतनी सहायता नहीं देगा। मैं आपको विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि फाइनेन्स कमीशन में अक्लमन्द आदमी बैठे हैं। ऐसा नहीं है जो फाइनेन्स कमीशन यह सोच ले कि इन्होंने 300 करोड़ रुपये खर्च नहीं किये इसलिए इनको सहायता मत दो। वहां भी अक्लमन्द बैठे हैं और साथ ही साथ फाइनेन्स के मामले में जानते भी हैं कि फाइनेन्स की किस प्रकार व्यवस्था की है राजस्थान की सरकार ने और उसको एप्रिशियेट किया। जिस समय 11,500 करोड़ रुपये की योजना बनी, आप लोगों को याद होगा, उस समय पार्लियामेण्ट में और पार्लियामेण्ट के बाहर यह चर्चा हुई कि राजस्थान की योजना का आकार इतना क्यों बढ़ाया। गया तो वहां के चैयरमेन का सीधा जवाब था

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

कि राजस्थान का फाइनेन्स मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है, इस कारण से यह मदद दी गयी है। मैं आज उस आधार पर कह सकता हूं कि यदि 300 करोड़ रुपये की बचत को कोई मैं जेब में लेकर जाने वाला नहीं हूं और यदि सरकार आपकी होती तो आप भी जेब में लेकर नहीं जाते। यह राजस्थान की सरकार द्वारा पीने के पानी की समस्या के समाधान में खर्च होता, खर्च होगा।

श्री परसराम मदेरणा : जेब में तो ले जाने की कोई बात नहीं की है। यदि चीफ मिनिस्टर्स या मिनिस्टर्स को एक रुपया भी मिलता है तो वह ट्रेजरी के थ्रू जाता है। मैंने कब कहा कि आपकी जेब में जाता है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं नहीं, मैं यह नहीं कह रहा हूं। आपने नहीं कहा, बड़ी कृपा की। आपके कहने का अर्थ यह नहीं था लेकिन आपको शायद इस बात की शिकायत थी कि 300 करोड़ रुपये जमा इनके पास हैं, वह खर्च क्यों नहीं किया जा रहा है। मैंने आपको बता दिया कि ...

श्री चन्दनमल बैद (तारानगर) : मुख्यमंत्रीजी, मैं निवेदन करूंगा आपको....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अब मेरी हिम्मत नहीं है बार-बार ...

श्री चन्दनमल बैद : आप कह रहे हैं ना, इसी पर मैं कह रहा हूं कि 300 करोड़ रुपये अगर आप बचा लेते हैं तो फाइनेन्स कमीशन यह सोच सकता है कि राजस्थान में सी. आर. एफ. के इतने पैसे की जरूरत नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं आपको कह सकता हूं कि सी. आर. एफ. का फार्मूला बदलने के लिए कई राज्य सरकारों ने फाइनेन्स कमीशन के ऊपर दबाव डाला है और यह भी मैं कह सकता हूं कि भारत सरकार भी सी. आर. एफ. का फार्मूला जो पहले फाइनेन्स कमीशन ने दिया था, उसके पक्ष में नहीं है। अब ऐसी स्थिति के अन्दर 300 करोड़ रुपयें खर्च करें या बचायें, उससे कोई प्रभावित होने वाला नहीं है। अच्छा हो कि कांग्रेस पार्टी जाकर भारत सरकार को कहे, जिस फार्मूले से पहले वाले फाइनेन्स कमीशन ने सी. आर. एफ. की योजना बनायी थी, वह फार्मूला इन्टेक्ट रखा जाये। हमने हमारी तरफ से यह मांग की है कि उस फार्मूले में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाये। इसलिए फाइनेन्स कमीशन इस आधार पर चले, ऐसी व्यवस्था नहीं है और न हो सकती है। अब 300 करोड़ रुपये के ऊपर जो आप कहते हैं कि दो वर्ष बाकी पड़े हैं। अब दो वर्ष, भगवान करे, अच्छी वर्षा हो और पैसा बच जाये तो बच जाये। रुपया कोई बाहर नहीं जायेगा, यह रुपया कोई लैप्स नहीं होगा। यह हमारी रेवेन्यू में शामिल होगा और ऐसी स्थिति में कोई चिन्ता करने की उसमें आवश्यकता नहीं है।

दूसरी समस्या मैंने आपके सामने पानी की रखी है। मैं इस सम्बन्ध में चाहूंगा इसको माननीय सदस्य चर्चा का विषय बनायें, आलोचना का विषय

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

बनायें, यह उनके अधिकार की बात है। वे जिस तरह से करना चाहें, करें लेकिन इस समस्या के समाधान के लिए हमें मिल-बैठकर कोई इस प्रकार की योजना बनानी पड़ेगी जिसके द्वारा जनता के सामने यह सम्भावित संकल्प, इसको हम उबारने में सफल हो जायें। इस समय मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं।

जहां तक योजना के मंजूरी के सम्बन्ध में प्रतिपक्ष के नेता ने कहा, कांस्टेण्ट प्राइस और करण्ट प्राइस के आधार पर इसका मूल्यांकन किया जाये। मैं आपको इतना ही कह सकता हूं कि कांस्टेस्ट प्राइस और करण्ट प्राइस, इन दोनों के हिसाब से आप भी लें। जो हमारी इस वर्ष की योजना है 2450 करोड़ रुपये की वह कांस्टेण्ट 1989–90 के आधार पर 1471 करोड़ रुपये होती है और 1989–90 में योजना 795 करोड़ रुपये की थी। अन्तर बहुत बड़ा है। इस अन्तर को कांस्टेस्ट प्राइस और करण्ट प्राइस के नाम पर कम करने की चेष्टा नहीं करनी चाहिये। मैं यह इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि जब तक योजना का आकार नहीं बढ़ेगा, आज मैं अभी गर्व के साथ कह सकता हूं कि राजस्थान में 1977 से लेकर 1980 तक, हमारी सरकार थी, उस समय एक वर्ष आया था कि हिन्दुस्तान में राजस्थान का पर केपिटा प्लान आउटले एवरेज से ऊपर था और कई राज्यों से ऊपर था। यह दूसरा मौका फिर आया जब 11500 करोड़ की योजना बनी और इस वर्ष 1450 करोड़ रुपये की योजना बनी तो राजस्थान का पर केपिटा प्लेन आउटले एवरेज से ऊंचा ही नहीं है, कई राज्यों के मुकाबले में ऊंचा है और यह प्लेन साइज बढ़ती है, कोई सकल से नहीं बढ़ती है, मैं इसके लिए कांग्रेस सरकार की भी तारीफ करना चाहूंगा कि पिछले प्लान में हमने एक क्रेडिविलिटी एस्टेब्लिश की। यह क्रेडिविलिटी एस्टेब्लिश की है। 1977 में, 1978 में, 1979 में और 1980 में यह गिरावट आयी और इस गिरावट का आज नतीजा आप देखना चाहें तो पर केपिटा प्लान आउट ले कम होता गया है। लेकिन धीरे-धीरे हमारी क्रेडिविलिटी फिर बढ़ी है और 3000 करोड़ रुपये की योजना, जिस समय हमने सातवीं पंचवर्षीय योजना बनायी थी, उस समय 1000 करोड़ रुपये के रेवेन्यू एडीशनल रिसोर्सेस के लिए हमारा कमिटमेन्ट था। मुझे इस बात की खुशी है कि वह परम्परा हमने चलाकर रखी, 1000 की जगह सातवीं पंचवर्षीय योजना में ए. आर. एम. हमको इकट्ठा करना था वह हमने पूरा किया और उसके बाद में आठवीं पंचवर्षीय योजना का यह भी एक एडीशनल फेक्टर था कि राजस्थान जो कहता है उसको करके दिखायेगा। अबकी बार जितने ए. आर. एम. की बात थी, दुर्भाग्य से जो कई माननीय सदस्य कहते हैं कि 2450 करोड़ रुपये पर क्यों अटक गये ? आपको 2600 करोड़ रुपये में जाना चाहिये था, आपको 3000 करोड़ रुपये में जाना चाहिये था और प्रतिपक्ष के नेता ने चिन्ता व्यक्त की है जिस समय इन्होंने कहा था, मुझे भी चिन्ता थी कि 2450 करोड़ रुपये से हमारी योजना कम रह गयी तो आगे के वर्षों में 11500 करोड़ रुपये की योजना

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

में जितना हिस्सा 3 वर्ष में होना चाहिये, वह नहीं हुआ तो प्लान साइज छोटा हो जायेगा। मैं आज आपको इस आधार पर कह सकता हूं कि राजस्थान ने एक क्रेडिबिलिटी प्राप्त की है। राजस्थान का प्लान आउट ले है वह प्लान आउट ले पूरा का पूरा खर्च हुआ है। हमने प्लानिंग कमीशन को कहा कि हमने 1990–91 में प्लान आउट ले रखा, जितना प्लान मंजूर कराया, उससे ही आगे नहीं हुआ। 1991-92 में खर्चा कम नहीं हुआ, 1992–93 में थोड़ी सी कमी रही लेकिन उस गैप को पूरा कर लिया, 1993–94 में खर्चा कम होने वाला था, हमने उस गैप को पूरा किया और 1994–95 तो आगे का वर्ष है। मैं इस समय यहां कह सकता हूं जितना प्लान आउट ले है, हम खर्च करेंगे।

अब ये दो प्रश्न क्रेडिबिलिटी के आते हैं। एक प्रश्न आता है कि आप रेवेन्यू रिसोर्सेज के बारे में जो कमिटमेंट करते हैं, उसको पूरा करते हैं या नहीं करते हैं और जितना प्लान आउट ले है, उसको आप पूरा खर्च करते हैं या नहीं। मुझे आज यह कहते हुए खुशी है कि अन्य राज्यों की तुलना में राजस्थान ने अपनी क्रेडिबिलिटी एस्टेब्लिश की है और उसी का नतीजा है कि 11500 करोड़ रुपये की योजना मंजूर हुई और उसी का नतीजा है कि 2450 करोड़ रुपये की योजना मंजूर हुई। अब उस आधार पर राजस्थान का यदि प्लाण्ड डवलपमेंट करना है तो प्लान के लिए रिसोर्सेज चाहिए। प्लान रिसोर्सेज के पाइंट आफ व्यू से, जैसा फलौदी से आने वाले माननीय सदस्य या अन्य माननीय सदस्यों ने चिन्ता व्यक्त की कि हम कर्जा ले रहे हैं, कर्जा राजस्थान में आ रहा है तो नान प्रोडक्टिव कामों के लिए नहीं....(व्यवधान) मैं आपको जवाब पूरा दूंगा। आपको अरावली पर ले जाकर के छोड़ूंगा, आप चिन्ता ही मत करो। मैं केवल इतना निवेदन करना चाहूंगा कि जिस राज्य के पास पैसा नहीं, भारत सरकार के पास पैसा नहीं। भारत सरकार जितनी भी योजना बना रही है, उस योजना में विदेशी कम्पोनेन्ट कितने हैं, आप अच्छी तरह से आंकड़े देख सकते हैं। भारत सरकार का बजट जो परसों पेश हुआ है, में विदेशों से कितना कर्जा मिलेगा, कितना ग्राण्ट के रूप में मिलेगा वह देखिये। कोई राजस्थान ही नयी बात नहीं कर रहा है, लेकिन मैं आपको इतना ही कह सकता हूं.... (व्यवधान).... लेकिन कर्जा लेना पड़ता है और कर्जा लेना पड़ रहा है तो आप राजस्थान सरकार को कहें तुम कर्जा क्यों ले रहे हैं? अब कर्जा लेने के लिए हम 5 हजार करोड़ रुपये की योजना भारत सरकार के माध्यम से भेज रहे हैं। अब भेज रहे हैं तो आप इतना तो उनसे रखवा लीजिए। राजस्थान की यह भी क्रेडिबिलिटी है कि कर्जा दे रहे हैं। आज कोई विश्वसनीयता नहीं है। कर्जा प्रोडक्टिव कामों में खर्च होगा, पानी में खर्च होगा, सड़क में खर्च होगा या फोरेस्ट में खर्च होगा, ऐसी स्थिति में मैं यह कह रहा था कि इस कर्जे से डरने की बात नहीं है। कर्जे का प्रश्न आता है, डेट सर्विस आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। मैं ऐसा समझता हूं कि

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

डेट सर्विस के मामले में इसी भारत सरकार पर 26 प्रतिशत की देनदारी है वहीं राजस्थान को 12 प्रतिशत देना है ग्रौर 12 प्रतिशत हमारे रिसोर्सेज की कैपेसिटी है कि हम डेट सर्विसिंग पूरी तरह से कर सकते हैं। इसलिए इसमें चिन्ता करने की ग्रावश्यकता नहीं है कि हम कर्जा लें या न लें। जहां तक विश्नोई साहब कह रहे थे, कौन ग्रादमी है जो कर्जा लेना चाहता है, जिसके घर में सब कुछ है वह क्यों कर्जा लेगा ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : मेरे प्रश्न का सीधा सा ग्राशय इतना ही है कि जो काम रुपये में हो जाता है उसके लिए फोरेन करेंसी क्यों ले रहे हैं ? मैं इतना ही कहना चाहता हूं बाकी कर्जा लिए बगैर किसी का काम नहीं चलता।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : राजस्थान में हम जो डवलपमेंट करना चाहते हैं उस डवलपमेंट के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। यहां कोई टेक्निकल नो-हाउ ऐसे ही नहीं ले रहे हैं। ग्ररावली पर्वत पर पेड़ कैसे लगेंगे इसके लिए कोई टेक्निकल नो-हाउ नहीं लेना है। सड़कें कैसे बनेगी इसके लिए टेक्निकल नो-हाउ इम्पोर्ट नहीं कर रहे हैं। हम सिंचाई का काम किस प्रकार से करेंगे इसके लिए भी टेक्निकल नो-हाउ की ग्रावश्यकता नहीं है ग्रावश्यकता साधनों की है। ग्रब साधन हमारे पास सीमित हैं। हमें बाहर से साधन लाने पड़ रहे हैं ग्रौर बाहर से हम उतने ही साधन ला रहे हैं जितना हम चुका सकते हैं। चुका नहीं सकते ग्रौर केवल कर्जा लेते रहें। ग्रापको साधनों की चिन्ता होनी चाहिये ग्रौर मुझे भी चिन्ता निश्चित रूप से होनी चाहिये। लेकिन हम कर्जा चुका सकते हैं ग्रौर कर्जा ले रहे हैं तो कोई टेक्निकल नो-हाउ ट्रांसफर करने के लिए कर्जा नहीं ले रहे हैं। धन की कमी है उस कमी की पूर्ति करने के लिए हम कर्जा ले रहे हैं। यही कर्जा लेने की स्थिति भारत सरकार की है। मैं ग्रकेला ही नहीं हूं, यह राजस्थान ग्रकेला ही नहीं है बल्कि ग्राज तो कई राज्य जहां कांग्रेस पार्टी का राज है वे वाहवाही इस बात के लिए लूट रहे हैं कि हमने वर्ल्ड बैंक से इतना पैसा ले लिया, ग्राई. एम. एफ से इतना पैसा लिया, हमारे यहां इतनी इण्डस्ट्रीज ग्रा रही हैं, हमारे यहां इतना यह ग्रा रहा है। ग्रब ऐसी स्थिति में मैं केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हू कि इसके बारे में कोई विशेष चिन्ता करने की ग्रावश्यकता नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : वहां पर जो डोमेस्टिक नेशनल ग्रोस प्रोडक्ट है उसका पर्सेण्टेज ग्राप देख लीजिए। भारत सरकार का कर्जा ग्रौर राजस्थान का 50 पर्सेण्ट जायेगा। यह इम्बैलेंस है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ऐसा नहीं है। मैं समझता हूं कि पहले की पोजिशन में कोई खराबी नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : खराबी तो कुछ नहीं है। ग्रब मैं केलकूलेट करता हूं तब ग्राप कह रहे हैं ग्राप केलकूलेट कर रहे हैं। मैं केलकूलेट करके ग्रापको ग्रागाह कर रहा हूं, बस इतनी सी बात है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ग्रापने ग्रागाह किया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। **ग्रध्यक्ष**

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

महोदय, प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने एक बात कही थी कि हमारी कथनी और करनी में बड़ा अन्तर है और उन्होंने उस समय बर्सिंहसर प्रोजेक्ट के मामले को लेकर यह बात कही कि मैंने प्रधान मंत्रीजी को बुलाया कि आप उसका उद्घाटन कर दो। यह बात शायद आपकी जानकारी में होगी कि नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन से समझौता पहली बार जिस समय कांग्रेस पार्टी की सरकार थी उस समय किया। उस समझौते में मैंने संशोधन किया। मैं गलत हो सकता हूं, आंकड़ों में एक-दो पैसे की गलती हो सकती है लेकिन उस समय आपने जो समझौता किया था उसमें जनरेशन कॉस्ट प्रति यूनिट के हिसाब से एक रुपया 96 पैसे पर आपने समझौता किया था। मैंने समझा कि एक रुपया 96 पैसा राजस्थान का काश्तकार नहीं दे सकता इसलिए उनसे दुबारा नेगोशियेशन किया और नेगोशियेशन करने के बाद में एक रुपया 44 या 46 पैसे पर उनको मैं लाया और लाने के बाद में प्रधान मंत्रीजी से मैंने बातचीत की। प्रधान मंत्रीजी ने इसको एग्री किया और एग्री करने के बाद मैंने प्रधान मंत्रीजी से निवेदन किया कि आप इसका उद्घाटन कर दें। उसके बाद हुआ क्या, नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन पीछे हट गया। वह अगर उससे पीछे नहीं हटता तो उस समय उद्घाटन हो जाता और उद्घाटन के लिए भी आज मैं आपको कहना चाहता हूं कि मुझे जब यह जानकारी मिली....

श्री परसराम मदेरणा : उद्घाटन के लिए मुझे कोई एतराज नहीं है। आपने तो पहले गवर्नर साहब से यह कहलवा दिया कि हमने प्रारंभ करा दिया है। फिर उद्घाटन करा रहे थे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि कथनी और करनी में अन्तर है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं आपकी एक-एक बात के लिए जवाब देना चाहता हूं। उद्घाटन करने की बात जब आयी तो मेरा एक स्वार्थ यह भी था, अब सदन में कह देऊं पुरानी बात हो गयी, अगर प्रधानमंत्री उद्घाटन कर दें तो नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन बैक आउट नहीं करे। यह भी मेरे दिमाग में थी कि मैं जल्दी से जल्दी शिलान्यास करा दूं तो फिर नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन विथड्रा नहीं करे। लेकिन वह विथड्रा कर गया। अब आप कह रहे हैं आपने गवर्नर साहब से यह कहला दिया, काम शुरू हो गया, हमने जमीन का एक्जीबिशन कर लिया। नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन के आफिसर को नियुक्त कर दिया, वहां पर मकान बनाने का काम शुरू कर दिया इसके बावजूद वे हट गये और हट गये तो वह कारपोरेशन मेरा नहीं है, वह कारपोरेशन भारत सरकार का है या तमिलनाडु सरकार के उसमें शेयर्स हैं। वह हट गया और हटने के बाद में समस्या खड़ी हो गयी और उस समस्या को लेकर आज हम कई लोगों से मिल रहे हैं, कई पार्टीज से मिल रहे हैं। अब आप यह कहें कि प्राइवेट पार्टीज के पास क्यों जा रहे हो ? मैं समझता हूं दो ही तरीके हैं जो गवर्नर साहब के भाषण में कहे हैं, या तो आप ओन-रिसोर्सेज जुटाओ और ओन-रिसोर्सेज नहीं जुटा पाते तो आपको कर्ज लेकर पावर

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

प्रोजेक्ट लेने पड़ेंगे और पावर प्रोजेक्ट के बेसिस पर राजस्थान में बिजली की कमी है उस कमी को पूरा करना पड़ेगा। अब मैं आप पर छोड़ता हूं, आप मेरे पर मत छोड़िये। मैं ठीक है, मुख्यमंत्री होऊं लेकिन मैं आप पर छोड़ता हूं मुझे कर्ज लेकर बिजली पैदा करनी चाहिए या ओन-रिसोर्सेज जनरेट करके मुझे बिजली लेनी चाहिए। यह आप पर छोड़ता हूं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : दोनों ही।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, आपने देखा होगा कि शेरगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य बहुत कम समझदारी की बात करते हैं लेकिन आज निश्चित रूप से उन्होंने समझदारी की बात की है। मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं आप इधर बैठेंगे तो यही समस्या रहेगी, हम उधर बैठेंगे तो यही समस्या रहेगी लेकिन इस आधार पर मैं आपको कहना चाहता हूं कि हम पक्ष और प्रतिपक्ष राजस्थान के विकास को इस भावना से नहीं देखें। मैं अकेला राजस्थान की समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता। यदि हम, पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों मिलेंगे तो भारत सरकार पर भी उसका दबाव पड़ेगा और लोगों में आस्था बनेगी कि जो प्रोजेक्ट वर्ल्ड बैंक से, आई. एम. एफ. से या दूसरे देशों से ले रहे हैं उस प्रोजेक्ट के प्रति वे निश्चित रूप से गंभीर हैं और इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए यहां की समस्या का समाधान करना चाहिए। मैं आज कहता हूं कि राजस्थान में बिजली की कमी को किस प्रकार से पूरा किया जाये। मेरी मान्यता है कि जब तक इसके लिए इन्वेस्टमेंट के लिए फण्ड नहीं होंगे हम उसको पूरा नहीं कर सकते और इन्वेस्टमेंट के लिए फण्ड्स हमें अपने रिसोर्सेज से भी करने पड़ेंगे और दूसरे रिसोर्सेज से भी करने पड़ेंगे।

यहां पर रामगढ़ गैस को लेकर चर्चा हुई। कई प्रकार के प्रश्न पूछे गये। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, मैंने विपक्ष के नेता के रूप में भी हाउस में यह कहा था कि यह रामगढ़ में गैस है, इस गैस के ऊपर पावर प्रोजेक्ट लगना चाहिए और जब मैं मुख्यमंत्री बना हूं, कोई ऐसी कान्फ्रेंस नहीं हुई जिसमें मैंने भारत सरकार से गैस की डिमाण्ड नहीं की हो। और आज इस सदन के माध्यम से फिर कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में जितनी गैस पैदा होती है वह स्टेट की प्रापर्टी नहीं होती है वह नेशनल प्रापर्टी है और नेशनल प्रापर्टी का बंटवारा राज्यों में जनसंख्या के आधार पर हो, राज्यों के अन्दर क्षेत्र के आधार पर हो, राज्यों में विकास के पैरामीटर्स में कौन पीछे है उस पिछड़ेपन के आधार पर हो। लेकिन गैस का बंटवारा एक रेशनल आधार पर होना चाहिए। यह नहीं कि किसी स्टेट को गैस ज्यादा दे दी और हमको आवश्यकता है तो गैस नहीं दी जाये। आपको मालूम होना चाहिए कि 12 हजार करोड़ रुपये की गैस बम्बई हाई के ऊपर जलायी जाती है। आज वह 12 हजार करोड़ रुपये की गैस अगर राज्यों को मिल जाये तो राजस्थान में ही नहीं कई राज्यों में बिजली की कमी की पूर्ति हो जाये। इसी प्रकार से रामगढ़ में गैस निकली है। हम कई वर्षों से कोशिश

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

कर रहे हैं वह गैस हमको देओ, इस गैस को आप बाहर नहीं ले जा सकते। आखिर गैस राजस्थान को देनी पड़ेगी या राजस्थान में इण्डस्ट्रीज लगें तो उन इण्डस्ट्रीज को देनी पड़ेगी। आखिर गैस से पावर जनरेट करने का काम तो राजस्थान का हमको देओ। लेकिन आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि गैस के मामले में अभी तक भारत सरकार कह रही है कि हमारे पास कितने डिपोजिट्स हैं। हम ओथेंटिसिटी के साथ यह नहीं कह सकते, फिर भी हमने कोशिश की है कि 3 मेगावाट का एक और 35 मेगावाट का दूसरा गैस कारखाना, इसके ऊपर काम चालू करा दिया और मेरा विश्वास है कि अलोकेशन भी हो जायेगा और काम भी पूरा हो जायेगा। इसलिए जो कुछ अपने. साधन हैं उन साधनों का उपयोग तो हम ठीक प्रकार से करते जा रहे हैं। इन्होंने और भी कुछ बातें कही हैं मैं आज उनका जवाब नहीं देना चाहता।

श्री परसराम मदेरणा : बजट पर।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बजट पर दे दूंगा। आंकड़े तो मेरे पास हैं लेकिन थोड़ी-सी स्थिति ऐसी नहीं है कि मैं उसको बोल सकूं।

श्री चन्दनमल बैद : जल्दी नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं इसलिए माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि चाहे हम भारतीय जनता पार्टी के हैं, चाहे आप कांग्रेस के हैं, दोनों मिलकर यह चाहते हैं कि राजस्थान का विकास हो। और दोनों मिलकर जब चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में हमें इस प्रकार का वातावरण बनाना पड़ेगा कि संसार के अन्दर यह मैसेज दिया जा सके कि हिन्दुस्तान में राजस्थान एक ऐसा एग्जेम्पलरी स्टेट है जहां पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों मिलकर विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं, भारत सरकार को हम प्रभावित कर सकें कि पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर काम कर रहे हैं और भारत सरकार से ज्यादा से ज्यादा हमको सहायता मिले, इस प्रकार का हम प्रयत्न कर रहे हैं। मैं आपको इतना ही विश्वास दे सकता हूं।

श्री शिवनाथ सिंह : अध्यक्षजी काफी प्रचार करते हैं इसका।

श्री खेतसिंह राठौड़ : विकास सबका होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोरा पक्ष ही विकास करे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपको इस बात की जलन हो रही है कि विकास हमारा हो रहा है और आप थक रहे हो। आपका यह सोचना....

श्री खेतसिंह राठौड़ : एक तरफ तो आप कहते हो कि पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर यह कोशिश करें, दूसरी तरफ जब विकास का मामला आता है तब सारे मंत्री आपके उधर एरिया में स्कूल खोलें तो वहां, बिजली दें तो वहां।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ठीक है। हां, वह सही है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : फिर हम आपका क्यों सपोर्ट करें ?

(118)

श्री भैरोंसिह शेखावत : खेतसिहजी, मैं आपके मुंह से ही सुनना चाहता हूं, आपके मुंह से ही। आपको याद होगा, 1979 में आपने भाषण दिया था, इसी सदन में दिया था और आपने भाषण यह दिया कि मैं लगातार कोशिश कर रहा था कि मेरे यहां प्राइमरी स्कूल खोलें लेकिन यह सरकार ऐसी आयी कि मेरे बिना मांगे ही वहां प्राइमरी स्कूल खोल दिये गये। आपने कहा था न ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : वह प्राइमरी स्कूल का नहीं था, वह हाई स्कूल के बारे में कहा था। बूढ़े आप भी हो गये हैं।

श्री भैरोंसिह शेखावत : कहा न, किसी के बारे में कहा हो।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : 37 स्कूल।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं कि शेरगढ़ में हमने जिस मापदण्ड से आपके यहां स्कूल खुलाये वही मापदण्ड पूरे सदन के माननीय सदस्यों के लिए होंगे, उसमें किसी प्रकार का कोई अन्तर नहीं किया जायेगा।

राजस्थान में बहुत बड़ी समस्याएं हैं, मैंने यहां पूनमचन्दजी का भाषण सुना और मुझे लगता था कि मुझे उस सम्बन्ध में कुछ करना चाहिए। राजस्थान में दूसरा है पशुधन। उस पशुधन का विकास किस प्रकार से किया जावे, मैंने इनकी अनुमति तो नहीं ली है' लेकिन राजस्थान सरकार एक एडवाइजरी कमेटी अपाइंट करना चाहती है जो राजस्थान में पशुधन का संरक्षण किस प्रकार से किया जा सके, पशु नस्ल किस प्रकार से सुधारा जा सके, कितना उन पर इन्वेस्टमेंट किया जा सके, उसके लिए यदि पूनमचन्दजी अनुमति दें तो मैं इनकी अध्यक्षता में ही वह कमेटी बनाना चाहूंगा ताकि राजस्थान में पशु नस्ल सुधार और पशु संरक्षण के मामले में इस प्रकार की व्यवस्था कर पायें। अध्यक्ष महोदय, आज तो मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हू कि जो कुछ हमने तीन महीने में किया है, यह तीन महीने का है....

श्रीमती कमला : सिर्फ एक महिला आयोग और महिला शिक्षा के बारे में जरूर कहें।

श्री भैरोंसिह शेखावत : महिला शिक्षा के बारे में तो यह बहुत बोल गये और महिला आयोग के बारे में मैं बोल जाऊंगा।

श्रीमती कमला : यह जो बोले हैं उसका कोई अर्थ नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : पूनमचन्दजी को, मुख्यमंत्रीजी, अभी आप अरावली की पहाड़ियों में ले जा रहे थे। पूनमचन्दजी अरावली की पहाड़ियों में आज से पचास साल पहले सांडिया चराया करते थे, एक-एक गांव को जानते हैं वहां पर। अरावली इनकी बहुत देखी हुई है....

श्री अध्यक्ष : आपने भी पूनमचन्दजी को वापस कहां पहुंचा दिया।

श्री भैरोंसिह शेखावत : हां, वह ठीक है। आपने कहा, वह ठीक है।

119

श्री परसराम मदेरणा : इसलिए पशु-धन के विकास के लिए अगर आप उनको रखते हैं तो इतना ज्ञान है इनमें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुझे मालूम है। मैं तो प्रतिपक्ष के नेता आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि आप पूनमचन्दजी को तो कहते हो कि वह सांडिया चराते थे और मुझे कहते हो कि मैं पुलिस में था तो पास्ट लाइफ में जाने की आदत क्यों पड़ गयी।

श्री परसराम मदेरणा : मैं जो यह कह रहा हूं, पुलिस की जो बात कह रहा हूं, आज किसी भी छोटे पद से आदमी हाइएस्ट पोस्ट पर पहुंचता है तो उसमें कुछ विलक्षणता हैं। पूनमचन्दजी सांडिया चराते थे तो एस्पदर्शन कास्ट नहीं कर रहा हू कि सांडिया चराने वाला आदमी जो है...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हम तो इस सदन में बहुत बड़ा नेता मानते हैं और आप कहते हो यह सांडिया चराते थे।

श्री परसराम मदेरणा : आज जहां अध्यक्ष महोदय बैठे हुए हैं, इस आसन पर भी वह बिराज चुके हैं। इसलिए मैं यह कह रहा हूं कि जो आदमी सेल्फ मेड हैं, आप भी सेल्फ मेड हैं, कभी मैं एस्पर्शन कास्ट कर ही नहीं रहा हूं आप पर।

श्री चन्दनमल बैद : आपकी तारीफ कर रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : तारीफ तो कर रहे हैं, अच्छी बात है। मैं स्वीकार करता हूं। लेकिन अभी जब बोल रहे थे कि पूनमचन्दजी सांडिया चराते थे वह ग्रामीण भाषा में थोड़ा अदरवाइज लिया जाता है।

श्री परसराम मदेरणा : यह अदरवाइज आप शायद महसूस कर रहे हैं। आज कोई ग्वाला बनना, गाय चराना, पशु चराना या सांडिया चराना, काश्तकार का लड़का यही काम करेगा, इसमें क्या है, यह बहुत फख्र की बात है, गर्व की बात है....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह सही है। मैंने तो खुद ने गोबर उठाया है इसलिए मुझे उसमें कोई सकोच नहीं है। मैंने खेती की है, जानवर चराये हैं, घास काटी है, गोबर उठाया है, सब कुछ उठाया है।

डा. हरिसिंह (फुलेरा) : सभी ने किया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : लेकिन आप बार-बार यह कहें कि गोबर उठाने वाला मुख्य मंत्री बन गया तो फिर वह ठीक....

श्री चन्दनमल बैद : अच्छी बात है, खुशी की बात है यह तो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अब पूनमचन्दजी को बार-बार यह कहें कि सांड....

श्री परसराम मदेरणा : मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप खुद कहते नहीं हो लेकिन लालूप्रसादजी रोज कहते हैं कि मैं भैंस पर चढ़ता था।

डा. हरिसिंह : मुख्य मंत्रीजी, एक मिनट। मैं आपकी तारीफ कर रहा हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक मिनट। अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि प्रतिपक्ष के नेता ने लालूप्रसादजी का उदाहरण दिया भगवान

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

की कृपा से आप भैंस पर मत चढ़ जाना। मैं इन्हीं शब्दों के साथ....

डा. हरिसिंह : अध्यक्षजी, मैं मुख्य मंत्रीजी की तारीफ करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : वह समाप्त कर रहे हैं, पूछ लेना अब।

डा हरिसिंह : आजकल सत्ता पक्ष में हृदय परिवर्तन हो रहा है, ऐसा लगता है। कल तो माननीय घनश्यामजी गांधीजी के चेले बन रहे थे और आज मुख्य मंत्रीजी फेमिली प्लानिंग की बाई प्रोडक्ट है यह जो पार्टी, वह फेमिली प्लानिंग की तारीफ कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि हृदय परिवर्तन हो रहा है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : आपको बात अच्छी लगी या नहीं मेरी ? मेरी बात अच्छी लगी न ?

श्री अध्यक्ष : आप किसके बाई प्रोडक्ट हैं, कहां से पैदा हुए हैं ?

श्री भैरोंसिह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, ऐसा प्रश्न नहीं पूछना चाहिए जिसका उत्तर देना कठिन हो।

डा. हरिसिंह : मैंने तो, आपको मालूम है, मुख्य मंत्रीजी, 77 में भी फेमिली प्लानिंग के लिए आपके साथ रहते हुए कहा था कि इन्दिरा गांधी ने यह काम बहुत ठीक किया। मैं तो उस वक्त भी फेमिली प्लानिंग के पक्ष में था।

श्री चन्दनमल बैद : तो आपको काम ज्यादा मिल जायेगा।

श्री भैरोंसिह शेखावत : हम मिलकर करेंगे। आप और मैं दोनों मिलेंगे और दूसरों को दिशा निर्देश देंगे। ठीक है न।

श्री अध्यक्ष : और कर ही क्या सकते हैं।

श्री भैरोंसिह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के नेता ने कई बातें उठायीं भागीरथ योजना की, एकलव्य योजना की, गोपाल योजना की, वालिमकी मैं समझता हूं इसमें मुझे आंकड़े देने की आवश्यकता नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : बजट पर आ जायें।

श्री भैरोंसिह शेखावत : नहीं, हैं मेरे पास आंकड़े, आप चाहें तो....

श्री चन्दनमल बैद : नहीं-नहीं, आपके स्वास्थ्य के कारण....

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि सदन के माननीय सदस्यों ने जो सुझाव रखे हैं उन पर हम निश्चित रूप से विचार करेंगे। कमियां हो सकती हैं राज करने में, लेकिन नीयत साफ है और उन कमियों को दूर करने का पूरा प्रयत्न किया जायेगा। जो भी राजस्थान के विकास के काम हैं उसमें प्रतिपक्ष का सहयोग लिया जायेगा और सब मिलकर राजस्थान की बहबूदी कर पायें, इस शुभकामना के साथ मैं प्रतिपक्ष से चाहूंगा कि इस धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करें।

धन्यवाद प्रस्ताव का पारण

श्री अध्यक्ष : वाद-विवाद समाप्त।

(श्री अध्यक्ष)

प्रश्न यह है कि धन्यवाद प्रस्ताव पर श्री रामनारायण, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत किया गया संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाये ?

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि धन्यवाद प्रस्ताव पर श्री हरिसिंह (कुम्हेर) सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत किया गया संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाये ?

(अस्वीकृत)

सशोधन प्रस्ताव अस्वीकर किया गया।

प्रश्न यह है कि श्री टीकमचन्द कान्त, सदस्य, विधान सभा द्वारा राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत् किया गया धन्यवाद प्रस्ताव स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

धन्यवाद प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

विधायी कार्य श्री भंवरलाल शर्मा, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे।

विधेयक पर विचार

राजस्थान नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1994

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत्त शासन मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1994 को विचारार्थ लिया जाये।

श्री अध्यक्ष : श्री शिवनाथसिंह।

श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : आई एम आन ए पाइंट आफ आर्डर। यह जो विधेयक माननीय मंत्री महोदय रख रहे हैं उसके पेज नम्बर 35 पर लिखा है।

"Three tier system of municipalities with a provision for direct election and a fixed duration of five years and reservation for scheduled castes and tribes and women already exists in the Rajasthan Municipalities Act, 1959. The provisions regarding levy of taxes and grants-in-ajd are also there. With respect to matters relating to the composition and functions of a District Plannig Committee, provisions are being made in the Rajasthan Panchayati Raj Bill, 1994."

अध्यक्ष महोदय, यह जो बिल रखा गया है, यह इनकम्प्लीट है। इसके अन्दर लिखा है,

"With respect to matters relating to the composition and functions of a District Planning Committee, provisions are being made in the Rajasthan Panchayati Raj Bill, 1994."

और वह अभी तक यहां पर पेश नहीं किया गया है, therefore, this Bill is incomplete.

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : यह जरूरी नहीं है कि यह पेश हो।

श्रीमती कमला (बैराठ) : मेरा यह निवेदन है कि यह जो बिल हाउस में प्रस्तुत हो रहा है, इसमें बहुत सारी एनामलीज हैं और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको इसके अन्दर स्पष्ट होना चाहिए था लेकिन वह नहीं रखी गयी हैं। खास तौर से जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी का प्रावधान कान्स्टीट्यूशनल अमेंडमेंट के अन्दर रखा हुआ है, जो कि इसमें होना चाहिए, वह इसमें नहीं रख कर पंचायती राज के बिल में रखा गया है। यह भी अपने आप में एक अनकान्स्टीट्यूशनल बात है। इसके अलावा आप अगर कहें तो मैं आठ-दस मुद्दे ऐसे बता सकती हूं जिन पर कि विचार करना बहुत जरूरी है। बहुत गम्भीर मुद्दे हैं और उनको बिना तय किये, बिना आपस में चर्चा किये, कमेटी को सुपुर्द किये बिना इसको यहां पर पारित करना मेरी समझ में इसके साथ न्याय नहीं होगा और न इतनी बड़ी संस्था के साथ न्याय होगा। इसलिए मेरा प्रस्ताव है और निवेदन है माननीय मंत्रीजी से और मुख्य मंत्रीजी से....

श्री अध्यक्ष : आप एक मिनट बैठिए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (चौमूं) : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि माननीय विष्णुजी ने जो आपत्ति उठायी है, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी के सम्बन्ध में जो दोनों अमेंडमेंट संविधान संशोधन बिल में है वह पंचायती राज बिल में भी है और इसमें भी है। दोनों में है।

श्रीमती कमला : दोनों में नहीं है। पंचायत राज वाले में नहीं है और वह इसी में है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : दोनों में है, पंचायती राज वाले में भी और....

श्रीमती कमला : मैं बता रही हूं आपको। आप पढ़िए अच्छी तरह से।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैंने पढ़ा है।

श्रीमती कमला : सिर्फ एक में है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : दोनों में है। आप फिर गलती कर रही हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन सुन लें, मैं बता देता हूं, आपको।

श्रीमती कमला : आप बताइये कि कौनसी जगह है पंचायती राज में। पंचायती राज वाला तो अभी आया नहीं है और जिसके अन्तर्गत यह मौजूद है उसको आप अपनी मर्जी से इधर से उधर शिफ्ट नहीं कर सकते।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था आपने शायद मुझे समझने में गलती की है, मैं कह रहा था संविधान संशोधन दोनों में हैं, पंचायती राज में भी और नगर पालिका में भी। दोनों में इस प्रकार का प्रावधान है कि डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी बनाये और उसके पीछे तर्क यह है कि 25 प्रतिशत से अधिक नगर पालिकाओं का प्रतिनिधित्व नहीं हो और 75 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व हो। इसलिए डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी की बात एक्ट में आनी चाहिए और यह उचित समझा गया।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

क्योंकि पंचायतों का डोमीनेशन जिला परिषद पर होना चाहिए, इसलिए उचित समझा गया कि उसके निर्वाचन की प्रक्रिया और उसका सारा काम पंचायती राज बिल के अन्तर्गत आये। अब चूंकि वह पंचायती राज का बिल भी इसी सत्र में प्रस्तुत होने वाला है।

श्री अध्यक्ष : एक मिनट, थोड़ा बिराजिए।

श्रीमती कमला : माननीय सदस्य से पूछें, पंचायती राज का संशोधन किस क्लाज के अन्दर है ?

श्री अध्यक्ष : आप एक बात मेरी सुन तो लीजिए। अभी आपको अवसर मिलेगा। अभी तो जो संशोधन है वह प्रस्तुत हो जाये, उस पर आप बोलिए। उसके बाद में जब विचारार्थ लेने के लिए प्रश्न खड़ा होगा उस समय आप इस पर आपत्ति कर सकेंगे और उसमें जरूरी समझा गया तो उस पर डिबेट हो जायेगी। वह आ रहा है। इसलिए इस स्तर पर अभी आपत्ति करने से कोई मतलब नहीं है। अभी तो संशोधन मूव करने दीजिए। श्री शिवनाथ सिंह, श्री रामनारायण चौधरी।

श्री विष्णु मोदी : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो प्रश्न उठाया है वह संशोधन ...

श्री अध्यक्ष : हां, जब विचारार्थ में पहुंचेगा उस समय आप यह प्रश्न उठायें।

श्री विष्णु मोदी : विचारार्थ आप लेंगे कैसे जबकि यह इनकम्पलीट है यह।

श्री अध्यक्ष : आयेगा।

श्री विष्णु मोदी : अध्यक्ष महोदय, यह नहीं पेश होगा। बिल जो इन्ट्रोड्यूस किया गया है, यह इनकम्पलीट है तो विचारार्थ कैसे आयेगा ? पहले आप मेरी सुन लीजिए।

श्री अध्यक्ष : इसलिए अभी संशोधन पेश हो रहा है।

श्री विष्णु मोदी : नहीं, संशोधन पेश होंगे कैसे ? स्टेज ही नहीं आयेगी तो संशोधन कैसे पेश होंगे ?

श्री राधेश्याम : वह स्टेज ही नहीं आयेगी। आप पहले रूलिंग दीजिए। आप रूलिंग दीजिए .. (व्यवधान)।

श्री विष्णु मोदी : उसकी स्टेज ही नहीं आयेगी। जब बिल ही इनकम्पलीट है तो यह स्टेज ही कैसे आयेगी ? आप यह रूलिंग दें तो फिर यह बात आगे चलेगी।

श्री अध्यक्ष : आप इस सम्बन्ध में रूल 64 देख लीजिए। आप कहें तो मैं पढ़कर सुना दूं। पहले रूल देख लीजिए तब तक यह संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं। (व्यवधान) ...जो आप अभी कह रही हैं वह उसमें बोल लेना। इसी में बोल लेना ...

श्रीमती कमला : नहीं यह तो प्रश्न ही....

श्री अध्यक्ष : नहीं, मैं आपको इसी पर बोलने का मौका दूंगा संशोधन के बाद। उसमें जो आप बात कह रही हैं, वह....(व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : 64 तो मैं एक ही मिनट में पढ़ देता हूं, साहब, यह लीजिए—

"64. Motion for leave to introduce Bill. If a motion for leave to introduce a Bill is opposed, the Speaker after permitting if he thinks fit, a brief explanatory statement from the member who moves and from the member who opposes the motion, may without further debate put the question :

"Provided that where a motion is opposed on the ground that the Bill initiates legislation outside the legislative competence of the House, the Speaker may permit a full discussion thereon."

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) यह तो इंट्रोड्यूस हो गया, अध्यक्ष महोदय, किस बात पर बहस हो रही है ?

श्री अध्यक्ष : ऐसा है, आप जो आपत्ति कर रहे हैं, इस सम्बन्ध में अपने यहां की भी रूलिंग है, इसमें आपत्ति करने का अवसर मिलेगा आपको। आप जो आपत्ति कर रहे हैं उसका मौका उस समय मिलेगा जब वह विचारार्थ के लिए खड़े होंगे।

श्री राधेश्याम (गंगानगर) : यह तो इंट्रोड्यूस हो गया, कभी का ही।... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : संशोधन मूव होने के बाद संशोधन पर आप बोलेंगे, फिर संशोधन पर मतदान होगा।

श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं) : वह अलग बात है।

श्री अध्यक्ष : आप किस रूल में आपत्ति कर रहे हैं ? अच्छा, आप मुझे रूल बताइये कौनसा है, किस रूल में कर रहे हैं ?

श्री विष्णु मोदी : मैं पेज 35 पर.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप कौनसे रूल में आपत्ति उठा रहे हैं ?

श्री विष्णु मोदी : मैं पाइन्ट आफ आर्डर पर हूं।

श्री अध्यक्ष : पाइंट आफ आर्डर। देखिए, यह मामला 'पाइंट आफ आर्डर का नहीं है। मैं वैसे ही कह दूंगा रूल नहीं है। पाइंट आफ आर्डर वैसे ही खारिज हो जायेगा।

श्री विष्णु मोदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कोई टेक्निकल्टीज में नहीं जाना चाहता।

श्री अध्यक्ष : इसीलिए मैं कह रहा हूं आपको बोलने का, जो आपत्ति आप उठा रहे हैं, अवसर मिलेगा।

श्री विष्णु मोदी : मैं आपका ध्यान इस बात पर आकर्षित करना चाहता हूं कि....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : उस वक्त कर देना, डुप्लीकेसी करने से क्या फायदा ? अभी

(श्री अध्यक्ष)

परिचालित करने के लिए मूव कर रहे हैं उस पर आपको बोलने का मौका दूंगा। आपस में विचार-विमर्श कर सारी बातें बोल सकते हो।

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, निवेदन यह है कि माननीय मंत्रीजी ने विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव मूव कर दिया लेकिन चूंकि यह बिल सम्पूर्ण नहीं है....

श्री अध्यक्ष : इस रूल में नहीं दे रहे हैं, आप इसे।

श्रीमती कमला : इसलिए विचारार्थ लिया ही नहीं जा सकता, इसको।

श्री लक्ष्मणसिंह (भीम) : इसे वापस लेकर कमेटी को रेफर करें या खुद मेम्बर्स को....(व्यवधान) कम्प्लीट करके फिर हाउस में लावें। .. (व्यवधान)

श्रीमती कमला : कम्प्लीट करके हाऊस में लावें या कमेटी को रेफर करें.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : संशोधन तो आने दीजिए। यही संशोधन आ रहे हैं। आप सुन तो लीजिए संशोधन।

श्री विष्णु मोदी : आप पाइण्ट आफ आर्डर नहीं ले रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : बोलोगे तो आपको भी मौका दूंगा, आप उस समय बोल लीजिए। यह संशोधन मूव कर दें, फिर यह भी बोलें और आप भी बोलें। इस पर जो बोलना चाहेगा मैं उसे मौका दूंगा, आपत्ति पर आपको दूंगा।

श्रीमती कमला : विचारार्थ नहीं लिया जा सकता।

श्री विष्णु मोदी : अध्यक्ष महोदय, आप रूल के अन्दर इसको ही मान लीजिए। मेरा इसमें सबमिशन यह है कि यह कम्प्लीट नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आप यह जो पाइंट आफ आर्डर उठा रहे हैं, इस 64 में उसको....

श्री विष्णु मोदी : मैं आब्जेक्शन कर रहा हूं कि, यह कम्प्लीट नहीं है। ....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : 64 में बोल रहे हैं ना आप ? यही मैं कह रहा हूं।

श्री विष्णु मोदी : हां, यह कम्प्लीट नहीं है और जब कोई बिल कम्प्लीट नहीं है तो उसको विचारार्थ नहीं लिया जा सकता....(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, इसी बिल का छोटा-सा संशोधन है कि बिल कम्प्लीट नहीं है, इसलिए इसको विचारार्थ नहीं लिया जाये।

श्री अध्यक्ष : श्री शिवनाथ सिंह।

श्री रामनारायण चौधरी : जनमत के लिए दे दिया जाये। इसके ऊपर....

श्री अध्यक्ष : वह बोल रहे हैं, बोलने दीजिए। मैं इसलिए बारबार पूछ रहा हूं कि आप रूल तो कोट करिये। अब यह कह रहे हैं कि मैं तो पाइंट आफ आर्डर उठा रहा हूं। 64 तो मैंने आपको बताया इसलिए पढ़कर बताइये। आप नहीं समझें तो मैं क्या करूं। मैंने आपको रूल बता

(श्री अध्यक्ष)

दिया और आप कह रहे हैं मैं पाइंट ऑफ आर्डर उठा रहा हूं।

श्री विष्णु मोदी : 64 को पढ़कर मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि यह इनकम्प्लीट है और इसलिए इसे सदन में विचारार्थ नहीं लिया जा सकता।

श्री अध्यक्ष : आप 64 को पूरा पढ़िए, इसको आप देख लीजिए, प्रोविजो है इसमें।

श्री विष्णु मोदी : "यदि किसी विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति के प्रस्ताव का विरोध किया जावे तो अध्यक्ष यदि वह ठीक समझे, प्रस्ताव करने वाले सदस्य द्वारा संक्षिप्त व्याख्यात्मक वक्तव्य दिये जाने की अनुज्ञा देने के बाद अग्रेत्तर वाद-विवाद के प्रश्न रख सकेगा।"

श्री अध्यक्ष : आगे प्रोविजो।

श्री विष्णु मोदी : "परन्तु जब प्रस्ताव का इस आधार पर विरोध किया जावे कि वह विधेयक ऐसे विधान का सूत्रपात करता है, जो सदन की विधायिनी क्षमता से परे है, तो अध्यक्ष उस पर पूर्ण चर्चा की अनुज्ञा दे सकेगा।"

श्री अध्यक्ष : अब आप बोलिए। मैं बारबार कह रहा हूं आप पढ़िए इस रूल 64 को।

श्री विष्णु मोदी : हां, मैंने पढ़ दिया, साहब। इसकी यह बात इनकम्प्लीट है। इसको इस स्टेज पर विचारार्थ नहीं लिया जा सकता।

श्री अध्यक्ष : आप 64 पर ही उठा रहे हैं ना? आप अपने मानस को बना लीजिए कि 64 में उठा रहे हैं आप। डायरेक्शन क्यों ले रहे हैं? 64 में उठा रहे हैं आप यह?

श्री विष्णु मोदी : ऐसा है, आपने मुझे 64 के लिए कहा। मैंने पाइंट आफ आर्डर के जरिये इस बात को उठाया है कि यह बिल इनकम्प्लीट है और यह विचारार्थ नहीं लिया जा सकता।

श्री अध्यक्ष : इसलिए आप 66 देखिये, अभी जो स्टेज है वह 66 की है।... (व्यवधान)... अब मैं जो कह रहा हूं आप मान ही कहां रहे हैं? Rule 67 is subject to Rule 66. पढ़ लिया आपने अब वही चालू कर रहा हूं। 66 चालू कर रहा हूं फिर 67 आयेगा। शिवनाथ सिंह जी, इसी पर बोल लीजिए।

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव

श्री शिवनाथसिंह (गुढ़ा) : अध्यक्षजी, मेरा प्रस्ताव है कि राजस्थान नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1994 को एक माह के लिए जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाये।

अध्यक्षजी, मैंने अपना यह संशोधन प्रस्ताव इसलिए पेश किया है कि जो बिल हमारे सामने कंसीडरेशन के लिए आया है वह न तो उन भावनाओं के अनुरूप है जो हमारी पार्लियामेण्ट ने संविधान के मार्फत दिशा-निर्देश दिये थे और न हमारी दूसरी दृष्टि से भी यह कम्प्लीट है। माननीय अध्यक्षजी, जो पार्लियामेण्ट में डिस्कशन हुआ, राज्य सभा और लोक सभा में और

(श्री शिवनाथसिंह)

वहां से एक बिल के रूप में कांस्टीट्यूशन में कुछ प्रोविजन्स जोड़े गये उसके मैन फैक्ट्स में मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा। आज नगर पालिकाओं के सम्बन्ध में जो विधेयक मौजूद हैं, वह राजस्थान में व देश के अन्य प्रान्तों में इतने कारगर नहीं हैं और जनता के लिए इतने हितकारी नहीं हैं। मैं राजस्थान के लिए नहीं कहता लेकिन हमारे देश की अन्य राज्य सरकारों ने भी इस भावना को स्वीकार नहीं किया इसलिए पार्लियामेण्ट में इस प्रकार का संशोधन हमारे कांस्टीट्यूशन में करना पड़ा। उस संशोधन में कुछ गाइड लाइन्स हैं। अध्यक्षजी, एक फाइनेंस कमीशन की बात सोची गयी है। नगर पालिकाओं के लिए क्या साधन उपलब्ध हों, किस प्रकार से वह साधन उपलब्ध कराये जायें और और उन पर किस प्रकार का नियंत्रण हो, स्टेट गवर्नमेण्ट से क्या शेयर मिले, नगर पालिकाएं अपने यहां से कौनसे साधन जुटायें, इन सबको दृष्टिगत रखते हुए एक फाइनेंस कमीशन की स्थापना हो, इस प्रकार का प्रावधान हमारे संविधान में संशोधन के द्वारा रखा गया है। दूसरे सेलिएण्ट फीचर्स उसमें हैं। नगर पालिकाओं के इलेक्शन समय पर नहीं होते थे, कोई निश्चित अवधि नहीं थी। मन चाहे तब नगरपालिका को भंग कर दो और मन चाहे तब तक उसका समय बढ़ाते जाओ और जब इच्छा हुई किसी सरकारी अधिकारी को नौकरी देने की तो उसको एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त कर दो। इसके लिए इलेक्शन कमीशन नगर पालिकाओं के चुनाव के लिए सोचा गया और वह इलेक्शन कमीशन उन सब व्यवस्थाओं को करें। इसी तरह से महिलाओं शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स और अदर बैकवर्ड क्लासेज के लिए नगर पालिकाओं में रिजर्वेशन हो। यह इस दृष्टि से किया गया कि पचास प्रतिशत महिलाओं की आबादी है, शिड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब्स और अदर बैकवर्ड क्लासेज की भी बहुत बड़ी संख्या है परन्तु उनके हाथ में नगर पालिकाओं का प्रशासन आज नहीं है और इसीलिए नगर पालिकाएँ शहर की बहबूदी में अपना योगदान नहीं कर पाती हैं।

(16.25)

(श्री घनश्याम तिवाड़ी, सभापति, पदासीन।)

इस बात को राज्य सरकारों ने अब तक गौण रखा, नजरन्दाज रखा इसलिए दिल्ली की सरकार को, हमारे देश की पार्लियामेण्ट को यह सब सोचने के लिए बाध्य होना पड़ा और इसके सम्बन्ध में ही कुछ प्रावधान रखे हैं। इसी तरह से नगर पालिकाओं का समय निश्चित कर दिया, कि उससे पांच साल का पीरियड हो।

श्री सभापति : वह प्रावधान सही है न, उन पर जनमत जानने की आवश्यकता है क्या ?

श्री शिवनाथसिंह : उनके अनुरूप यह बिल तैयार हुआ है कि नहीं हुआ है, उनके प्रावधानों के अनुरूप यह बिल तैयार हुआ है या नहीं हुआ है इसलिए इसको जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाये। इसमें जो कमियां रह गयी हैं और पार्लियामेण्ट के निर्देश की हमारी राज्य सरकार पालना नहीं करना चाहती, इसलिए उस पर जनमत जाना जाये।

श्री सभापति : ठीक है ।

श्री शिवनाथसिंह : सभापतिजी, इसमें नामिनेशन का मामला है। हमारे इस बिल में नामिनेशन का सवाल उठा है। नो-कांफिडेंस मोशन का भी रखा है। तो जो विसंगतियां पार्लियामेण्ट के इस अमेंडमेंट में और हमारे बिल में आयी हैं उनकी तरफ भी मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा।

सबसे बड़ा मुद्दा डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी का है, जो अभी पहले भी उठा है और सदन के माननीय सदस्य इसको उठाना चाहेंगे और यह एक बहुत बड़ा लेकुना है। माननीय मंत्रीजी कहेंगे कि पंचायतों के लिए भी हो, नगर पालिकाओं के लिए भी हो और उसका प्रावधान वह एक ही जगह करना चाहेंगे। ऐसा मुझे लगता है कि उनकी मशा होगी, लेकिन इस मामले में कोई छूट नहीं है। नगर पालिकाओं के लिए डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी हो, इस प्रकार की व्यवस्था हमारी पार्लियामेंट ने चाही है और उसके अनुरूप हम इस बिल में अमेंडमेंट करें।

दूसरा, आपने इलेक्टेड मैम्बर्स रखे हैं; नामिनेटेड मैम्बर्स भी रखे हैं और दिल्ली में पार्लियामेण्ट ने जो सुझाव दिया है उसमें यह रखा गया है कि उस सम्बन्धित नगर पालिका का जो विधायक है, जो पार्लियामेंट का मैम्बर है वह भी उसका सदस्य होगा। माननीय मंत्रीजी ने जो बिल पेश किया है हमारे सामने उसमें इस चीज को बिलकुल नजरन्दाज कर गये हैं और सिर्फ डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर पर जो म्यूनिसिपैलिटी होगी, वहां उस क्षेत्र में पड़ने वाले विधायक को उसमें रखा है। जिले में दस, बीस, तीस नगर पालिकाएं हो सकती हैं, दूसरे माननीय सदस्यों के क्षेत्र भी हो सकते हैं उनको उसमें नहीं रखा गया है। एक बहुत-बड़ा भेद रखा गया है और इस पाइण्ट पर हो सकता है हमारा लेजिस्लेशन स्ट्रक डाउन हो सकता है।

श्री सभापति : म्यूनिसिपिल कौंसिल में रखा होगा....(व्यवधान)....

श्री शिवनाथ सिंह : जो कुछ मैं निवेदन कर रहा हूं वह फैक्ट्स के आधार पर और इसमें जो प्रोविजन्स हैं उसके आधार पर ही कह रहा हूं आपको। यह कांस्टीट्यूशन के हिसाब से गलत है। इसमें डिस्क्रिमिनेशन होगा और हमारा बिल, हमारी सब मेहनत इस एक पाइण्ट पर स्ट्रक डाउन हो सकती है। इस बिल में जो भी प्रावधान रखे जाने चाहिए थे वे नहीं रखे गये हैं। और भी माननीय सदस्य इसमें अपने विचार रखना चाहेंगे, मैं इन्हीं शब्दों के साथ यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो बिल, माननीय मंत्रीजी ने तैयार किया है उसमें जो कमियां हैं और जो पार्लियामेण्टरी दिशा-निर्देश हैं, उनमें जो खामियां हैं उनको दूर करने के लिए इसे जनमत जानने हेतु भेजा जाये। फिर यह नगर पालिकाएं हैं हमारे प्रान्त की, बहुत बड़ी जनसंख्या इनसे सम्बन्धित है। जितनी भी अरबन पापूलेशन है वह इससे सम्बन्धित है। और भी सुझाव हो सकते हैं, किस प्रकार के टैक्सेज लेंगे। एक तो मामूली-सा इंडिकेशन दिया कि इस प्रकार के टैक्स लिये जा सकते हैं, गवर्नर साहब इसमें यह कर सकते हैं, वह कर सकते हैं। लेकिन जो नगर पालिकाओं के अन्दर लोग-बाग रहते हैं, वहां के निवासी हैं उनके भी सुझाव

(श्री शिवनाथ सिंह)

इसमें आ सकते हैं, किस प्रकार से हम नगर पालिकाओं के रिसोर्सेज बढ़ायें। आज नगर पालिकाओं की हालत इतनी खस्ता है कि उनके पास न कोई विकास के कार्य करने के लिए रुपये हैं, न राज्य सरकार उनको उचित अनुदान दे पाती है। ग्रामीण क्षेत्र में तो हम रुपया खर्च कर रहे हैं लेकिन शहरों की हालत ऐसी है, न वहां फेमिन में खर्च हो सकता है, न वहां जे. आर. वाई. में खर्च हो सकता है, न वहां जो रोजगार योजना है उसमें खर्च हो सकता है। आज एक तरह से हमारी नगर पालिका के क्षेत्र विकास की दृष्टि से वंचित रह रहे हैं वह अपना साधन किस प्रकार से जुटायें, इस मामले में उनके सुझाव हो सकते हैं जब यह लोगों के सामने विचार के लिए जायेगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं एक और निवेदन करना चाहूंगा। हमारे यहां नगरपालिकाएँ बनी हैं। बहुत कम आबादी शहर के रूप में होती है, ढाणियां खेतों में बसी हुई होती हैं, उस पूरे गांव को, रेवेन्यू एरिया को ही एक नगरपालिका में मिला लिया जाता है और मिली हुई भी हैं उनके लिए भी इसमें कोई प्रावधान नहीं रखा गया है। तो इस प्रकार की व्यवस्था हो कि उस पूरे रेवेन्यू विलेज के एरिया में जितने भी काश्तकार रहते हैं, दूसरे लोग रहते हैं, जिनको शहर के अन्दर चाहे लाइट दो, सड़क दो, पानी की टूंटियां दो उनसे वह बाहर वाले क्षेत्र वंचित रह जाते हैं क्योंकि नगरपालिका सीमा से आगे निकल जाते हैं। उसकी तरफ भी इस बिल में कोई ध्यान नहीं दिया गया है। इस प्रकार की अनेक समस्याएं हैं। जब यह बिल लोगों के सामने जायेगा तो वह लोग अपने सुझाव देंगे, इसी उद्देश्य से माननीय सभापतिजी, मैं इस प्रस्ताव को पेश करता हूं और चाहता हूं कि इसको चाहे कितने ही समय के लिए करो लेकिन जनमत जानने के लिए परिचालित कर दिया जाये तो अच्छा रहेगा, यह बिल पूरा होगा और हमारी कई खामियां इसमें नहीं रह पायेंगी। सब लोगों के विचार इस बिल में सम्मिलित करने के लिए हमें अवसर मिलेगा। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री रामनारायणजी।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : सभापति महोदय, राजस्थान नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1994 विधान-सभा में इन्ट्रोड्यूस हो गया था और यह विचारार्थ लिया जाने वाला था इसलिए मैंने यह उचित समझा था, इसको देखकर पढ़कर और लोगों की भावनाएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए कि इस राजस्थान नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1994 को एक माह के लिए जनमत जानने हेतु परिचालित करने हेतु प्रस्ताव कर दिया जाये। वह एक माह, सभापति महोदय, इसलिए दिया कि सरकार जल्दी ही इसको पास करना चाहती है और मैं भी इसका समर्थक हूं कि जल्दी पास किया जाना चाहिए क्योंकि इसको पास नहीं होने से नगरपालिकाओं के जो चुनाव नहीं हुए हैं, सारे चुनाव रुके पड़े हैं और जो जनतन्त्रीय स्वरूप स्थानीय निकाय का होना चाहिए वह नहीं हुआ। आज 20-20, 25-25 साल से वहां पर प्रशासक बैठे हुए हैं और मनमानी तरीके से उनके

(श्री रामनारायण चौधरी)

साधनों का वे दुरुपयोग कर रहे हैं। जनता के लोग वहां पर आयें, इसलिए चुनाव जल्दी होने चाहिए। इस दृष्टि से एक महीने का मैंने किया कि मुझे इसमें कुछ खामियां नजर आयीं।

मान्यवर, आपको याद होगा कि इस देश के महान् प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी का सारे विश्व में घूमने के बाद और सैकड़ों जिलों के अन्दर सैकड़ों ही प्रशासनिक और जन प्रतिनिधियों से मिलने के बाद यह विचार बना कि उनके स्वप्न का भारत, उनकी आशाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप का भारत कैसे बन सकता है। यह उनके दिमाग में एक नक्शा बना था। वे चाहते थे कि इस देश का राज दिल्ली से और प्रदेश की राजधानी से नहीं चल सकता। महात्मा गांधी ने हमें आजादी से पहले ही यह मार्गदर्शन दे दिया था कि भारत का राज भारत के लोगों के द्वारा होना चाहिए। दिल्ली और प्रदेश के केन्द्रों से ही राज का संचालन नहीं किया जा सकता। वह मांग उत्तरोत्तर गांधीजी के बाद जब लोकतन्त्र हमारे देश में आया तो बढ़ती गयी। आज जन-जन की आकांक्षा है कि राज के अन्दर भागीदारी उनकी हो। इस दृष्टि से राजीवजी ने पंचायती राज और शहरों के अन्दर नगरपालिका के द्वारा जनता को राज देने का कार्यक्रम बनाया था। मान्यवर, आप तो स्वयं बहुत विद्वान् हैं और बहुत विजिसेंट लेजिस्लेटर इस विधानसभा के पहले भी रहे हैं और अब भी हैं, आपने देखा है कि नगरपालिकाओं में प्रशासन आज हम जो राजीव गांधी की भावनाओं के हिसाब से देना चाहते हैं, उन्होंने जो ड्राफ्ट पेश किया था संविधान संशोधन का, उस जमाने की पार्लियामेंट ने, लोक सभा ने उसका समर्थन कर दिया था लेकिन राज्यसभा में, राजीव गांधी वह समर्थन हासिल नहीं कर सके जिसकी वजह से वह पास होता। एक वोट से भी कम रेश्यो से वह भारत का संविधान संशोधन गिर गया था, तो राजीव गांधी को और देश की जनता को एक बड़ी ठेस लगी थी कि इतना हो जाने के बाद एक पूरा वोट भी नहीं था, एक वोट का अंश ही बचता था उससे संविधान संशोधित नहीं हो सका। राजीव गांधी ने 1989 के लोकसभा चुनावों में इसको इश्यू बनाया, कांग्रेस ने भी इसको इश्यू बनाया था लेकिन जनता ने उस इश्यू को नहीं पकड़ा। कोई जरूरी नहीं है कि जनता हर इश्यू को पकड़ ले। कुछ ऐसे अवसर आते हैं हर देश में और भारत में भी ऐसे अवसर आये। मान्यवर, आज जिस चीज के आप कट्टर समर्थक हैं और जिस तरीके से चौमूं से आने वाले माननीय सदस्य के हृदय के अन्दर जो भारी परिवर्तन आया है, उनके दृष्टिकोण में जो जबरदस्त चेंज आया है, 1977 में और 1977 से पहले उन माननीय सदस्य के दिमाग में वे बातें नहीं थीं। क्योंकि आपने देखा है, संघर्ष में आये हैं, जनता के पास गये हैं, देश की हालत को समझा है। जो प्रोग्राम कांग्रेस ने दिया था, संजय गांधी ने दिया था, इन्दिरा गांधी ने दिया था जिसका जबरदस्त विरोध हुआ था, मान्यवर, उस वक्त प्रतिपक्ष ने उसी इश्यू को पकड़ा और सारे देश के अन्दर जो जनमत हुआ था उसमें सारे लोकतन्त्र का,

(श्री रामनारायण चौधरी)

सारे देश का+++उस एक इश्यू के ऊपर हो गया था।

श्री सभापति : कृपया सुनिए, माननीय सदस्य।

श्री रामनारायण चौधरी : उसके बाद मान्यवर, राजीव जी गांधी आये। वे देश को पंचायती राज और शहर के लोगों को नगरपालिकाओं के द्वारा स्थायी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट संविधान में प्रावधान करके देना चाहते थे। क्योंकि वे जानते थे कि यह भारत बड़ा देश है उसमें एक जगह कांग्रेस की हुकूमत आएगी, दूसरी जगह बी जे.पी. की आयेगी, कहीं कम्यूनिस्ट की आयेगी अपने-अपने ढंग से वे सब लोग चलेंगे। उनकी इच्छा थी कि वे एक यूनिफार्म लॉ नगरपालिका के लिए देना चाहते थे और यूनिफार्म लॉ ही पंचायती राज देना चाहते थे जो कि भारत की आशा और आकांक्षाओं दोनों का प्रतीक बन गया। नगरपालिका का, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का एक ड्राफ्ट उन्होंने दिया था, पंचायती राज का भी ड्राफ्ट उन्होंने दिया था वह पार्लियामेंट में पास नहीं होने से और 1989 के अन्दर....

श्री सभापति : माननीय रामनारायणजी, मैं कहना चाहूंगा कि सदन आज 5 बजे तक ही चलेगा क्योंकि कुछ समस्याएं हैं जिनके कारण सदन का समय बढ़ना मुश्किल है।

श्री परसराम मदेरणा (नेता, प्रतिपक्ष): यहां पर मुझे मालूम है कि राजस्थान टिनेन्सी बिल, 1955 पर 55 सीटिंग इस हाउस में हुई थी। बहुत इम्पार्टेंट बिल आ रहा है, अमेंडमेंट है। आप समय नहीं बढ़ायें तो मत बढ़ायें लेकिन बात यह है कि आप बन्दिश क्यों लगा रहे हैं माननीय सदस्य की अभिव्यक्ति पर। वह बहुत इम्पोर्टेंट बात कह रहे हैं।

श्री सभापति : वह मैं समझ रहा था, साहब।

श्री परसराम मदेरणा : पार्लियामेंट में जिन लोगों ने इस बिल को गिराया उस सम्बन्ध में यह चर्चा बहुत इम्पोर्टेन्ट चर्चा है और माननीय सदस्य को पूरी बात कहने दीजिए।

श्री सभापति : हां, कहिए संक्षेप में।

श्री रामनारायण चौधरी : सभापति महोदय, माननीय प्रतिपक्ष के नेता ने जो बात कही कि इस बिल के पीछे जो पृष्ठभूमि है वह पृष्ठभूमि क्यों आयी यह किसी ने महसूस नहीं किया। 40-40 साल, 45 साल, 47 साल से राज चला रहे थे। राजीव गांधी के नाना ने भी राज किया, राजीव गांधी को माताजी ने भी राज किया। और राजीव गांधी खुद जब राज में आये तब उनको यह महसूस हुआ कि जिस भारत को महात्मा गांधी के सपने के अनुकूल इन्दिरा गांधी की कल्पना और उनकी स्वयं की आकांक्षा, मैं उनकी कल्पना नहीं बता रहा हूं, सपना महात्मा गांधी का था और कल्पना इन्दिरा जी की थी लेकिन जो आकांक्षा राजीव गांधी की थी, उसके

+++शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री रामनारायण चौधरी)

अनुरूप वे देश की जनता को लोकल सेल्फ गवर्नमेण्ट नगरपालिका और पंचायत स्तर पर देना चाहते थे। वह इश्यू 1989 के अन्दर लोक सभा में उठाया लेकिन जनता ने उस इश्यू को नहीं पकड़ा। मान्यवर, आप स्वयं भी जानते हैं, आप खुद ही कह रहे थे कि चौधरी चरणसिंह जी ने वह प्रोग्राम इस देश को दिया था, ग्रामीण उत्थान का और गांवों के विकास का और देश की जनता ने उस इश्यू को नहीं पकड़ा। आप स्वयं भी मिलते हैं, बातचीत करते हैं तो आप ओपन हार्ट से बहुत सी बातें कहते होंगे। यथार्थ होता है, ओरीजिनलिटी होती है, मौलिकता होती है और विधान सभाओं में और पालियामेण्ट में जो ओरीजिनलिटी विचारों की है, मौलिकता विचारों की है, उसको दबा देते हैं पार्टी के अंकुश से, पब्लिसिटी के अंकुश से। जो मूल चीज होती है, उसको आप प्रकट नहीं करते हैं लेकिन बाहर बातों में उसको प्रकट कर देंगे, उसका समर्थन कर देंगे। चौधरी चरण सिंह जी के इश्यू को जनता ने नहीं पकड़ा और राजीव गांधी वाले को इतना रिजेक्ट नहीं किया था लेकिन चौधरी चरण सिंह जी वाले को भयंकर रूप से रिजेक्ट कर दिया था। लोक सभा के चुनाव हुए, उन लोकसभा चुनावों में राजीव गांधी की पार्टी, हमारी कांग्रेस पार्टी बहुमत नहीं ला सकी और उस वक्त जो नयी सरकार दिल्ली में बनी, उस सरकार का, आज का सत्ता पक्ष भी समर्थक था। भारत के संविधान के अन्दर जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं और जो लोकल सेल्फ गवर्नमेण्ट को डिफाइन किया गया है, उस लोकल सेल्फ गवर्नमेण्ट के संबंध में जो राजीव गांधी के बाद सरकार आयी और जिसका समर्थन आज के सत्ता पक्ष ने भी किया था, उस सरकार ने भी समर्थन नहीं किया। वह थोड़े दिन चली, फिर मध्यावधि चुनाव हुए। मान्यवर, मध्यावधि चुनावों के बाद आज की जो केन्द्रीय सरकार है वह आयी। आज की केन्द्र की सरकार ने इसे अपना कर्तव्य समझा, जिस अधूरे काम को स्वर्गीय राजीव जी गांधी छोड़ गये हैं, उस काम को पूरा करने का दायित्व कांग्रेस पार्टी का है। उस नाते क्योंकि वह देश के पूर्व प्रधान मंत्री श्री राजीव जी गांधी का दायित्व था। आपसी परामर्श म्यूचुअल कंसल्टेशन, डिस्कशन, आम सहमति की जो थ्योरी और फिलोसेफी आज के प्रधानमन्त्री ने दी, मान्यवर, आज का जो सत्ता पक्ष है उस आम सहमति में इस बिल के अन्दर शामिल था तब इस आम सहमति में आज का दूसरा पक्ष जो वामपंथी हैं वह भी उसमें शामिल थे। पूरे देश की एक सहमति इस मामले में बनी और वह संविधान संशोधन पास हुआ। उस संविधान संशोधन के पास होने के बाद, मान्यवर, आज सरकार यह बिल लायी। यह जो प्रोडक्ट कांस्टीट्यूशन है, आपका अमेंडमेंट का जो प्रोडक्ट है, यह राजस्थान नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक है, यह उसकी पैदाइश है। इस नाते यह लाया जा रहा है। मैंने इसको देखा है और मैंने राजीव गांधी के ओरीजिनल ड्राफ्ट को भी देखा है। मान्यवर, राजीव गांधी आज हमारे बीच में नहीं रहे। उनके दादा प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय पण्डित जवाहर लाल नेहरु... (व्यवधान) नाना, दादा एक ही बात है। नाना, ग्राण्ड फादर....

श्री सभापति : ग्राण्ड फादर और नाना, दादा अलग-अलग है।

श्री रामनारायण चौधरी : जनता से वह नहीं डरते थे, वह जनता में जाना चाहते थे, जनता उनको पसन्द करती थी और वह भी जनता से भय नहीं खाते थे और बहुत छोटी उम्र थी, जनता ने हालांकि उनको वो प्यार नहीं दिया जो उनके नाना को और उनकी मां को दिया अन्यथा 1989 में उनके दल के हारने की कोई वजह नहीं थी लेकिन वह भी एक शख्सियत थी जो देश के अन्दर जनता से प्यार करती थी, जनता से नहीं डरती थी। तो उन्होंने एक मॉडल, एक यूनिफार्म लॉ, पंचायती राज का और नगरपालिका का दिया। राष्ट्रीय स्तर पर अमेंडमेंट हुआ है, मान्यवर, वह मेरी भावनाओं के अनुकूल नहीं है। मेरी भावनाएं राजीव गांधी की जो भावनाएं थीं, उनका जो प्रोग्राम था, उनके साथ हैं। उन्होंने यह सब इलेक्शन कमीशन के मार्फत कराने का प्रोग्राम बनाया और मान्यवर, इसी निमित्त उन्होंने भारत के इलेक्शन कमीशन को मल्टी मैम्बर बनाने का प्रस्ताव किया कि एक इलेक्शन कमिश्नर इतने बड़े देश के लोकल इलेक्शन राष्ट्रीय इलेक्शन और प्रदेशों के इलेक्शन को सम्भाल नहीं सकता। उन्होंने यह चाहा था और इसलिए चाहा था कि कोई शंका-आशंका या कोई भ्रम किसी को नहीं रहे, चुनाव निष्पक्ष हों। उन्होंने वहीं पर अपने उस प्रोग्राम को रखा।

दूसरा, मान्यवर, जनता के अधिक नजदीक रहने का उनका प्रमाण मैं एक और मानता हूं कि उन्होंने चुनाव में मत सीधे मतदाताओं से मांगे। मतदाताओं का सीधा वर्डिक्ट उन्होंने मांगा था कि ग्राम मतदाता किसको पसन्द करते हैं।

श्री सभापति : आपस में बातचीत नहीं करें, माननीय सदस्य, सुनें।

श्री रामनारायण चौधरी : जैसे, मान्यवर, यहां विधानसभा के अन्दर हम किसी के प्रोक्सी नहीं हैं, हम सीधे जनता के प्रतिनिधि हैं, इसी तरह से राजीव गांधी का प्रस्ताव था कि ग्राम पंचायत और जिला परिषदें, ये सीधी जनता के द्वारा निर्वाचित हों और जनता से सीधा इनका सम्पर्क हो। और, मान्यवर, यही उनकी इच्छा थी कि नगरपालिका का भी सीधा सम्बन्ध आम जनता से हो। उसमें भी इनडायरेक्ट और अप्रत्यक्ष और प्रोक्सी जैसा मामला नहीं होना चाहिए, यह उनकी इच्छा थी। तो उन्होंने नगर पालिकाओं, नगर परिषदों और कार्पोरेशंस का चुनाव सीधा, डायरेक्ट प्रपोज किया।

मान्यवर, आपको याद हो तो वे चाहते थे कि वार्ड और चेयरमैन, इनका चुनाव सीधा मतदाता से होना चाहिए। यह बहुत बड़ा क्रान्तिकारी कदम था। लेकिन बाद में जनता से डरने वाले लोगों ने, जिनको मैं भीरू कहूंगा, कि हमारी मोनोपोली टूट नहीं जाये पंचायत से, पंचायत समिति और जिला परिषदों से, हमारी मोनोपोली नगरपालिका, नगर परिषदों और कार्पोरेशंस से खतम नहीं हो जाये, हमने जोड़-तोड़ बैठाया और इनडायरेक्ट का बहाना बनाया। मेरी बड़े-बड़े लोगों से बात हुई है वे कहते हैं कि 'भाई, आप कहते हो लेकिन इसमें कितना खर्चा होता है। मैंने कहा, लोक सभा के चुनाव में

(श्री रामनारायण चौधरी)

कितना खर्चा होता है, विधान सभा के चुनावों में कितना खर्चा होता है वह कहां से आता है, कौन देता है ? जितने चुनाव होते हैं, कौन है ऐसा जो अपनी गाढ़ी कमाई में, अपने बाप दादा की कोई थैली रखी हुई है उसमें से या बाप-दादा की जो डिपाजिट है उसमें से कोई खर्च करता है। सब जनता का पैसा है। मान्यवर, जनता सबको सहयोग देती है, वोट भी देती है और दूसरा भी समर्थन करती है। पैसा भी देती है कि लड़ो। जो नहीं लडने वाले हैं जिनके पास पैसा नहीं है उनको भी कहती है, नहीं आप खड़े होओ, हम आपको पैसा देंगे। सिक्योरिटी डिपोजिट के पैसे देकर लोग खड़े करते हैं। तो, मान्यवर, नगरपालिकाओं, पंचायतों और जिला परिषदों में, पंचायतों में मैंने जो जानकारी की, इसमें आप सीधा चुनाव आम मतदाताओं के द्वारा प्रस्तावित करने जा रहे हैं, जो मुझे जानकारी मिली अन्यथा उसमें भी यह चर्चा थी कि इसको भी प्रत्यक्ष कर दिया जाये। अब, मान्यवर इस नगरपालिका, चुनाव में माननीय मंत्री महोदय से मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस बात को मानने के लिए तैयार हैं कि तमाम नगरपालिकाओं के चुनाव वार्ड से चेयरमैन तक आम मतदाताओं के द्वारा करवाने के लिए तैयार हैं ? अगर माननीय सदस्य तैयार हो....

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत्त शासन मंत्री) : सभापति महोदय, मैं एक मिनट....

श्री सभापति : बीच में कहना चाहेंगे ? माननीय रामनारायणजी, एक मिनट।

श्री भंवरलाल शर्मा : अभी बिल विचार के लिए रखा था तब एक प्रश्न खड़ा हुआ था और उसमें शायद थोड़ा कंफ्यूजन पैदा किया है। मैं समझता हूं जो कानून की स्थिति है वह एक बार सामने रख दें तो जो अगला विचार होगा उस विचार के समय दुविधा न रहे और यदि फिर भी रहे तो उस पर ठीक से विचार हो जायेगा। इसलिए मैं संविधान के आर्टिकल 243 (जैड) (बी) जो वर्तमान में है, उसको पढ़ना चाहूंगा।

"There shall be constituted, in every State at the district level, a District Planning Committee to consolidate plans prepared by the Panchayats and the municipalities in their district and to prepare a draft development plan for the district as a whole. The Legislature of a State may by law make provisions with respect to the composition of the District Planning Committee." तो यह जो स्थिति है इसमें, कानून में लाना जरूरी नहीं है। इसलिए हमने रीजन्स में लिखा है : "Three tier system of municipalities with a provision for direct election and a fixed duration of five years and reservation for scheduled castes and tribes and women already exists in the Rajasthan Municipalities Act, 1959. The provisions

(श्री भंवरलाल शर्मा)

regarding levy of taxes and grants-in-aid are also there. With respect to matters relating to the composition and functions of a District Planuing Committee, provisions are being made in the Rajasthan Panchayati Raj Bill, 1994."

इसमें ही लिखा हुआ है। सरकार के लिए यह जरूरी नहीं है कि इसी में और जोड़ें। हम अलग से कानून बना सकते हैं and that we are going to do.

श्री परसराम मदेरणा : Where is that Bill ?

श्री भंवरलाल शर्मा : That Bill will come.

श्री परसराम मदेरणा : That is why, this confusion has arisen.

श्री भंवरलाल शर्मा : No. But how is it incomplete ?

श्री परसराम मदेरणा : You have not yet drafted that another Bills as yet And, naturally, it has not been circulated to the members. अगर आप हवा में ही बात कर रहे हो कि वहां उस बिल....

श्रीमती कमला (बैराठ) : नेता महोदय, इनको यह हक नहीं है कि म्यूनिसिपैलिटीज अमेंडमेंट का जो प्रावधान है उसको पंचायत में लगा देंगे....

श्री भंवरलाल शर्मा : यह हमारे लिए कम्पलसरी है ही नहीं इस कानून में लाना ...

श्री परसराम मदेरणा : उसमें ले आयेंगे जिसमें....चुनाव फिक्स कर देंगे। आप अगला बिल भी तो लाइये।

श्री भंवरलाल शर्मा : इस कानून में डालना हमारे लिए कम्पलसरी नहीं है और हम इसमें नहीं डालते हैं तो यह इनकम्पलीट नहीं है, मैं इतना ही कहना चाहता हूं।

श्रीमती कमला : माननीय सभापति महोदय, जो आपने यह कहा है....

श्री परसराम मदेरणा : वह बिल इन्ट्रोड्यूस कब कर रहे हो आप ?

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं जो निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि संविधान का जो आर्टिकल है उसके तहत इसमें इसको जोड़ना जरूरी नहीं है। उसको बनाना बाई लाज जरूरी है।

श्री परसराम मदेरणा : संविधान तो आपने बता दिया, बहुत ज्ञानवर्द्धन कर दिया लेकिन वह बिल तो आप लाइये।

श्रीमती कमला : नहीं वह बिल आने से भी इसकी पूर्ति इसलिए नहीं होती, माननीय सभापति महोदय, कि यह जो पढ़ रहे हैं, आप इस अमेंडमेंट एक्ट को पढ़िये, The Constitution Seventy Fourth (Amendment) Act regarding municipalities. इसके भाग में लिखा है, 15 पेज के ऊपर कि इसके अन्दर पंचायती राज का जो अमेंडमेंट हुआ है उसमें नहीं है यह म्यूनिसिपैलिटीज के लिए जो अमेंडमेंट हुआ है। यह 243 (जेड) (बी) में है। यह पंचायत के लिए जो 73वां

(श्रीमती कमला)

अमेंडमेंट एक्ट आया है, उसके अन्दर नहीं है। यह 74वें में है और यह आपका डिस्क्रिशन नहीं है कि आप 74 के प्रोविजन को उठा कर 73 में लगा दें। इसलिए कानूनी तौर पर आपको यह अधिकार नहीं है।

श्री सभापति : माननीय सदस्या, आप जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी है इसका गवनिंग एक्ट, म्यूनिसिपैलिटीज एक्ट को रखना चाहती हैं या पंचायत एक्ट में इसको रखना चाहती हैं ?

श्रीमती कमला : मेरा रखने का इसमें कोई आप्शन नहीं है....

श्री सभापति : है ?

श्रीमती कमला : न मैं कर सकती और न यह कर सकते हैं। क्योंकि जिस अमेंडमेंट एक्ट के अन्दर यह प्रावधान मौजूद है उसी के तहत इनको यह रखना पड़ेगा। यह अपनी मर्जी से पंचायत का प्रावधान म्यूनिसिपैलिटीज में और म्यूनिसिपैलिटीज का प्रावधान पंचायत में नहीं रख सकते।

श्री सभापति : माननीय पंचायत राज मंत्रीजी कुछ कह रहे हैं।

श्री नाथूसिंह (राज्य मंत्री, पंचायती राज) : यह इसलिए रखा गया है कि म्यूनिसिपैलिटीज भी डिस्ट्रिक्ट में जिला परिषद् है उसकी प्लानिंग कमेटी में रखी गयी है। इसलिए पंचायत एक्ट में रखा गया है।

श्रीमती कमला : यह तो बड़ी खुशी की बात है कि पंचायत में आप रख रहे हैं और वह अच्छा भी है लेकिन यह आपका डिस्क्रिशन नहीं है। आप चाहे कितना ही अच्छा काम कर रहे होंगे लेकिन यह आपका डिस्क्रिशन नहीं है कि आप एक एक्ट के प्रावधान को दूसरे एक्ट के प्रावधान में रख दें और उस एक्ट के प्रावधान में जहां यह है वहां उसको ओमिट कर दें। This is not your discretion

श्री नाथूसिंह : सभापति महोदय, यह ओमिट इसलिए नहीं किया गया कि इसमें इसको रखना इसलिए आवश्यक था ताकि म्यूनिसिपैलिटीज भी डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी का पार्ट हो जाये। इसलिए वायोलेशन कहीं नहीं है इसका।

श्रीमती कमला : मैं कारण से नहीं कह रही हूँ, मैं तो कानूनी गलती की बात बता रही हूं। कारण क्या है, यह थोड़े ही होता है।

श्री हरीसिंह (कुम्हेर) : सभापति महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि यह जो आपने राजस्थान म्यूनिसिपैलिटीज (द्वितीय संशोधन) बिल, 1994 हाउस के समक्ष विचारार्थ रखा है, इसके स्टेटमेण्ट आफ आब्जेक्शन एण्ड रीजन्स को आप देखें। इसके अन्दर जो कुछ भी है वह सब आपको पूरा लाना पड़ेगा। यह कहता है कि "The Constitution (Seventy-fourth Amendment) Act, 1992, which came into force with effect from the 1st June, 1993 has, with a view to enabling the urban local bodies to perform effectively as vibrant democratic

(श्री हरिसिंह)

unit of self-government, inserted Part IX A in the Constitution."

It provided for such and such things.

इसमें उन्होंने सब लिख दिया है कि जो कुछ म्यूनिसिपेलिटीज आप बनायेंगे, फाइनेंस कमीशन आप बनायेंगे और उसके बाद लास्ट में आप पैरा-6 पढ़ें, मंत्री महोदय,

"The present Bill proposes to give effect to the rest of the provisions of the Constitution (Seventy-fourth Amendment) Act, 1992 and to remove the provisions inconsistent therewith."

इसके अन्तर्गत जितने भी प्रोविजन्स हैं 74 के, उसको प्रोवाइड करने के लिए आप यह एक्ट बना रहे हैं। इसमें आपने कहीं यह नहीं लिखा है कि उसके सम्बन्ध में हम अलग एक्ट लायेंगे।

श्री सभापति : इसके लिए इसमें लिखा है कि पंचायत राज एक्ट में ला रहे हैं। इतना लिखना सफिशियेंट नहीं है क्या ?

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : यह नहीं है। उसमें यह लिखना पड़ेगा कि डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी के सम्बन्ध में....

श्री सभापति : यही लिखा है।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : यह कहां है इसमें ?

श्री सभापति : जो नगरपालिका का एक्ट है उसमें लिखा है कि डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी के बारे में पंचायत राज एक्ट में प्रावधान किये जा रहे हैं।

श्री रमाकांत शर्मा (थानागाजी) : सभापति महोदय, आप तो केवल रूलिंग दीजिये। आप तो वाद-विवाद में घुस रहे हैं। आप वाद-विवाद में भाग ले रहे हैं। आप तो रूलिंग दीजिये कोई दे रहे हों तो।

श्री सभापति : जानकारी आ जाये सदन को।

श्री परसराम मदेरणा : Chair is applying his mind. Let him apply his mind. क्या घुस रहे हैं, क्या निकल रहे हैं ?

श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : सभापति महोदय, यह प्रश्न मैंने उठाया था और एक कामनसेंस की बात है कि आप एक एक्ट में लिख देते हैं कि उस एक्ट से गवर्न होगा और उसमें लिखेंगे कि तीसरे से होगा। आपके राजस्थान का जो लॉ कमीशन है वह पहले ही आपसे कह चुका है कि एक हजार कानून हैं जिसमें से 700 और कुछ आब्सोलिट हो चुके हैं और वह कन्ट्राडिक्टरी है एक दूसरे से। आप इस तरह से इनकम्पलीट....

श्री सभापति : माननीय मोदीजी, सदन के सामने मुद्दा यह है....

श्री विष्णु मोदी : इसी बिल के बारे में मैंने ही मुद्दा उठाया है, आप सुनिये एक मिनट। गवर्निंग कौन्सिल का जिक्र आपने इसमें नहीं किया इसलिए यह इनकम्पलीट है।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : मुख्य मंत्रीजी से भी बात हो चुकी है, उन्होंने कहा था कि एक कमेटी बना देंगे, जैसे जे डी ए. का बिल पास हुआ था उसी तरह से बैठ करके, विचार करके, दो-चार दिन तक इनके चैम्बर में बैठ जायें या ऊपर कमेटी रूम में बैठकर सारे मेम्बर्स जो डिस्कस करना चाहें, क्लाज बाई क्लाज डिस्कस कर लें। उसके बाद में इसको लाइये ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्यमंत्री) : सभापति महोदय, इसमें कोई आपत्ति नहीं कि आज जो बिल विचारार्थ रखा है उसके ऊपर सारे विचार आ जायें तो उन सारे विचारों की लाइट में कोई अपन समिति बनायें या आपस में बैठकर बात करें। उस पर तो चर्चा हुई नहीं। यहां एक पाइण्ट ऑफ ऑर्डर रेज करके मूल मुद्दे पर तो चर्चा हुई नहीं और इसी पर उलझ गये। यह मुद्दा भी अगर ऐसा है जिसके कारण से कानून अधूरा रहता है तो हमें कौनसी जिद है।

श्री सभापति : सदन की कार्यवाही दिनांक 3 मार्च की प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 17.00 बजे बृहस्पतिवार, दिनांक 3 मार्च, 1994 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

परिशिष्ट—1

तारांकित प्रश्न संख्या 134 का विवरण

गत पांच वर्षों में अवैध रूप से चलने वाले वाहनों के विरुद्ध बनाये गये चालान एवं वसूल की गई जुर्माने की राशि का विवरण जनवरी, 94 तक

(रुपये लाखों में)

वर्ष	चालानों की संख्या	वसूल की गई जुर्माने की राशि
1989–90	16767	81·27
1990–91	28073	211·34
1991–92	32989	288·35
1992–93	43232	299·28
1993–94	30598	235·56
योग	151659	1115·80

परिशिष्ट–2

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर

किशनगढ़–जयपुर राजमार्ग पर डीलक्स बस सेवा

140. श्री जगदीप धनकड़ (किशनगढ़): क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या किशनगढ़ से जयपुर के बीच में राज्य सरकार की सीधी डीलक्स बस सेवा प्रारम्भ करने की योजना है ? यदि हां, तो कब तक ?

(2) किशनगढ़ क्षेत्र में कहां-कहां राज्य पथ परिवहन की बस सेवा चालू करने की योजना है ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) वर्तमान में किशनगढ़ विधान सभा क्षेत्र में राज्य पथ परिवहन बस सेवा की क्या स्थिति है और कहां-कहां उपलब्ध है ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(4) क्या अजमेर से टिकावड़ा वाया श्रीनगर बस चलाने की कोई योजना है ? यदि हां, तो कब से ?

उत्तर

(1) जी नहीं ।

(2) किशनगढ़ से किसी नये मार्ग पर बस सेवा प्रारम्भ करने की वर्तमान में कोई योजना नहीं है ।

(3) वर्तमान में किशनगढ़ विधान सभा क्षेत्र के सभी राष्ट्रीयकृत मार्गों पर यात्री उपलब्धता के अनुरूप निगम द्वारा पर्याप्त बस सेवाओं का सचालन किया जा रहा है । मार्गवार उपलब्ध बस सेवाओं का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है । (परिशिष्ट–अ)

(4) अजमेर से टिकावड़ा वाया श्रीनगर मार्ग का सर्वेक्षण कराया जा रहा है । सर्वेक्षण उपरान्त पर्याप्त यात्री उपलब्धता की सम्भावना हुई तो अनुज्ञापत्र प्राप्त कर बस संचालन किया जाना सम्भव होगा । टिकावड़ा ग्राम निजी मार्ग किशनगढ़ से विजयनगर पर आता है इस पर आठ निजी वाहन संचालित हैं ।

परिशिष्ट–"अ"

किशनगढ़ विधान सभा क्षेत्र में विभिन्न मार्गों पर परिवहन निगम द्वारा संचालित की जा रही बस सेवाओं का विवरण।

क्र सं	मार्ग का नाम	दैनिक संचालित परिचक्र
1	किशनगढ़–अराई	24
2.	किशनगढ़–तिलोनिया–हरमाडा	18
3.	किशनगढ़–पाटन–बान्देरसिन्दरी से दूदू सांभर, जोबनेर, सावून मार्ग	13
4.	किशनगढ़–रूपनगढ़	124
5.	किशनगढ़–तिलोनिया, हरमाडा, सुरसरा, रूपनगढ़	4
6.	किशनगढ़–सरदार सिंह की ढाणी	2
7.	रूपनगढ़–पनेर, जाजोता, उजोली, कोटडी, नोसल, फाग	12
8.	रूपनगढ़–सलेमाबाद, रिगलोद, कुचील	12
9.	किशनगढ़–श्रीनगर	6
10.	किशनगढ़–अजमेर	50
11.	अजमेर–किशनगढ़–जयपुर	52

जनजाति उपयोजना क्षेत्रान्तर्गत आवास आवंटन

141. श्री दयाराम परमार (खेरवाड़ा): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जनजाति उपयोजना में आठवें वित्त आयोगान्तर्गत कर्मचारियों हेतु कुछ गृह निर्माण कराये गये थे ? यदि हां, तो कुल कितने गृहों का निर्माण किया गया ?

(2) क्या यह भी सही है कि उन गृहों में सरकारी कर्मचारी नहीं रहते हैं और खाली पड़े हैं तथा खण्डहर होने जा रहे हैं ? यदि नहीं, तो कितने भवनों में कर्मचारी आवास करते हैं और कितने खाली पड़े हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि जनजाति उपयोजना क्षेत्र में कर्मचारियों हेतु आठवें वित्त आयोगान्तर्गत 444 आवास गृहों का निर्माण कराया गया है। जिलेवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं। यह सही नहीं है कि सभी गृहों में सरकारी कर्मचारी नहीं रहते हैं। 444 आवास गृहों में से 438 गृह पूर्ण हैं एवं 6 अपूर्ण हैं। 438 गृहों में से 352 भवनों में कर्मचारी निवास कर रहे हैं। शेष 86 गृहों के आवंटन की प्रक्रिया जारी हैं। कोई भी आवास खण्डहर नहीं हैं। जिलेवार सूची सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

जिलेवार सूचना

क्रम सं.	नाम जिला	निर्मित आवास संख्या	आवंटित आवास गृह संख्या	शेष आवास गृह की सं.
1.	उदयपुर	139	124	15
2.	डूंगरपुर	78	69	7
3.	बांसवाड़ा	165	110	51
4.	चित्तौड़गढ़	48	40	8
5.	सिरोही (आबूरोड)	14	9	5
	योग	444	352	86

पंचायत समिति भैंसरोडगढ़ (चित्तौड़गढ़) में कैरोसीन वितरण

142. श्री चुन्नीलाल धाकड़ (बेगूं) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) रावतभाटा की जनसंख्या वर्ष 1991 के अनुसार कितनी है और वर्तमान में वहां राशन की चीनी, गेहू व कैरोसीन प्रतिमाह कितना उपलब्ध कराया जा रहा है ?

(2) भैंसरोडगढ़ पंचायत समिति में कैरोसीन वितरण केन्द्र कुल कितने और कहां-कहां, किस-किस नाम से हैं ?

(3) इन केन्द्रों पर कैरोसीन किस माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है ?

उत्तर

(1) रावतभाटा की जनसंख्या वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार 29,805 है। वहां पर राशन की चीनी, गेहू व कैरोसीन निम्न प्रकार प्रति माह उपलब्ध कराया जा रहा है :–

नाम माह	गेहूं	राशन की चीनी	कैरोसीन
दिसम्बर, 93	100 क्वि.	412 क्विं.	48 के. एल.
जनवरी, 94	400 क्विं.	412 क्विं	60 के. एल.

(2) भैंसरोडगढ़ पंचायत समिति में कैरोसीन वितरण के कुल 12 केन्द्र हैं, जिनका विवरण संलग्न सूची में हैं।

(3) इन केन्द्रों पर कैरोसीन मै. लक्ष्मीकांत / भंवरलाल कैरोसीन थोक विक्रेता कोटा के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है।

क्र. सं.	नाम डीलर	वितरण क्षेत्र
1	2	3
1.	मैं परमानन्द ग्रायल कम्पनी, रावतभाटा ।	1–ग्रामीण पंचायत क्षेत्र बाडोलिया, एकलिंगपुरा, खातीपुरा, जालखड़ा ।
2.	भगवती ग्रायल कम्पनी, रावतभाटा ।	2–ग्रार. पी. एस. कालोनी, 1/2 वार्ड 2
3.	श्री राम ग्रायल कम्पनी, रावत भाटा	3–ग्रार. पी. एस. कालोनी, 1/2 वार्ड 3 संख्या व 4
4.	श्री हरीश ग्रायल कम्पनी, रावतभाटा	4–बाजार नं. 1/2 वार्ड नं. 5 व 6
5.	मैं दिनेश ग्रायल कम्पनी, रावतभाटा	5–बाजार 1/2 वार्ड 1 ग्रामीण पंचायत जावदा, केवरपुरा, मण्डेसरा, राजपुरा, जवाहरनगर ।
6.	जी. एस. एस. जावरा	6–बाडोलिया पंचायत ।
7.	जी. एस. एस. भैंसरोडगढ़	7–पंचायत भैंससेड़गढ़ ।
8.	जी. एस. एस. बोराव	8–पंचायत बोराव ।
9.	ग्रार. ए. पी. पी.	9–फेज–II
10.	ग्रार. ए. पी. पी.	10–एन. टी. सी. कालोनी ।
11.	हैवीवाटर	11–हैवीवाटर कालोनी ।
12.	टाउनशीप	12–टाउनशीप कालोनी ।

(144)

ढूंढ नदी (भरतपुर-जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग) पर निर्मित पुल

143 श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) भरतपुर-जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर ढूंढ नदी पर बनाये गये पुल पर कितनी राशि व्यय हुई है ?

(2) उक्त पुल पर होकर गुजरने वाले वाहनों से 31 मार्च, 1993 तक कुल कितनी राशि टोल टैक्स लगने की तिथि से अब तक वसूल हो चुकी है ?

(3) क्या इस टोल टैक्स से सरकारी वाहनों की ही भांति विधायकों के वाहनों को जब वह विधान सभा के सत्र अथवा मीटिंगों में भाग लेने आ रहे हों तो छूट देने का सरकार विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) भरतपुर-जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर ढूंढ नदी पर बनाये गये पुल पर वर्ष 1985-86 में रु० 1,69,61,064/- की राशि व्यय हुई है।

(2) उक्त पुल पर गुजरने वाले वाहनों से दिनांक 31.3.93 तक रु० 3,33,11,352 की राशि वसूल की जा चुकी है।

(3) राष्ट्रीय राजमार्ग के पुल पर टोल टैक्स की वसूली भारत सरकार के निर्देशानुसार की जाती है, इसलिये यह प्रश्न भारत सरकार से संबंधित है।

ग्राम पंचायत पहाड़ी (भरतपुर) का बस स्टैण्ड

144. श्री अमराराम (धोद) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि भरतपुर जिले की ग्राम पंचायत पहाड़ी में स्व. श्री तेजराज जैन मेमोरियल बस स्टैण्ड शुरू किया गया था ? यदि हां, तो अब किन कारणों से इसे बन्द कर दिया गया ?

(2) क्या सरकार इस बस अड्डे को पुनः शुरू करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां। उक्त बस स्टेण्ड आबादी से 3 किलोमीटर दूरी पर है जिसकी वजह से यात्रियों की प्रवृत्ति अनाधिकृत वाहनों में बैठकर जाने की ज्यादा रहती थी जिससे निगम वाहनों की यात्री भार उपलब्धता नगण्य रह गई थी। परिणामस्वरूप इस बस स्टैण्ड से निगम वाहनों का संचालन बन्द करना पड़ा।

(2) जी हां, अधिसूचना जारी होते ही प्रारम्भ कर दिया जावेगा।

जिला डूंगरपुर में निर्माण कार्य

145. श्री शंकरलाल अहारी (चौरासी): क्या जन जाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या डूंगरपुर जिले में जन जाति के लोग निवास कर रहे हैं ? यदि हां, तो कितने प्रतिशत ?

(श्री शंकरलाल अहारी)

(2) आदिवासियों को क्या-क्या सुविधाएं सरकार के माध्यम से दी जा रही हैं ?

(3) अनुसूचित जन-जाति कल्याणकारी उप योजनाओं के अन्तर्गत जिले में कितनी सड़कें, कुएं, एनीकट, छात्रावास तथा विद्यालय बनाये गये हैं ?

(4) आदिवासियों के नाम पर सरकार द्वारा जो राशि स्वीकृत की जाती है वह राशि किन-किन मदों से उपयोग में लाई जा रही है ?

उत्तर

(1) जी हां। डूंगरपुर जिले में जनजाति के लोग निवास करते हैं। जनगणना 1991 के आधार पर जिले में 65.84 प्रतिशत जनजाति के व्यक्ति हैं।

(2) सरकार के माध्यम से आदिवासियों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का विवरण परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(4) जनजाति कल्याणकारी योजनाओं के अन्तर्गत जिले में 10 सड़कें, 504 कुएं, 26 एनीकट, 7 छात्रावास, 17 आश्रम छात्रावास, 10 प्राथमिक विद्यालय भवन तथा 142 प्राथमिक विद्यालयों में कमरे बनाये गये हैं।

(4) आदिवासियों के लिये सरकार द्वारा स्वीकृत राशि प्रश्न के भाग-2 के उत्तर में वर्णित मदों में उपयोग की जा रही है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

अजमेर जिले में कैरोसीन का वितरण

146. श्री किशन गोपाल कोगटा (मसूदा) : क्या खाद्य एवं आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) अजमेर जिले में कैरोसीन का प्रतिमाह कितना कोटा दिया जाता है ?

(2) उपरोक्त में से विजयनगर नगरपालिका व पंचायत समिति मसूदा व पंचायत समिति भिनाय के लिये कितनी मात्रा है ?

(3) क्या सरकार द्वारा वितरण व्यवस्था के अनुसार वहां के नागरिकों के लिये जिले के अन्य स्थानों के बराबर कैरोसीन का वितरण किया जाता है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या सरकार इस व्यवस्था में सुधार का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या ?

उत्तर

(1) वर्तमान में अजमेर जिले को कैरोसीन का औसतन प्रतिमाह 1708 कि. ली. कोटा दिया जाता है।

(2) उपरोक्त में से विजय नगर नगरपालिका, पंचायत समिति मसूदा व पंचायत समिति भिनाय को कैरोसीन औसतन क्रमश: 36·3, 40·8, 39·2 कि. ली. प्रति माह उपलब्ध कराया जाता है।

(3) जी नहीं। जिले के नगरपालिका क्षेत्रों में अधिकतम 10 लीटर प्रति राशन कार्ड एवं पंचायत समिति क्षेत्र में 5 लीटर

(खाद्य एवं आपूर्ति राज्य मंत्री)

प्रति राशन कार्ड कैरोसीन वितरण किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा नगर पालिका क्षेत्रों में कैरोसीन की अधिक आवश्यकता रहने के कारण नगरपालिका क्षेत्रों में पंचायत समिति क्षेत्रों से अधिक मात्रा में कैरोसीन का आवंटन किया जाता है।

(4) जिले के किसी क्षेत्र से अधिक मांग प्राप्त होने पर कैरोसीन की कुल उपलब्धि को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त आवटन/डाईवर्जन पर विचार किया जाता है।

कामां क्षेत्र में काम के बदले अनाज योजनान्तर्गत सड़क निर्माण कार्य

147. श्री तैय्यब हुसैन (कामां): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) भरतपुर जिले के कामां क्षेत्र में काम के बदले अनाज योजना के तहत कितनी सड़कों का अर्थ वर्क कराया गया था ?

(2) क्या इन सभी सड़कों को पक्का कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो सरकार इनको कब तक पक्का कराने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) भरतपुर जिले के कामां क्षेत्र में काम के बदले अनाज योजना के तहत सार्वजनिक निर्माण विभाग में कोई कार्य स्वीकृत नहीं किये गये तथा इस विभाग द्वारा कोई कार्य उक्त योजना के अन्तर्गत नहीं कराये गये।

(2) चूंकि कामां क्षेत्र में काम के बदले अनाज योजना के तहत इस विभाग द्वारा कोई कार्य नहीं कराये गये इसलिये पक्के कार्य का प्रश्न नहीं उठता।

पैट्रोल चलित थ्री व्हीलर

148. श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या राज्य में चलने वाले थ्री व्हीलर में पैट्रोल के इंजन के स्थान पर डीजल इंजन लगाये जाने के संबंध में अनुमति देने में परिवहन विभाग, ने जिला परिवहन अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिये हैं ?

(2) क्या यह सही है कि जिला परिवहन अधिकारियों द्वारा इस प्रकार की अनुमति जारी करने में काफी विलम्ब किया जाता है जिससे संबंधित अधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार की काफी सम्भावनायें रहती हैं ?

(3) राज्य के प्रत्येक जिले में जिला परिवहन अधिकारियों के पास इस संबंध में कितने प्रार्थना-पत्र कब-कब से विचाराधीन पड़े हैं ? ऐसे प्रार्थना-पत्रों पर कब तक निर्णय हो जाने की सम्भावना है ?

(4) क्या सरकार ऐसे मामलों को शीघ्रातिशीघ्र निपटाने के लिए जिला परिवहन अधिकारियों को आदेश जारी करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 53 के अन्तर्गत वाहन में परिवर्तन की शक्तियां पंजीयन अधिकारी में निहित हैं। अतः विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में जिला परिवहन अधिकारियों को निर्देश दिये जाने की आवश्यकता नहीं रह जाती।

(2) जी नहीं, यह सही नहीं है। ऐसे मामलों में किसी प्रकार का कोई विलम्ब नहीं किया जाता है। मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 52(2) के अन्तर्गत वाहन में किसी प्रकार के परिवर्तन की अनुमति के लिये प्राप्त प्रार्थना पत्र पर पंजीयन अधिकारी द्वारा यदि 7 दिन में स्वीकृति अथवा अन्य कोई निर्णय की सूचना आवेदक को नहीं दी जाती है तो इस प्रकार के परन्तुक के अनुसार प्रस्तावित परिवर्तन की स्वीकृति दी गई मान ली जाती है। अतः ऐसी स्थिति में भ्रष्टाचार की कोई सम्भावना नहीं रहती है।

(3) इस सम्बन्ध में कोई प्रार्थना-पत्र विचाराधीन नहीं है।

(4) स्पष्ट कानूनी प्रावधानों के परिपेक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा किसी प्रकार के निदेश दिये जाने की आवश्यकता नहीं रहती।

जनजातीय क्षेत्र के आश्रम छात्रावास

149. श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) उदयपुर डिवीजन में कितने आश्रम छात्रावास संचालित हैं तथा इनमें कौन-कौन से पदों पर नियुक्तियां की जाती हैं ?

(2) क्या इन छात्रावासों में दैनिक वेतन भोगी रसोईये रखे गये हैं ? यदि हां, तो छात्रावासवार दैनिक वेतन भोगी रसोईयों के नाम, स्थान तथा इन्हें दिये जा रहे वेतन का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार इन रसोईयों को स्थाई करना चाहती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(4) क्या यह भी सही है कि आश्रम छात्रावासों में कई पद रिक्त हैं ? यदि हां, तो स्थान, पदों तथा कब से रिक्त हैं, का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार इन पदों को भरने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) उदयपुर डिवीजन में कुल 62 आश्रम छात्रावास संचालित हैं। सूची परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है। आश्रम छात्रावासों में शिक्षा विभाग द्वारा द्वितीय श्रेणी अध्यापक एवं तृतीय श्रेणी अध्यापकों की क्रमशः गृहपति एव कोच के पदों पर नियुक्ति की जाती है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एवं चौकीदार के पद पर भी शिक्षा विभाग ही नियुक्ति करता है।

(2) जी नहीं। आश्रम छात्रावासों में अनुबन्ध पर रखे जाते हैं। प्रत्येक 25 छात्र/छात्राओं पर एक रसोईया 22/–

(148)

(जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री)

प्रतिदिन की दर से अधिकतम 572/– रुपये प्रतिमाह (26 दिन) 10 माह के लिये रखे जाते हैं। स्थान तथा नाम की सूची परिशिष्ट "ब" के अनुसार सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(3) जैसा कि भाग दो के उत्तर में निवेदन किया गया है, यह रसोईये अनुबन्ध पर रखे जाते हैं। इनसे सेवा अनुबन्ध के अनुसार ली जाती है।

(4) जी हां। आश्रम छात्रावासों में कुल 47 पद रिक्त हैं। जिलेवार विवरण परिशिष्ट "स" के अनुसार सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(5) जी हां। रिक्त पदों को भरने हेतु राज्य सरकार सतत् प्रयत्नशील रहती है। पद भरने की एक निरन्तर प्रक्रिया है। पद खाली होते रहते हैं तथा भरे भी जाते रहते हैं। वर्तमान में जो पद खाली हैं उनके भरने की कार्यवाही जारी है। पद शीघ्र ही भर लिये जावेंगे।

(सूचियां एवं विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

अवैध गैस/रेग्यूलेटर की रोकथाम

150. श्री महेन्द्रसिंह मीणा (सिकराय): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जयपुर में वर्ष 1990 से 1 जनवरी, 1994 तक की अवधि में कितने अवैध गैस सिलेण्डर व रेग्यूलेटर पकड़े गये ?

(2) उक्त गैस सिलेण्डर व रेग्यूलेटर किन-किन व्यक्तियों से तथा इन व्यक्तियों द्वारा किन-किन को यह सिलेण्डर बेचे गये तथा इन सिलेण्डरों के खरीददार किस गैस कम्पनी से गैस सिलेण्डर प्राप्त करते रहे ?

(3) क्या नकली व चोरी से प्राप्त सिलेण्डरों को गैस कम्पनियों द्वारा गैस आपूर्ति न करने के प्रभावी कदम विभाग द्वारा उठाये गये हैं ? यदि हां, तो क्या व कब ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जयपुर में वर्ष 1990 से 1-1-1994 तक की अवधि में 158 अवैध गैस सिलेण्डर व 86 रेग्यूलेटर पकड़े गये।

(2) उक्त गैस सिलेण्डर व रेग्यूलेटर जिन व्यक्तियों से पकड़े गये, उनका विवरण संलग्न है। पकड़े गये सभी सिलेण्डर व रेग्यूलेटर पुलिस अभिरक्षा में हैं, किसी को बेचे नहीं गये हैं।

(3) गैस कम्पनियां नकली व चोरी के सिलेण्डरों में गैस आपूर्ति नहीं करती है। गैस कम्पनियों द्वारा उनके वितरकों के यहां पंजीकृत उपभोक्ता को ही गैस आपूर्ति की जाती है। इसके लिये पूर्व में उपलब्ध कराया गया सिलेण्डर वापिस प्राप्त किया जाता है। इस विभाग के पास ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है जिसमें गैस कम्पनी से मिलीभगत से सिलेण्डर चोरी से बेचे गये हों।

भाग 2 का विवरण

1. श्री रामजीलाल
2. श्री राजग्रोवर
3. श्री प्रकाश
4. श्री नरेश
5. श्री प्रभुदयाल
6. श्री प्रेमचन्द
7. श्री निदेश
8. श्री मुकेशकुमार
9. श्री अख्तर खां
10. श्री मोहनसिंह
11. श्री शहजाद खां
12. श्री रवि शर्मा
13. श्री भागचन्द
14. श्री इन्द्र
15. श्री रामस्वरूपलाल
16. श्री मोहनलाल
17. श्री शिवरामसिंह
18. श्री श्रीरामफूल
19. श्री श्रीकिशन
20. श्री हुक्मीचन्द
21. श्री सुगनचन्द
22. श्री गोपाल
23. श्री जुगलकिशोर
24. श्री नानूराम
25. श्री हनुमानलाल
26. श्री घेवरराम
27. श्री अरुणकुमार
28. श्री अनिलकुमार
29. श्री गोपाललाल
30. श्री मोहनलाल
31. श्री कैलाशनारायण
32. श्री गिरराज प्रसाद
33. श्री प्रवीण

शेरगढ़-जोधपुर-बाड़मेर मार्ग पर संचालित अवैध वाहन

151. श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या शेरगढ़–जोधपुर, जोधपुर–बाड़मेर मार्ग पर अवैध वाहनों का चलन बन्द किया गया ? यदि हां, तो उक्त मार्ग पर कितनी रोडवेज बसें लगाई गई ?

(2) क्या यह सही है कि अवैध वाहन आज भी उसी तरह पुलिस व अधिकारियों की मिलीभगत से खुले आम चलाये जा रहे हैं ?

(3) क्या इसकी जांच कराई गई है ? यदि हां, तो किसके द्वारा व किस तारीख को तथा कितने दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की गई ?

(4) क्या जांच के समय जन प्रतिनिधियों से जांच अधिकारी को नहीं मिलना चाहिये था अथवा शिकायतकर्ता से भी पूछताछ जरूरी नहीं थी ?

(150)

(श्री खेतसिंह राठौड़)

(5) क्या जांच की कार्यवाही एक तरफा ही कर दी गई ?

उत्तर

(1) शेरगढ़-जोधपुर, जोधपुर-बाड़मेर मार्ग पर वाहनों का अवैध चलन प्रायः बन्द है। यदा-कदा विभाग द्वारा उपरोक्त मार्गों पर अवैध रूप से चलते पाये गये वाहनों के विरुद्ध चालान बनाये जाकर नियमानुसार कार्यवाही की गई है, जिसका विवरण संलग्न परिशिष्ट "क" पर उपलब्ध है। जहां तक निगम का सम्बन्ध है शेरगढ़ से जोधपुर मार्ग के मध्य वर्तमान में 18 परिचक्र दैनिक एवं जोधपुर से बाड़मेर के मध्य 42 परिचक्र दैनिक संचालित किये जा रहे हैं।

(2) जी नहीं। यह सही नहीं है।

(3) जी हां। समय-समय पर परिवहन निरीक्षकों एवं परिवहन उपनिरीक्षकों द्वारा चैकिंग के दौरान उपरोक्त मार्गों पर वाहनों का अवैध चलन पाये जाने पर उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की गई, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न परिशिष्ट "क" पर उपलब्ध है।

(4) सम्बन्धित प्रादेशिक परिवहन अधिकारी द्वारा माननीय जन-प्रतिनिधि से सम्पर्क कर उन्हें इस बाबत वस्तुस्थिति से अवगत करा दिया गया था।

(5) जी नहीं। उपरोक्त कार्यवाही नियमानुसार सम्पादित की गई।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

न्यूनतम मजदूरी

152. **श्री रामेश्वर लाल भाटी** (सुजानगढ़) एवं **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (चौमूं): क्या श्रम राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

बढ़ती हुई मंहगाई को दृष्टिगत रखते हुए क्या राज्य सरकार न्यूनतम मज्दूरी को बढ़ाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कितनी और कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

न्यूनतम वेतन के पुनः निर्धारण का मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है। शीघ्र ही निर्णय लिया जावेगा।

जोधपुर जिले की प्रस्तावित सड़कें

153. **श्री राजेन्द्र चौधरी** (बिलाड़ा): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जोधपुर जिले में पंचायत समिति वार विभिन्न योजनाओं में कौन-कौन से सड़क निर्माण के प्रस्ताव विचाराधीन हैं ?

(2) वर्ष 1993-94 में कौन से सड़कों के कार्यों की स्वीकृतियां जारी की जा चुकी हैं एवं किन सड़कों के प्रस्तावों की स्वीकृतियां जारी नहीं की गई हैं ? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) वर्तमान में कौन-कौन सी सड़क के स्वीकृत कार्य कितने समय से चल रहे हैं ? क्या ये कार्य नियत अवधि तक पूरे

(श्री राजेन्द्र चौधरी)

हो गये एवं कौन-कौन से कार्य नियत अवधि तक पूरे नहीं हुए ? इसके लिए जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? अब यह कार्य कब तक पूर्ण कर दिए जायेंगे ?

उत्तर

(1) जोधपुर जिले में पंचायत समितिवार विचाराधीन प्रस्ताव सड़क निर्माण के प्रस्ताव सूची "अ" में संलग्न हैं।

(2) वर्ष 1993-94 में स्वीकृत किये गये कार्यों की सूची नीचे दी जा रही है—

क्र. सं.	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि (लाखों में)
1	जोधपुर-बर-बिलाड़ा रोड़ राजमार्ग-5 के चौराहे का सुधार का कार्य।	3.00
2	दलेखां की चक्की सड़क चौराहा पर सुधार कार्य।	6.00
3	ओलम्पिक सिनेमा के पास चौराहा सुधार का कार्य	3.00
4	सरदारपुरा चिल्ड्रन पार्क 'बी' रोड़ सड़क का सुधार कार्य।	6.00
5	तीसरी रोड से रेजीडेन्सी रोड का सुधार कार्य।	
	कुल	24.00 लाख

उपरोक्त खण्ड 1 में वर्णित शेष कार्यों की स्वीकृति वित्तीय संसाधन उपलब्ध नहीं होने के कारण जारी नहीं की गई है।

(3) वर्तमान में स्वीकृत सड़कों के जो कार्य चल रहे हैं उनका विवरण संलग्न परिशिष्ट "बी" में दिया जा रहा है। कुल 10 कार्य स्वीकृत हैं उनमें से एक कार्य जोधपुर-जैसलमेर किमी. 8 के पास सी. डी. कार्य की संशोधित स्वीकृति जारी होने के पश्चात् ही पूर्ण किया जाएगा। जहां कार्य लंबित हुए हैं वहां सम्बंधित ठेकेदारों को नोटिस दिये गये हैं एवं उन्हें पूर्ण करने हेतु प्रयास किये गये हैं इनको पूर्ण करने की संभावित तिथि परिशिष्ट "बी" में दर्शाई गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

सजायाफ्ता आयुर्वेद चिकित्सक

154. श्री अर्जुनदास मदान (लाड़पुरा) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि आयुर्वेद विभाग में कार्यरत कुछ वैद्यों को जिला एवं सत्र न्यायालय ने सशस्त्र आक्रमण कर जान से मारने का प्रयास करने के अपराध में कठोर कारावास का दण्ड दिया है ? यदि हां, तो उनके नामों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त वैद्य अभी भी राज्य सरकार की सेवा में कार्यरत हैं ? यदि हां, तो इन्हें कब तक सरकारी सेवा से मुक्त कर दिया जायेगा ?

152

उत्तर

(1) जी हां। आयुर्वेद विभाग के एक वैद्य श्री कल्याण देव को जिला एवं सत्र न्यायालय ने उम्र कैद की सजा सुनाई है।

(2) जी नहीं। आयुर्वेद चिकित्सक श्री कल्याण देव दिनांक 28.2.93 को निलम्बनकाल में ही राज्य सेवा से सेवा-निवृत हो चुके हैं।

परिशिष्ट "अ"

निगम द्वारा ग्रामीण/नगरीय एवं नगरोत्तर मार्गों पर संचालित की जा रही वाहनों का विवरण

क्र.सं.	मार्गों का विवरण	वाहन सेवाओं की संख्या
1.	ग्रामीण/नगरीय मार्गों पर	2381
2.	नगरोत्तर मार्गों पर :-	
	अ-द्रुतगामी वाहन सेवायें	910
	ब-रात्रि वाहन सेवायें	312
	स-सेमी डीलक्स वाहन सेवायें	110
	द-डीलक्स वाहन सेवायें	28
	य-वातानुकूलित वाहन सेवायें	9
	योग :-	3750

शेष 258 वाहनें सामयिक रख-रखाव एवं दुर्घटनाग्रस्त वाहनों के लिये सुरक्षित रखी जा रही हैं।

निगम द्वारा यात्रियों हेतु सुविधाएं

155. श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डोली) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राजस्थान परिवहन निगम यात्रियों को नई सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु क्या कोई योजना बना रहा है ?

(2) वर्तमान में निगम के पास कुल कितनी बसें हैं, उनमें से कितनी ग्रामीण क्षेत्रों में सेवारत हैं, और कितनी नगरों में तथा कितनी बसें डीलक्स, वातानुकूलित एवं साधारण श्रेणी की हैं ? सूची सदन को मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार नगरों व राष्ट्रीयकृत राज मार्ग पर चलने वाली डीलक्स, सेमी-डीलक्स और वातानुकूलित बसों के परमिट निजी क्षेत्र में देने की कोई योजना बना रही है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) वर्तमान में निगम के पास कुल 3732 वाहनें स्वयं की तथा 276 निजी वाहनें अनुबन्ध पर हैं।

उक्त बसों में से प्रान्त के विभिन्न नगरों को जोड़ते हुए बीच में पड़ने वाले ग्रामीण क्षेत्रों के लिये सेवायें प्रदान करने वाली बस सेवाओं की संख्या 2381 है। डीलक्स, वातानुकूलित एवं साधारण श्रेणी की बस सेवाओं की संख्या क्रमश: 28, 9 एवं 1332 है। सूची पटल पर रख दी गई है। (परिशिष्ट-अ)

(3) जी नहीं।

उचित मूल्य की दुकानें

156. श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) एवं **श्री हरिसिंह** (महुवा) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या सरकार सभी ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर उचित मूल्य की दुकानें खोलने का विचार रखती है ?

(2) क्या सरकार ने जिला स्तर पर समिति गठित कर उचित मूल्य की दुकानें आवंटित करने की प्रक्रिया प्रारम्भ की थी ? यदि हां, तो क्या उक्त प्रक्रिया को रोक दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) वर्तमान में राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में करीब 3000 की जनसंख्या पर एक उचित मूल्य की दुकान कार्यरत है। ये दुकानें सामान्यत: ग्राम पंचायत मुख्यालय पर हैं, परन्तु कहीं-कहीं जनसंख्या व उपभोक्ताओं की सुविधा के दृष्टिकोण से पंचायत मुख्यालय से भिन्न स्थानों पर भी खोली हुई हैं।

(2) जी हां। कुछ प्रशासनिक कारणों से राज्य सरकार द्वारा उचित मूल्य की नई दुकानें आवंटन करने पर करीब चार सप्ताह के लिये ही रोक लगाई गई थी। वर्तमान में ऐसी कोई रोक नहीं है।

विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर के सड़क विहीन ग्राम

157. श्री बनवारीलाल भिण्डा (फतेहपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(श्री बनवारीलाल भिण्डा)

(1) सीकर जिले के ऐसे कितने ग्राम हैं जो पंचायत मुख्यालयों से जुड़े हुए नहीं हैं ?

(2) फतेहपुर विधान सभा क्षेत्र के ऐसे कितने गांव हैं जो ग्राम पंचायत मुख्यालय को सड़कों से नहीं जुड़े हुए हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें। इस सम्बन्ध में सरकार की क्या योजना है ?

उत्तर

(1) सीकर जिले में सन् 1971 की जनगणना के अनुसार 810 ग्राम है जिसमें 287 पंचायत मुख्यालय शामिल है इनमें से 369 गांव विभिन्न प्रकार की सड़कों से जुड़े हुए हैं तथा 441 गांव बिना जुड़े हैं।

(2) फतेहपुर विधान सभा क्षेत्र में कुल 114 (1971) गांव हैं जिसमें 28 पंचायत मुख्यालय शामिल हैं। जिसमें 49 गांव विभिन्न सड़कों में जुड़े हैं तथा 65 गांव बिना जुड़े हुए हैं। सूची संलग्न है। सन् 1971 की जनगणना के आधार पर जिन गांवों की जनसंख्या 1000 से अधिक है उनको सड़कों से जोड़ना आठवीं पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित है।

सीकर जिले में सड़क से बिना जुड़े गांवों की सूची

क्र.सं	विधान सभा क्षेत्र	गांव का नाम	आबादी (1971) की जनगणनानुसार	विशेष विवरण
1	2	3	4	5
1.	फतेहपुर	1. रामसीसर	1382	
		2. ठेडी	1022	
		3. बलोद बड़ी	1027	
		4 थेथलिया	1044	
		5. कारंगा छोटा	1027	
		6. बागडोदा	1123	
		7. नरबीपुरा	1319	
		8. भींचरी	1054	
		9. दाडून्दा	680	
		10. नारसरा हरदयालपुरा	927	
		11. ताकलसर	524	

1	2	3	4	5
		12. गुदड़वास	550	
		13. गरण्डवा	522	
		14. भाखरवासी	708	
		15. लावण्डा	961	
		16. कायमसर	797	
		17. रसूलपुर	958	
		18. फदनपुरा	616	
		19. गोरास	531	
		20. जालेऊ	624	
		21. हेतमसर	738	
		22. उदनसरी	996	
		23. उदनसर	966	
		24. बलौद भुकरान	711	
		25. बारी	647	
		26. नारी	752	
		27. काचीवाद बड़ा	893	
		28. भाण्डेला छोटा	831	
		29. मरडाटू छोटी	537	
		30. मरडाटू बड़ी	662	
		31. बीबीपुर बड़ा	741	
		32. बीबीपुर छोटा	706	
		33. नयाबास	783	
		34. चुनास	716	
		35. रिनाऊ	501	
		36. नारसरा	512	
		37. बाठोद	669	
		38. अठवास	984	

156

1	2	3	4	5
		39. हीरना	929	
		40. बागसरा	994	
		41. ढाणी बैजनाथ	379	
		42. गोडिया छोटा	382	
		43. नांगली	285	
		44. ढाकली	285	
		45. खुडी	399	
		46. सरदारपुरा	290	
		47. डिनारपुरा	473	
		48. ठिठावता	254	
		49. ठिठावता पिरान	369	
		50. ढाणी रिडमल	201	
		51. चाचीवाद छोटा	356	
		52. हरसावा छोटा	201	
		53. कारंगा बड़ा	792	
		54. कंगनसर	257	
		55. जुगलपुरा	282	
		56. बावला	206	
		57. नगरदास	416	
		58. ढाणी लावण्डा	219	
		59. ढाणी सूण्डा	481	
		60. ढाणी ठेडी	342	
		61. खेरतान की ढाणी	265	
		62. नीमा की ढाणी	265	
		63. बेरास	392	
		64. सवाई लक्ष्मणपुरा	192	
		65. साजासर	169	

राष्ट्रीय राजमार्गों पर संचालित निजी वाहन

158. श्री हरीसिंह (कुम्हेर) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या राष्ट्रीयकृत मार्गों पर निजी वाहन जो किराये पर सवारियां एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, उन्हें सरकार ने परमिट दे रखे हैं ? यदि हां, तो किस प्रकार के वाहनों को और किस-किस रूट पर ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) यदि नहीं, तो क्या सरकार ऐसे अनधिकृत वाहनों पर प्रतिबन्ध लगाने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। राष्ट्रीयकृत मार्गों पर निजी वाहनों को किराये पर सवारियां एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने-ले जाने के कोई स्टेज कैरिज परमिट जारी नहीं किए हुए हैं। राज्य सरकार के निर्देशानुसार यह स्टेज कैरिज वाहन सदस्य, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार के आदेश से 10 किलो मीटर तक राष्ट्रीयकृत मार्गों का प्रतिच्छादन (ओवर लेपिंग) कर सकती हैं किंतु इस राष्ट्रीयकृत मार्गांश पर भी यह वाहन सवारियां उतारने अथवा चढ़ाने हेतु अधिकृत नहीं है।

(2) अनाधिकृत वाहनों की रोकथाम हेतु विभाग सतत् प्रयत्नशील है। सामान्य चैंकिग के अलावा चैंकिग के विशेष अभियान चलाये जाकर भी इन वाहनों की रोकथाम के प्रयास किये गये हैं। चालू वित्त वर्ष में ऐसे 30185 वाहनों के चालान बनाये जाकर 235·56 लाख रुपये जुर्माना राशि वसूल की गई।

जनजातीय क्षेत्र फलासिया के छात्रावास

159 श्री कुबेरसिंह (फलासिया) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) निर्वाचन क्षेत्र फलासिया में आश्रम छात्रावास कहां-कहां पर हैं ?

(2) अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में आश्रम छात्रावास खोलने के मानदण्ड क्या हैं ?

(3) क्या उक्त क्षेत्र में वर्तमान में संचालित छात्रावास पर्याप्त हैं ? यदि नहीं, तो सरकार उक्त क्षेत्र में और आश्रम छात्रावास कब तक खोलने का विचार रखती है ?

(4) क्या सरकार आश्रम छात्रावास एवं अन्य छात्रावासों में कोई अन्तर मानती है ? यदि हां, तो क्या एवं किस-किस आधार पर ? क्या सरकार उक्त अन्तर को समाप्त करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) निर्वाचन क्षेत्र फलासिया में निम्नांकित स्थानों पर राजकीय जनजाति आश्रम छात्रावास चल रहे हैं :–

क्र. सं.	स्थान	छात्र/ छात्रा	आवासीय छात्र/ छात्राओं की स्वी. संख्या
1.	झाड़ोल	छात्र	100
2.	वाघपुरा	छात्र	100

(जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री)

1	2	3	4
3.	ढीमड़ी	छात्र	50
4.	फलासिया	छात्रा	50
5.	मामेर	छात्र	100
6.	अम्बासा (कथोडी)	छात्र	50

(2) जनजाति छात्रों की संख्या, शिक्षण संस्थाओं, वर्तमान साधनों एवं बजट आवंटन को ध्यान में रखते हुए जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा राज्य सरकार को प्रस्ताव प्रेषित किये जाते हैं। राज्य सरकार द्वारा आश्रम छात्रावास खोलने की स्वीकृति दी जाती है।

(3) जी नहीं। उपलब्ध बजट प्रावधानों के अनुरूप अधिक से अधिक छात्रावास खोलने के प्रयत्न किये गये हैं। जैसे-जैसे बजट उपलब्ध होता है छात्रावास खोले जा रहे हैं। अभी फलासिया की क्षमता को 50 से बढ़ाकर 80 करने की स्वीकृति अगले वर्ष के लिए प्राप्त हो चुकी है।

(4) जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के माध्यम से जनजाति के छात्र/छात्राओं के लिये आश्रम छात्रावास ही संचालित किये जाते हैं। छात्रावास एवं आश्रम छात्रावास में कोई अन्तर नहीं है।

जोधपुर-जैसलमेर सड़क निर्माण

160. श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा जोधपुर से जैसलमेर सड़क पर ग्राम ढाढ़णियां से बालेश्वर तक करीब 20 किलोमीटर में सड़क की पटरियों पर पत्थर की खानियों का मलबा डाला गया है? यदि हां, तो इसका कितनी राशि का भुगतान किया गया?

(2) यह कार्य ठेकेदार द्वारा किया गया अथवा विभाग द्वारा?

(3) क्या इस क्षेत्र में मुरड़ (ग्रेवल) उपलब्ध नहीं है? यदि हां, तो फिर इस पत्थर के मलबे का उपयोग क्यों किया गया तथा इससे सरकार को क्या फायदा हुआ है?

उत्तर

(1) जी नहीं। ग्राम ढाढ़णियां से बालेसर तक कुल 21 किमी. लम्बी सड़क में से केवल 11 किमी. लम्बी सड़क की पटरियों पर ही आवश्यकतानुसार पत्थर की खानियों के क्वारी रबिश को छानकर डाला गया है। न कि खानियों का मलबा। एवं क्वारी रबिश को छनाकर कार्यस्थल पर डालकर कुटाई करने का कुल रु. 2,61,555/– का भुगतान किया गया है।

(2) यह कार्य ठेकेदार द्वारा किया गया है। एवं क्वारी रबिश की छनाई का कुछ कार्य विभाग द्वारा भी किया गया है।

(3) इस कार्य के लिये ढाढ़णियां क्वारी एवं केतु क्वारी में ग्रेवल लाना प्रस्तावित था किन्तु कार्य के दौरान ढाढ़णियां क्वारी में वर्षा से पानी भर

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

जाने के कारण ग्रेवल खोदना संभव नहीं हो पाया तथा केतु क्वारी से स्थानीय निवासियों ने अपनी खातेदारी का दावा किया तथा ग्रेवल पूर्ति नहीं करने दी। इस कारण से पटरियों को मजबूत करने हेतु पत्थर की खानियों से क्वारी रबिश को छानकर उपयोग में लिया गया। इससे सरकार को 1,13,304 रु. की बचत हुई।

अनुबंधित एवं निगम द्वारा संचालित बसों की आय का अन्तर

161. श्री गोविन्दसिंह गुर्जर (नसीराबाद) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में निगम की प्रति बस से एवरेज प्रतिदिन शुद्ध आय-व्यय को कम करने के पश्चात् कितनी है ?

(2) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम से अनुबन्धित प्रति बस की एवरेज आय निगम का खर्च निकाल कर कितनी है ?

(3) निगम की बसों व निगम की अनुबन्धित बसों में आय के अन्तर के क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) वर्ष 1992-93 में निगम की प्रति बस प्रतिदिन व्यय निकालने के पश्चात् रुपये 44/- शुद्ध आय रही है। इस वर्ष दिसम्बर, 93 तक यह आय रुपये 177/- रही है।

(2) वर्ष 1992-93 में निगम से अनुबन्धित प्रति बस से निगम को व्यय निकालने के पश्चात् दैनिक शुद्ध आय 118/- रुपये रही है। इस वर्ष दिसम्बर, 93 तक यह शुद्ध आय 382/- रुपये रही है।

(3) निगम की बसें एवं अनुबन्धित बसों की आय में अन्तर के प्रमुख कारण निम्न प्रकार हैं :-

(1) निगम की बसें प्रतिदिन सभी श्रेणी के मार्गों पर औसतन 298 किलोमीटर चलती हैं जबकि अनुबन्धित बस लम्बे व अच्छे यात्री भार देने वाले मार्गों पर औसतन 473 किलोमीटर प्रतिदिन चलती हैं। फलत: अनुबन्धित बसों को सभी बिन्दुओं पर अच्छा यात्री भार मिलता है, जबकि निगम की बसों को सभी प्रकार के जैसे चतुर्थ अध्याय मार्ग, अलाभकारी मार्ग, नगर बस सेवाएं, ओवली गेटरी सेवाएं एवं ग्रामीण सेवाएं आदि मार्गों पर चलने से औसतन कम यात्री भार उपलब्ध रहता है।

(2) निगम की बसों में अनुबन्धित प्राइवेट बसों की तुलना में रोजगार के अवसर काफी अधिक होते हैं। निगम में औसतन प्रति बस 8 कर्मचारी कार्यरत हैं जबकि अनुबन्धित बस पर औसतन 2-3 कर्मचारी कार्यरत होते हैं। इसलिये स्थायी लागत अधिक आना स्वाभाविक है।

(160)

परिशिष्ट-3

अतारांकित प्रश्न संख्या 185 का विवरण

क्र.सं.	ठेकेदार का नाम	कार्य का नाम	किया गया भुगतान
1.	मै. नारायणसिंह गुलाबसिंह, हिम्मत नगर	(अ) एन. एच. 8 (अरबन लिंक) पर किमी. 266-267 पर 25 एमएम एम.एस.एस. विथ लेवलिंग कोर्स	2,32,701.00
	,, ,, ,,	(ब) एन.एच. 8 (अरबन लिंक) पर किमी. 271-272/500 पर 25 एमएम थिक एन.एस.एस. विथ लेवलिंग कोर्स	2,00,164.00
	,, ,, ,,	(स) एन.एच. 8 (अरबन लिंक) पर किमी. 268/500-269/0 पर 25 एमएम एम.एस.एस विथ लेवलिंग कोर्स	2,65,613.00
			6,98,478.00
2.	मै. अमर कन्सट्रक्शन कम्पनी, बड़ौदा	(अ) एन.एस. 8 (अरबन लिंक) पर किमी. 263/500 से 276/500 पर 25 एमएम थिक एम. एस. एस. विथ लेवलिंग कोर्स	18,31,075.00
	,, ,, ,,	(ब) एम. एच. 8 पर किमी 263/500 से 266/00 पर रीनेवल कार्य	4,59,356 00
			22,90,431.00

1	2	3	4
3.	चौधरी कन्सट्रेक्शन	(अ) ब्रह्मपोल से झाड़ोलरोड चौराहा तक पेवर कार्य रिनेवल कार्य	1,80,000.00
	,, ,, ,,	(ब) देहली गेट से शास्त्री सर्किल तक रिनेवल कार्य	95,000.00
			2,75,000.00
4.	हरेन्द्रसिंह नारायणसिंह	सूरजपोल से होकर चौराहा तक रिनेवल कार्य	8,21,000.00
		ग्राण्ड टोटल	40,84,909.00

परिशिष्ट-4

परिशिष्ट-"अ"

पंचायत समितिवार गांव जो सड़कों से जुड़े हुए नहीं हैं। जिला-जोधपुर

क्र.सं.	पंचायत समिति	गांव का नाम	जनसंख्या वर्ष 1971	1981
1	2	3	4	
	1. बिलाड़ा	1. सिंधिनगर	—	—
	2. भोपालगढ़	1. बसानी सांदवा	80	184
		2. सिरगिया खुर्द	194	241
	3. ओसियां	1. ओमपुरा	—	1838
		2. छावड़ा कला	—	922
		3. वरसालू	—	485
		4. करमालीया की ढाणी	—	790
		5. जेरिया	183	232
		6. भाखरों की ढाणी	—	13
		7. मानसागर	—	800
		8. रेडिया का बेरा	—	500
		9. बेदा का बेरा	—	1200
		10. सिंधियों की ढाणी	—	912
		11. विनायकपुरा	—	942
		12. खड़ियाला	577	841
		13. बासनी डांवरा	—	900
		14. पूनासर खुर्द	—	1845
		15. लाखेटा	—	1200
		16. हनुमान सागर	—	1000
	4. बालेसर	1. पंडितों का बास	728	868
		2. सुवेरी सासण	—	205

1	2	3		4
	बालेसर	3. केतु हेमा	372	535
		4. धीरपुरा	—	—
		5. चौमू रामसागर	—	1273
		6. चौमू प्रहलाद	—	1344
		7. बस्तवा माताजी	1837	925
		8. केतु मनावता	337	453
		9. ढाडणिया बरेडी	55	92
		10. सुरानी	549	709
		11. भिनाभनयाला	670	956
		12. मेरिया	470	738
		13. देडाचक्र नं. 1	43	44
		14. देडाचक्र नं. 2	15	58
		15. देडाचक्र न. 3	298	432
		16. भानूप्रमूपगढ़	—	1500
		17. रतनगढ़	—	550
		18. भाटलाई चारणा	—	500
		19. तालेसर पुरोहितान	—	650
		20. तालेसर चारणा	—	417
5. शेरगढ़		1. खिरजा आसा	918	1098
		2. खिरजा फराहसिंह	293	414
		3. सांवला की ढाणी	139	170
		4. शिवपुरा	—	800
		5. जैतसर	—	2100
		6. गुमानसिंहपुरा	—	3252
		7. हिम्मतपुरा	—	2100
		8. भीमसागर	—	2500
		9. गुमानपुरा	—	2500
		10. चतरपुरा	—	1413
		11. देवराजगढ़	—	1700

1	2	3	4	5
6.	मण्डोर	1. घायलों की ढाणी	—	—
		2. डालिया	—	171
		3. जाटियावास	—	585
		4. कुम्हारों की ढाणी	—	—
		5. बासनी बेंदा	—	378
		6. भगतासनी	—	40
		7. महादेव नगर	—	—
		8. शिवतारगा	—	—
		9. देरिया नोडा	—	—
		10. घंटियाला	822	1425
		11. चावडा	831	1178
		12. देसूरिया खारोला	—	289
		13. देसूरिया विश्नोईयान	—	273
7.	लूनी	1. बिदासनी	266	380
		2. राजुपुरिया	—	245
		3. बासनी चारणा	84	109
		4. चैनपुरा भाटिया	—	—
		5. गोलिया मगरा	—	231
		6. भीडी	—	—
		7. भाटो की ढाणी	—	—
		8. मेहरामगढ़	—	—
		9. पुरखावास	—	—
		10. शिव गांव	—	—
		11. मेलावास	—	—
		12. खारडा	—	—
		13. विश्नोईयों की ढाणी	—	—
		14. रोहिचा भाण्डू	—	46

1	2	3	4	5
8. फलौदी		1. फतेहसागर	—	3128
		2. उढाणियों की ढाणी	—	984
		3. चिकनी ढाणी	—	887
		4. हंसा देश	—	875
		5. शिवपुरी	—	882
		6. भाईयों की ढाणी	—	750
		7. श्री जम्भेश्वर नगर	—	606
		8. भरडे की भाखरी	—	1188
		9. बापीणी	—	755
		10. रावडा	133	211
		11. मज्जा	65	233
		12. बग्गा	33	41
9. बाप		1. नैवा	—	1587
		2. जेमला	523	777
		3. सिहड़ा	668	1090
		4. मोहरा	323	658
		5. चारणाई	—	875
		6. लुणा	517	733
		7. ढाढरवाला	502	551
		8. कल्याणसिंह की सिड़	291	591
		9. भडला चुहडों की बस्ती	—	382
		10. कलरा-बेरा	—	392
		11. अवासर	529	594
		12. श्रीरामपुरा	—	467
		13. मोडलिया	303	494
		14. पादडलिया	231	—
		15. माधाकोर	311	—
		16. जोधाणी टपु	340	—

166

1	2	3	4	5
		17. भीमली का गांव	242	2424
		18. बावड़ी बरसिंगा	238	444
		19. माया कोरिया	251	126
		20. रावरा	—	382
		21. श्री सुरपुरा	—	85
		22. कानासी मोटी	216	479
		23. सिवांदी	132	202
		24. मनपितीया	172	227
		25. मण्डोर (बारां का वास)	—	—
		26. मंडली	130	250
		27. कानासरिया	141	260
		28. दुगाणी	150	239
		29. चिड़ी	94	163
		30. गुड़ा	113	121
		31. बालेसर	—	—
		32. लुम्बानिया	08	14

परिशिष्ट–5

अतारांकित प्रश्न संख्या 196 का विवरण

स्कूली बसों में छात्र/छात्राओं को जारी किये जा रहे मासिक पास की किलो–मीटर वाइज दरों का विवरण।

क्र० सं०	किलोमीटर दूरी	मासिक पास की दर
1.	7 कि.मी. तक की दूरी के लिये	90.00 रुपये
2.	7 से 12 कि.मी. तक की दूरी के लिये	120.00 रुपये
3.	12 से 20 कि.मी. तक की दूरी के लिये	150.00 रुपये

(168)

परिशिष्ट–6

अतारांकित प्रश्न संख्या 197 की सूची

परिशिष्ट "अ"

कुशलगढ़ उपखण्ड मुख्यालय से विभिन्न मार्गों पर परिवहन निगम द्वारा संचालित की जा रही बस सेवाओं का विवरण।

क्र० सं०	मार्ग	कुशलगढ़ से प्रस्थान समय
1.	कुशलगढ़–बांसवाड़ा	06.30
2.	कुशलगढ़–बांसवाड़ा	07.30
3.	कुशलगढ़–बांसवाड़ा	08.15
4.	कुशलगढ़–बांसवाड़ा	09.05
5.	कुशलगढ़–बांसवाड़ा	12.00
6.	कुशलगढ़–बांसवाड़ा	13.00
7.	कुशलगढ़–बांसवाड़ा	14.30
8.	कुशलगढ़–बांसवाड़ा	15.30
9.	कुशलगढ़–बांसवाड़ा	16.00
10.	कुशलगढ़–बांसवाड़ा	18.00
11.	कुशलगढ़/उदयपुर	10.30
12.	कुशलगढ़–ब्यावर	05.00
13.	कुशलगढ़–रतनपुर	05.45
14.	कुशलगढ़–बडीसरवा	18.30
15.	कुशलगढ़–सातसेरा	17.30

परिशिष्ट "ब"

कुशलगढ़ उपखण्ड मुख्यालय से परिवहन निगम द्वारा अन्तर्राज्यीय मार्गों पर संचालित की जा रही बस सेवाओं का विवरण।

क्र० सं०	मार्ग का नाम	कुशलगढ़ से प्रस्थान समय
1.	डूंगरपुर–इन्दौर वाया बांसवाड़ा–कुशलगढ़	23.30

परिशिष्ट–7

अतारांकित प्रश्न संख्या 204 का विवरण

बगरू में एलोपैथी दवाइयों के विक्रय हेतु जारी लाइसेन्स की सूचना

क्र. सं.	दुकान का नाम व पता	लाइसेन्स नं.	जारी करने की तिथि
1.	मैसर्स बगरू मेडिकल्स एण्ड प्रोविजन स्टोर बस स्टेण्ड; नेशनल हाईवे बगरू (जयपुर)	20/4/4453 21/4454 20 बी/4456 21 बी/4456	22.9.83
2.	मैसर्स पदमावती मेडिकल स्टोर राजकीय अस्पताल के पास, बगरू जिला–जयपुर	20/4064 21/4065 20 बी/4066 21 बी/4067	22.9.82
3.	मैसर्स ओम मेडिकल स्टोर यू. को. बैंक के पास, बगरू	20/3200 21/3281 20 बी/2588 21 बी/2589	25.9.79 1.11.76
4.	मैसर्स आशीष मेडिकल एण्ड प्रोविजन स्टोर मैन मार्केट, बगरू	20/5753 21/5754	27.12.86
5.	मैसर्स आदर्श मेडिकल स्टोर, स्टेट बैंक आफ इण्डिया के पास, बगरू जिला–जयपुर	20 बी/8739 21 बी/8740	1.5.92
6.	मैंसर्स श्री बजरंग मेडीकल हाल, मैन मार्केट, बगरू, जिला–जयपुर	20/4365 21/4366	25.5.83
7.	मैसर्स झालानी मेडिकल स्टोर, बगरू, जिला–जयपुर	20/197 21/696	15.7.59
8.	मैसर्स पाटनी मेडिकल स्टोर, बगरू, जिला–जयपुर	20/404 21/405	1.1.69
9.	मैसर्स श्री श्याम मेडिकल्स, गवर्नमेन्ट डिस्पेंसरी के पास, बगरूकलां, जिला–जयपुर	20/5411 21/5412 20 बी/5413 21 बी/5414	24.2.86

परिशिष्ट–8

अतारांकित प्रश्न संख्या 205 की सूची

श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र में संचालित औषधालयों के नाम एवं उनमें उपलब्ध भवन व्यवस्था का विवरण

क्र. सं.	स्थान	औषधालय भवन की व्यवस्था	चिकित्सक आवास की व्यवस्था
1.	मीरगढ़	इन्दिरा गांधी नहर परियोजना द्वारा भवन निर्माण कराया गया	इन्दिरा गांधी नहर परियोजना द्वारा भवन निर्माण कराया हुआ है।
2.	रावला गांव	” ”	” ”
3.	बीरमाना	” ”	” ”
4.	बिरधवाल	” ”	” ”
5.	भोपालपुरा	” ”	” ”
6.	कन्नोर	” ”	” ”
7.	संगीता	” ”	आवास व्यवस्था नहीं है।
8.	चक–3 एफ. डी. एम.	दान में प्राप्त भवन में संचालित	” ”
9,	रोजड़ी	ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध कराया गया।	” ”
10.	घड़साना	” ”	” ”
11.	आनन्दगढ़	” ”	” ”
12.	रावलामण्डी	” ”	” ”
13.	हिस्यामकी	” ”	” ”
14.	आर. डी. 365 हेडमण्डी	” ”	” ”
15.	मोकलसर	” ”	” ”
16.	गोविन्दसर	” ”	” ”
17.	सोमासर	” ”	” ”

शुद्धि-पत्र

क्र. सं.	स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
1.	39	10	श्री	श्री
2.	83	फोलियो	आरांकित	अतारांकित
3.	87	,,	स्थगन प्रस्ताव–1994–आदि पर चर्चा	स्थगन प्रस्ताव 2 मार्च, 1994 आदि पर चर्चा
4.	93	,,	1995	1994
5.	278	4	धनकड़	धनखड़